भारत

के

नियन्त्रक–महालेखा परीक्षक

का

प्रतिवेदन

1981-82

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत

पश्चिम बंगाल—कोलकाता

मानचित्र

१९८१-८२

सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून

विषय सूची

		अनुभाग	पृष्ठ
	प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		(i)
अध्याय I	सरकारी कम्पनियां		
	विषय प्रवेश	I	1
	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड	II	11
	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	III	21
	अन्य सरकारी कम्पनियां	IV	27
अध्याय II	सांविधिक निगम		
	विषय प्रवेश	V	34
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् विषय प्रवेश	VI	40
	पनकी तापीय शक्ति स्टेशन	VII	45
	आगरा विद्युत् आपूर्ति उपक्रम	VIII	73
	राजस्व की हानि	IX	95
	अन्य रोचक विषय	X	101
	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	XI	110
	उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम	XII	136
	परिशिष्ट		
परिशिष्ट क	सरकारी कम्पनियों के कार्य कलापों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम		142
परिशिष्ट ख	सांविधिक निगमों के कार्य कलापों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम		150

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें, जिनके
परीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रे

(i) सरकारी कम्पनिया

(ii) सांविधिक निगम, आ

(iii) विभागीय रुप से प्रबंधित वाणिज्यिक

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ... धिक निगमों के लेखाओं के लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा है। विभागीय रूप से प्रबन्धि... वाणिज्यिक और अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा भारत के नियन्त्रक–महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में की गई है।

3. सरकारी कम्पनियों के मामले में, लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा की जाती है, किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अधीन नियन्त्रक–महालेखा परीक्षक पूरक या नमूना लेखापरीक्षा करने के लिये अधिकृत हैं। उन्हें यह भी शक्ति दी गई है कि वे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी दें या पूरक प्रतिवेदन दें। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन नियन्त्रक–महालेखा परीक्षक को यह शक्ति भी दी गयी है कि लेखा परीक्षकों को उनके कार्य निष्पादन हेतु निर्देश दें। ऐसे निर्देश लेखा परीक्षकों को समय–समय पर दिये जाते रहे हैं।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, जो कि सांविधिक निकाय हैं, के सम्बन्ध में नियन्त्रक–महालेखा परीक्षक ही एक मात्र लेखा परीक्षक हैं, जबकि अन्य दो सांविधिक निगमों, यथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम के सम्बन्ध में उन्हें (सम्बन्धित अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार) सम्बद्ध अधिनियमों के अधीन नियुक्त किये गये चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा लेखा परीक्षा से स्वतन्त्र लेखा परीक्षा करने का अधिकार है।

5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 1981–82 में की गई लेखा परीक्षा के दौरान देखने में आये तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में आये थे किन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, 1981–82 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी शामिल कर लिए गये हैं।

6. प्रतिवेदन में वे बातें कहीं गई हैं जो उपर्युक्त उपक्रमों के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान दखने में आई हैं। इनका अभिप्राय न तो सम्बन्धित उपक्रमों के वित्तीय प्रशासन पर किसी प्रकार का सामान्य आक्षेप व्यक्त करना है और न ही उनका यह अर्थ समझा जाय।

अध्याय I

सरकारी कम्पनियां

अनुभाग I

1.01. विषय प्रवेश

गत वर्ष के अन्त में 89 सरकारी कम्पनियों (38 सहायक कम्पनियों सहित) के प्रति 31 मार्च 1982 को 91 सरकारी कम्पनियां (38 सहायक कम्पनियों सहित) थीं। निबन्धक कम्पनी, उत्तर प्रदेश, ने दो कम्पनियों, यथा, रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड और शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड के परिसमापन की कार्यवाही पूरी होने की सूचना दी (सितम्बर 1982)।

निम्नलिखित कम्पनियां परिसमापनाधीन थी :

कम्पनी का नाम	निगमित होने की तारीख	परिसमापन में जाने की तारीख
रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड	15 मार्च 1975	7 जून 1977
इंडियन बाविन कम्पनी लिमिटेड	22 फरवरी 1924	10 सितम्बर 1973
टर्पेन्टाइन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	11 जुलाई 1939	1 अप्रैल 1978

1.02. लेखाओं का संकलन

28 कम्पनियों (11 सहायक कम्पनियों सहित) ने वर्ष 1981-82 (मार्च 1983) के अपने लेखे तैयार किये। इसके अतिरिक्त 15 कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों सहित) ने पूर्ववर्ती वर्षों के अपने लेखे तैयार किये। 43 कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम (नवीनतम उपलब्ध लेखाओं पर आधारित) दर्शाने वाला संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट "क" में दिया गया है निम्नलिखित 58 कम्पनियों (27 सहायक कम्पनियों सहित) के लेखे उनके सामने लिखी अवधि के लिये बकाया में थे (जनवरी 1983)।

कम्पनी का नाम	बकाये की सीमा
उत्तर प्रदेश रुफिग्स प्राइवेट लिमिटेड	1973-74 से 1981-82
फैजाबाद रुफिग्स लिमिटेड	1974-75 से 1981-82
उत्तर प्रदेश बिल्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	1974-75 से 1981-82
उत्तर प्रदेश प्लांट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेज प्राइवेट लिमिटेड	1974-75 से 1981-82
कृष्णा फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड	1975-76 से 1981-82
नार्दन इलेक्ट्रिकल इंडिवपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1975-76 से 1981-82
उत्तर प्रदेश एक्सकोंट प्राइवेट लिमिटेड	1975-76 से 1981-82
उत्तर प्रदेश पौटरीज प्राइवेट लिमिटेड	1976-77 से 1981-82
उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	1976-77 से 1981-82
मुहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	1977-78 से 1981-82

कम्पनी का नाम	बकाये की सीमा
उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड	1977-78 से 1981-82
उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	1977-78 से 1981-82
उत्तर प्रदेश प्रैसट्रेस्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1977-78 से 1981-82
हैण्डलूम इनटेन्सिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (गोरखपुर एवं बस्ती) लिमिटेड	1978-79 से 1981-82
उपाय लिमिटेड	1978-79 से 1981-82
उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1978-79 से 1981-82
उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1978-79 से 1981-82
उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1978-79 से 1981-82
उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन पाटरीज लिमिटेड	1978-79 से 1981-82
उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1978-79 से 1981-82
बुन्देलखंड कान्क्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेंन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
अपट्रान कम्पोनेन्टस लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
अपट्रान सेम्पैक लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड एशेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
उत्तर प्रदेश टैक्सटाइल प्रिन्टिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1979-80 से 1981-82
इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1980-81 और 1981-82
कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1980-81 और 1981-82
लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1980-81 और 1981-82
टेलीट्रानिक्स लिमिटेड	1980-81 और 1981-82
ट्रांसकेबिल्स लिमिटेड	1980-81 और 1981-82
उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड	1980-81 और 1981-82
उत्तर प्रदेश शिड्यूल्ड कास्टस् फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1980-81 और 1981-82

कम्पनी का नाम	बकाये की सीमा
उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1980-81 और 1981-82
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	1981-82
कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1981-82
मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1981-82
दि इण्डयन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	1981-82
दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	1981-82
अपट्रान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड	1981
अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	1981-82
उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	1981-82
उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	1981-82
उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टमस् कार्पोरेशन लिमिटेड	1981-82
उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्टस् लिमिटेड	1981-82
उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	1981-82
उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1981-82
उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कापोरेशन लिमिटेड	1981-82
उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	1981-82
उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड	1981-82

लेखाओं के अन्तिम रूप दिए जाने सम्बन्धी बकायों की स्थिति पिछली बार दिसम्बर 1982 में सरकार के ध्यान में लाई गई।

1.03. **प्रदत्त पूंजी**

31 मार्च 1981 को पांच परिसमापनाधीन कम्पनियों को छोड़कर 86 सरकारी कम्पनियों में 21653.47 लाख रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 1982 को तीन परिसमापनाधीन कम्पनियों को छोड़कर 86 सरकारी कम्पनियों में बढ़कर 28182.39 लाख रुपये हो गई, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

कम्पनियों का विवरण	कम्पनियों की संख्या	किसके द्वारा निवेशित: राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य, सरकारी कम्पनियों को मिला कर	जोड़
		(लाख रुपयों में)			
ऐसी कम्पनियां जिन पर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।	37	21527.02	..	..	21527.02
ऐसी कम्पनियां जिन पर केन्द्रीय सरकार/अन्य का संयुक्तरूप से अधिकार है	12	1752.60	338.83	116.29	2207.72
सहायक कम्पनियां	37	51.59	..	4396.06	4447.65*
जोड़	86	2331.21†	338.83	4512.35	28182.39

*नवीनतम् उपलब्ध सूचना पर आधारित।

†वित्तीय लेखाओं के अनुसार धनराशि 23394.92 लाख रुपये है। 63.71 लाख रुपये का अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

1.04. कर्जे

31 मार्च, 1982 को 25 कम्पनियों (35 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) में दीर्घकालिक कर्जों का शेष 16520.67 लाख रुपये था (राज्य सरकार: 5503.85 लाख रुपये, अन्य पार्टियां: 11016.82 लाख रुपये) जबकि 31 मार्च 1981 को 24 कम्पनियों में (33 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) 13080.99 लाख रुपये था।

1.05. प्रत्याभूतियां

राज्य सरकार ने 17 कम्पनियों (चार सहायक कम्पनियों सहित) द्वारा लिये गये कर्जों के पुर्न-भुगतान (और उस पर ब्याज के भुगतान) की प्रत्याभूति दी थी। 31 मार्च, 1982 को इन कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रत्याभूति की गई कुल धनराशि और उसके प्रति अवशेष धनराशि क्रमश: 5863.95 लाख रुपये और 4011.89 लाख रुपये थे जैसा नीचे वर्णित है :—

कम्पनी का नाम	प्रत्याभूति की गई धनराशि	31 मार्च 1982 को बकाया धनराशि
	(लाख रुपयों में)	
आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	1136.00	552.00
चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड*	387.00	269.18
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड*	377.00	262.00
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड*	211.00	71.00
नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड*	345.00	339.25
दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	1135.01	1135.01
उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	44.00	23.41
उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	142.00	142.00
उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	185.00	120.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	104.00	104.00
उत्तर प्रदेश (रूहेलखंड) तराई गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड**	150.00	86.42
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड**	320.00	266.88
उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड**	15.00	39.89
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड**	59.65	59.65
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड**	1000.00	439.46
उत्तर प्रदेश स्टेट फूड एण्ड इसेन्सियल कमोडिटीज कारपोरेशन लिमिटेड**	75.00	23.61
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	178.29	78.13
योग	5863.95†	4011.89†

*सहायक कम्पनियां

**न्यूनावधि कर्जे/नकद साख प्रत्याभूति किये गये हैं।

†वित्तीय लेखाओं के अनुसार आंकड़े क्रमश: 8450.16 लाख रुपये और 5605.99 लाख रुपये हैं (15 कम्पनियां)। अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

1.06. कम्पनियों का कार्य निष्पादन

1.06.01--निम्नलिखित तालिका में 14 कम्पनियों (6 सहायक कम्पनियों सहित), जिन्होंने 1981-82 के दौरान लाभ अर्जित किया है, के ब्योरे तथा गत वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े दिये जाते हैं :

कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी		लाभ (+)/ हानि (-)	
	1980-81	1981-82	1980-81	1981-82
	(लाख रुपयों में)			
हरिजन एवम् निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	15.00	15.00	(-)1.98	(+)5.35
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	340.00	390.00	(+)27.97	(+)23.96
उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	183.18	188.18	(-)4.45	(+)2.33
उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	14.03	14.33	(+)0.64	(+)0.96
उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	23.77	23.84	(+)6.96	(+)5.99
उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1540.73	1552.73	(+)137.29	(+)161.98
उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवपलमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	67.00	88.00	(-)3.71	(+)3.71
वाराणसी मंडल विकास निगम लिमिटेड	45.00	55.00	(-)0.56	(+)3.63
सहायक कम्पनियां				
चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	258.00	258.00	(+)111.44	(+)112.62
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	253.00	253.00	(+) 29.27	(+)7.57
अपट्रान कैपैसीटर्स लिमिटेड	41.34	49.34	*	(+)2.09
अपट्रान इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	8.00	8.65	(-)1.79	(+)7.12
अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	22.00	22.00	(+)0.82	(+)8.04
उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड	10.20	11.20	(+)0.06	(+)0.38

*निर्माणाधीन।

1.06.02. इस वर्ष के दौरान दो कम्पनियों ने लाभांश घोषित किया जिसके ब्योरे नीचे दिये हैं :

कम्पनी का नाम	वितरण योग्य अधिशेष	व्यापार में रोकी गई धनराशि	घोषित लाभांश	प्रदत्त पूंजी पर लाभांश की प्रतिशतता
		(लाख रुपयों में)		
उत्तर प्रदेश (रुहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	8.64	7.23	1.41	6.0
उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	193.78	162.97	30.81	2.0

1.06.03. निम्नलिखित तालिका में 10 कम्पनियों (3 सहायक कम्पनियों सहित), जिन्होंने वर्ष 1981--82 के दौरान हानियां उठाईं, के ब्योरे तथा गत वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े दिये जाते हैं :

कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी		लाभ (+) / हानि (--)	
	1980--81	1981--82	1980--81	1981--82
		(लाख रुपयों में)		
आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	100.00	(--) 0.59	(--) 6.93
आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	831.51	831.51	(+) 1.98	(--) 177.90
प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	50.00	50.00	(--) 0.57	(--) 0.38
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड।	16.35	16.95	(+) 1.57	(--) 8.44
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	3707.00	4099.00	(--) 245.65	(--) 65.72
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड।	2420.00	5329.44	(--) 568.08	(--) 1050.23
उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्स टाइल कारपोरेशन लिमिटेड	3146.87	4137.87	(+) 321.64	(--) 1.44

कम्पनी का नाम			(+)/हानि(-) 1981-82	
सहायक कम्पनियां				
भदोही ऊलेन्स लिमिटेड	40.90	75.90	(-)	
नन्द गंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	503.00	503.00	(-) 221.35	(-) 4.38 32
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० 1) लिमिटेड	1400.00	1778.00	181.25	(-) 143.65

उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं01) लिमिटेड के लाभों को मुख्य रूप से प्रभावित होने का कारण रुई की कीमतों का बढ़ना था जबकि कताई क्षेत्र के दूसरे सत्र में रुई की कीमतों के अनुपात में धागे की कीमते नहीं बढ़ी।

आटो ट्रैक्टर्स के सम्बंध में इसका यह वाणिज्यिक उत्पादन का पहला वर्ष था।

1.06.04. 10 कम्पनियों (प्रदत्त पूंजी : 13277.85 लाख रुपये) के सम्बन्ध में संचित हानि 7762.96 लाख रुपये थी। कम्पनियों के विवरण जिनकी संचित हानियां (नवीनतम उपलब्ध लेखों के अनुसार) प्रदत्त पूंजी से अधिक हो चुकी थी नीचे दिये जाते है :

कम्पनी का नाम	लेखाओं का वर्ष	प्रदत्त पूंजी	संचित हानि	संचित हानि की प्रदत्त पूंजी पर प्रतिशतता
		(लाख रुपयों में)		
भदोही ऊलेन्स लिमिटेड ..	1981-82	75.90	112.46	148.2
छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड ..	1981-82	253.00	344.49	136.2
नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड ..	1981-82	503.00	1222.10	243.0
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड ..	1980-81	244.69	626.28	255.09
उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड ..	1980-81	41.00	154.07	375.8

उन कम्पनियों के जो निर्माणाधीन थीं तथा 1980–81
ये व्यय के व्यौरे दिये जाते हैं :

	प्रदत्त पूंजी		व्यय	
	1980–81	1981–82	1980–81	1981–82
	(लाख रुपयों में)			
त्स्य ...े निगम लिमिटेड	40.37	59.16	3.53	20.31
प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	100.00	100.00	0.04	153.65
सहायक कम्पनियां				
उत्तर प्रदेश कारबाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	269.17	269.17	1.72	107.90
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 II) लिमिटेड	0.01	240.01	0.01	199.86

1.07. इसके अतिरिक्त पांच कम्पनियां ऐसी थी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ख के अन्तर्गत आती थीं, जो (1) अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, (2) स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड, (3) इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड, (4) सिन्थैटिक फोम्स लिमिटेड, और (5) कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलेपमेंन्ट कारपोरेशन लिमिटेड हैं, इस वर्ष के दौरान दो कम्पनियों ने अपने लेखे पूर्ण किये, उनके व्यौरे नीचे दिये जाते हैं :

कम्पनी का नाम	लेखाओं का वर्ष	प्रदत्त पूंजी निवेश राज्य सरकार द्वारा	सरकारी कम्पनियों द्वारा	सरकारी निगमों द्वारा	अन्य	योग	वर्ष के दौरान हानि
		(लाख रुपयों में)					
कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	31 दिसम्बर 1981	..	..	8.32	2.93	11.25	8.76
सिन्थेटिक फोम्स लिमिटेड	30 जून 1981	..	21.37	12.68	13.40	47.45	29.68

दो कम्पनियों के सम्बन्ध में उनकी संचित हानि क्रमश: 14.32 लाख रुपये और 54.60 लाख रुपये थी जो प्रदत्त पूंजी से अधिक हो गई थी ।

अल्मोड़ा मैग्नासाइट लिमिटेड, जो खाते 31 अक्टूबर को बंद करता है, के लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए थे। स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड और इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्पयूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड के सम्बन्ध में क्रमश: वर्ष 1980 से 1982 और 1975 से 1982 के सम्प्रेक्षित लेखे प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 1983) ।

1.08. कम्पनी अधिनियम, 1956 में भारत के नियंत्रक –महालेखा परीक्षक को सरकारी कम्पनियों के सम्प्रेक्षकों को उनके कार्य सम्पादन सम्बन्धी निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार दिये हुए निर्देशों के अनुपालन वर्ष के दौरान सात कम्पनियों के सम्बन्ध में कम्पनी सम्प्रेक्षकों के विशेष प्रतिवेदन प्राप्त हुए। इन प्रतिवेदनों में पाई गई महत्वपूर्ण बातों के सारांश नीचे दिये गए हैं --

त्रुटियों की प्रकृति	उन कम्पनियों की संख्या जहां त्रुटियां पाई गई	परिशिष्ट "क" में कम्पनियों के क्रमांक का संदर्भ
लेखा मैनुअल का अभाव	6	10, 26, 31, 33, 35, 37
दोषयुक्त लेखा प्रणाली	2	31, 37
नियमित लागत लेखा प्रणाली का अभाव	1	31
पर्याप्त बजट प्रणाली का अभाव	2	35, 37
आन्तरिक सम्प्रेक्षा मैनुअल का अभाव	7	5, 10, 26, 31, 33, 35, 37
आन्तरिक सम्प्रेक्षा का व्यापार के प्रकृति और आकार के अनुकूल न होना	2	5,37
आन्तरिक सम्प्रेक्षा का अभाव	1	31
फालतू बेकार भंडारों का निर्धारण न किया जाना	1	26
खरीद के लिये निविदा प्रणाली का अभाव	4	26, 33, 35, 37
सम्पत्ति का त्रुटि पूण रख-रखाव/भूमि/परिसम्पत्ति रजिस्टर का ठीक से न रखा जाना	3	31, 35 ,37
श्रमिक और कल पुर्जे के लिये बेकार समय के निर्धारण करने की प्रणाली का अभाव	1	31
भंण्डार की न्यूनतम/अधिकतम सीमाओं का अनिर्धारण	3	5, 31, 35

1.09. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को कम्पनी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर टिप्पणी करने या उसे संपुरित करने का अधिकार है। इस प्राविधान के अधीन, सरकारी कम्पनियों के सम्परीक्षित वार्षिक लेखाओं की समीक्षा चयनात्मक आधार पर की जाती है। वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान ध्यान में आई हुई कुछ त्रुटियां/चूकें, आदि नीचे वर्णित की जाती हैं :

चिट्ठा (बैलेन्स शीट)

--रहतिया मूल्यांकन पद्धति का अप्रटीकरण–(प्रयाग चित्रकूट कृषि एवम् गोधन विकास निगम लिमिटेड) ;

--रहतिया, भंडार और पुर्जे खातों के जमा शेष को चालू देयताओं में सम्मिलित करना, जिनकी जांच पड़ताल नहीं हुई थीं–(उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड) ;

-----रहतिया का अधिक मूल्यांकन- (उत्तर प्रदेश लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड)।

लाभ हानि खाता

--लाभहानि खाते का सही तैयार न किया जाना-(उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड);

--निर्माण समय के दौरान लाभ हानि खाते का तैयार न किया जाना-(उत्तर प्रदेश कारबाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड);

--लेखाकरण की नीति में परिवर्तन का अप्रकटीकरण-(उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड);

---प्रशासनिक एवम् अन्य व्ययों के मद के अन्तर्गत मूल्य ह्रास का समावेश-(उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड)।

सांमान्य

---प्रबंध निदेशक को भुगतान किये गये पारितोषक का लाभ हानि खाता में या लेखे की टिप्पणी के रुप में प्रदर्शित न किया जाना--(उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड);

--पिछले वर्ष के आंकड़ों का प्रदर्शित न किया जाना-(उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड);

--लेखाओं के साथ लगे हुए अनुसूचियों का प्रमाणीकरण न किया जाना-(उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड और प्रयाग चित्रकूट कृषि एवम् गोधन विकास निगम लिमिटेड);

-आन्तरिक सम्परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता या अपर्याप्तता को प्रदर्शित न किया जाना (प्रयाग चित्रकूट कृषि एवम् गोधन विकास निगम लिमिटेड);

--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(5) के प्राविधानों के उलघंन में भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के बिना वार्षिक सामान्य बैठक में लेखाओं का अपनाया जाना-(अपट्रान सेम्पैक लिमिटेड 1977-78)।

अनुभाग II

उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमन्टस लिमिटेड

2.01. प्रस्तवना

कम्पनी, उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (यू पी एस आई डी सी), एक राज्य सरकार का उपक्रम,और स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड (एस आई एल), एक भारत सरकार का उपक्रम, द्वारा संयुक्त रूप से प्रोन्नत पानी के मीटरों,माइक्रोस्कोपों, मोटर साइकिलों, स्कूटरों आदि के लिए आटोमोबाइल डैश बोर्ड मीटरों के निर्माण के लिये अपेक्षित प्लाण्ट, मशीनरी , टूल्स, संयंत्रों आदि का धन्धा करने के मुख्य उद्देश्य से पहली जनवरी 1975 को निगमित की गई थी ।

जैसा कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975–76 (सिविल) के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 5.2 में प्रतिवेदित किया गया था,तत्कालीन गवर्नमेंट प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री (जी पी आई एफ) की परिसम्पत्तियां राज्य सरकार के एक निर्णय (फरवरी 1975) के अनुपालन में कम्पनी को हस्तान्तरित (मार्च 1975) कर दी गई थीं जिनकी कीमत ऋण के रुप में मान ली गई थी। जनवरी 1983 में सरकार ने ऋण को, उसे (108 75 लाख रुपये) और 1981–82 तक उस पर ब्याज (43.47 लाख रुपये), यू पी एस आई डी सी को ऋण मान कर, जिसके लिये कम्पनी को उस सीमा (152.22 लाख रुपये) तक अंश जारी करने थे, समायोजित करने का निर्णय लिया ।

2.02. संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रबन्ध कम से कम छः और अधिक से अधिक बारह निदेशकों (साख पत्र धारकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा नामित, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके) के एक निदेशक मंडल में निहित होता है । आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के अनुसार यू पी एस आई डी सी और एस आई एल को प्रारम्भ में छः नामित निदेशक रखने थे जिसमें से तीन (अध्यक्ष सहित) यू पी एस आई डी सी द्वारा नामित होने थे और शेष (एक प्रबंध निदेशक सहित) एस आई एल द्वारा । आर्टिकल्स आफ ऐसोसिएशन के प्राविधानों के अनुसार एस आई एल अपने प्रतिनिधि को प्रबन्ध निदेशक के रूप में तब तक नामित करने के योग्य था जब तक कम्पनी की प्रदत्त पूंजी का 49 प्रतिशत उसके पास था । यह जानकारी में आया कि यद्यपि फरवरी 1980 तक एस आई एल की अंशधारित निर्धारित प्रतिशत से कम थी, वह प्रारम्भ से ही अपने नामित को प्रबन्ध निदेशक के रूप में रखती रही थी ।

2.03. पूंजी संरचना

2.03.01. कम्पनी 10 रुपये प्रत्येक के 7,50,000 अंशों में विभक्त 75 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी से पंजीकृत हुई थी जो 2 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई (मार्च 1982)।

2.03.02. 31 मार्च 1982 को यू पी एस आई डी सी (25.50 लाख रुपये) और एस आई एल (24.50 लाख रुपये) द्वारा अंशदान की गई 50 लाख की प्रदत्त पूंजी थी ।

2.04. कार्य कलायों का परिणाम और वित्तीय स्थिति

कम्पनी ने अपने प्रारम्भ से ही हानियां उठाई 1.50 लाख रुपयों की प्रदत्त पूंजी के विरुद्ध 1981–82 के अन्त में संग्रहीत हानि 210.70 लाख रुपये (अनन्तिम लेखाओं के अनुसार) थी। 1981–

82 के लेखाओं की तैयारी बकाए में थी (जनवरी 1983)। प्रबन्धकों ने हानियों के लिये निम्न कारण बताए (दिसम्बर 1981) :

--अधिक कर्मचारियों की भरती

--निर्माण की उच्च लागत

--उत्पादन का मूल्य कम था जो शिरोपरि व्ययों की वसूली प्रभावित करता था, और

--आपूर्त अवयवों के लिये एस आई एल द्वारा भुगतान न किया जाना। नीची दरों पर भुगतान।

निम्न बातें भी जानकारी में आईं :

(क) एस आई एल के खाते में जमा शेष (19.82 लाख रुपये) 1980-81 के दौरान पार्टी के पूर्व सहमति के बिना नामे शेष के विरुद्ध समायोजित कर दिए गए। साथ ही एस आई एल से प्राप्य दावों (4.94 लाख रुपये) का समाधान नहीं किया गया (मार्च 1982)।

(ख) प्रावीडेन्ट फण्ड देय प्रबन्धकों द्वारा नियमित रूप से सम्बन्धित अधिकारी के यहां जमा नहीं किए गए। क्षेत्रीय प्रावीडेण्ट फण्ड आयुक्त ने कुल 51.07 लाख रुपयों का कम्पनी का दायित्व निश्चित किया (दिसम्बर 1982) जिसे तुरन्त जमा करना था। प्रबंधकों ने बताया (फरवरी 1983) के वित्तीय स्थिति के सुधारने पर प्रावीडेण्ट फण्ड देय जमा किये जायेंगे।

(ग) कम्पनी के कर्मचारियों के वेतन वितरण के एक मात्र उद्देश्य से प्रबन्धकों ने 1980-81 और 1981-82 के दौरान यू पी एस आई डी सी कानपुर क्रमशः 3.70 लाख रुपये और 20.38 लाख रुपये का असुरक्षित ऋण प्राप्त किया।

(घ) 1976-77 से 1979-80 के दौरान बैंक डाकूमैंट्स के विरुद्ध 2.84 लाख रुपयों की धनराशि 17 आपूर्ति कर्ताओं को भुगतान की गई। कम्पनी द्वारा पूरे मूल्य की आपूर्तियां नहीं प्राप्त की गई और 31 मार्च 1982 को 16 आपूर्ति कर्ताओं से 0.83 लाख रुपये की राशि वसूली योग्य थी। धनराशि की वसूली या माल की आपूर्ति प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई (फरवरी 1983)।

2.05. उत्पादन संपादन

तत्कालीन जी पी आई एफ की परि सम्पत्तियों का कम्पनी को हस्तान्तरण के समय 54000 पानी के मीटर, 600 माइक्रोस्कोप और 3000 प्रैसरगेज के वार्षिक निर्माण की सुविधाएं वर्तमान थीं। मई 1975 में कम्पनी ने पानी के मीटरों के निर्माण के अलावा स्पीडोमीटर्स और मैग्नेटोज के निर्माण के लिये सुविधाएं स्थापित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार 1,00,000 स्पीडो-मीटर्स और 40,000 मैग्नेटोज के वार्षिक निर्माण के लिये सुविधाएं विकसित की गई। तथापि उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये।

निम्नतालिका वाटर मीटर्स, स्पीडो मीटर्स और मैग्नेटोज की 1981-82 तक के सात वर्षों के दौरान संस्थापित क्षमता और उसके विरुद्ध वास्तविक उत्पादन प्रदर्शित करती है :

उत्पादन	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन						
		1975-76	1967-77	1977-78	1978-79	1979-80	1981-81	1981-82
					(संख्या)			
पानी के मीटर	6,000	32,094	42,788	38,797	39,648	29,724	15,841	6,754
मैग्नेटोज	40,000*	279	12,649	24,564	39,483	28,804	14,113	4,823
स्पीडोमीटर्स	1,00,000**	..	50	1,248	1,203	300	1,046	..

*क्षमता 1975-76 में 10,000 से बढ़कर 1978-79 में 40,000

**1976-77 से

1980--81 और 1981--82 के दौरान कम उत्पादन का कारण प्रबन्धको द्वारा वैधानिक देयों (प्रावीडेण्ट फण्ड अंशदान, सामूहिक बीमा, राज्य कर्मचारी बीमा देय आदि) के भुगतान न किए जाने के कारण हुए मजदूर आन्दोलन और धन की अनुपलब्धता के परिणाम स्वरूप कच्चे माल, स्पेयर्स और मशीनी पुर्जो की कमी को बताया गया (जून 1982)।

1981--82 से स्पीडोमीटर्स का निर्माण कम्पनी द्वारा बन्द कर दिया गया और इस उद्देश्य से अधिग्रहीत प्लान्ट और मशीनरी बेकार पड़ी हुई थी (मार्च 1983)।

2.06. पुनर्जीवन योजना

वित्तीय कठिनाइयों और लगातार की हानियों से छुटकारा पाने के लिए सरकार, एस आई एल और यू पी एस आई डी सी के प्रतिनिधियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया (फरवरी 1981) कि :

फरवरी और मार्च 1981 के लिये मजदूरी और वेतन भुगतान करने के लिये सक्षम बनाने हेतु यू पी एस आई डी सी कम्पनी को एक असुरक्षित ऋण मुक्त करेगी;

इकाई को अधिग्रहीत करने के लिये भेल को मनाने का प्रयास किया जायेगा ;

एक अनेकीकरण कार्यक्रम बनने के लिए कदम उठाए जाऐंगे;

एस आई एल माल और असेम्बली अधिकतम जाविंग कार्य कच्चा मैग्नेटोज निर्माण हेतु प्रदान करेगा ; और

कम्पनी आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों के लिये अन्य केन्द्रीय व राज्य सरकार की इकाइयों में विकल्प रोजगार की सम्भावनाओं को खोज करेगी।

यह जानकारी में आया कि इकाई मेल को और फालतू कर्मचारियों (मजदूरों सहित) को अन्य केन्द्रीय/राज्य उपक्रमों को हस्तांतरण के प्रयासों को कोई सफलता नहीं मिली।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1983) कि इकाई को अर्थ-शक्य बनाने के लिये जनशक्ति घटाने के प्रयास किए जा रहे थे।

मार्च 1981 में बम्बई की एक चार्टर्डएकाउन्टेन्ट की फम (i) वित्तीय स्थिति, क्षमता उपयोग (प्लांट, मशीनरी और मानव) और इस स्थिति तक ले जाने वाली संगठन में कमजोरी का आंकलन करने और (ii) उत्पादों के अनेकीकरण के लिये एक योजना प्रस्तुत करने नये उत्पादों के लिये बाजार सर्वेक्षण और इकाईयों के लिये प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचा देने के लिये नियुक्त की गई। फर्म को खोजों (जून 1981) पर आधारित प्रस्ताव अप्रैल 1982 में सरकार को भेजा गया (निदेशक-मण्डल द्वारा प्रतिवेदन के विचार में लिया गया समय देरी का कारण था) जिसने अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातें थीं :

--तत्कालीन जी पी आई एफ की परिसम्पत्तियों का 108.76 लाख रुपयों के स्वीकृत मूल्य पर हस्तान्तरण और यू पी एफ सी के 8.14 लाख रुपये के ऋण के साथ उसका इक्विटी माना जाना ;

--यू पी एफ सी के ऋण (2.82 लाख रुपये) और सरकारी ऋण (38.82 लाख रुपये) पर 41.64 लाख रुपये के ब्याज को माफ किया जाना ;

—तत्कालीन जी पी आई
कम्पनी द्वारा किए गए

—प्लास्टिक वाटर मीटर वि
उत्पादों का अनेकीकरण
आवश्यकता आंकी गई थी; और

—स्वामित्व सम्बन्धी निर्णयों की शीघ्रता।

अप्रैल 1982 में सरकार द्वारा तकनीकी ज्ञान अपडेट करने और उत्पादन के अनेकीकरण का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार पूंजीगत व्यय क लिए तत्काल आवश्यक धनराशि (28 लाख रुपये) प्रादेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकअप) और वैधानिक दायित्वों (24 लाख रुपये) बैंकों और आपूर्तिकर्ताओं का दायित्व (12 लाख रुपये) नकद हानियां (10.55 लाख रुपये) और कार्यशील पूंजी (40 लाख रुपये) की पूर्ति क लिये 86.55 लाख रुपये यू पी ए स आई डी सी द्वारा दिया जाना था। कम्पनी के पुनर्जीवन के लिये वांछनीय शेष 66.35 लाख रुपये प्राप्त करने के लिये कोई भी निर्णय नहीं लिया गया।

यह जानकारी में आया (फरवरी, 1983) कि औपचारिकताएं पूर्ण न हो पाने के कारण सितम्बर 1982 में पिकअप द्वारा स्वीकृत 28 लाख रुपये का ऋण आहरित नहीं किया जा सका (फरवरी 1983)। कम्पनी को वैधानिक दायित्वों आदि का भुगतान करने के योग्य बनाने के लिए यू पी एस आई डी सी ने समय से भुगतान के लिए 2 प्रतिशत छूट के साथ 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर वाला 6 माह बाद भुगतान योग्य 11 लाख रुपये का ऋण मुक्त किया (जून 1982)। अगस्त 1982 में सरकार ने कम्पनी में विनियोजित करने हेतु 36 लाख रुपये का एक ऋण यू पी एस आई डी सी को स्वीकृत किया। ऋण की धनराशि (11 लाख रुपये) के समायोजन के बाद यू पी एस आई डी सी ने प्रावीडेन्ट फण्ड और पारिवारिक पेंशन (12.50 लाख रुपये), राज्य कर्मचारी बीमा (3.50 लाख रुपये), ग्रेच्युटी (1.40 लाख रुपये) और अन्य देय (7.60 लाख रुपये) के दायित्वों की पूर्ति हेतु 25 लाख रुपये ऋण के रूप में कम्पनी को भेजे (8 अक्टूबर 1982)। 11 लाख रुपये में से 9 लाख रुपये की राशि कम्पनी द्वारा दिसम्बर 1982 तक उपयोग हो गई थी। प्राप्त ऋण को (अक्टूबर 1982 में प्राप्त) 12 अक्टूबर 1982 को 8 प्रतिशत वार्षिक पर एक वर्ष के लिए एक बैंक में जमा कर दिया गया।

2.07. मूल्य नीति

कम्पनी के पास अपने उत्पादों की वास्तविक लागत संगणित करने का कोई तरीका नहीं है यद्यपि तत्कालीन जी पी आई एफ से अन्य कर्मचारियों के साथ एक लागत लेखाकार और एक वरिष्ठ लागत सहायक हस्तांतरित किये गये थे। एकमात्र एस आई एल के लिए निर्मित उत्पादों (स्पीडो मीटर्स और मैग्नेटोज) के मूल्य आपसी वार्तालाप के आधार पर तय होते थे। यह जानकारी म आया कि उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व कम्पनी ने स्पीडोमीटर्स की लागत 38.84 रुपये प्रति इकाई (26.55 रुपये की माल लागत सहित) अनुमानित की थी (फरवरी 1976) और इस आधार पर उत्पादों को 42.50 रुपये प्रति इकाई पर बेचने को सहमत थी। फरवरी 1976 में 26.55 रुपये अनुमानित के विरुद्ध अगस्त 1978 में माल लागत प्रति इकाई 32.39 रुपये थी जिस आधार पर अन्तिम लागत 45.73 रुपये प्रति इकाई निकलती थी। लेकिन एस आई एल को बिक्री 42.50 रुपये प्रति स्पीडोमीटर की दर पर जारी रही। इसी प्रकार एस आई एल को मैग्नेटोज की बिक्री आपसी रूप से सहमत मूल्य पर की गई जो कम्पनी द्वारा अनुमानित लागत से कम थी जैसा यहां नीचे वर्णित है।

	मैग्नेटो विजय सुपर		मैग्नेटो 3 व्हीलर	
	अनुमानित लागत	मूल्य जिस पर बेचा गया	अनुमानित लागत	मूल्य जिस पर बेचा गया
	(रुपया प्रति नग)			
अप्रैल 1978	168.48	156.58	107.21	117.38
जनवरी 1979	168.48	167.00	..	..
अप्रैल 1979	183.77	176.00	..	..
सितम्बर 1979	207.09	190.00	177.41	153.00
जनवरी 1980	213.89	195.00	180.34	160.00
अप्रैल 1980	219.93	200.00	185.45	163.00

अगस्त 1978 के बाद स्पीडोमीटर्स और अप्रैल 1978 से विजय सुजर के लिये और सितम्बर 1979 से 3 व्हीलर्स के लिए मैग्नेटोज की कम्पनी द्वारा अनुमानित लागत से कम मूल्य पर बिक्री अप्रैल 1978 से नवम्बर 1980 की अवधि के दौरान 2471 स्पीडोमीटर्स और पहली अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1982 की अवधि के दौरान 82809 मैग्नेटोज, 10.47 लाख रुपये की हानि में परिणत हुई।

प्रबंधकों ने बताया (फरवरी, 1983) कि कम्पनी ने प्रतिद्वन्दियों के कारण मैग्नेटोज के लिए कम मूल्य स्वीकार कर लिए।

वाटर मीटर्स के संबंध में कम्पनी ने मार्च 1975 में फैक्ट्री ग्रहण के समय लागू दरें चालू रखीं जो मीटर के आकार और विशिष्टियों पर आश्रित 92 रुपये से 185 रुपये प्रति मीटर तक थीं।

ये मई 1977 में प्रथम बार और चालू प्रतियोगी दरों के संदर्भ में अप्रैल 1979 में पुनः निम्न प्रकार पुनरीक्षित किए गए :

वाटर मीटर (प्लास्टिक) आकार	प्रति इकाई मूल्य	
	मई 1977 से प्रभावी (एफ ओ आर लखनऊ)	अप्रैल 1979 से प्रभावी (एफ ओ आर लखनऊ)
15 एम एम	110.25	126
20 एम एम	166.00	191
25 एम एम	199.00	229

फरवरी, 1981 में निदेशक मण्डल की जानकारी में यह लाया गया कि प्रत्येक वाटर मीटर की बिक्री में कम्पनी 40 रुपये (लगभग) की हानि उठा रही थी। कालातीत तकनीक और उत्पादन

की ऊंची लागत प्रबंधकों द्वारा हानि के मुख्य कारण बताये गए (फरवरी 1983)। वाटर मीटरों (15 एम एम आकार) के मूल्य निम्न प्रकार पुनरीक्षित किए गए (अक्टूबर 1981) :

	प्रति इकाई मूल्य (एफ ओ आर लखनऊ) (रुपयों में)
पूर्ण धात्विक प्रकार	225.76
धात्विक प्रकार	198.86
अर्द्ध प्लास्टिक प्रकार	180.20
बिल डायल प्रकार	224.97
स्ट्रेट रीडिंग	186.38
विद फ्रास्ट प्रोटेक्शन डिवाइस	239.29
पूर्ण प्लास्टिक	135.65

अप्रैल 1979 से सितम्बर 1981 तक के दौरान बेचे गए 45979 वाटर मीटर्स के संबंध में कम्पनी ने लगभग 18.39 लाख रुपये की हानि उठाई। अक्टूबर 1981 के बाद उठाई गई हानि, यदि कोई हो निश्चित नहीं की जा सकीं क्योंकि कम्पनी ने उत्पादन की लागत नहीं निकाली थी। तथापि, चालू उत्पादन लागत (सितम्बर 1981) के आधार पर नवम्बर, 1981 से मार्च 1982 के दौरान बेचे गए 3846 वाटर मीटर्स पर 1.54 लाख रुपये की हानि निकलती है।

2.08. **जन शक्ति**

ग्रहण के उपरांत विभिन्न कार्यों के लिये वांछित जन शक्ति का एकीकृत आंकलन नहीं किया गया। लेकिन विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/मजदूरों की नियुक्तियां समय-समय पर कम्पनी द्वारा की जाती रहीं। 1981-82 तक के सात वर्षों के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि निम्न प्रकार थी :

कर्मचारियों/ मजदूरों की श्रेणी	पहली मार्च 1975 को जी पी आई एफ से स्थानांतरित कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारी संख्या अन्त में						
		1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
		(संख्या)						
अधिकारी	4	4	10	10	11	13	10	10
पर्यवेक्षक	23	23	27	27	33	32	31	30
लिपिक वर्गीय (छोटे कर्मचारियों सहित)	101	80	79	87	96	103	99	89
औद्योगिक	335	328	466	462	438	462	460	451
योग	463	435	582	586	578	610	600	580

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1983) कि 1976–77 में मैग्नेटो प्रभाग के लिए 138 औद्योगिक कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, कि यह आवश्यकता पूर्णरूपेण अधिक आंकी गई थी और कि जनशक्ति घटाने के प्रयास किये जा रहे थे।

सम्परीक्षा (मई, 1982) में नमूना जांच से निम्न बातें प्रगट हुई:

(i) निदेशक मण्डल को जुलाई 1980 में पहली बार सूचित किया गया कि जनशक्ति उत्पादन अपेक्षाओं के अनुरूप न थी और एस आई एल द्वारा तैयार वसूली योजनाओं (जुलाई 1980) के अनुसार 162 से 242 तक कर्मचारी आवश्यकता से अधिक थे। सलाहकार के प्रतिवेदन (जून 1981) के अनुसार भी 121 कर्मचारी अधिक आंके गए थे। प्रबंधकों ने बताया (मार्च 1983) कि उन सभी को, जो ऐच्छिक अवकाश प्राप्ति के प्रस्ताव में रुचि रखते हैं, स्वीकृत देने की कार्यवाही की जा चुकी थी।

(ii) अप्रैल 1975 से कारखाना कर्मचारियों को प्रति दिन प्रति व्यक्ति आधा लीटर दूध कार्य प्रबन्धक द्वारा प्रदान किया गया जो इस प्रकार का व्यय करने के लिए अधिकृत नहीं था न तो कोई नियम बनाए गए, न ही प्रबंध निदेशक/निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया और यह सुविधा इलैक्ट्रोप्लेटिंग और स्प्रे पेंटिंग अनुभाग के कर्मचारियों को भी सुलभ की गई (जून 1978) जून 1978 से कामगारों को 1.30 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से (जून 1980 से 1.45 रुपया प्रति दिन तक बढ़ाया गया) दूध/दूध भत्ता नकद दिया गया। दूध भत्ते का भुगतान जून 1981 में रोक दिया गया। अप्रैल 1976 से मई 1981 तक दूध भत्ते के लिए कम्पनी द्वारा कुल 1.79 लाख रुपये का भुगतान किया गया (1975–76 के लिए आंकड़े उपलब्ध न थे)। संबंधित कार्य प्रबंधक अपने पितृ संगठन (एस आई एल) को फरवरी 1979 में वापस भेज दिया गया था और उसके विरुद्ध कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ख) ओवर टाइम/उत्पादन प्रोत्साहन

उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि के बिना ओवरटाइम के लिए भुगतान (2.39 लाख रुपये) 1978–79 में उच्चतम था। ओवर टाइम के बदले उत्पादन प्रोत्साहन के भुगतान के लिए निदेशक मंडल को दिया गया (नवम्बर 1978) प्रस्ताव जून 1979 के प्रभाव से अनुमोदित हो गया (अगस्त 1979), लेकिन उत्पादन प्रोत्साहन के लिये 1.77 लाख रुपये का भुगतान नवम्बर 1978 से मई 1979 की अवधि के लिये किया गया।

2.09. क्रय पद्धति और भण्डार सूची नियंत्रण

(क) निम्न तालिका 1981–82 तक के तीन वर्षों के अन्त में फिनिश्ड उत्पाद (कार्य प्रगति में समेत), कच्चा माल, अवयवों और पार्ट्स और टूल्स और भण्डार की सूची प्रदर्शित करती है :

	1979–80	1980–81	1981–82 (अनंतिम)
	(लाख रुपयों में)		
कच्चा माल अवयवों व पार्ट्स	12.83	11.76	12.93
टूल्स और स्टोर्स	7.65	4.79	4.56
कार्य प्रगति में	3.77	5.75	4.45
फिनिश्ड गुड्स	3.96	3.62	7.78
योग ..	28.21	25.92	29.72

यह जानकारी में आया (फरवरी 1983) कि
किए गये माइक्रोस्कोप (1.13 लाख रुपये), प्रेशर गेज
मदों (2.50 लाख रुपये) से संबंधित 4.36 लाख रुपये मूल्य क
शामिल थे जिनके निस्तारण की कोई कार्यवाही, निदेशक मण्डल के निर्णय (
नहीं की गई। इसके अतिरिक्त 1.49 लाख रुपये मूल्य क स्पीडोमीटर अवयव भी
थे (दिसम्बर 1982)।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1983) कि माइक्रोस्कोप और प्रैशरगेज की वस्तु सूची बेबाक नहीं की जा सकी क्योंकि कम्पनी के उत्पादों की श्रृंखला की बाजार में निम्न मांग थी। साथ ही स्पीडोमीटर अवयव अनुरूप अवयवों के अभाव में पड़े थे।

कच्चा माल, अवयव और पार्ट्स, स्टोर्स और टूल्स का उपभोग प्रारम्भिक रहतियों में क्रय जोड़ कर और उसमें से अन्तिम रहतिए के मूल्य को घटाकर निश्चित किया गया। संबंधित वर्ष के दौरान निर्गत मांग-पत्रों के अनुसार उपभोग का इन मदों के वास्तविक उपभोग से समाधान नहीं किया गया।

2.10. ज्वलन कैपासिटर्स का क्रय

15000 ज्वलन कैपासिटर्स क्रय करने के लिए कम्पनी द्वारा तीन आपूर्तिकर्ताओं से आमंत्रित (फरवरी 1976) कोटेशन्स के प्रति उत्तर में अम्बाला की फर्म "एन" से 3.40 रुपया एफ ओ आर लखनऊ की दर का एक कोटेशन प्राप्त हुआ। कोटेशन्स प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि (10 मार्च 1976) की समाप्ति से पूर्व एस आई एल ने बंगलौर की एक फर्म को परिचित कराया जिसे 10 प्रति शत छूट के साथ 5 रुपया एफ ओ आर लखनऊ की दर से 15000 ज्वलन कैपासिटर्स आपूर्ति करने का आदेश दिया गया (मार्च 1976)। दो प्रतिशत छूट के साथ 4.50 रुपया एफ ओ आर लखनऊ की दर से फर्म को 25000 और कैपासिटर्स आपूर्ति करने के लिये पुन :आदेश दिया गया (अप्रैल 1978) इस प्रकार, क्रय करते समय, अम्बाला की फर्म "एन" से 3.40 रुपये की प्राप्त निम्नतम दर उपेक्षित की गई जिसके कारण अभिलेखों पर नहीं थे। यह 40000 ज्वलन कैपासिटर्स के क्रय पर 0.42 लाख रुपये के परिहार्य व्यय में परिणत हुआ।

2.11. मैग्नटो रोटर कास्टिंग्स का क्रय

30,000 एस जी आयरन मेलेबुल मैग्नेटो रोटर कास्टिंग्स के क्रय के लिए पूछ-ताछ (अगस्त 1978) के प्रति उत्तर में 21.50 रुपये से 49.25 रुपये प्रति की विभिन्न दरों के पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए। रायबरेली की फर्म के निम्नतम प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उसके कारखाने के निरीक्षण पर पाया गया कि फर्म एस जी आयरन कास्टिंग्स का निर्माण करने योग्य न थी और उसका व्यवसाय केवल मेलेबुल कास्टिंग्स के लिए था। शेष फर्मों से अनुबन्ध के चलन के दौरान मूल्यों के स्थायित्व और डिलीवरी सूची अनुपालन प्राप्त करने के बाद द्वितीय निम्नतम प्रस्तावक को, जिसके पास 22.40 रुपये प्रति एफ ओ आर नासिक प्लस 4 प्रतिशत बिक्री कर की दर से 25000 एस जी आयरन कास्टिंग्स आपूर्ति करने का जून 1978 का पूर्व प्रेषित अन्य आदेश शेष था, जून 1978 के पूर्व आदेश की आपूर्ति पूरी कर लेने के बाद 1000 मैग्नेटो रोटर कास्टिंग्स प्रतिसप्ताह की डिलीवरी सूची के साथ उपर्युक्त दरों पर 30000 एस जी आयरन कास्टिंग्स आपूर्ति करने का आदेशदिया गया (अक्टूबर 1978)। जून और अक्टूबर 1978 के आदेशों के विरुद्ध आपूर्तियां क्रमश: 4 दिसम्बर 1978 और 2 जुलाई 1979 तक पूरी की जानी थी। फर्म ने नियत अवधि में आपूर्तियां पूरी नहीं की और कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि और कम्पनी द्वारा भुगतान की शर्तों पर दृढ़ न रहने के कारण फर्म ने 23.86 रुपये प्रति एफ ओ आर नासिक के पुनरीक्षित दरों की मांग की (फरवरी और मार्च 1979) आश्वासन देते हुए कि जून 1978 के आदेश के विरुद्ध आपूर्तियां 22.40 रुपये प्रति की पुरानी दरों पर की जाती रहेंगी और अक्तूबर 1978 के आदेश के विरुद्ध आपूर्तियां 23.86 रुपए प्रति एफ ओ आर नासिक के पुनरीक्षित दर पर की जाएंगी।

23.85 रुपये प्रति एफ ओ आर नासिक की दर से स्वीकार कर लिया गया (अप्रैल पर भी आपूर्तियां पूरी नहीं की गई और फर्म ने 24.50 रुपये प्रति (मई 1979), रुपये प्रति (सितम्बर 1979) और 31.25 रुपये प्रति (फरवरी 1980) के पुनरीक्षित की मांग अक्तूबर 1978 के आदेश के संबंध में की जो कम्पनी द्वारा स्वीकार किए गए।

फर्म ने जून 1978 के आदेश के विरुद्ध 22,223 कास्टिंग्स 22.40 रुपये प्रति की दर से और अक्टूबर 1978 के आदेश के विरुद्ध 31.25 रुपये प्रति की दर से 9253 कास्टिंग्स आपूर्त की। 24.50 रुपये और 29.65 रुपये के पुनरीक्षित मूल्यों पर फर्म ने कोई आपूर्ति नहीं की। क्योंकि शेष मात्रा फर्म द्वारा आपूर्ति नहीं की गई। अत: 40.50 रुपये प्रति एफ ओ आर नासिक की दर से 3000 कास्टिंग्स और 38.50 रुपये प्रति एफ ओ आर नासिक की दर से 4000 कास्टिंग्स आपूर्त करने के दो नए आदेश फर्म को अप्रैल और नवम्बर 1982 में दिये गये जिनके विरुद्ध अप्रैल 1982 के आदेश की पूर्ण आपूर्ति और नवम्बर 1982 के आदेश के संबंध में 2000 दिसम्बर तक प्राप्त हुए। यह दिसम्बर 1982 तक प्राप्त आपूर्तियों पर केन्द्रीय बिक्री-कर सहित 1.50 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ।

2.12. आन्तरिक सम्परीक्षा

जून 1975 में आन्तरिक सम्परीक्षा कार्य, कार्य प्रबंधक प्रबंध निदेशक के अधीन एक लेखाकार को उसके अपने कार्य के अतिरिक्त आंतरिक सम्परीक्षा के हेतु और सीमा आदि परिभाषित किए बिना सौंपा गया। जनवरी 1978 में यह वित्तीय नियंत्रक के अधीन कर दिया गया क्योंकि उसके द्वारा सम्पादित जांचे पर्याप्त नहीं पाई गई।

मार्च 1978 में चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म "अ" 850 रुपये मासिक पर 1978-79 के लिए आन्तरिक सम्परीक्षा करने, आन्तरिक सम्परीक्षा विधि विकसित करने, सामान के क्रय पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करने और लेखा अभिलेखों के रख-रखाव आदि का तौर तरीका बताने के लिए कार्य पर लगाई गई। 31 मार्च 1982 तक फर्म को 8500 रुपये का भुगतान किया गया था और 1700 रुपये रोक लिए गए थे क्योंकि वह अपने दायित्व निर्वाह करने में असफल रही।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की दो अन्य फर्में 1979-80 और 1980-81 वर्षों के लिए क्रमश: 7000 रुपये और 5000 रुपये की नियत शुल्क पर आन्तरिक सम्परीक्षा करने के लिए नियुक्त की गई (फरवरी 1980 और मार्च 1981)। आन्तरिक सम्परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन प्रबंधकों की टिप्पणी के साथ निदेशक मण्डल के सामने उन्हें रखने के अध्यक्ष के विशेष सुझाव (जून 1980) के बावजूद निदेशक मण्डल के सामने नहीं रखे गए।

अक्तूबर 1982 में पुन: फर्म "अ" 1981-82 और 1982-83 के लिए क्रमश: 1000 और 7000 रुपये की नियत शुल्क पर आन्तरिक सम्परीक्षा करने के लिए नियुक्त की गई। वित्तीय नियंत्रक की नियुक्ति के बाद दिसम्बर 1982 में कार्य वापस ले लिया गया।

मामला जनवरी 1983 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 1983)।

अनुभाग III

प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड

3.01. प्रस्तावना

इलाहाबाद और बांदा जिलों के यमुना पार क्षेत्रों में कृषि, दुग्ध उत्पादन और पशुधन के विकास म वृद्धि के दृष्टिकोण से सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में 7 दिसम्बर 1974 को एक कम्पनी निगमित की गई। लघु एवं सीमान्त कृषकों और भूमिहीन मजदूरों को दुग्ध उत्पादन और अन्य सहायक कार्यवाहियों की योजना के माध्यम से लाभ दायक रोजगार प्रदान करना कम्पनी का मुख्य उद्देश्य है।

50 लाख रुपये की सम्पूर्ण अधिकृत/प्रदत्त पूंजी 1974–75 (12 लाख रुपयों में से छः लाख रुपये ड्राट प्रोन एरियाज प्रोग्राम (डी पी ए पी) के अधीन अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार द्वारा अंशदान दिया गया) और 1975–76 (38 लाख रुपये) के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई। निगमन से ही अंश पूंजी का एक बड़ा भाग कम्पनी द्वारा सावधि निक्षेपों (41.56 लाख से 46.50 लाख रुपयों तक), बचत खातों (0.16 लाख से 1.34 लाख रुपयों तक) में विनियोजित था और 1981–82 तक 20.31 लाख रुपये का ब्याज उपार्जित किया गया। कम्पनी ने 1981–82 तक के तीन वर्षों के दौरान 1.14 लाख रुपये, 0.57 लाख रुपये और 0.38 लाख रुपये क्रमशः की हानि उठाई। 31 मार्च 1982 को संग्रहीत हानि 5.12 लाख रुपये थी।

3.02. शंकर प्रजनन, कूबबूल की खेती, सामाजिक वानकी और काम के बदले अनाज कम्पनी द्वारा प्रारम्भ की गई मुख्य योजनाएं थीं। कूबबूल योजना कम्पनी के धन से वित्त पोषित थी और अन्य योजनाएं भारत सरकार के प्रतिदान द्वारा वित्त पोषित थीं।

(क) शंकर प्रजनन योजना

राज्य के यमुना पार क्षेत्रों में पशुओं के शंकर प्रजनन के लिये कम्पनी ने भारत एग्रो इन्डस्ट्रीज फाउन्डेशन (बैफ), पुणे, से एक अनुबन्ध किया (25 जुलाई 1975)। अनुबन्ध सात वर्षों के लिए प्रभावी था।

पशु गर्भाधान केन्द्रों के स्थल का चुनाव स्थानीय परिस्थितियों के आंकलन के बाद कम्पनी की सलाह से बफ द्वारा किया जाना था। केन्द्र पर कर्मचारी और संयंत्र साथ ही साथ पशु चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य सुरक्षा बैफ द्वारा प्रदान किया जाना था। दवाओं और टीके आदि का व्यय कंपनी द्वारा वहन किया जाना था।

इन सेवाओं हेतु कम्पनी को बैफ को तीन किश्तों में 150 रुपये प्रति गर्भित जानवर देना था, यथा, 10 रुपये केन्द्र में पंजीकरण के समय, 40 रुपये प्रथम गर्भाधान के समय और 100 रुपये गर्भधारण के प्रमाणीकरण पर। यदि गर्भधारण सम्पन्न नहीं होता तो 50 रुपये बैफ द्वारा वापस करने पड़ते थे। तथापि जांच के लिये जानवरों के उपबन्ध न हो पाने की स्थिति में कुछ भी वापस किया जाना वांछनीय नहीं था।

कार्यक्रम में क्रमवार 50 केन्द्र खोलना और 2000 जानवर प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष पंजीकृत किया जाना था। निम्न तालिका कार्यक्रम के लक्ष्य और परिलब्धियों को प्रदर्शित करती है :

वर्ष	केन्द्रों की संख्या		पंजीकृत जानवर		गर्भाधान किए गए जानवरों की संख्या		गर्भधारण की संख्या	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1975–76	5	5	10,000	..	500	..	250	..
1976–77	15	5	20,000	2962	5500	426	2750	147
1977–78	30	9	30,000	8921	13500	1054	6750	561
1978–79	50	9	40,000	7680	26500	1383	13250	502
1979–80	50	9	..	4359	37000	2983	18500	1648
1980–81	50	9	..	2231	46000	3142	23000	1933
1981–82	50	9	..	1224	50000	4123	25000	2245
								7036

जानवरों के पंजीकरण, जानवरों के गर्भाधान की संख्या के लक्ष्यों की उपलब्धियों में कमी थी। 1981–82 तक 89500 प्रमाणित गर्भाधारण प्राप्ति के लक्ष्यों के विरुद्ध प्रमाणित गर्भधारण की संख्या 7036 थी (7.9 प्रतिशत)।

प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1982) कि सम्पादन और प्राप्त अनुभव को दृष्टि में रखते हुए निदेशक मंडल ने केवल नौ केन्द्रों की कार्य प्रणाली पुष्ट करने का निर्णय लिया (जुलाई 1977) ताकि भावी पशु पालक शंकर प्रजनन कार्यक्रम का सम्पादन देख लेने के पश्चात् एकीकृत कृत्रिम गर्भाधान कार्यों के लिये प्रेरित किए जा सके।

1976–77 तक कम्पनी द्वारा बैफ को गर्भाधान के लिये देय भुगतान लाभार्थियों से वसूल किए जाने थे। 1977–78 के दौरान कार्यक्रम में भाग लेने वाले लघु व सीमान्त कृषकों और भूमि-हीन मजदूरों के लाभ के लिए डी पी ए पी के अधीन 500 रुपये प्रति जानवर (150 रुपये गर्भाधान के किए, 325 रुपये गर्भावस्था के अन्तिम तीन महीनों के दौरान खिलाई कराने के लिये और 25 रुपये नई जन्मी बछड़ी को टीका लगाने के लिए) सरकार से प्रतिदान के रूप में अनुमन्य था। 1978–79 से खिलाई और दवा प्रतिदान वापस ले लिया गया।

1976–77 के दौरान लाभार्थियों से वसूली योग्य कुल 0.22 लाख रुपये की धनराशि में से केवल 0.06 लाख रुपये वसूल किए गए, शेष कम्पनी द्वारा वहन किया गया। 1977–78 से 1981–82 तक के वर्षों के लिये ग्राह्य 12.29 लाख रुपये के कुल प्रतिदान में से केवल 6.84 लाख रुपये का प्रतिदान प्राप्त किया गया और 3.80 लाख रुपये सरकार से वसूल किए जाने थे। शेष राशि (1.65 लाख रुपये) दावा न किए गए धन का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि लाभार्थियों से सूचना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण खिलाई के लिए भार का भुगतान मात्र 15 दिन से लेकर 3 माह तक किया गया था। इस प्रकार 1977–78 में गर्भधारण कराई गई 561 गायों के लिए खिलाई और दवा के प्रतिदान हेतु वितरित किए जाने वाले 1.96 लाख रुपये के प्रतिदान के विरुद्ध मात्र 0.31 लाख रुपये वितरित किए गए।

निम्नतालिका 1981–82 तक प्राप्त और उपयोग की गई प्रतिदान राशि प्रदर्शित करती है :

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में व्यय न किया गया शेष	प्राप्त प्रतिदान	उपयोग किया गया प्रतिदान	वर्ष के अंत में शेष धन (लाख रुपयों में)
1977–78	..	0.40	0.32	0.08
1978–79	0.08	6.00	0.31	5.77
1979–80	5.77	0.44	0.45	5.76
1980–81	5.76	..	0.34	5.42
1981–82	5.42	..	5.40	0.02

(ख) कूबबूल खेती

शंकर प्रजनन कार्यक्रम में भाग ले रहे लघु/सीमान्त कृषकों और भूमिहीन मजदूरों को पौष्टिक हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निदेशक मण्डल ने कूबबूल पाइलटप्रोजेक्ट फार्म मानिकपुर में स्थापित करने और चारे की ख्याति देने का निर्णय लिया (नवम्बर 1975)।

बैफ के कूबबूल खेती विशेषज्ञ से परामर्श करने के बाद मण्डल द्वारा मानिकपुर के पास तीन झीलों के पड़ोस और सामीप्य प्रबलता वाले एक स्थान को चुना गया।

मानिकपुर में वन विभाग से मुफ्त लीज पर अभिग्रहीत होने वाली 907 एकड़ वन भूमि में से कार्य प्रारंभ करने हेतु 140 एकड़ का अधिकार लिया गया (जुलाई 1976)। शेष भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई (मार्च 1983)। 1976–77 वर्ष के लिए 1.25 लाख पौधों का लक्ष्य निश्चित किया गया। जानकी कुण्ड के निजी ट्रस्ट "अ" और वन विभाग के पौधघरों से, जैसा नीचे विवरण दिया गया है, प्राप्त पौधों द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर कूबबूल खेती प्रारम्भ की गई :

वर्ष	क्रय किए गए पौधे (संख्या)	एजेन्सी	प्रति पौधा दर
1976–77	111488	निजी ट्रस्ट "अ"	37 पैसे (परिवहन समेत)
1977–78	26510	उपर्युक्त	30 पैसे (परिवहन समेत)
	18015	वन विभाग	25 पैसे (परिवहन समेत)

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करेगी कि निजी ट्रस्ट "अ" को भुगतान न की गई दर वन विभाग को भुगतान की गई दर की अपेक्षा अधिक थी। 1976–77 वर्ष के दौरान कम्पनी ने पौध आपूर्ति के लिये वन विभाग को प्रस्ताव नहीं दिया।

1976–77 के दौरान 37 पैसे प्रति पौध की दर निगोसिएशन के अधार पर तय की गई थी। 1976–77 में आरोपित 1,11,488 पौधों में से केवल 90,000 पौधे जीवित रहे। 1977–78 के दौरान वर्ष भर में क्रय किए गए 44,525 पौधों से गैप फिलिंग और पौध संख्या वृद्धि का कार्य किया गया।

प्रबंधकों ने बताया (दिसम्बर 1982) कि निदेशक मण्डल ने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और बाद के वर्षों के लिये चारे के उत्पादन का कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया। 1977–78 के दौरान लगभग 11,000 रुपये की अनुमानित उत्पादन लागत के विरुद्ध मानिकपुर फार्म से केवल 48 कुंतल चारा प्राप्त हुआ जिसकी बिक्री से मात्र 378 रुपए प्राप्त हुए। 1978–79 वर्ष से कृषकों द्वारा कूबबूल खेती की आवश्यकता पूर्ति हेतु चारा लेने के बजाय बीज लिया गया। फार्म से चारे के बजाये बीज लिये जाने का निर्णय प्रबंधकों द्वारा निदेशक मण्डल की अनुमति प्राप्त किए बिना लिया गया; 1980–81 से लाभार्थियों से भी मुफ्त बीज प्राप्त किया गया। अतएव शंकर प्रजनन कार्यक्रम के लिये हरे चारे की आवश्यकता इस फार्म से पूर्ण नहीं की जा सकी।

मानिकपुर फार्म के मामलों की छानबीन, चारा आपूर्ति की समस्या का अध्ययन और उसका व्यवहारिक समाधान खोजने के लिये सरकार ने जनवरी 1978 में एक समिति नियुक्त की। समिति ने अपने प्रतिवेदन (अप्रैल 1978) में बताया कि भूमि पथरीली थी और पर्याप्त मात्रा में हरा चारा नहीं पैदा किया जा सकेगा।

समिति का प्रतिवेदन सरकार द्वारा कम्पनी को समुचित निर्णय लेने हेतु अग्रसारित कर दिया गया (11 अप्रल 1978) इस पर निदेशक मण्डल ने मानिकपुर फार्म को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत काम के बदले अनाज योजना (अनुच्छेद 3.02 (घ) सुप्रा) और सामाजिक वानकी योजना (अनुच्छेद 3.02 (ग) सुप्रा) के अधीन उपयोग किए जाने का निर्णय लिया (14 अप्रैल, 1978)। मानिकपुर फार्म जिसमें पौध रोपण किया गया था का 140 एकड़ का सम्पूर्ण क्षेत्र तदनुसार इन योजनाओं के लाभार्थियों को 1978--79 के दौरान आवंटित कर दिया गया।

सामाजिक वानकी कार्यक्रम और काम के बदले अनाज योजना की समाप्ति (मार्च 1981) के बाद निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया (नवम्बर 1981) कि मानिकपुर फार्म कम्पनी द्वारा देखा भाला जायेगा और उसे जंगल के रूप में बढ़ाया जायगा। वर्तमान में (मार्च 1983) वह कम्पनी के प्रबन्धाधीन है।

1976--77 से 1978--79 के दौरान कम्पनी ने 5.55 लाख रुपये (2.29 लाख रुपए पौध विकास पर, 1.05 लाख रुपये अचलसम्पत्ति पर और 2.21 लाख रुपए फार्म के रख-रखाव पर) व्यय किए। तथाकथित कूबबूल पाइलट प्रोजेक्ट फार्म, मानिकपुर की अचल सम्पत्तियां कम्पनी द्वारा रोक ली गई थीं।

निम्नतालिका कूबबूल बीजों की सालाना प्राप्ति, बिक्री और धनोपार्जन का ब्रेक अप प्रदर्शित करती है :

वर्ष	कूबबूल बीज		धनोपार्जन
	प्राप्ति	बिक्री (किलोग्राम में)	(रुपयों में)
1978-79	1500	130	1950
1979-80	410	1502	22620
1980-81	2940	265	3975
1981-82	शून्य	301	3305
योग	4850	2198	31850

1976--77 से 1978--79 तक के दौरान फार्म के रख-रखाव पर व्यय किए गए 2.21 लाख रुपये के विरुद्ध कम्पनी ने बीजों की बिक्री से 0.32 लाख रुपये अर्जित किए और 2652 किलोग्राम बीज निस्तारण की प्रतीक्षा में था (मार्च, 1983)।

मानिकपुर फार्म को काम के बदले अनाज सामाजिक वानकी कार्यक्रमों के अधीन हस्तांतरण करने के निदेशक मण्डल के निर्णय के बाद, परियोजना संयोजक कार्य मुक्त कर दिया गया था (अगस्त 1978) लेकिन अन्य छः कर्मचारी (अधिष्ठान की मासिक लागत 3000 रुपये) या तो कम्पनी के प्रधान कार्यालय में या फार्म पर पूर्व में किए गए कूबबूल पौध रोपण कार्य की देख-भाल और सामाजिक वानकी और काम के बदले अनाज कार्यक्रमों का कार्य करने में व्यस्त रखे गए।

(ग) सामाजिक वानकी कार्यक्रम

अप्रैल 1978 से तीन वर्षों के लिये प्रभावी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (मार्च 1978) कार्यक्रम सामाजिक वानकी के प्रति हेक्टेयर पर 1000 रुपये की केन्द्रीय सहायता का प्राविधान करता था और बैफ की शंकर प्रजनन योजना से सुसम्बद्ध होना था। कार्यक्रम के प्रमुख लक्षण थे : लघु-सीमान्त कृषकों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को आवृत्त करना; प्रति लाभार्थी परिवार जंगल के रूप में विकसित करने के लिए (1 1/2 एकड़ : 600 पौधे) और हरे चारे की खेती करने के लिए (1 एकड़: 4400 पौधे) 2 1/2 एकड़ वन भूमि प्रदान किया जाना था और बांदा में कुल 5000 परिवारों को लाभ पहुंचाना था।

जुलाई 1978 में कम्पनी की जानकारी में आया कि लाभार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप वनभूमि उपलब्ध नहीं थी अतएव स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया। वह 15 अगस्त 1978 से निम्न प्रदर्शित संशोधनों के साथ कार्यान्वित किया गया :

—लाभ 1000 परिवारों तक अवरुद्ध,

—प्रति एकड़ में वन जातियों के 200 पौधे उगाना; और

—प्रति एकड़ में 4800 पौधों के साथ 1000 एकड़ में हरा चारा उगाना।

जैसा अनुच्छेद 3.02 (ख) में पहले ही कहा जा चुका है कम्पनी का 140 एकड़ का स्वयं का फ़ार्म जिस पर 5.55 लाख रुपये पहले ही व्यय किए जा चुके थे लाभार्थियों को वितरित कर दिया गया। इसके अलावा ग्राम समाज से प्राप्त 763 एकड़ अन्य भूमि उन्हें आवंटित की गई।

योजना की वार्षिक उन्नति नीचे प्रदर्शित है :

	1978–79	1979–80	1980–81	योग
चुने गए लाभार्थियों की संख्या	891	12	..	903
हरे चारे के लिए आवंटित भूमि (एकड़ में)	691	212	..	903
कूबबूल पौधों का रोपण (लाखों में)	2.33	6.62	31.00	39.95
फ़ार्म तालाबों का निर्माण	..	341	259	600
किया गया व्यय (लाख रुपयों में)	0.19	1.38	1.20	1.77

चुने गए लाभार्थियों का प्रतिशत अनुमानित का 18 प्रतिशत था, वन विभाग की व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण जंगल के रूप में सामुदायिक सम्पत्ति का विकास बिल्कुल ही त्याग दिया गया। प्रबन्धकों ने बताया (दिसम्बर 1982) कि अपेक्षित भूमि उपलब्ध न थी और 5000 लाभार्थी चुने नहीं जा सकें।

कार्यक्रम तीन वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत था और 31 मार्च 1981 को समाप्त हो गया। प्रबंधकों ने बताया (नवम्बर 1982) कि मुख्य कठिनाई भूमि के उपलब्ध न होने की थी और यह कि लाभार्थी भी चारा रोपण के अतिरिक्त हवाई जाइट प्रजाति के बीजों के एकत्रीकरण में स्वयं को व्यस्त किए रहे क्योंकि इससे अच्छी अतिरिक्त आय उन्हे हो जाती थी।

1 1/2 एकड़ जंगल और 1 एकड़ हरा चारा फ़ार्म स्थापित करने के लिए 1000 रुपया प्रति-परिवार की अनुमोदित केन्द्रीय सहायता 880 रुपया प्रति परिवार पुनरीक्षित की गई क्योंकि प्रत्येक परिवार को केवल एक एकड़ भूमि विकसित करना था। कार्यक्रम के लिए 7 लाख रुपये की धन-राशि आवंटित थी जिसके विरुद्ध केवल 1.77 लाख रुपये का व्यय किया गया।

2.50 लाख रुपए की धनराशि वापस कर दी गई (मार्च 1981/मार्च 1982) और शेष (2.73 लाख रुपये) 31 मार्च 1982 को कम्पनी के पास थी ।

(घ) काम के बदले अनाज योजना

(i) योजना का हेतु (स्कोप)

क्योंकि शंकर प्रजनन कार्यक्रम का लाभ लाभार्थियों, जो सामान्यतः गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, तक पहुंचने में समय लगता है, काम के बदले अनाज योजना शीघ्र लाभ सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक वानकी और शंकर प्रजनन कार्यक्रमों से सम्बद्ध कर दी गई ।

कार्यक्रम में जो 1978–79 से तीन वर्षों के लिये था अन्य बातों के अलावा प्राविधान था कि बांदा जिले के भूमिहीन मजदूर (स्थानीय गाय रखने वाले और उनके शंकर प्रजनन में रुचि रखने वाले) हरा चारा और जंगल के विकास के लिए प्रदत्त भूमि में काम के बदले 10 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम पौष्टिक भोजन प्रति हफ्ते पाने के अधिकारी होंगे ।

नीचे दी गई तालिका अगस्त 1978 से मार्च 1981 तक के दौरान वितरित अनाज लक्ष्य और परिलब्धियों को प्रदर्शित करती है :

	लक्ष्य	परिलब्धियां
लाभार्थियों की संख्या	5000	903
	(कुन्तल में)	
वितरित गेहूं	78000	8800
वितरित चावल	..	1583
वितरित पौष्टिक आहार	15600	1661

(ii) गाय विहीन लाभार्थियों का चयन

चयन किये गये 903 लाभार्थियों में से केवल 331 के पास अपनी गायें थी और 53 लाभार्थियों ने एक दाता अभिकरण द्वारा दान दी गई गायें प्राप्त थीं । शेष 519 लाभार्थियों को भी चारा उगाने के लिये सहायता दी गई यद्यपि उनके पास कोई भी गाय न थी ।

3.03. लेखा क्रय पद्धति और आन्तरिक सम्परीक्षा का मैनुअल

यद्यपि कम्पनी सात वर्षों से अधिक से अस्तित्व में रही थी उसने क्रय और लेखा पद्धति की रूप-रेखा देने वाला कोई मैनुअल नहीं बनाया । 1977–78 तक उसने आन्तरिक सम्परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की । 1978–79 से, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की एक फ़र्म नियमित रूप से अंशकालिक आधार पर इस कार्य के लिए नियुक्त की जाती रही है लेकिन उसकी सेवाएं कम्पनी के वार्षिक लेखे संकलन के लिये उपयोग की जाती रही है। 1981–82 तक के चार वर्षों के दौरान फर्म को 13,222 रुपए की धनराशि भुगतान की गई थी ।

अनुभाग IV

अन्य सरकारी कम्पनियां

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

4.01. साइफन का निर्माण

ईसान नदी साइफन (एटा जिला) के निर्माण का कार्य, जो निविदाओं के आधार पर (मूल्य : 27.72 लाख रुपये) सिंचाई विभाग द्वारा प्रदान किया गया (फरवरी 1978), कम्पनी द्वारा अप्रैल 1978 में शुरू किया गया और मार्च 1980 में पूरा किया गया। क्योंकि कम्पनी ने इस कार्य के निष्पादन में भारी हानि का पूर्वानुमान किया, मण्डल ने इस सौदे में हानि उठाने के लिये कारणों और इस इकाई के लेखाओं और मामले की छानबीन के लिये एक समिति नियुक्त की (मार्च 1981)।

समिति ने अपने प्रतिवेदन (जून 1981) में इस सौदे में ईटों, रेत, बजरी और शटरिंग इत्यादि के अधिक उपभोग (3.58 लाख रुपये), अधिक श्रम आदान (6.31 लाख रुपये) और सामग्रियों की बढ़ी हुई लागत (2.09 लाख रुपये) के कारण 13.20 लाख रुपये की हानि इंगित की। इसके अतिरिक्त समिति ने इस कार्य में निम्नलिखित अनियमिततायें भी पायीं :

—इकाई ग्राहक से प्राप्त सीमेन्ट, खाली सीमेन्ट की बोरियों और इस्पात की कुल मात्रा और इसके पास पड़ी हुई मात्रा सूचित करने में असमर्थ थी जिसकी अनुपस्थिति में इस्पात और सीमेन्ट के अधिक उपभोग की गणना नहीं की जा सकी;

—सशस्त्र सिपाहियों की नियुक्ति पर व्यय हुई धनराशि (0.43 लाख रुपये) ग्राहक के कार्य में नहीं शामिल थी;

—उपभोग की गई शटरिंग सामग्रियों, मशीनों व वाहनों के रखरखाव पर व्यय काफी अधिक था;

—कार्य दर कारीगरों को बहुत से भुगतान माप पुस्तक से मिलान किये बिना और उनसे औपचारिक प्रार्थना प्राप्त हुए बिना किये गए;

—आपूर्ति कर्ताओं को अनेकों भुगतान माप पुस्तक /माल प्राप्ति पत्रों से सत्यापन किये बिना किये गए; और

—भण्डार सामग्रियों, औजार और संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

—समिति प्रतिवेदन पर कम्पनी द्वारा की गई कार्यवाही और चूकों के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रतीक्षित था (मार्च 1983)।

मामला प्रबंधकों को जुलाई 1982 में और सरकार को दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया: उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

4.02. सीमेन्ट के ढुलाई

दिसम्बर 1980 में कम्पनी को आवंटित 3500 मीट्रिक टन सीमेंट का एक विशेष कोटा पांच इकाइयों को बांटा गया। कम्पनी ने सम्बन्धित इकाईयों (सभी लखनऊ में स्थित) को मैहर से लखनऊ तक ढुलाई के लिये प्रबन्ध करने के लिये अधिकृत किया। कम्पनी का एक सहायक आवासीय अभियन्ता सीमेन्ट के सम्प्रेषणों के समन्वय के लिये मैहर में प्रतिनियुक्त किया गया।

ईकाई संख्या IV ने 300 मीट्रिक टन सीमेन्ट 225 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से ढुलवाया (दिसम्बर 1980 से जनवरी 1981) जब कि अन्य ईकाईयों (II, III, V और VI) ने सीमेन्ट के लिए ढुलाई व्यय 239 रुपये से 253.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन की विभिन्न दरों पर भुगतान किया (जनवरी से मार्च 1981)।

इकाई IV द्वारा भुगतान की गई दर से तुलना करने पर ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय 0.56 लाख रुपये निकला। कम्पनी ने बताया (अप्रैल 1981) कि मामला कम्पनी के सामान्य प्रबन्धक द्वारा जांच पड़ताल के अन्तर्गत था।

मामला प्रबन्धकों/सरकार को सितम्बर/दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

4.03. बिक्री कर में रियायत का लाभ न उठाना

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 (26 मई 1975 से संशोधित) के अन्तर्गत राज्य में स्थित सरकार द्वारा स्वामित्व की गई या नियन्त्रित की गई किसी कम्पनी, निगम या उपक्रम के सभी कार्यालय अपने स्वयं के प्रयोग के लिये सामान, बिक्रीकर की रियायती दर, अर्थात 30 जून 1975 तक तीन प्रतिशत और उसके बाद चार प्रतिशत, पर क्रय कर सकते थे। यह सुविधा केवल तभी उपलब्ध थी जब संबंधित उपक्रम बिक्री कर विभाग से प्राप्य निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करें।

सम्परीक्षा (सितम्बर 1979 और सितम्बर 1980) में परख जांच के दौरान यह जानकारी में आया कि मुख्यतः भवन सामग्री के क्रयों के विरुद्ध 0.42 लाख रुपये की सीमा तक बिक्री कर की रियायती दरों का लाभ कम्पनी की दो इकाइयों (नगीना, जुलाई 1977 से अगस्त 1978; 0.13 लाख रुपये और बिलरायन, सितम्बर 1978 से अगस्त 1979, 0.29 लाख रुपये) द्वारा नहीं उठाया गया।

प्रबंधकों ने बताया (फरवरी 1983) कि क्योंकि कम्पनी द्वारा क्रय की गई सामग्री ग्राहकों के भवनों के निर्माण के लिये प्रयुक्त की गई थी, रियायत अधिनियम की धारा 3 जी (3) के अन्तर्गत छूट प्राप्त किये बिना स्वीकार्य नहीं थी। यह रियायत कम्पनी द्वारा केवल जून 1979 में प्राप्त की गई और उसके बाद कम्पनी द्वारा रियायती दर का लाभ उठाया गया।

मामला सरकार को नवम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 1983)।

4.04. भण्डार की कमी

गढ़वाल विश्वविद्यालय के बालिकाओं के होस्टल, प्रतिष्ठापन क्वार्टरों और कला कक्ष के निर्माण में प्रयोग के लिये 3.45 लाख रुपये मूल्य की भण्डार सामग्री एक उप अभियन्ता को निर्गमित की गई (अक्टूबर 1978 से फरवरी 1980) और कार्य स्थल पर सामग्री पड़ी रहने की अवधि के दौरान कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। उपभोग की गई और उप अभियन्ता द्वारा कार्यभार सौंपते समय (फरवरी 1980) भण्डार में उपलब्ध सामग्री के विश्लेषण से 0.59

लाख रुपये मूल्य की सामग्री की कमी प्रकट हुई। उप अभियन्ता अगस्त 1981 में निलम्बित कर दिया गया लेकिन छानबीन अभी प्रगति में थी (जुलाई 1983)।

मामला सरकार को अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 1983)।

4.05. दण्ड ब्याज की वसूली न करना

सीमेन्ट नियन्त्रक भारत सरकार द्वार जारी विज्ञप्तियों (मई 1975 और सितम्बर 1978) के अनुसार उत्पादकों/ थोक विक्रय अभिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के अन्दर सीमेंन्ट आपूर्ति करना था जिसमें असफल होने पर वे 15 दिन से ऊपर की अवधि के लिये अग्रिम की धनराशि पर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भुगतान करने के लिये उत्तर-दायी थे।

सम्परीक्षा (सितम्बर 1982) में परख जांच के दौरान यह जानकारी में आया कि कम्पनी द्वार किये गये अग्रिम भुगतानों (अप्रैल 1979 से मई 1982) के विरुद्ध पांच उत्पादकों ने सीमेन्ट समय से आपूर्ति नहीं किया और विलम्ब एक से सात माह तक का था लेकिन उत्पादकों/ थोक विक्रय अभिकर्ताओं से सीमेंन्ट नियन्त्रक द्वारा निर्धारित 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज (0.25 लाख रुपये) का दावा/वसूली नहीं की गयी। इकाई प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1982) कि मामला उत्पादकों के साथ उठाया जा रहा था।

मामला प्रबंधकों/सरकार को जनवरी 1983 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड

4.06. चीनी का न उठाया जाना

सत्र 1976-77 के दानेदार चीनी के निर्यात के लिये स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटड (एस टी सी) और दि इंडियन शुगर मिल्स एसोसियेशन (आई एस एम ए) और नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड के मध्य एक अनुबन्ध (मार्च 1977) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार (डायरेक्टरेट आफ सुगर) ने मार्च-अप्रैल 1977 के दौरान कम्पनी की फैक्टरियों को विमोचन आदेश जारी किये। चीनी एस टी सी द्वारा 290 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उठायी जानी थी।

तथापि, एस टी सी कम्पनी की फैक्टरियों से 26,632 क्विंटल चीनी उठाने में असफल रही जो स्थानीय बाजार में 31.29 लाख रुपये की हानि पर बेच दी गई। कम्पनी द्वारा एस टी सी का प्रस्तुत दावा नहीं स्वीकार किया गया क्योंकि कम्पनी ने वकालतनामा आई एस एम ए को, जिसके साथ अनुबन्ध प्रतिपादित हुआ था, नहीं प्रस्तुत किया था।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1983) कि सभी फैक्टरियों के दावे, जो पहले वकालतनामा प्रस्तुत करने में असफल रहीं, अब आई एस एम ए द्वारा मध्यस्थता के लिये ले लिये गये थे।

मामला सरकार को नवम्बर 1882 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 1983)।

4.07. एक आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ प्रदान करना

अमरोहा इकाई

कम्पनी ने अपनी अमरोहा ईकाई के लिये सैन्ट्रीफ्यूगल मशीनों (मूल्य 39.85 लाख रुपये) की आपूर्ति के लिये बम्बई की एक फर्म को एक आदेश दिया (जुलाई 1981)। दरें स्थिर थीं और आपूर्ति 31 दिसम्बर 1981 तक पूर्ण की जानी थी। शर्तों में, अन्य बातों के साथ साथ, बैंक

गारन्टी के विरुद्ध दिये जाने वाले मूल्य के 10 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान और माल की सुपुर्दगी के विरुद्ध शेष 90 प्रतिशत भुगतान का प्राविधान था। सुपुर्दगी अवधि में मशीनों की आपूर्ति करने में असफल होने की दशा में अनुबन्ध के मूल्य के आधा प्रतिशत प्रति सप्ताह या उसके भाग की दर से पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक निर्धारित हर्जाना लगाया जाना था। अगस्त 1981 में किये गये दस प्रतिशत अग्रिम भुगतान (3.98 लाख रुपये) के अतिरिक्त कम्पनी ने माल की सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व, जो दिसम्बर 1981--जनवरी 1982 में प्राप्त हुई, अक्टूबर-दिसम्बर 1981 के दौरान प्रोफ़ार्मा बिलों पर 40.83 लाख रुपये का भी भुगतान किया। फर्म निर्धारित अवधि के अन्दर माल आपूर्त करने में असफल रही और इस प्रकार 0.28 लाख रुपये के दण्ड शुल्क के लिये उत्तरदायी हो गयी जो लगाया नहीं गया (दिसम्बर 1982)। कम्पनी की कार्यवाही के परिणामस्वरूप अनियमित अग्रिम पर 19 प्रतिशत वार्षिक की दरसे ब्याज (0.76 लाख रुपये) और न लगाये गये दण्ड शुल्क (0.28 लाख रुपये) के रूप में 1.04 लाख रुपये की सीमा तक आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

मामला प्रबन्धकों/सरकार को अगस्त/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

4.08. निर्धारित हर्जाने की वसूली न करना

कम्पनी की कजरहट चुनार परियोजना के प्रथम व द्वितीय चरणों के लिये मशीनों की आपूर्ति के लिये एक आदेश (मूल्य 1311.64 लाख रुपये) पुणे की एक फर्म को दिया गया (अप्रैल 1975)। प्रथम और द्वितीय चरणों के लिये आपूर्तियां क्रमशः 7 अप्रैल और 7 अक्टूबर, 1978 तक पूर्ण की जानी थीं। आदेश में सुपुर्दगी समयावधि के बाद आपूर्त मशीनों के कुल मूल्य की पांच प्रतिशत की सीमा के आधीन विलम्ब के प्रत्येक माह के लिये आधा प्रतिशत की दर से निर्धारित हर्जाने की वसूली के लिये भी प्राविधान था।

प्रथम और द्वितीय चरणों के लिये आपूर्तियां क्रमशः 6 जुलाई 1977 और 31 जनवरी 1978 से प्रारम्भ की गई लेकिन निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण नहीं की जा सकीं। विलम्ब 2 से 24 माह तक था जिसके कारण फर्म 68.07 लांख रुपये के निर्धारित हर्जाने के लिये उत्तर-दायी हो गयी। फर्म द्वारा समय वृद्धि के लिये की गई प्रार्थना प्रबन्धकों द्वारा नहीं स्वीकृत की गई (जनवरी और अक्टूबर 1978) लेकिन कम्पनी द्वारा फर्म से निर्धारित हर्जाने (68.07 लाख रुपये) की वसूली नहीं की गई।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1983) कि इकाईवार विलम्ब के मामलों का परीक्षण करने के बाद निर्धारित हर्जाने की धनराशि 49 लाख रुपये निश्चित की गई और आपूर्तिकर्ता के प्रति-निधियों के साथ हुई बैठक (जुलाई 1981) में अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई। 49 लाख रुपये में से 28.48 लाख रुपये का समायोजन आपूर्तिकर्ता के बकाया बिलों से किया जा चुका था और शेष भी बाद के बिलों से समायोजित कर लिया जायेगा।

मामला सरकार को मार्च/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड

4.09. दण्ड ब्याज की वसूली न करना

सीमेन्ट नियन्त्रक, भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियों (मई 1975 और सितम्बर 1978) के अनुसार उत्पादकों/थोक विक्रय अभिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान की प्राप्ति के दिनांक से 15

दिन के अन्दर सीमेन्ट की आपूर्ति करनी थी जिसमें असफल होने पर व 15 दिन से ऊपर की अवधि के लिये 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से अग्रिम की धनराशि पर ब्याज भुगतान करने के लिये उत्तरदायी थे।

सम्परीक्षा (मई 1982) में परख जांच में यह जानकारी में आया कि अप्रैल 1981 से मार्च 1982 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा किये गये अग्रिम भुगतानों के विरुद्ध उत्पादकों ने सीमेन्ट की आपूर्ति समय से नहीं की और विलम्ब एक से आठ माह तक था लेकिन उत्पादकों/थोक विक्रय अभिकर्ताओं से दण्ड ब्याज (0.25 लाख रुपये) का दावा नहीं किया गया था।

सरकार/प्रबन्धकों ने बताया (मई 1983) कि कम्पनी द्वारा मामला सीमेन्ट कारपोरेशन को जून 1982 में सन्दर्भित किया गया था और तब से मामला उनसे पत्राचार के अन्तर्गत था।

इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड

4.10. विक्रय से प्राप्त राशियों का गबन

कमीशन आधार पर कसान्डा केन्द्र के कार्यप्रभारी के रूप में नियुक्त (अक्टूबर 1979) एक व्यक्ति "ए" ने कम्पनी द्वारा आपूर्ति कृषि आदानों की बिक्री के लिये नियमित लेखे प्रस्तुत नहीं किये और अक्टूबर 1979 से मार्च 1981 तक की अवधि के लिये विक्रय से प्राप्त राशियों (1.29 लाख रुपये) को जमा करने में चूक की। केन्द्र के लेखाओं की सावधिक जांच नहीं की गई। केन्द्र को कृषि आदानों की आपूर्ति नवम्बर 1980 में रोक दी गई। अनुसरण करने पर "ए" द्वारा 0.25 लाख रुपये की धनराशि किश्तों में जमा कराई गई (मई से अगस्त 1981) और 0.05 लाख रुपये उसकी नकद जमानत के विरुद्ध समायोजित किये गये (अगस्त 1981)।

शेष धनराशि (0.99 लाख रुपये) के गबन की सूचना पुलिस में दर्ज करायी गई (अगस्त 1981) जिसका परिणाम प्रतीक्षित था (फरवरी 1983) तथापि, "ए" के विरुद्ध दीवानी मुकदमा, जैसा कि जिला सरकारी परामर्शदाता (सिविल) इलाहाबाद ने सुझाया (जुलाई 1981), नहीं दायर किया गया (दिसम्बर 1982)।

मामला प्रबन्धकों/सरकार को जनवरी 1983 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड

4.11. इस्पात की कमी

कम्पनी ने 58 मीट्रिक टन इस्पात की आपूर्ति के लिये कानपुर की एक फर्म को एक आदेश दिया (जनवरी 1981)। रेलवे रसीद से यह प्रकट हुआ कि फर्म ने रेलवे के माध्यम से 49.890 मीट्रिक टन इस्पात काठगोदाम को सम्प्रेषित किया (अप्रैल 1981) जिसकी सुपुर्दगी फर्म द्वारा बैंक के माध्यम से भेजे गये अभिलेखों (मूल्य : 2.30 लाख रुपये) को छुड़ाने के बाद स्पष्ट हस्ताक्षरों के अन्तर्गत बिना इसको तुलवाये ली गई (अगस्त 1981)। रेलवे रसीद "प्रेषक का भार स्वीकृत" आधार पर थी। बाद में (अगस्त 1981) हल्द्वानी में इस्पात को तोलने पर 24.290 मीट्रिक टन इस्पात (मूल्य : 1.14 लाख रुपये) कम पाया गया।

कमी के लिये रेलवे में दायर (अक्टूबर 1981) दावा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया (नवम्बर 1981) कि प्रेषिती ने सुपुर्दगी स्पष्ट हस्ताक्षरों के अन्तर्गत ली थी। कम्पनी की हानि को पूरा करने की प्रार्थना (अगस्त 1981) फर्म द्वारा भी स्वीकृत नहीं की गई।

इस्पात (मूल्य : 1.14 लाख रुपये) की कमी के लिये और रेलवे से बिना तुलवाये स्पष्ट हस्ताक्षरों के अन्तर्गत सुपुर्दगी लेने के लिये भी उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित किया गया (मार्च 1983)।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1983) कि मामला रेलवे के सतर्कता कक्ष द्वारा जांच पड़ताल के अन्तर्गत था।

मामला सरकार को दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 1983)।

उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड

4.12. रासायनिक खाद की कमी

शाखा प्रबन्धक, मेरठ की कम्पनी के मुख्यालय को आरोपित अनियमितताओं के लिये की गई शिकायत पर एक विक्रय सहायक को रासायनिक खाद के भण्डारों का कार्यभार एक दूसरे विक्रय सहायक को सौंपने को कहा गया (अक्टूबर 1981)। कार्यभार सौंपने में उसके द्वारा ढील करने पर उसे निलम्बित कर दिया गया (अक्टूबर 1981)। भंडार के ताले एक मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोले गए और एक भण्डार सूची तैयार की गई (अक्टूबर और नवम्बर 1981) जिससे 38.254 मीट्रिक टन रासायनिक खादों (मूल्य : 0.91 लाख रुपये) की कमी प्रकट हुई।

प्रबन्धकों ने बताया (मार्च 1983) कि पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन जनवरी 1982 में दर्ज कराया गया था और अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 1983)। यह और बताया गया कि एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था (दिसम्बर 1982) जिसका प्रतिवेदन भी प्रतीक्षित था (मार्च 1983)।

मामला सरकार को दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 1983)।

उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड

4.13. रोकड़/माल का लेखाओं में न लिया जाना

कम्पनी की दिल्ली शाप के सहायक विक्रय अधिकारी पर 1975 से 1980 के दौरान नकद/माल (1.03 लाख रुपये) का गबन आरोपित था जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

	धनराशि (लाख रुपयों में)
ग्राहकों को मुफ्त नमूनों के रूप में दिये गये दिखाये गये दुग्ध और सुअर उत्पादन	0.34
विक्रय सुधार के लिये सामान्य प्रबन्धक के आदेशों के अनुसार किया गया बताया गया व्यय	0.37
गुरुद्वारों से व्यापार प्राप्त करने के लिये किया गया व्यय	0.26
अगस्त 1980 के दौरान बिना वास्तव में भेजे भेजी दिखाई गई धनराशि	0.06
	1.03

पुलिस में रिपोर्ट 17 फरवरी 1982 को दर्ज करायी गयी और उसको 2 मार्च 1982 को आरोप-पत्र भी दिया गया। विक्रय प्रबन्धक, जिसे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, अपने एक तरफा प्रतिवेदन (जून 1982) म बताया कि "यद्यपि मय पावती के चार पंजीकृत पत्र अप्रैल से जून 1982 के दौरान भेजे गये, सहायक विक्रय अधिकारी ने ना तो पूछतांछ कार्यवाही में भाग लिया और न ही सुरक्षा में कोई लिखित बयान प्रस्तुत किया और इस प्रकार उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप सही प्रतीत हुए।"

सहायक विक्रय अधिकारी निलम्बित नहीं किया गया (सितम्बर 1982) और अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 1982)।

1975–76 से 1976–77 तक के देहली शाप के लेखे आन्तरिक सम्परीक्षा द्वारा 1978 में सम्परीक्षित किये गये लेकिन प्रतिवेदन अभी तक जारी नहीं किया गया (अगस्त 1982)।

मामला प्रबन्धकों को नवम्बर 1982 में और सरकार को जनवरी 1983 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 I) लिमिटेड

4.14. दण्ड शुल्क का भुगतान

विद्युत् की कमी के कारण राज्य सरकार ने 1977-78 से 1978-80 के दौरान भारी मध्यम अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों के संबंध में आदेशों के जारी होने की दिनांक से पूर्व के 12 माह के दौरान उच्चतम अंकित मांग या अनुबंधित मांग, जो भी कम हो, पर 33.33 से लेंकर 66.66 प्रतिशत तक विद्युत कटौती लगायी। अनुज्ञेय मांग के ऊपर कोई भी अधिकता प्रथम द्वितीय और उसके बाद की गलतियों के लिये विद्युत संयोजन हटाने के अलावा क्रमशः 100/200/300 रुपये प्रति केवी ए के दण्ड शुल्क के लिये उत्तरदायी थी।

कम्पनी की बाराबंकी इकाई ने लगाई गई विद्युत कटौतियों का पालन नहीं किया और अपने आपको 7 लाख रुपये (1977–78 के दौरान 2.13 लाख रुपये और 1979–80 के दौरान 4.87 लाख रुपये) के दण्ड शुल्क के लिये उत्तरदायी बना लिया और राज्य विद्युत परिषद् को 6.13 लाख रुपये (1977–78 के लिये 2.13 लाख रुपये और 1979–80 के लिये 4 लाख रुपये) का भुगतान किया। शेष 0.87 लाख रुपया अभी भी भुगतान करना था (फरवरी 1983)। विद्युत कटौती न पालन करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1983) कि राज्य विद्युत परिषद् के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) में रिट याचिका दायर कर दी गयी थी जो कि विचाराधीन थी।

मामला सरकार को जनवरी 1983 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 1983)।

अध्याय II

सांविधिक निगम

अनुभाग V

5.01. विषय प्रवश

31 मार्च 1982 को चार सांविधिक निगम थे :

–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ;

–उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ;

–उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम ; और

–उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 1979–80 से 1981–82 तक के लेखे बकायें में थे (मार्च 1983) । लेखाओं को अंतिम रूप दिये जाने में बकाये की स्थिति से सरकार को पिछली बार मार्च 1983 में अवगत कराया गया था। निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर परिशिष्टि "ख" में दिये गये हैं :

5.02. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के कार्य परिणाम व परिचालन निष्पादन की समीक्षा इस प्रतिवेदन के अनुभाग–VI में की गई है।

5.03. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

5.03.01. विषय प्रवेश

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत 1 नवम्बर 1954 को स्थापित हुआ था।

5.03.02. प्रदत्त पूंजी

31 मार्च 1981 को प्रदत्त पूंजी 945.36 लाख रुपये (राज्य सरकार : 457.86 लाख रुपये, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई): 457.86 लाख रुपये, तथा अन्य: 29.64 लाख रुपये) के विरुद्ध निगम की प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 1982 को 1000 लाख रुपयें (राज्य सरकार : 485.18 लाख रुपये, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक : 485.18 लाख रुपये अन्य : 29.64 लाख रुपये) थी ।

5.03.03. प्रत्याभूतियां

सरकार ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 6(1) के अन्तर्गत 824.64 लाख रुपये* (35 लाख रुपयों की विशेष अंशपूंजी को छोड़कर) की अंश पूंजी के पुनर्भुगतान तथा उस पर 3.5 प्रतिशत की दर से न्यूनतम लाभांश देने की गारंटी दे रखी है एवं 140.36 लाख रुपये की गारंटी होनी है। गारंटी किये गये लाभांश के निमित राज्य सरकार द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता (1963-64 तक) 13.50 लाख रुपये थी जिसमें से 10.80 लाख रुपये की अदायगी 31 मार्च 1982 को बकाये में थी। निम्न सारणी निगम द्वारा उठाये गये ऋणों के

*वित्तीय लेख के अनुसार यह धनराशि 1457.14 लाख रुपये है जिसमें गारंटी किया गया लाभांश शामिल है।

पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज के भुगता
करती है :

विवरण	प्रत्याभूति का वर्ष			
बंध-पत्र	1968-69 से 1981-82 तक	3987.50**	3987.50	..

5.03.04. वित्तीय स्थिति

निम्न सारणी मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत निगम की 1981-82 तक के तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति को संक्षेप में दर्शाती है :

	1979-80	1980-81	1981-82
		(लाख रुपयों में)	
पूंजी एवं दायित्व :			
प्रदत्त पूंजी	745.00	945.36	1000.00
अंश प्रार्थना की राशि	..	27.32	..
संचित निधि एवं अन्य संचित एवं अधिक्य	465.13	577.38	613.89
उधार :			
अधिकृत पूंजी में वृद्धि होने तक अंश पूंजी के निमित अभिदान	..	..	450.00
बंध-पत्र व ऋण पत्र	2722.38	3217.38	3987.50
राज्य सरकार की विशेष योजना के अन्तर्गत निधि को जोड़कर अन्य	3238.50	4521,01	6017.59
लाभांश हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता	13.50	13.50	10.80
अन्य दायित्व एवं प्राविधान	261.98	371,27	291.36
योग	7446.49	9673.22	12371.14
परिसम्पत्तियां :			
नकद व बैंक अवशेष	495.45	481.43	797.57
विनियोजन	32.57	32.68	32.68
ऋण एवं अग्रिम	6591,50	8757.88	10568.57
शुद्ध अचल परिसम्पतियां	29.42	37.18	39.96
लाभांश कमी खाता	13.50	13.50	10.80
अन्य परिसम्पत्तियां	284.05	350.55	921.56
योग	7446.49	9673.22	12371.14

**वित्तीय लखाओं के अनुसार राशि 3110.00 लाख रुपये है, अन्तर समाधान के अन्तर्गत है ।

	1979–80	1980–81	1981–82
		(लाख रुपयों में)	
	6086.25	7909.77	10397.84
	1196.63	1536.56	1603.09
	6845.83	8963.90	11747.32

5. . कार्य परिणाम

निम्न सारणी निगम के 1981–82 तक के तीन वर्षों के कार्य परिणामों का विस्तृत विवरण ती है :

विवरण		1979–80	1980–81	1981–82†
			(लाख रुपयों में)	
आय				
ऋण व अग्रिम पर ब्याज ††		556.30	740.57	587.92
अन्य आय		15.85	25.41	30.26
	योग	572.15	765.98	618.18
व्यय				
दीर्घकालिक ऋणों पर व्याज		306.82	414.92	394.86
अन्य व्यय		132.52	176.92	156.91
	योग	439.34	591.84	551.77
कर पूर्व लाभ		132.81	174.14	66.41
कर के लिये प्राविधान		51.57	67.48	22.46
अन्य समायोजन		59.37	79.91	29.26

* नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, बन्ध-पत्र और ऋण-पत्र, उधार तथा जमा के प्रारम्भ और अन्त के शेषों के कुल जोड़ के मध्यमान की द्योतक है।

**शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी व संचित के योग से अदृश्य परिसम्पत्तियों को घटाकर निकाला गया है।

***निवेशित पूंजी प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक ऋणों और मुक्त आरक्षित निधियों की द्योतक है।

†वर्ष के दौरान कम्पनी ने रख रखाव की लेखा विधि वाणिज्यिक प्रणाली से नकद प्रणाली में परिवर्तित कर दी। अर्जित परन्तु लेखाओं में न ली गई ब्याज की धनराशि की गणना निगम ने नहीं की।

††उन मामलों में जहां वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये, दीवानी दावे प्रस्तुत किये गये और पक्षों ने दो वर्षों तक भुगतान नहीं किये अर्जित हुई, पर लेख ओं में नहीं ली गई, व्याज की धनराशि 1979–80 और 1980–81 में क्रमश: 157.21 लाख रुपये और 233.37 लाख रुपये थी।

विवरण	1979–80	1980–81	1981–82
	(लाख रुपयों में)		
लाभांश के लिये उपलब्ध धनराशि	21.87	26.75	16.38**
भुगतान किया गया लाभांश	21.93	26.75	33.54*
नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	439.63	589.06	461.27
निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	439.63	589.06	461.27
		(प्रतिशत)	
प्रतिलाभ की दर			
--नियोजित पूंजी पर	7.2	7.4	4.4
--निवेशित पूंजी पर	6.4	6.6	3.9

*निगम ने सामान्य संचित से लाभांश के भुगतानार्थ, कमी को पूरा करने के लिये 17.25 लाख रुपये निकाले।

**आयकर का अधिक प्राविधान 1.63 लाख रुपया जो वर्ष के लेखे में वापस लिया गया एवं पिछल वर्ष का प्रारम्भिक शेष शामिल है।

5.03.06. ऋणों की स्वीकृति एवं वितरण

निम्न सारणी 1981-82 तक के तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऋण आवेदन-पत्र, स्वीकृत ऋण, वितरित ऋण इत्यादि को इंगित करती है :

विवरण	1979-80		1980-81		1981-82		संचयी प्रारम्भ से	
	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. वर्ष के प्रारम्भ में अनिस्तारित आवेदन पत्र	163	730.21	337	947.19	356	1265.01	..	..
2. प्राप्त आवेदन पत्र	4268	6239.00	5779	7286.89	6985	10645.25	25236*	49898.04
3. योग	4431	6969.21	6116	8234.08	7341	11910.26	25236	49898.04
4. स्वीकृत आवेदन-पत्र	2745	3320.02	4286	4360.83	4774	5746.33	16628	26963.19
5. रद्द किये गये/वापस/निरस्त किये गये आवेदन पत्र	1349	2349.97	1474	2191.67	2004	3806.36	8243	18435.69
6. वर्ष के अन्त में अनिस्तारित आवेदन पत्र	337	947.19	356	1265.01	563	1958.16	563	1958.16
7. वर्ष के दौरान वितरित ऋण	774**	1668.18	2254	2499.37	3679	3162.20	9060	12872.40
8. प्रभावी वचन बद्धतायें		6124.52		7824.52		10218.92		19929.12
9. वर्ष के अन्त में बकाया धनराशि		5749.04		7897.07		10568.57		
10. वसूली हेतु अधिदेय धनराशि								
--मूलधन		514.21		513.14		556.06		
--ब्याज		418.66		316.68		570.73		

* 198 आवेदन-पत्रों का अन्तर समाधान के अन्तर्गत है ।

** निगम के लेखाओं के अनुसार संख्या 842 है ।

टिप्पणी : स्तम्भ 4, 5 व 6 की धनराशियों के योग के विरुद्ध स्तम्भ 3 की धनराशि का अंतर, ऋण की आवेदित धनराशि तथा वास्तविक रूप से स्वीकृत धनराशि के अंतर का प्रतिनिधित्व करती है ।

विवरण	1979–80		1980–81		1981–82	
	संख्या	(धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	(धनराशि (लाख रुपयों में)	संख्या	(धनराशि (लाख रुपयों में)
प्राप्य मूलधन एवं ब्याज जिसके लिये वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये/ दीवानी मुकदमा दायर किया गया		1246.52		1395.72		1417.43
		2179.39		2225.54		2544.22
11. प्रभावी वचन बद्धताओं पर वितरित ऋण की प्रतिशतता		27.2		31.9		30.9
12. कुल बकाये ऋण पर चूक की प्रतिशतता		37.9		28.2		24.1

5.04. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कार्य परिणाम एवं परिचालन निष्पादन की समीक्षा इस प्रतिवेदन के अनुभाग XI में की गई है।

5.05. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के कार्य परिणाम एवं परिचालन निष्पादन की समीक्षा इस प्रतिवदन क अनुभाग XII में की गई है ।

अनुभाग VII

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

6.01. विषय प्रवेश

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत स्थापित हुआ था ।

6.02. पूंजी

परिषद् की पूंजी की आवश्यकता सरकार, जनता, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋण से पूरी होती है।

मार्च 1982 के अन्त में परिषद द्वारा किये गये दीर्घकालिक ऋणों (सरकार से लिये गये कर्जों सहित) का कुल योग 2756.06 करोड़ रुपये था और वह पिछले वर्ष के समाप्त होने पर 2425.28 करोड़ रुपये के कुल दीर्घकालिक ऋण से 330.78 करोड़ रुपये अर्थात 13.6 प्रतिशत अधिक था। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋणों के ब्योरे और मार्च 1982 तक के दो वर्षों के अन्त में बकाये राशि की स्थिति निम्न प्रकार थी :

श्रोत	31 मार्च को बकाया राशि		प्रतिशत वृद्धि
	1981	1982	
	(करोड़ रुपयों में)		
राज्य सरकार	1968.06	2211.19	12.3
अन्य श्रोत	457.22	544.87	19.1
योग	2425.28	2756.06	13.6

6.03. प्रत्याभूतियां

सरकार ने परिषद् द्वारा लिये गये 532.69* करोड़ रुपये की सीमा तक ऋणों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति (गारंटी) दे रखी है। 31 मार्च, 1982 को प्रत्याभूत मूलधन एवं बकाये की धनराशि 336.85* करोड़ रुपये थी ।

---

*वित्त लेखे के अनुसार आंकड़े क्रमश: 523.51 करोड़ रुपये तथा 331.74 करोड़ रुपये हैं। अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

6.04. वित्तीय स्थिति

परिषद् की 31 मार्च, 1982 तक के तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति निम्न सारणी में प्रदर्शित है :

	1979-80	1980-81* (पुनरीक्षित)	1981-82
	(करोड़ रुपयों में)		
दायित्व			
सरकार से ऋण	1759.24	1968.06	2211.19††
अन्य दीर्घकालिक ऋण (बंध पत्रों को सम्मिलित कर)	379.27	457.22	544.87
संचित एवं अधिशेष	89.49	148.97	196.69
चालू दायित्व	324.46	444.71	623.18
योग	2552.46	3018.96	3575.93
परिसम्पत्तियां			
सकल अचल परिसम्पत्तियां	1281.57	1820.29	1974.75
घटाइये : ह्रास	198.29	198.35	198.35
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	1983.28	1621.94	1776.40
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	831.77	537.42	670.35
चालू परिसम्पत्तियां	487.19	692.82	963.09
अब तक अपलेखित न किये गये विविध व्यय	8.26	7.32	6.63
संचयी हानियां	141.96	159.46	159.46
योग	2552.46	3018.96	3575.93
नियोजित पूंजी**	1246.01	1870.05	2116.29
निवेशित पूंजी***	2228.00	2574.25	2952.75

6.05. कार्यचालन परिणाम

मार्च 1982 तक परिषद के तीन वर्षों के कार्य चालन परिणाम संक्षिप्त रूप से नीचे दिये गये हैं :

	1979-80	1980-81	1981-82
		(करोड़ रुपयों में)	
राजस्व प्राप्तियां	256.70	284.11	346.86
राज्य सरकार से आर्थिक सहायता	101.00	144.57	159.40
योग	357.70	428.68	506.26

*परिषद द्वारा पुनरीक्षित आंकड़े ।

††वित्त लेखे के अनुसार आंकड़ें 2195.07 करोड़ रुपये हैं अन्तर समाधान के अन्तर्गत है ।

**नियोजित पूंजी शुद्ध अचल संपत्तियों (पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों को छोड़कर) एवं कार्य चालन पूंजी के जोड़ की द्योतक है ।

***निवेशित पूंजी प्रदत्त पूंजी व दीर्घ कालिक ऋणों व सुरक्षित निधियों की द्योतक है ।

	1979-80	1980-81	1981-82
	(करोड़ रुपयों में)		
राजस्व व्यय	215.48	262.26	317.97
वर्ष के लिये सकल अधिशेष विनियोजन	142.22	166.42	188.29
निम्नलिखित पर ब्याज :			
--सरकारी ऋण	95.91	105.84	110.39
--अन्य ऋण	27.71	33.23	42.04
अदृश्य परिसम्पत्तियों का अपलेखन	1.10	1.27	1.43
	124.72	140.34	153.86
शुद्ध अधिशेष	17.50	26.08	34.43
नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	141.12	165.15	186.86
निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिफल	141.12	165.15	186.86
		(प्रतिशत)	
निम्नलिखित पर प्रतिफल की दर :			
--नियोजित पूंजी	11.3	8.8	8.8
--निवेशित पूंजी	6.3	6.4	6.3

31 मार्च 1982 को परिषद् का संचयी आकस्मिक दायित्व 422.44 करोड़ रुपये का था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

	1981-82 वर्ष के लिये	31 मार्च 1982 संचयी
	(करोड़ रुपयों में)	
सरकारी ऋणों पर ब्याज	21.97	293.51*
ह्रास	54.07	128.93
योग	76.04	422.44

टिप्पणी : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के माध्यम से सरकार द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दिये गये ऋण पर 0.69 करोड़ रुपये का आकस्मिक दायित्व परिषद् के आकस्मिक दायित्व में सम्मिलित नहीं था।

*राज्य सरकार द्वारा मार्च 1982 में माफ किया गया 100 करोड़ रुपये ब्याज शामिल नहीं है।

6.06. परिचालन निष्पादन

निम्नलिखित सारणी 1981–82 तक के तीन वर्षों के लिये परिषद् के परिचालन निष्पादन को इंगित करती है :

विवरण	1979-80	1980-81	1981-82
स्थापित क्षमता (मेगावाट)			
ताप विद्युत	2173.10	2363.10	2545.10
जल विद्युत	1068.35	1212.35	1212.35
अन्य	12.50	12.50	12.50
योग	3253.95	3587.95	3769.95
सामान्य अधिकतम मांग (मेगावाट)	2571	2955	3200
		(एम के डब्लू एच)	
उत्पादित बिजली			
ताप विद्युत	6854.305	6733.661	7512.159
जल विद्युत	3265.797	3456.510	3835.632
अन्य	3.729	0.318	0.281
योग	10123.831	10190.489	11348.072
घटाइये अनुषंगी उपभोग	804.752	876.778	959.045
शुद्ध उत्पादित बिजली	9319.079	9313.711	10389.027
खरीदी गयी बिजली	404.385	391.907	267.475
विक्रय के लिये उपलब्ध कुल बिजली	9723.464	9705.618	10656.502
बेची गयी बिजली :			
बेची व बिल की गई	7869.089	8119.123	8624.467
बेची गई पर अभी बिल न की गई	13.402	44.850	6.415
नि:शुल्क आपूर्त की गयी बिजली	12.868	12.694	12.679
योग	7895.359	8176.667	8643.561
पारेषण एवं वितरण हानियां	1828.105	1528.951	2012.941
		(प्रतिशत)	
पारेषण एवं वितरण में हानियों का प्रतिशत	18.8	15.8	18.9
भार तत्व	27.6	31.4	30.8
प्रति किलोवाट प्रतिस्थापित क्षमता के विरुद्ध उत्पादित यूनिटों की संख्या	3111	2840	3010

6.07. निम्नलिखित सारणी में परिषद् के 31 मार्च 1982 तक के तीन वर्षों में कार्यचालन के अन्य ब्योरे दिये गये हैं :

विवरण	1979-80	1980-81	1981-82
गांव/शहर जहां बिजली पहुंचाई गयी (संख्या)	38902	42697	47525
उर्जीकृत पम्प सेट/कुयें (संख्या)	361590	402753	उपलब्ध नहीं
उप बिजली घरों की संख्या	142	146	157
पारेषण व वितरण लाइनें (किलोमीटर में)			
उच्च बोल्ट	14453	14533	उपलब्ध नहीं
मध्यम बोल्ट	उपलब्ध नहीं	140502	उपलब्ध नहीं
निम्न वोल्ट	उपलब्ध नहीं	112876	उपलब्ध नहीं
जितने भार के कनेक्शन दिये गये (मेगावाट)*	4932.856	5330.960	5664.813
उपभोक्ताओं की संख्या	2081945	2154724	2237215
कर्मचारियों की संख्या	88944	93641	102563

निम्न सारणी 31 मार्च 1982 तक तीन वर्षों के दौरान बेची गयी बिजली तथा बेची गयी प्रति के डब्लू एच के लिये राजस्व, व्यय और लाभ के ब्योरों को दर्शाती है :

	1979-80	1980-81	1981-82
बेंची गयी यूनिटें (एम के डब्लू एच)			
कृषि	2529.226	2772.616	2817.672
औद्योगिक	3515.119	3428.584	4007.342
वाणिज्यिक	61.274	54.383	64.925
घरेलू	963.835	1028.220	979.424
अन्य	812.503	848.014	767.783
योग	7881.957	8131.817	8637.146
प्रति के डब्लू एच राजस्व (पैसे) (राज सहायता को छोड़कर)	32.57	34.94	40.16
प्रति के डब्लू एच व्यय (पैसे) **	32.01	36.93	43.07
प्रति के डब्लू एच लाभ (+)/हानि (-) (पैसे)	(+)0.56	(-)1.99	(-)2.91

*हिन्डालको का 0.25 किलोवाट भार सम्मिलित है जो उनके बद्ध उत्पादन से पूरा किया गया।

**कुल ह्रास को सम्मिलित करके परन्तु ऋण पर ब्याज को छोड़कर।

अनुभाग VII

पनकी तापीय शक्ति स्टेशन

7.01. विषय प्रवेश

कानपुर क्षेत्र म उद्योगों, रेलवे कर्षण, इत्यादि के निमित्त विद्युत् की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने 30 मेगावाट प्रत्येक अप्रैल (1963 में पुनरीक्षित कर 32 मेगावाट) की दो इकाइयों से युक्त पनकी (कानपुर) में एक तापीय शक्ति स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 1961) ये इकाइयां अक्टूबर 1967 तथा जुलाई 1968 में चालू की गयीं। शक्ति केन्द्र की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता की 284 तक बृद्धि करते हुए 110 मेगावाट प्रत्येक की दो और इकाइयां नवम्बर 1976 तथा मार्च 1977 में चालू की गयीं ।

शक्ति स्टेशन का प्रबंध 3 अधीक्षण अभियंताओं की सहायता से एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा किया जाता है। परियोजना लेखाधिकारी लेखाओं के संकलन के लिये उत्तरदायी है ।

स्थापन तथा चालू किया जाना

7.02.01. 32 मेगावाट की इकाइयां

32 मेगावाट के सेट, 6.82 करोड़ रुपये की मूल प्राक्कलन लागत (सितम्बर 1962), जो कि पुनरीक्षित (अक्टूबर 1966) होकर 10.51 करोड़ रुपये हो गयी के विरुद्ध 11.86 करोड़ रुपये थी कुल लागत पर स्थापित किये गये। पुनरीक्षित परियोजना लागत को केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सी ई ए) के अनुमोदन की प्रतीक्षा थी (फरवरी 1983) । अब तक (फरवरी 1983) समापन प्रतिवेदन भी तैयार नहीं किया गया है।

मूल प्राक्कलन लागत की तुलना में लागत में वृद्धि का कारण, परियोजना प्रबंधकों द्वारा मुख्यतः (1) संयंत्र तथा उपकरणों के मूल्य में वृद्धि (80 लाख रुपये), (2) सिविल एवं ढांचीय कार्य की लागत में बृद्धि (90.85 लाख रुपये), (3) सीमा शुल्क में वृद्धि (95 लाख रुपये), (4) विदेशी आपूर्तिकर्ता को रुपये में भुगतान की शर्त होने से अवमूल्यन के कारण अधिक भुगतान (59 लाख रुपये), (5) मूल प्राक्कलन में अतिरिक्त कलपुर्जो का शामिल न किया जाना (20.07 लाख रुपये) तथा (6) भूमि, रेलवे साइडिंग इत्यादि की लागत में वृद्धि (24.47 लाख रुपये बताया गया (मार्च 1969) ।

दो इकाइयां जुलाई तथा अगस्त 1965 की नियत तिथियों के विरुद्ध क्रमशः अक्टूबर 1967 तथा जुलाई 1968 में चालू की गयीं। चालू किये जाने में बिलम्ब का कारण परियोजना प्रबंधकों द्वारा (1) सिविल निर्माण कार्य के समापन में बिलम्ब, (2) संयंत्र तथा मशीनों की आपूर्ति में बिलम्ब तथा (3) सीमेन्ट, स्पात इत्यादि की अनुपलब्धता बताय गया (मार्च 1979) ।

संयंत्र अप्रैल 1963 में दिये गये पूर्ति आदेश के विरुद्ध यूगोस्लाविया की एक फर्म द्वारा डिजाइन स्थापित तथा चालू किये गये। फर्म के साथ किये गये अनुबंध की शर्तो के अनुसार संयंत्र के निस्पादन का परीक्षण दो चरणों में किया जाना था :

(i) स्थापन के बाद लगातार 720 घंटे की अवधि तक ट्रायल रन किया जाना।

(ii) संयंत्र को चालू किये जाने तथा 2 सप्ताह तक वाणिज्यिक परिचालन के पश्चात् स्वीकृति परीक्षण (एक्सेप्टेन्स टेस्ट) किया जाना ।

ब्वायलरों की दक्षता तथा टर्बोआल्टरनेटरों की उष्मा खपत, लगातार दो सप्ताह तक किये जाने वाले स्वीकृति परीक्षण के आधार पर निर्धारित की जानी थी ।

परीक्षण के दौरान निष्पादन में यदि कमी 10 प्रतिशत के ऊपर थी तो संयंत्र को सम्पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर देना था । यदि कमी 10 प्रतिशत से कम थी तो फर्म को भुगतान किये जाने योग्य मूल्य से 15.12 लाख रुपये (ब्वायलर के लिये 9.30 लाख रुपये तथा टर्बोआल्टरनेटर के लिये 5.82 लाख रुपये) अधिकतम की शर्त के साथ अनुबंधित दरों पर कटौती होनी थी ।

इकाई I तथा II के ट्रायल रन अनुबंध में प्राविधानित 720 घंटों के विरुद्ध अक्टूबर 1967 से मई 1968 तथा जुलाई 1968 से सितम्बर 1968 के दौरान क्रमश: 452 घंटों तथा 325 घंटों की अधिकतम चालन अवधि तक किये गये । ट्रायल रन की अवधि के अवरोध का कारण ग्रिड में व्यवधान इत्यादि के कारण ब्रेकडाउन को बताया ।

गारंटी की शर्तों के अनुसार निष्पादन दक्षता का निर्धारण करने के लिये स्वीकृति परीक्षण बिल्कुल ही नहीं किया गया । परियोजना प्रबन्धकों द्वारा परिषद् को यह प्रस्तावित किया गया (जनवरी 1969) कि परीक्षण की तैयारी करने हेतु पांच सप्ताह के लिये संयंत्र को बन्द करने की आवश्यकता तथा 45 मिलियन यूनिट की उत्पादन हानि को निहित करने वाले परिणाम को देखते हुए स्वीकृति परीक्षण का त्याग किया जा सकता या परिषद् ने निर्णय दिया (मार्च 1969) कि परिचालन की सामान्य अवधि के दौरान निष्पादन आंकड़ों की समुचित तरीके से मोटे तौर पर जांच की जा सकती थी और यदि परीक्षण का परिणाम संतोषजनक पाया गया तो अनुबन्ध में प्राविधानित, औपचारिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी । मार्च-अप्रैल 1969 में किया गया मोटा परीक्षण (रफ टेस्ट), ब्रेकडाउन तथा ग्रिड व्यवधानों इत्यादि को छोड़कर 49 घटों तक की कुल अवधि तक सीमित रहा और इस परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्राप्त परिणाम ने ब्वायलर तथा टर्बो आल्टरनेटर संयंत्र की दक्षता पर मोटी जांच प्रदान किया तथा यह इंगित किया कि आपूर्त संयंत्र कार्यक्षम था जो कि अनुबंधित प्राविधानों के अनुकूल था ।

अनुबंध में प्राविधानित स्वीकृति परीक्षण करने में त्रुटि ने परिषद् को यह सुनिश्चित करने से वंचित कर दिया कि संयंत्र गारंटी की पूर्ण दक्षता पर निष्पादन के योग्य था । इसका परिणाम निष्पादन में 10 प्रतिशत की सहन सीमा तक के उपरान्त कमी की दशा में मूल्य में कटौती के दावे के अवसर खोये जाने के रूप में भी हुआ ।

इस संबंध में यह देखा गया कि मार्च-अप्रैल 1969 के दौरान ए ग्रेड के कोयले की खपत निष्पादन मानक के अनुसार 0.50 किलो ग्राम प्रति के डब्लू एच के विरुद्ध 0.56 किलो ग्राम हुई ।

यूगोस्लाव फर्म को संयंत्रों के लिये भुगतान योग्य 402.45 लाख रुपये के मूल्य में फर्म के भारतीय अभिकर्ताओं को भारतीय मुद्रा में भुगतान योग्य 9.41 लाख रुपये सम्मिलित था । यह धनराशि अनुबंध में अलग से इंगित थी तथा कच्चे माल की लागत तथा मजदूरी में वृद्धि के कारण विदेशी फर्म को दी जाने वाली मूल्य वृद्धि के अन्तर्गत नहीं आती थी । भारत सरकार द्वारा निर्गत (जनवरी 1967) स्पष्टीकरण के अनुसार अवमूल्यन के कारण भारतीय अभिकर्ता को रुपये में भुगतान किये जाने वाले कमीशन पर कोई भी मूल्य वृद्धि अनुमन्य नहीं थी । फिर भी, भारतीय अभिकर्ता द्वारा अनुबंधित कीमत में मूल्य वृद्धि (0.82 लाख रुपये) के साथ-साथ अवमूल्यन (1.67 लाख रुपये) के लिये 2.49 लाख रुपये का दावा (फरवरी 1966) परिषद् द्वारा स्वीकृत (दिसम्बर 1968) तथा भुगतान कर दिया गया ।

7.02.02. 110 मेगावाट की इकाइयां

110 मेगावाट के दो सेटों हेतु ब्वायलर, टर्बोजनरेटर तथा सहायक संयंत्रों के क्रय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) से किये गये (सितम्बर 1970) । संयन्त्रों को स्थापित तथा चालू करने का कार्य भेल द्वारा निष्पादित किया गया तथा ये दो इकाइयां दिसम्बर 1975 तथा जून 1976

की लक्ष्य तिथियों के विरुद्ध क्रमश: नवम्बर 1976 तथा मार्च 1977 में चालू की गयीं। इकाइयों को देर से चालू किये जाने का कारण परियोजना प्रबंधकों द्वारा (1) संयंत्र तथा मशीनों की आपूर्ति में विलम्ब, (2) सिविल निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब, (3) धन की कमी तथा (4) सिमेन्ट इस्पात इत्यादि की अनुपलब्धता बताया गया।

इकाइयां 48 घंटे के लिये 95 मेगावाट के कम भार (इकोनोमिकल लोड) तथा 24 घंटे के लिये 110 मेगावाट के पूर्ण भार पर परिचालन की सम्मिलित करते हुए विभिन्न भारों (आधा एवं पूरा भार) पर 14 दिनों तक ट्रायल रन पर परिचालित होनी आवश्यक थी। परिषद् द्वारा 110 मेगावाट की पहली इकाई 80 मेगावाट तक भिन्न-भिन्न भारों पर 19 से 28 जनवरी 1977 के दौरान ट्रायल रन के उपरांत अपने अधिकार में ली गयी।(जनवरी 1977)। दूसरी इकाई 105 मेगावाट तक भिन्न-भिन्न भारों पर 28 अप्रैल से 23 मई 1977 के दौरान ट्रायल रन के बाद ली गयी (मई 1977)। ये संयंत्र 95 मेगावाट के कम भार पर 48 घंटे तथा 110 मेगावाट के पूर्ण भार पर 24 घंटे लगातार चलने में विफल रहे (मई 1977)। भेल ने इसका कारण ब्वायलर ट्यूब तथा कोल हैन्डलिंग सिस्टम में खराबी, कोयले की कमी तथा ग्रिड कीउच्च आवृत्ति बताय। (मई1977)। आगे कोई भी ट्रायल रन नहीं किया गया तथा इस प्रकार संयंत्र को पूर्ण ट्रायल रन तथा निष्पादन प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लिया गया।

70 करोड़ रुपये तक पुनरीक्षित (मार्च 1977), 35.20 करोड़ रुपये की प्राक्कलन लागत (मई 1970) के विरुद्ध दोनों इकाइयों पर वास्तविक व्यय 73.61 करोड़ रुपये था (मार्च1982)। सी इ ए ने समापन प्रतिवेदन के अभाव में पुनरीक्षित परियोजना लागत अनुमोदित नहीं की है। मूल प्राक्कलन की तुलना में परियोजना की 34.80 करोड़ रुपये से बढ़ी हुई लागत मोटे तौर पर भूमि (40 लाख रुपये), सिविल निर्माण कार्य (901.62लाख रुपये), संयंत्र तथा उपकरण (1783.37 लाख रुपये), मजदूरी तथा वेतन (662.66लाख रुपये), औजार एवं संयंत्र (44.41 लाख रुपये) तथा प्रकीर्ण मदों (47.94 लाख रुपये) पर लेखाबद्ध की गयीं। समापन प्रतिवेदन तथा घटा बढ़ी के विश्लेषण के अभाव में आधिक्य वाले मदों तथा लागत में बृद्धि के विस्तृत कारणों की जानकारी संभव नहीं थी।

7.03. क्षमता की दर कम करना

जुलाई1972में इकाई के कम दबाव रोटर के 12 वें चरण का डायफ्राम तथा पत्तियां विफल हो गयीं। 13 वें तथा 14 वें चरणों की पत्तियों तथा डायफ्राम की क्षति भी प्रबंधको की जानकारी में आयी (जुलाई 1972)। जून 1977 में सी ई ए को इकाई की क्षमता कम करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय परियोजना प्रबंधकों ने विफलता तथा क्षति का कारण इकाई का कम आवृत्ति पर परिचालन बताया।

संयंत्र के आपूर्तिकर्ताओं की सहमति से परियोजना प्रबन्धकों द्वारा किये गये पूछताछ (सितम्बर 1974)के उत्तर में एक पश्चिम जर्मन फर्म (संयंत्र के डिजाइनकर्ता) ने बर्लिन में अपने कार्यशाला में पत्तियों को निकालने तथा पत्तियों को पुन: लगाने के कार्य को शामिल कर 13.54 लाख डी एम (51.45 लाख रुपये)पर प्रतिस्थापन तथा मरम्मत कार्य करने का प्रस्ताव किया (अक्टूबर1974)। सीमा शुल्क तथा भाड़ा शामिल करने पर कुल व्यय 80 लाख रुपये होता था। परिषद् की केन्द्रीय भंडार क्रय समिति (सी एस पी सी) ने यह निर्णय लिया (मार्च 1977) कि 29 मेगावाट (12 वें चरण के पत्तियों के विफल हो जाने के परिणामस्वरूप) से 32 मेगावाट की मौलिक क्षमता तक क्षमता में

वृद्धि हेतु इस सीमा तक व्यय अनार्थिक होगा। इसलिये 13 वें तथा 14 वें चरण की पत्तियों तथा डायफ्राम की क्षति की स्थानीय मरम्मत कराकर 12 वें चरण की पत्तियों तथा डायफ्राम के बिना ही इकाई को चलाने का निश्चय किया गया। तदनुसार इकाई की क्षमता दर कम कर 29 मेगावाट तक कर दी गई जो सी इ ए द्वारा जुलाई 1977 में अनुमोदित हो गयी। किन्तु, जुलाई 1980 में जब टर्बाइन को वृहत ओवरहाल हेतु खोला गया तो अन्य पत्तियों तथा डायफ्राम में भी विस्तृत क्षति की जानकारी हुई। परियोजना प्रबंधकों द्वारा जैसा कि प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 1980), 12 वें चरण की पत्तियों के अभाव ने क्षति की प्रक्रिया को तेज कर दिया था तथा पूरी टर्बाइन को खतरे में डाल दिया था। आगे क्षति से बचाने के लिये इकाई 27 मेगावाट से अधिक भार पर नहीं ली गयी और सी एस पी सी द्वारा 12 वें से 14 वें चरण की कम दबाव की रोटर पत्तियां तथा 10 वें से 13 वें चरण के कम दबाव के डायफ्राम, पश्चिम जर्मन फर्म से क्रय करने का निर्णय लिया गया (जुलाई 1980)। तदनुसार फर्म को 18.55 लाख डी एम (70.49 लाख रुपये) के लिये एक आदेश दिया गया (दिसम्बर 1980) । जबकि फर्म के पक्ष में साख पत्र खोलने की प्रक्रिया प्रगति में थी, मूल युगोस्लाव आपूर्तिकर्ता का प्रतिनिधित्व करती हुई नई दिल्ली की एक फर्म ने उपरोक्त मदों के आपूर्ति हेतु 17.66 डी एम (67.11 लाख रुपये) की कुल लागत का अपने प्रधान फर्म का प्रस्ताव (अप्रैल 1981) प्रस्तुत किया। चूंकि इस फर्म का प्रस्ताव 3.38 लाख रुपये से सस्ता था, तथा पश्चिम जर्मन फर्म द्वारा प्रस्तावित 16 महीने के विरुद्ध 7 माह की सुपुर्दगी अनुसूचि निहित थी सी एस पी सी ने पश्चिम जर्मन फर्म को दिये गये आदेश निरस्त करने तथा युगोस्लाव फर्म के प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया (अप्रैल 1981)। तदनुसार दिसम्बर 1981 में युगोस्लाव फर्म को आदेश दिया गया। 11 वें चरण की पत्तियों की आपूर्ति हेतु 2.67 लाख डी एम (10.65 लाख रुपये) का एक अन्य आदेश भी इस फर्म को जनवरी 1982 में दिया गया। आपूर्तियां अभी तक प्रतीक्षित थीं (फरवरी 1983)।

प्रतिस्थापन की अनुमानित लागत सीमा शुल्क तथा भाड़े को जोड़कर 143.30 लाख रुपये होती थी। परिषद् के प्राधिकारियों द्वारा बताये गये 12 वें चरण की पत्तियों के अभाव के कारण प्रणाली में विस्तृत क्षति के अतिरिक्त 1.58 करोड़ यूनिट प्रतिवर्ष की दर पर 60 प्रतिशत संयंत्र उपयोग फैक्टर की गणना पर वर्ष 1975 से 1982 की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता में 12.64 करोड़ यूनिट की कमी हुई। वित्तीय रूप में समस्त अवधि के दौरान ऊर्जा के विक्रय में राजस्व की हानि 2.52 करोड़ रुपये होती थी।

7.04. 110 मेगावाट सेटों का निष्पादन

परियोजना प्रबन्धकों को, 110 मेगावाट सेटों के परिचालन में उनके चालू किये जाने (जनवरी तथा मई 1977) के तुरन्त बाद तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहां तक कि भेल (उपकरणों के आपूर्ति कर्ता) द्वारा समस्या का हल करने के बाद भी इकाइयां 90 मेगावाट से ऊपर चलने में विफल रहीं। इस मामले पर विचार किया गया तथा सी ई ए द्वारा बनाई गयी एक सुपरवाइजरी कमेटी के मीटिंग में ब्वायलर (21), टर्बाइन (8) तथा इन्स्ट्रूमेंटेसन एवं कंट्रोल (3) से संबंधित 32 वृहत समस्याओं की जानकारी की गयी (अक्टूबर 1977)। त्रुटियों को दूर करने के लिये समग्रियों की आपूर्ति भेल से वांछित की गयी। उन नवीकरण कार्यों की लागत को कौन बहन करेगा इस प्रश्न का हल बाद में करने के लिये कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया। तथापि, कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था (फरवरी 1983)।

समरीक्षा में परख जांच (जून 1982) में निम्नलिखित जानकारी हुई :

(क) इकाई iv तथा iii का क्रमशः मई 1978 से फरवरी 1979 तथा जुलाई से दिसम्बर 1979 के दौरान आंशिक नवीकरण किया गया। भेल ने नवीकरण के निमित्त 13 परिचित (आइडेन्टिफायड) किये मदों के संबंध में 19.90 लाख रुपये का दावा प्रस्तुत किया (जनवरी 1980)। दावे को भारत सरकार (ऊर्जा मंत्रालय) द्वारा नियुक्त सी ई ए के सदस्य (परिचालन) द्वारा पंचनिर्णय को संदर्भित कर दिया गया (जुलाई 1979)। अब तक (फरवरी 1983) कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) 1978-79 से 1981-82 के दौरान 11 परिचित किये गये मदों के प्रतिस्थापन पर किये गये 64.26 लाख रुपये के व्यय का दावा न तो भेल से किया गया और न पंच निर्णय को संदर्भित किया गया (फरवरी 1983)। शेष 8 परिचित किये गये मदों पर किया गया व्यय उपलब्ध नहीं था।

भेल द्वारा किये गये नवीकरण के अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धकों ने संयंत्र में अन्तर्निहित डिजाइन त्रुटियों से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिये परिषद् तथा सी ई ए को नवीकरण की एक योजना प्रस्तुत की (अप्रैल 1982)। 1181.57 लाख रुपये के व्यय की इस योजना पर परिषद्/सी इ ए के अनुमोदन की प्रतीक्षा है (फरवरी 1983)।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 1977-78 से 1981-82 की अवधि के दौरान परिषद् ने कुछ बड़े पुर्जों के समयपूर्व प्रतिस्थापन (172.45 लाख रुपये) को सम्मिलित करते हुए 698.87 लाख रुपये पूंजीगत मरम्मत पर तथा 614.80 लाख रुपये अन्य मरम्मत पर पहले ही खर्च कर चुका था।

7.05. क्षमता का उपयोग

जैसा कि पैराग्राफ 7.03 में इंगित किया गया है मुख्यतः 12 वें स्टेज की पत्तियों के विफल हो जाने के कारण सी इ ए के अनुमोदन से जुलाई 1977 में इकाई I की क्षमता दर 29 मेगावाट कर दी गयी। पुनः अगस्त 1981 के प्रभाव से इकाई II की समस्त क्षमता इसके टर्बो आल्टरनेटर के विस्फोट से हुई क्षति के कारण गणना से निकाल दी गयी।

110 मेगावाट की दो इकाइयों की क्षमता दर क्रमशः 85/90 मेगावाट तक कम करनेका प्रस्ताव परियोजना प्रबन्धकों द्वारा परिषद्/सी इ ए को मार्च 1982 में प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव के समर्थन में दिये गय कारण निम्न थे :

(i) ब्वायलर में त्रुटियां--ट्यूबों का बार-बार फेल हो जाना, ब्वायलर चैम्बर में हवा का लीक करना, कोल फीडर तथा नोजल्स की अपर्याप्त क्षमता, लो सेकेन्डरी ऐयर विंड वास्क डिफरेंसियल प्रेसर तथा लो रिहीट/स्टीम टैम्परेचर।

(ii) निम्न कोटि का उपलब्ध कोयला--प्रस्ताव अभी तक (फरवरी 1983) परिषद्/सी ई ए से अनुमोदित होने थे।

निम्न सरणी 1981–82 तक तीन वर्षों के दौरान क्षमता उपयोग के विवरण प्रदान करती है :

इकाई	स्थापित उत्पादन क्षमता (एम के डब्लू एच)	उपलब्ध घंटों के संदर्भ में संभावित उत्पादन (एम के डब्लू एच)	वास्तविक उत्पादन (एम के डब्लू एच)	स्थापित क्षमता पर वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता	संभावित उत्पादन पर वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता
1979–80					
I	254.7	216.9	178.1	69.8	82.0
II	281.1	223.0	173.7	61.9	73.5
III	966.2	411.7	298.2	30.9	72.3
IV	966.2	633.9	431.7	44.7	68.1
स्टेशन के लिये समग्र	2468.2	1485.5	1081.7	43.8	72.8
1980–81					
I	254.0	160.0	141.3	55.5	88.1
II	280.3	180.0	150.4	53.9	83.9
III	963.6	567.7	371.8	38.6	66.5
IV	963.6	774.4	537.8	55.8	69.5
स्टेशन के लिये समग्र	2461.5	1682.1	1201.3	48.8	71.5
1981–82					
I	254.0	170.7	151.6	59.4	88.3
II	100.8	90.3	72.6	72.3	81.1
III	963.6	719.0	491.8	51.0	68.4
IV	963.6	634.3	426.4	44.2	67.2
स्टेशन के लिये समग्र	2282.0	1614.3	1142.4	50.0	70.8

परियोजना प्रबंधको ने क्षमता के कम उपयोग का कारण अधिकाधिक बंदिया तथा उत्पादन इकाइयों का कम भार पर परिचालन बताया।

1981–82 तक तीन वर्षों के दौरान संयंत्र उपलब्ध... स्थिति प्रदर्शित होती है :

	32 मेंगावाट सेट			110 ...		
	1979–80	1980–81	1981–82	1979–80	1980–81	1981–82
कुल उपलब्ध घंटे	17568	17520	11911	17568	17520	17520
कुल परिचालित घंटे	14447	11140	8709	9505	12201	12302
कुल बन्दियां :						
...नियत	1072	4922	986	3760	1553	3135
...अनियत	2049	1458	2216	4303	3766	2083
	3121	6380	3202	8063	5319	5218
प्रतिशतता :						
संयंत्र उपलब्धता की	82.2	63.6	73.1	54.1	69.6	70.2
नियत बंदियों की	6.1	28.1	8.3	21.4	8.9	17.9
अनियत बंदियों की	11.7	8.3	18.6	24.5	21.5	11.9

इस सम्बन्ध में निम्न बातें जानकारी में आयीं :

(i) मार्च 1982 में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विद्युत् तकनीकी समिति ने अपने प्रतिवेदन (दिसम्बर 1972) में यह संस्तुति दी कि परिषद् के विद्युत् स्टेशनों को कम अवधि में तापीय उत्पादन इकाइयों के लिये 80 प्रतिशत तथा अगले दो या तीन वर्षों में 85 प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता का लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिये। वास्तविक उपलब्धि समस्त मामलों में कम रही।

(ii) सभी तीनों वर्षों में अनियत बंदिया (वाटर वाल ट्यूब, ब्वायलर ट्यूब, इकोनोमाइजर ट्यूब तथा सुपर प्राइमरी हीटर्स में लिकेज पर मुख्यत: ब्यायलरों के कारण) विद्युत् तकनीकी समिति द्वारा दिसम्बर 1972 में संस्तुत 4 प्रतिशत से अधिक रहीं।

(iii) अनियत बंदियों में अप्रैल–जून 1979 के दौरान कोयले (4000 मीटरी टन) की अनुपलब्धता के कारण 247 घंटे की बंदी शामिल है। इस अवधि के दौरान कोयले के अभाव में इकाई I (164 घंटे) तथा इकाई II (83 घंटे) की 60 प्रतिशत भार पर उत्पादन हानि लगभग 44 लाख यूनिट थी (संभाव्य राजस्व: 13.20 लाख रुपये)। इस संबंध में जानकारी में आया है कि इन इकाइयों में उपयोग में लाने योग्य 10,000 मीटरीटन कोयला मार्च-अप्रैल 1979 में कोयला भंडार प्रांगण में जमीन के नीचे दबा पड़ा था। दबा हुआ कोयला मार्च 1981 में ही निकाला गया।

---

*संयंत्र उपलब्धता वर्ष के दौरान कुल घंटो पर वास्तविक परिचालन घंटों के प्रतिशत का प्रतीक है।

...त बंदियों में जून-अगस्त 1980 के दौरान उपलब्ध कोयले की अनुपयोगिता के कारण (21 घंटे) तथा युनिट IV (459 घंटे) की 480 घंटों की बंदियां सम्मिलित थीं । इफी-...रजिस्टर में बंदी का कारण "भीगे कोयले के कारण कोयला मिल में चोंकिंग" अभिलेखित था। चूंकि दोनो इकाइयों (III तथा IV) की कोयला मिले एक ही भंडार तथा एक ही कन्वेयर-बेल्ट से पोषित होती थीं, इकाई III तथा IV की बंदियों में विस्तृत भिन्नताओं का कारण स्पष्ट नहीं था।

(v) नियत बंदिया वार्षिक अनुरक्षण तथा वृहत ओवरहालिंग का प्रतिनिधित्व करती हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विद्युत् तकनीकी समिति ने अपने प्रतिवेदन (दिसम्बर 1972) में बताया कि उचित अनुरक्षण परिचालन शिड्यूल व्यवस्थित करने तथा तकनीकी तथा परिचालन कर्मचारियों का उपयोग करने से परिषद् को वार्षिक अनुरक्षण तथा वृहत् ओवरहालिंग को क्रमशः 672 तथा 1344 घंटों तक सीमित किया जाना संभव होगा। तथापि, शक्ति स्टेशन द्वारा वार्षिक अनुरक्षण तथा वृहत् ओवरहालिंग हेतु लिया गया समय अत्याधिक था जैसा कि नीचे इंगित है :

इकाई	वार्षिक अनुरक्षण		वृहत् ओवरहालिंग	
	अवधि	लिये गये घंटे	अवधि	लिये गये घंटे
I	अगस्त से अक्टूबर 1981	986	जुलाई से अक्टूबर 1980	2241
II	जुलाई से सितम्बर 1979	1072	जुलाई से अक्टूबर 1980	2681
III	सितम्बर से नवम्बर 1980	1553	जुलाई से दिसम्बर 1979	3760
IV	जुलाई से अगस्त 1981	1196	..	..
	जुलाई से सितम्बर 1981	1939	..	..

भारत सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी सलाहकार समिति नें अपने प्रतिवेदन (जून 1972) में मत व्यक्त किया कि ओवरहाल किये बिना ब्वायलर को लम्बी अवधितक परिचालन में रखना उचित नहीं था क्योंकि यह कीमती प्रतिस्थापन को आवश्यक करते हुए अनार्थिक एवं अकुशंल उत्पादन तथा अधिक बंदियों का योगदन करेगा। इसलिए प्रत्येक तीन वर्ष में वार्षिक अनुरक्षण के अलावा दो वृहत ओवरहालिंग करना आवश्यक है। परन्तु, सम्परीक्षा में यह देखा गया कि इकाई I के ब्वायलरों का 1979-80 में तथा इकाई IV के 1979-80 तथा 1980-81 में वार्षिक अनुरक्षण नहीं किया गया। इकाई IV की वृहत् ओवरहालिंग भी नहीं की गयी यद्यपि यह 1981-82 में अपेक्षित थी ।

(vi) यह भी देखा गया कि जहां वृहत् ओवरहालिंग तथा वार्षिक अनुरक्षण भी किया गया ओवर हालिंग/अनुरक्षण के तुरन्त बाद अधिकाधिक बंदियों के परिणाम वाले ब्रेकडाउन निम्न दिये गये विवरण के अनुसार बार-बार होते रहे :

इकाई	अवधि	ओवरहालिंग/ अनुरक्षण लिये गये घंटे	बाद की अवधि	बंदियां बंदियों के घंटे	उत्पादन की हानि (यूनिट एम के डब्लू एच में)	राजस्व की हानि (रुपये लाखों में)	बंदी का कारण
I	जुलाई से अक्टूबर 1980	2241	दिसम्बर 1980 से जनवरी 1981	600	10.44	32.94	टर्बाइन में खराबी
	अगस्त से अक्टूबर 1981	986	दिसम्बर 1981 जनवरी 1982	752	13.08	48.40	टबाइन में खराबी
II	जुलाई से सितम्बर 1979	1072	सितम्बर 1979	115	2.21	6.97	,,
III	जुलाई से दिसम्बर 1979	3760	अप्रैल से जून 1980	748	41.14	129.80	ब्वायलर ट्यूब में लीकेज

7.06. संयत्र की विफलता तथा क्षतियां

शक्ति स्टेशन की सभी चार इकाइयां संयंत्रों के चालू किये जाने के पश्चात् कतिपय अवसरों पर संयंत्र विफलता तथा क्षतियों से ग्रसित हुईं। सम्परीक्षा (जुलाई 1982) में यह अनुमान है कि वृहत् विफलताओं तथा क्षतियों के कारण शक्ति स्टेशन ने 1976 से 1982 की अवधि के दौरान लगभग 4692.24 लाख यूनिट (अनुमानित राजस्व: 1199.20 लाख रुपये) की उत्पादन में हानि उठायी।

7.06.01 .इकाई I

जनरेटर स्टेटर तथा अनुषंगी ट्रांसफार्मर में आग

26 सितम्बर 1976 को इकाई I एक कालिक भारी भूमिदोष (अर्थ फाल्ट) के कारण इसके जनरेटर स्टेटर तथा 4 एम वी ए के अनुषंगी ट्रांसफार्मर में आग लग जाने के परिणामस्वरूप विफल हो गयी। इकाई को स्टेटर तथा ट्रांसफार्मर की क्रमशः 15.67 लाख रुपये तथा 0.75 लाख रुपये की लागत पर मरम्मत करने के उपरांत 10 अप्रैल 1977 को बार पर लाया गया।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा गठित (सितम्बर 1976) तीन स्थानीय अधीक्षण अभियंताओं की एक जांच समिति ने अन्य बातों के अलावा प्रतिवेदित किया कि (i) अनुषंगी ट्रांसफार्मर का संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उचित रीति से डिजाइन नहीं किया गया था, (ii) स्टेटर के तुरंत साथ लगे हुए संवेदनशील विद्युत-चुम्बकीय करेंट रिले को जनरेटर की अग्नि सुरक्षा प्रणाली परिचालित नहीं करती थी और परिचालित करने में 20 मिलिसेकेन्ड के बजाय कई सेकेन्ड लग जाते थे जिसके परिणामस्वरूप इकाई तुरन्त ट्रिप न होकर क्षतिग्रस्त हो जाती थी, (iii) असमिति (एसीमेट्री) हेतु कोई ट्रिपिंग सुरक्षा नहीं थी तथा (iv) नियंत्रणकक्ष वातानुकूलित नहीं था।

परिषद् द्वारा (i) क्षति के कारणों की जांच करने (ii) उत्तरदायित्व निश्चित करने तथा (iii) निवारक उपायों का सुझाव देने हेतु गठित (अप्रैल 1977) समिति का प्रतिवेदन सम्परीक्षा को उपलब्ध नहीं किया गया (मार्च 1983)।

रोटर की मरम्मत के लिये 13.10 लाख रुपये की एक मुश्त धनराशि पर बम्बई की एक फर्म को आदेश दिया गया (अक्टूबर 1976)। 29 दिसम्बर 1976 को (अर्थात् अनुबंधित सुपुर्दगी की अन्तिम तिथि के चार दिन पूर्व), फर्म ने इस आधार पर कि निर्माताओं द्वारा लैमिनेसन के कम्प्रेसन अपर्याप्त थे, लैमिनेसन के एक हिस्से की ठीक करने के लिये (आदेश की सीमा के अन्तर्गत नहीं था) 2.57 लाख रुपये के अतिरिक्त धन की मांग की। मांग स्वीकार कर ली गयी। फर्म ने 31 मार्च 1977 को मरम्मत पूरी कर दी तथा इकाई को 10 अप्रैल 1977 को पुनः चालू कर दिया गया। फर्म ने काम को पूरा करने के लिये 3 महीने की नियत अवधि के विरुद्ध छः महीने से अधिक का समय लिया। बढ़े हुए समय के दौरान 89.40 लाख रुपये की राजस्व हानि को निहित करते हुए विद्युत उत्पादन की हानि 445.98 लाख यूनिट (60 प्रतिशत भार तत्व पर) अनुमानित की गयी।

7.06.02. इकाई II

(i) जनरेटर रोटर की क्षति

इकाई II ने, जो जुलाई 1968 में चालू हुई थी दिसम्बर 1976 में रोटर अर्थफाल्ट का सामना किया। इसको एकल अर्थफाल्ट प्रोटेक्शन के साथ चलने दिया गया। परन्तु, रोटर अर्थफाल्ट के कारण इकाई जनवरी 1977 में पुनः ट्रिप कर गयी। भेल को सौंपा गया (फरवरी 1977) मरम्मत कार्य जून 1977 में 2.64 लाख रुपये की लागत पर पूर्ण हुआ तथा इकाई बार पर पहली जुलाई 1977 को लायी गयी। जनवरी से जून 1977 तक अनुमानित उत्पादन हानि (60 प्रतिशत भार तत्व पर) 147.46 लाख रुपये के राजस्व हानि को निहित करते हुए 737.28 लाख यूनिट होती थी।

(ii) स्टेटर अर्थफाल्ट

अगस्त 1978 में इकाई II इसके स्टेटर में अर्थफाल्ट के कारण विफल हो गयी तथा 18 सितम्बर 1978 तक बंद रहीं। बम्बई की एक फर्म जिन्होंने स्टेटर के क्वायल का 0.33 लाख रुपये की लागत पर मरम्मत किया, सूचित किया (अगस्त 1978) कि टर्बाइन की तरफ अंत में जमा तेल की परस्पर-क्रिया विटुमिन को नष्ट करती थी जिसके परिणाम स्वरूप क्वायल पंचर हो जाता था। 48 दिनों में उत्पादन हानि, जब इकाई बंद रही, राजस्व हानि : 59.06 लाख रुपये को अंतर्ग्रस्त करते हुए 221.18 लाख यूनिट होती थी। त्रुटियों का कारण तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये कोई जांच नहीं बैठाया गया।

(iii) केबुल वीथी में आग

8 जुलाई 1980 को 32 मेगावाट सेट के केबुल वीथी में शक्ति एवं नियंत्रण केबुलों की क्षति के परिणाम की आग लग गयी। इकाई I का जो कि 2 जुलाई 1980 से वार्षिक ओवरहालिंग के लिये बंद रही परिचालन प्रभावित नहीं हुआ परन्तु, इकाई II

तुरंत ही विफल हो गयी। ये दोनों इकाइयां मरम्मत तथा वार्षिक ओवरहालिंग के बाद क्रमशः 2 तथा 28 अक्टूबर 1980 को बार पर लायी गयी। परिषद् द्वारा गठित (जुलाई 1980) एक जांच समिति ने प्रतिवेदन दिया कि आग, पम्पर-स्टेशन ट्रांसफार्मर तथा 5 एम बी ए ट्रांसफार्मर में अधिक करेंट विकसित हो जाने तथा अनेक अर्थ फाल्ट के कारणों से शुरू हुई। समिति ने यह भी मन्तव्य दिया कि यदि शक्ति केबुल तथा नियंत्रण केबुल को विभिन्न नालियों/रैकों में परिषद् के आदेशानुसार बिछाया गया होता तो आग लगने को बचाया जा सकता था।

मरम्मत तथा प्रतिस्थापन की लागत की धनराशि 18.88 लाख रुपये हुई जिसके लिये बीमा कम्पनी को दावा प्रस्तुत किया गया (दिसम्बर 1980) परन्तु, बीमा कम्पनी के सर्वेक्षक ने हानि का निर्धारण हासित मूल्य (5.74 लाख रुपये) पर की (नवम्बर 1981)। निर्धारित की गयी धनराशि, स्क्रेप के परिषद् द्वारा निस्तारणाधीन होने से प्राप्त नहीं हुई थी (फरवरी 1983)।

(iv) टर्बो-जनरेटर का विस्फोट

10 अगस्त 1981 को टर्बो-जनरेटर में एक विस्फोट के परिणाम स्वरूप इकाई II विफल हो गयी। परिषद् द्वारा गठित (अगस्त 1981) एक जांच समिति ने यह मन्तव्य दिया (सितम्बर 1982) कि जनरेटर तथा टर्बाइन शाफ्ट का टूटना परिणाम-स्वरूप भारी क्षति पहुंचना, प्रणाली में गड़बड़ी तथा जनरेटर का कम आवृत्ति पर परिचालन के द्वारा मशीन पर थोपी गयी बहुत भारी तथा बार-बार के ऐंठन के कारण घटित हुआ। समिति ने बताया कि आवृत्ति के इतना नीचे स्तर पर गिरने के पूर्व प्रणाली के भार को कम करने का प्रयत्न आवश्यक था। समिति द्वारा प्राप्त नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर के प्रतिवेदन के अनुसार शाफ्ट की सामग्री में कुछ गैर-धात्विक समावेश थे, जो उनके सामान्य श्रान्ति आयु को कम करने के दोषी थे तथा निम्न दबाव रोटर उचित रूप से साकित (प्रोसेस्ड) तथा ताप शोधित नहीं था।

गवर्निंग प्रणाली की मरम्मत तथा सिलिन्डर टर्बाइन के प्रतिस्थापन के लिये एक पश्चिम जर्मन फर्म (टर्बाइन) तथा भेल (जनरेटर) को क्रमशः अगस्त तथा दिसम्बर 1982 में आदेश दिये गये थे। अंतर्ग्रस्त अनुमानित लागत 675.59 लाख रुपये है। आपूर्तियां प्रतीक्षित थीं (फरवरी 1983)।

सी इ ए की सहमति से जनवरी 1982 में शक्ति स्टेशन की स्थापित क्षमता से इकाई की क्षमता निकाल दी गई। इस निकाले जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन की दैनिक हानि लगभग 4.61 लाख यूनिट है।

7.06.03. जनरेटर रोटर को क्षति

35 लाख रुपये में भेल से इकाई III के लिये क्रय किया गया (अगस्त 1974) तथा नवम्बर 1976 में चालू किया गया एक जनरेटर रोटर जनवरी 1977 में आकस्मिक मोटरिंग के कारण

अधिक गर्म हो गया। रोटर को भेल द्वारा निरीक्षण हेतु निकाल लिया गया (सितम्बर 1977) जिन्होंने परिषद् को,टर्बाइन को अधिक क्षति से बचाने के लिये रोटर को अब और इस्तेमाल न करने का सुझाव दिया। इकाइयों को बार पर लाने के दृष्टिकोण से, चेयरमैन के अनुमोदन (सितम्बर 1977) से, भेल से 28.50 लाख रुपये में एक पुराना तथा रिकन्डीसन्ड अन्य रोटर खरीदा गया (अक्टूबर 1977)।

परिषद् तथा भेल के एक संयुक्त जांच (सितम्बर 1978) ने क्षति का कारण, भेल द्वारा आपूर्ति तथा चालू किय गये 220 के वी एयर ब्लास्ट सरकिट ब्रेकर के फ्लेंज जोड़ों में रबर गास्केट की विफलता बताया।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने मेल को सूचित किया (सितम्बर 1978) कि रबर गास्केट रोटर को क्षति पहुंचाते हुए गारंटी की अवधि के भीतर ही विफल हो गया था (जनवरी 1977)। भेल ने रबर गास्केट को (लागत लगभग 300 रुपये) तो बदल दिया परन्तु रोटर की परिणामी क्षति का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। परिषद् ने इस प्रकार, एक छोटे से मद गास्केट वह भी गारन्टी अवधि के भीतर विफल हो जाने के परिणामस्वरूप रोटर को हुई क्षति के कारण, 25.83 लाख रुपये की हानि उठायी (भेल द्वारा रख लिये गये पुराने रोटर के कबाड़ मूल्य 2.67 लाख रुपये को छोड़कर)।

7.06.04. इकाई IV

(i) जनरेटर/ट्रांसफार्मर का समयपूर्व विफल हो जाना

केरल की एक फर्म से 31.50 लाख रुपये में खरीदा हुआ (1976) तथा मार्च 1977 में चालू किया गया 125 एम वी ए का एकजनरेटर ट्रांसफार्मर इसके एक सिंगिलफेज के लो वोल्टेज क्वायल को क्षति पहुंचाते हुए मई 1978 में ट्रिप कर गया जिसके परिणामस्वरूप इकाई IV विफल हो गयी। परिषद् तथा आपूर्ति कर्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण (सितम्बर 1978) में, क्षति का कारण तांबे के तारों में या इनके इन्सुलेसन में निर्माण त्रुटियां बताया। आपूर्तिकर्ताओं ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत निष्प्रभार किया (जुलाई 1978 से जनवरी 1979) तथापि, परिषद् ने 8.43 लाख रुपये का व्यय इनके ढुलाई (8.11 लाख रुपये) तथा मार्गस्थ बीमे (0.32 लाख रुपये) पर किया। इस प्रकार निर्माण दोषों के कारण ट्रांसफार्मर के विफल हो जाने के परिणामस्वरूप 12 मई 1978 से 15 फरवरी 1979 (वार्षिक ओवर हालिंग के लिये 3 महीना छोड़कर) की अवधि के दौरान 669.64 लाख रुपये के राजस्व हानि को निहित करने वाले 2508 लाख यूनिट की उत्पादन हानि के अतिरिक्त 8.43 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ii) स्टेटर अर्थफाल्ट

26 दिसम्बर 1979 को इकाई IV इसके टर्बो-जनरेटर पर स्टेटर अर्थ फाल्ट के कारण विफल हो गयी। परिषद् ने क्षति की स्थिति को पहुंचाने वाली परिस्थितियों की जांच के लिये एक जांच समिति गठित की (जनवरी 1980)। परन्तु, समिति का कोई प्रतिवेदन सम्परीक्षा को उपलब्ध नहीं किया गया। प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता ने प्रतिवेदित किया (जनवरी 1980) कि क्षति का कारण जनरेटर में तप्त स्थल तथा कम्पन के परिणाम वाले ढीले लैमिनेशन

थे, जनरेटर की भेल द्वारा 1.46 लाख रुपये में मरम्मत की गयी (फरवरी 1980) तथा 24 फरवरी 1980 को बार पर लाया गया। क्षति के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं निश्चित किया गया था यद्यपि इस इकाई के विफल हो जाने से राजस्व हानि : 233.64 लाख रुपये निहित करते हुए 778.80 लाख यूनिट की उत्पादन हानि हुई।

7.06.05. इकाई III तथा IV के लिये अनुषंगी ट्रान्सफार्मर

110 मेगावाट सेटों के जनरेटर को सुरक्षित अनुषंगी आपूर्ति हेतु बम्बई की एक फर्म से 10 लाख रुपये में खरीदा तथा मई 1976 में चालू किया गया 16 एम वी ए का ट्रांसफार्मर इसके टैप चेंजर तथा दो फेज की वाइन्डिग को क्षति पहुंचाते हुए जनवरी 1978 में ट्रिप कर गया। 35 वर्ष की मानक आयु के विरुद्ध डेढ़ वर्षों के भीतर ट्रन्सफार्मर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सुनिश्चित नहीं किये गये थे। आपूर्तिकर्ताओं ने इस ट्रांसफार्मर की मरम्मत जून से सितम्बर 1978 के दौरान की। ट्रांसफार्मर के समयपूर्व विफल हो जाने से भाड़े, बीमा, तथा मरम्मतकर्ता फर्म द्वारा रोक लिये गये तांबा स्क्रेप की कीमत को जोड़कर मरम्मत पर व्यय की धनराशि 3.10 लाख रुपये हुई।

7.07. अनुषंगियो में विद्युत का अधिक उपभोग

उत्पादित ऊर्जा का एक भाग अनुषंगियों में खपत हो जाता है तथा विक्रय के लिये उपलब्ध नहीं है। 32 मेगावाट तथा 110 मेगावाट सेटों के परियोजना प्राक्कलनों में उत्पादन के 8 प्रतिशत की दर पर अनुषंगी खपत का प्राविधान था। परियोजना प्रतिवेदन में अनुमानित उत्पादन स्तर पर 110 मेगावाट सेटों में अनुषंगी वार्षिक खपत 96.80 एम के डब्लू एच से अधिक नहीं होनी चाहिये। तथापि, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान 110 मेगावाट सेटों में मानक से अधिक खपत हुई। विक्रय योग्य ऊर्जा जो उपलब्ध होती, यदि यह अधिक खपत न होती (प्रणाली हानियों को घटाने के बाद) तो 136.72 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व वर्ष 1980-81 (65.33 लाख रुपये) तथा 1981-82 (71.39 लाख रुपये) के दौरान और लाती।

निम्न सारणी 1981-82 तक तीन वर्षों के लिये 110 मेगावाट सेटों के संबंध में अनुषंगी खपत के तुलनात्मक आंकड़े प्रदर्शित करती है :

विवरण	1979-80	1980-81	1981-82
	(एम के डब्लू एच)		
परियोजना प्रतिवेदन में अनुमानित उत्पादन	1210.0	1210.0	1210.0
वास्तविक उत्पादन	729.9	909.6	918.2
अनुषंगी में वास्तविक खपत	91.7	119.7	120.5
अनुमानित उत्पादन के 8 प्रतिशत की दर पर मानक अनुषंगी खपत	96.8	96.8	96.8
अधिक खपत	..	22.9	23.7
विक्रय योग्य ऊर्जा जो उपलब्ध होती यदि प्रणाली हानियों को घटाने के बाद अधिक खपत न होती	..	19.3	19.2
	(रुपये लाखों में)		
अधिक खपत के कारण राजस्व हानि	..	63.33	71.04

7.08. सामग्रियो का अधिक उपभोग

कोयला, विद्युत् उत्पादन के लिये आवश्यक मुख्य कच्चा माल है। 1981-82 के दौरान यह 32 मेगावाट तथा 110 मेगावाट सेटों में उत्पादन लागत का क्रमशः 49.4 तथा 57.2 प्रतिशत रहा। उत्पादन के लिये अन्य आवश्यक सामग्रियां ईंधन तेल, टर्बाइन तेल तथा कोयले का चूर्णन करने के लिये कुट्टित इस्पात गेंद इत्यादि हैं।

सम्परीक्षा (जून 1982) में यह देखा गया कि इन मदों के परियोजना प्रतिवेदनों में प्रस्तावित मानक उपभोग की तुलना में, संयंत्र परिचालन के प्रारंभ, से समग्र अवधि में, वास्तविक उपभोग अत्यधिक रहा।

7.08.01. कोयले की खपत

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (सितम्बर 1962) के अनुसार, 32 मेगावाट सेटों के ब्वायलर, 4446 से 5112 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम के कैलोरी मूल्य वाले श्रेणी "सी" कोयले को जलाने के लिये डिजाइन किये हुए थे तथा खपत 0.635 किलोग्राम प्रति के डब्लू एच प्राविधानित था। तथापि शक्ति स्टेशन ने 5794 से 6198 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम के कैलोरी वाले श्रेणी "ए" के कोयले का उपयोग किया जिसकी आवश्यकता अधीक्षण अभियन्ता (डिजाइन तथा निर्माण) द्वारा 0.50 किलोग्राम प्रति के डब्लू एच आंकी गयी थी (अक्टूबर 1967)। इसके विरुद्ध, वास्तविक उपभोग 1972-73 में 0.53 किलो ग्राम प्रति के डब्लू एच से 1981-82 में प्रति के डब्लू एच 0.63 किलोग्राम (दोनों ही दशाओं में प्रति किलोग्राम 5794 किलो कैलोरी के कलोरी मूल्य के कोयले) रहा।

110 मेगावाट इकाइयों के मामले में परियोजना प्रतिवेदन (मई 1970) में 4500 किलो कैलोरी के कैलोरी मूल्य वाले 0.60 किलोग्राम प्रति के डब्लू एच श्रेणी 'सी' के कोयले की खपत का प्राविधान था जिसके विरुद्ध 4658 से 5418 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम (भारित औसत 5058 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम) के कोयले के साथ वास्तविक खपत 1976-77 से 1981-82 तक 0.61 किलोग्राम (1977-78) से 0.77 किलोग्राम (1981-82) प्रति के डब्लू एच भिन्न-भिन्न रहीं।

32 मेगावाट सेट के लिये प्रति के डब्लू एच 0.50 किलोग्राम तथा 110 मेगावाट सेट के लिये प्रति के डब्लू एच 0.60 किलोग्राम कोयले के मानक खपत के आधार पर 1981-82 तक पांच वर्षों के दौरान कोयले की अधिक खपत क्रमशः 1.78 लाख मीटरी टन (लागत: 340.25 लाख रुपये) तथा 4.58 लाख मीटरी टन (लागत: 947.84 लाख रुपये) निकलती है। कोयले की अधिक खपत का कारण प्रबंधकों द्वारा विश्लेषित नहीं किया गया था (मार्च 1983)।

तथापि, सम्परीक्षा में यह देखा गया कि अधिक खपत के लिये उत्तरदायी तत्वों में एक लीकेज के कारण वाष्प की अधिकाधिक हानि थी। हानि की पूर्ति के लिये पूरक जल के रूप में गैरखनिजीकृत जल का उपयोग किया जा रहा था। मानक के अनुसार गैर खनिजीकृत जल का उपयोग आवश्यक वाष्प के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। इस मानक से अधिक किंचित खपत कोयले की समवर्ती अधिक खपत को अंतर्ग्रस्त करते हुए वाष्प की बरबादी इंगित करता था।

1981-82 तक तीन वर्षों की अवधि के दौरान गैर खनिजीकृत जल का वास्तविक उपभोग 32 मेगावाट सेटों के मामले में 5.4 से 8.6 प्रतिशत के बीच तथा 110 मेगावाट सेटों के मामलों में 6.4 से 7.1 प्रतिशत हुआ। यह आंका जाता है कि 1981-82 तक तीन वर्षों की उक्त अवधि में कोयला की परिणामिक अधिक खपत 0.44 मीटरी टन (लागत 97.69 लाख रुपये) होती थी।

7. 08. 02. ईंधन तेल की खपत

हल्के डीजल तेल तथा भट्टी तेल

(i) जब भी उत्पादन स्थापित क्षमता से 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो ब्वायलर की भट्टी को चालू करने के लिये, (ii) ठंड तथा भार रहित दशाओं में ब्वायलर को चालू करने के लिये तथा (iii) कोयले में उच्च आर्द्रता या क्षरण या बाधाओं के कारण भट्टी में अस्थायित्व को नियंत्रित करने इत्यादि के लिये गौण ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ।

32 मेगावाट सेटों के लिये परियोजना प्राक्कलन (अक्टूबर 1966) ने संयंत्रों के परिचालन के लिय ईंधन तेल की आवश्यक मात्रा को इंगित नहीं किया था । तथापि, वास्तविक खपत 1974–75 से 1981–82 तक 9. 7 किलो लीटर (1974–75) से 27. 22 किलो लीटर (1977–78) प्रति एम के डब्लू एच भिन्न-भिन्न रहीं । निम्न तालिका 32 मेगावाट सेटों के संबंध में 1974–75 से ईंधन तेल के खपत की स्थिति इंगित करती है :

वर्ष	उत्पादित ऊर्जा (एम के डब्लू एच)	खपत ईंधन/तेल (किलो लीटर)	
		कुल	प्रति एम के डब्लू एच उत्पादन पर
1974–75	405	3933	9.70
1975–76	358	5576	15.58
1976–77	225	2898	12.90
1977–78	326	8879	27.22
1978–79	317	6195	19.55
1979–80	352	8307	23.60
1980–81	292	5371	18.40
1981–82	224	5132	22.90

सारिणी में यह देखा जायेगा कि खपत की स्थिति उत्पादित ऊर्जा से संबंध न रखते हुए विस्तृत रूप से भिन्न-भिन्न रही । तथापि, निम्न प्रसंग ध्यान देने योग्य है :

(i) 1976–77 (225 एम के डब्लू एच) तथा 1981–82 (224 एम के डब्लू एच) में लगभग एक ही उत्पादन स्तर पर प्रति एम के डब्लू एच खपत में 12. 90 किलो लीटर से 22.90 किलो लीटर तक भिन्नता थी ।

(ii) इसी प्रकार, 1975–76 में 358 एम के डब्लू एच के विरुद्ध प्रति एम के डब्लू एच खपत 15. 58 किलो लीटर थी परन्तु 1979–80 में 352 एम के डब्लू एच के विरुद्ध यह बढ़ कर प्रति एम के डब्लू एच 23. 60 किलो लीटर हो गयी ।

1974–75 में प्रति एम के डब्लू एच 9. 70 किलो लीटर को आधार स्तर पर मानक मानते हुए 1975–76 से 1981–82 तक अधिक खपत की मात्रा, 320 लाख रुपये मूल्य की, 0. 22 लाख किलो लीटर होती थी ।

110 मेगावाट सेटों के लिये परियोजना प्राक्कलन (मार्च 1977) में ईंधन तेल की खपत कोयले की खपत की कुल लागत की पांच प्रतिशत तक प्राविधानित थी । यह 1976–77 में ईंधन तेल के मूल्य स्तर पर प्रति एम के डब्लू एच लगभग 3 किलो लीटर आती है ।परन्तु, तेल का वास्तविक उपभोग प्रति एम के डब्लू एच 21. 72 किलोलीटर (1977–78) से 9. 10 किलो लीटर (1981–82) भिन्न-भिन्न रहा । 3 किलो लीटर को मानक मानने पर 1977–78 से 1981–82 तक की अवधि के दौरान अधिक खपत, 639. 19 लाख रुपये के लागत की, 0. 43 लाख किलो लीटर होती है ।

परिषद् ने वर्षानुवर्ष उपभोग स्तर में असाधारण भिन्नता तथा अधिक खपत की जांच नहीं किया है (फरवरी 1983)।

7.08.03. टर्बाइन तेल की खपत

दोनों संयंत्रों (32 मेगावाट तथा 110 मेगावाट) के प्रत्येक के पास दो टर्बोसेट हैं। इन सेटों के परिचालन के लिये टर्बाइन तेल की आवश्यकता होती है। 32 मेगावाट सेटों के लिये अभिलेख पर कोई भी उपभोग मानक उपलब्ध नहीं है। परन्तु, 110 मेगावाट सेट के लिये स्थापना परिचालन नियमावली में प्रत्येक टर्बोसेट के प्रतिघंटा परिचालन के लिये 0.38 किलोग्राम (अर्थात् 0.40 लीटर) टर्बाइन तेल के खपत की व्यवस्था है। परन्तु, 1978-79 से 1981-82 की अवधि के दौरान टर्बाइन तेल का वास्तविक उपभोग 32 मेगावाट सेटों के मामले में प्रति घंटा 0.48 से 0.78 लीटर तक तथा 110 मेगावाट सेटों के मामले में 1.97 से 8.10 लीटर प्रति घंटा तक भिन्न-भिन्न रहा।

प्रबन्धकों ने बताया (सितम्बर 1982) कि (i) 32 मेगावाट सेटों में तेल की खपत क्रियात्मक सीमा के अन्दर ठीक रही, (ii) 110 मेगावाट सेटों के लिये नियमावली में इंगित खपत मानक (0.40 लीटर) घंटा भारत में जलवायु संबंधी दशाओं के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं था तथा (iii) उच्चतर खपत चुअन के कारण थी जिसको ठीक नहीं किया जा सकता था क्योंकि मशीनें मात्र इस उद्देश्य के लिये बंद नहीं की जा सकती थीं।

प्रबंधकों का उत्तर खपत की दरों में वर्षानुवर्ष विस्तृत भिन्नताओं को स्पष्ट नहीं करता है। यह भी नहीं स्पष्ट करता है कि वार्षिक अनुरक्षण हेतु बंदी की साधारण अवधि तथा वृहत ओवरहालिंग तथा त्रुटियों के सुधार तथा मरम्मत की अवधियों में उपर्युक्त चुअन को क्यों नहीं ठीक किया जा सकता था।

1978-79 में खपत के स्तर की तुलना में 1981-82 तक तीन वर्ष की अवधि में टर्बाइन तेल की अधिक खपत 32 मेगावाट के मामले में 0.04 लाख लीटर (लागत: 0.48 लाख रुपये) तथा 110 मेगावाट के मामले में 1.21 लाख लीटर (लागत: 711.89 लाख रुपये) होती है।

7.08.04. कुट्टित इस्पात गेंदों की खपत

110 मेगावाट सेटों के दो ब्वायलरों के, प्रत्येक के साथ तीन कोयला मिले (अतिरिक्त के रूप में एक को सम्मिलित करते हुए) हैं। इन कोयला मिलों में कुट्टित इस्पात की गेंदे कोयले को चूर्ण बनाने के काम में लायी जाती हैं।

स्थापना परिचालन नियमावली के अनुसार इस्पात गेंदों की आवश्यकता प्रारंभिक भराव हेतु प्रति मिल 40 मिमी की 22.50 मीटरी टन, 50 मिमी की 22 मीटरी टन, तथा 60 मिमी की 10 मीटरी टन तथा परिचालन के दौरान प्रति सप्ताह, 60 मिमी के गेंद की 500 किलोग्राम होगी। इस दर पर गणना करने से 60 ममी के गेंदों की वार्षिक आवश्यकता 156 मीटरी टनों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

इस उल्लिखित मानक के विरुद्ध 1981-82 तक चार वर्षों तक के दौरान इस्पात गेंदों का उपभोग निम्न प्रकार से था :

वर्ष	गेंदों का उपभोग		
	40 मिमी	50 मिमी (मीटरी टनों में)	60 मिमी
1978-79	..	..	188.00
1979-80	123.76	28.00	150.00
1980-81	11.28	18.72	372.23
1981-82	10.00	..	378.88

प्रबंधकों द्वारा यह बताया गया था (सितम्बर 1982) कि 40 मिमी तथा 50 मिमी के गेंदों का उपभोग मुख्य तौर पर संयंत्रों के नवीकरण/वृहत् ओवरहालिंग के दौरान किया गया। परन्तु, यह स्पष्ट नहीं था कि क्यों 40 मिमी तथा 50 मिमी के गेंदों की खपत नियमावली में इंगित किये प्रारंभिक भराव स्तर की अपेक्षा अधिक थी। अकेले 1979-80 के दौरान निश्चित किये गये मानक की तुलना में अधिक खपत 5.36 लाख रुपये की थी (107.26 मीटरी टन)।

जहां तक 60 मिमी के गेंदों का संबंध है परिचालन के दौरान 156 मीटरी टन की वार्षिक आवश्यकता की तुलना में 1981-82 तक तीन वर्षों के दौरान अधिक खपत का योग 30.38 लाख रुपये की लागत का 471 मीटरी टन था। परिषद् ने अधिक खपत के कारणों की जांच नहीं की थी (फरवरी 1983)।

7.09. तापीय कुशलता

सम्परीक्षा (जून 1982) के दौरान यह देखा गया कि 32 मेगावाट सेटों द्वारा तापीय कुशलता (उत्पादन में प्रयुक्त ईंधन में निहित उष्ण ऊर्जा में इनपुट का, प्रतिशत के रूप में, विद्युतीय ऊर्जा का आउटपुट) की वास्तविक उपलब्धि संयंत्रों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गारंटी की गयी कुशलता से कम थी। 110 मेगावाट के सेटों के मामले में तापीय कुशलता से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी।

1981-82 तक के तीन वर्षों के लिये संबंधित विवरण नीचे दिये जाते हैं :

विवरण	गारन्टी की गई तापीय कुशलता	कुशलता की वास्तविक उपलब्धि		
		1979-80	1980-81	1981-82
			(प्रतिशत)	
32 मेगावाट सेट	29	21.4	22.1	22.2
110 मेगावाट सेट	उपलब्ध नहीं	23.3	23.2	22.9

32 मेगावाट सेट के मामले में निर्माताओं द्वारा गारन्टी की गई तापीय कुशलता की उपलब्धि न होने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था (फरवरी 1983)।

7.10. उत्पादन की लागत

32 मेगावाट सेटों (अक्टूबर 1966) तथा 110 मेगावाट सेटों (मार्च 1977) के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में यह प्राविधानित था कि उत्पादन लागत प्रति यूनिट क्रमशः 6.05 पैसे तथा 14.92 पैसे होगी। इसके विरुद्ध प्रबंधकों की गणना के अनुसार 1981-82 तक तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन लागत निम्न थी :

विवरण	32 मेगावाट सेट				110 मेगावाट सेट			
	परियोजना प्राविधान	1979-80	1980-81	1981-82	परियोजना प्राविधान	1979-80	1980-81	1981-82
			(पैसे प्रति ऊर्जा यूनिट)					
कोयला	3.24	12.82	14.94	19.65	7.17	13.76	17.72	23.42
ईंधन तेल	..	3.04	3.32	7.37	0.36	1.69	2.59	3.07
ह्रास	0.77	1.39	1.65	2.11	2.20	3.25	2.74	2.61
ब्याज	1.66	2.09	2.42	2.98	3.93	6.93	5.62	5.40
उत्पादन कर	..	1.35	1.35	1.35	..	1.35	1.35	1.35
स्थापना, परिचालन तथा अनुरक्षण व्यय	0.38	3.48	5.59	6.27	1.26	5.46	5.65	5.11
कुल लागत	6.05	24.17	29.27	39.73	14.92	32.50	35.67	40.96

विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत लागत में उल्लिखित वृद्धि परिषद् द्वारा विश्लेषित नहीं की गयी थी। तथापि, सम्परीक्षा में यह देखा गया (जून 1982) कि 32 मेगावाट सेट (अक्टूबर 1966) तथा 110 मेगावाट सेट (मार्च 1977) के पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रतिवेदनों में कोयला तथा ईंधन तेल को छोडकर परिचालन तथा अनुरक्षण लागत क्रमशः 15.77 लाख रुपये तथा 140 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुमानित की गयी थी इसके विरुद्ध 1981-82 तक तीन वर्षों के दौरान शक्ति स्टेशन के परिचालन तथा अनुरक्षण व्यय की धनराशि क्रमशः 442.88 लाख रुपये, 581.60 लाख रुपये तथा 517.22 लाख रुपये हुई।

7.11 शक्ति स्टेशन पर लगी जनशक्ति का एक विश्लेषण तथा मजदूरों तथा कर्मचारियों के आवंटन से संबंधित दृष्टिगोचर हुई अन्य बातें नीचे दी जाती हैं :

7.11.01 32 मेगावाट सेटों (1962) तथा 110 मेगावाट सेटों (1970) के परियोजना प्राक्कलनों में परिचालन तथा अनुरक्षण हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता 428 (7.1 प्रति मेगावाट) तथा 502 (2.3 प्रति मेगावाट) व्यक्ति प्राविधानित थी जो 32 मेगावाट सेटों (1966) तथा 110 मेगावाट सेटों (1977) के पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलनों में बढ़ा कर क्रमशः 529 (8.3 प्रति मेगावाट) तथा 1347 (6.1 प्रति मेगावाट) व्यक्ति कर दी गयी।

पुनरीक्षित प्राक्कलन में कर्मचारियों की संख्या में उर्ध्वमुखी पुनरीक्षण के कोई कारण अभिलेख पर नहीं थे।

निम्न सारिणी 1981-82 तक तीन वर्षों के दौरान वास्तविक रूप से नियुक्त किये गये कर्मचारियों तथा शक्ति स्टेशन पर समग्र कार्मिक तत्व *को इंगित करती है :

वर्ष	कर्मचारियों की आवश्यक संख्या	वास्तविक रूप से नियुक्ति कर्मचारियों की संख्या			कार्मिक तत्व	
		नियमित	स्थायी मस्टर रोल	योग	पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन	वास्तविक
1979-80	1876	1740	199	1939	6.6	6.8
1980-81	1876	1740	203	1943	6.6	6.8
1981-82	1876	1730	194	1924	6.6	6.8

जहां तक मस्टररोल मजदूरों का संबंध है परिषद् ने उनकी सेवायें समाप्त करने के लिये निर्देश निर्गत किये (जनवरी 1979) तथा तदनुसार प्रबंधकों ने नियत प्राधिकारी के पास छटनी के लिये एक आवेदन प्रस्तुत किया (मई 1979), परन्तु, जिसने छटनी की अनुमति देने से इन्कार कर दिया (अगस्त 1979)। उसके पश्चात् प्रबंधकों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की (नवम्बर 1979); मस्टररोल मजदूरों का मामला न्यायालयाधीन था (फरवरी 1983)। इसी बीच, उक्त याचिका के विचाराधीन होने के दौरान मस्टररोल मजदूरों ने सेवा की नियमितता, छुट्टी तथा वेतन इत्यादि की सुविधाओं की मांग की तथा यह मामला भी औद्योगिक न्यायाधिकरण के सम्मुख निर्णय के लिये विचाराधीन था (फरवरी 1983)।

परिचालन तथा अनुरक्षण पर नियुक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त शक्ति स्टेशन, अनुरक्षण तथा दैनिक कार्यों जिसके लिये पहले से ही नियमित कर्मचारी लगाये गये थे, ठेकेदारों के माध्यम से नियमित रूप से मजदूर (कुशल तथा अकुशल) लगाता रहा था। 1981-82 तक तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के ठेका श्रमिकों की औसत दैनिक नियुक्ति क्रमशः 128, 246 तथा 232 थी।

*कार्मिक तत्व, स्थापित क्षमता के प्रतिमेगावाट पर कार्मिकों की संख्या बताता है।

इसके अतिरिक्त शक्ति स्टेशन में समयोपरि घंटे भी किये गये। इन सब बातों को लेते हुए शक्ति स्टेशन में कर्मचारियों की नियुक्ति की स्थिति निम्न थी :

विवरण	1979-80	1980-81	1981-82
नियमित	1740	1740	1730
स्थायी मस्टररोल	199	203	194
ठेकेदारों के श्रमिक	128	246	232
समयोपरि श्रमिक*	25	75	107
वास्तविक कार्मिक तत्व (प्रति मेगावाट)	7.4	8.0	8.0

विद्युत् तकनीकी समिति ने राज्य सरकार को अपने प्रतिवेदन (दिसम्बर 1972) में संस्तुत किया था कि कार्मिक तत्व, प्रति मेगावाट, 4 के आस पास होनी चाहिये। विद्युत् तकनीकी समिति द्वारा संस्तुत मानक की तुलना में 1981-82 तक तीन वर्षों में अतिरिक्त जनशक्ति का विस्तार 956, 1128 तथा 1127 था।

7.11.02. समयोपरि भुगतान

1981-82 तक तीन वर्षों के दौरान किये गये समयोपरि घंटे तथा भुगतान नीचे सारणीबद्ध किये जाते हैं :

वर्ष	किये गये समयोपरि घंटे (घंटे लाखों में)	भुगतान की धनराशि (रुपये लाखों में)
1979-80	0.72	2.67
1980-81	2.19	12.05
1981-82	3.12	19.00

फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 में यह प्राविधान है कि एक त्रिमास में एक श्रमिक द्वारा किया गया समयोपरि घंटा 50 से अधिक नहीं होना चाहिये। सम्परीक्षा में एक परख जांच (जून 1982) ने प्रकट किया कि इन प्राविधानों के प्रतिकूल, शक्ति स्टेशन ने कुछ खंडों (ब्वायलर अनुरक्षण, टर्बाइन अनुरक्षण, विद्युतीय अनुरक्षण, कोल हैन्डलिंग तथा परिवहन इत्यादि) में उसी श्रमिक/श्रमिकों को एक त्रिमास (जनवरी-मार्च 1982) में नियमित आधार पर 154 घंटों तक लगाये गये, उनकी संख्या 17 से 65 के बीच रही।

7.11.03. ठेका श्रमिक

परिषद् के आदेशों (अक्टूबर 1971) के अनुसार आकस्मिक तथा आपतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दैनिक दर के आधार पर श्रमिकों को लगाया जा सकता था। परन्तु शक्ति स्टेशन ठेकदारी के माध्यम से दैनिक दर पर श्रमिक निरंतर लगाता रहा। इन मजदूरों में कुशल (बिजली मिस्त्री केबुल जोड़ने वाला, फिटर, वेल्डर पेंटर, ड्राइवर, रिगर इत्यादि) तथा अकुशल

*कर्मचारियों द्वारा किये गये समयोपरि को साल भर लगे श्रमिकों के रूप में बदला गया।

(मददगार तथा मजदूर इत्यादि) श्रमिक सम्मिलित हैं। 1981-82 तक तीन वर्षों के दौरान लगाये गये ठेकें श्रमिकों तथा मजदूरी के भुगतान के विवरण निम्न थे :

वर्ष	कुल मानव दिवस (हजारों में)	औसत दैनिक जनशक्ति	मजदूरी का भुगतान (रुपये लाखों में)
1979-80	46.8	128	3.72
1980-81	89.7	246	7.14
1981-82	84.6	232	6.86

ये श्रमिक कार्य की आवश्यकता के बिना उचित आंकलन के, सामान्य तौर पर परिचालन तथा अनु क्षण खंडों में सफाई करने, झाड़ू लगाने, दैनिक अनुरक्षण तथा अन्य कार्यों पर लगाये गये।

इस प्रकार के श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य के प्रगति प्रतिवेदन ठेकेदारों द्वारा तैयार किये जाते थे जिसकें आधार पर उन्हें भुगतान किया जाता था। भुगतान करने के पूर्व खंडीय प्राधिकारियों द्वारा दैनिक उपस्थिति का सत्यापन तथा जहां संभव हो, किये गये कार्य के माप नहीं किये जाते थे।

7.12. भंण्डार सूची नियंत्रण

कोयला तथा भंडार के अन्य मदों की अधि प्राप्ति तथा निर्गमन में दृष्टिगोचर हुए (जून, 1982) महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिये जाते हैं :

(क) कोयला

(i) शक्ति स्टेशन में कोयले की भौतिक रूप से तौल नहीं होती थी तथा प्राप्तियां प्रेषण दस्तावेजों के आधार पर लेखा बद्ध की जाती थीं। दिन प्रतिदिन के उपभोग तथा पुस्तक अवशेषों का लेखा-जोखा उत्पादित यूनिटों के संदर्भ में उपयोग की आंकी हुई दर पर रखा जाता था तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में भौतिक सत्यापन आयतनात्मक माप के आधार पर किया जाता रहा। 1981-82 तक छः वर्षों के दौरान इन पुस्तक अवशेषों के संदर्भ में भौतिक सत्यापन पर पायी गई कमियां/अधिकतायें शुद्ध कमी के रूप में 165.77 लाख रुपये लागत की 88115 मीटरी टन कोयले की प्रदर्शित हुई। परिषद् के लेखाओं में उन्हें भी खपत में मान लिया। इसके परिणाम-स्वरूप यदि कोई छोजन, छुटपुट चोरी, मार्गस्थ हानियां इत्यादि हुई हों, तो उनका पता नहीं लग पाया।

(ii) भारत सरकार के आदेशों (अगस्त 1975) के अनुसार कोयले का मूल्य उष्मा की मात्रा से संबद्ध है। कोयले की आपूर्तियों का विश्लेषण शक्ति गृह की प्रयोगशाला में नमूनों के परीक्षण के आधार पर किया जाता है। 1977-78 से 1981-82 (1977-78 से पूर्व की सूचना उपलब्ध नहीं) के दौरान शक्ति स्टेशन ने कोल इन्डिया लिमिटेड (सी आई एल) से 206.19 लाख रुपये का दावा दायर किया क्योंकि आपूर्त कोयला प्रेषण दस्तावेजों में इंगित की गई किस्म से घटिया पाया गया। दावें सी आई एल द्वारा इस आधार पर स्वीकृत नहीं किये गये कि शक्ति स्टेशन द्वारा नमूने एक तरफा निकाले तथा विश्लेषित किये गये तथा नमूने कोलियरी छोर पर संयुक्त रूप से नहीं निकाले गये। प्रबन्धकों ने संयुक्त रूप से नमूना लेने की कोई प्रक्रिया क्रियान्वित नहीं की है (फरवरी 1983)।

(iii) आपूर्त कोयले का भुगतान परिषद् द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से किया जाता है। मार्च 1982 तक कोयले के लापता वैगनों हेतु रेलवे के पास विचाराधीन दावों की स्थिति निम्नवत् थी :

वर्ष	निहित मात्रा (मीटरी टनों में)	निकटतम मूल्य (रुपये लाखों में)
1968–69 से 1978–79 तक	965	0.65
1979–80	2005	3.53
1980–81	5362	10.00
1981–82	101639	178.88
	109971	193.06

1979–80 तककी अवधि हेतु 4.18 लाख योग के दावे रेलवे द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिये गये कि ये बुकिंग की तिथि से 6 माह के अन्दर दायर नहीं किये गये थे ।

(ख) अन्य भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे

(i) यद्यपि प्रतिवर्ष अत्याधिक धनराशियां क्रय पर खर्च की जाती हैं, वार्षिक क्रय प्राक्कलन नहीं बनाये जाते थे।

(ii) समय-समय पर आवश्यकता तथा उपलब्ध भंडार का अंदाजा लगाये बिना रहतिया के संचयन के परिणाम वाले, जैसा कि नीचे प्रदर्शित है, क्रय होते रहे :

	1979–80	1980–81 (रुपये लाख में)	1981–82
प्रारंभिक रहतिया	130.50	394.80	528.26
प्राप्तियां	549.20	389.95	352.83
योग	679.70	784.75	881.09
उपभोग	284.90	256.49	292.16
अंतिम रहतिया	394.80	528.26	588.93
मासिक खपत के रूप में अंतिम रहतिया	16.6	24.7	24.2

(iii) परिषद् के आदेशों के अनुसार प्राप्त भण्डार सामग्रियों को तुरन्त लेखा बद्ध कर देना चाहिये तथा कमियों, क्षतियों, त्रुटियों इत्यादि से संबंधित मदों की प्रविष्टियों को साथ-साथ माप पुस्तिका में प्रदर्शित कर देना चाहिये। तथापि, परख जांच (जून 1982) में यह देखा गया कि 1975–76 से 1981–82 तक के विभिन्न आपूर्ति आदेशों के विरुद्ध 31.31 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की भंडार सामग्रियों की प्राप्ति मुख्य तौर पर इस आधार पर कि आपूर्ति सामग्रियां या तो विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थी (17.03 लाख रुपये) या मांग प्रेषित करने वाले खंडों से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित थे (14.28 लाख रुपये) जून 1982 तक लेखाबद्ध नहीं किये गय थे। मामले की जांच पड़ताल नहीं की गई थी (फरवरी 1983)।

(iv) प्रबंधकों ने सामयिक सत्यापन तथा आवश्यकता से फालतू हो जाने वाले मदों को छाटने के लिये कोई प्रक्रिया नियमित नहीं की है। तथापि, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पनकी तापीय शक्ति स्टेशन) द्वारा अप्रैल 1982 में निर्गत निदेशों के अनुसार आवश्यकता से अधिक के भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को छाटने की कार्यवाही की गई। इससे यह प्रकट हुआ कि 95.97 लाख रुपये के भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे निम्न विवरण के अनुसार दो वर्षों से ऊपर बिना इस्तेमाल हुए पड़े थे :

श्रेणी	मदों की संख्या	मूल्य (लाखों रुपये में)
कार्यशाला, परिवहन तथा टर्बाइन पुर्जे	1522	52.07
ब्वायलर के पुर्जे	341	26.70
विद्युतीय पुर्जे	308	11.25
नियंत्रण तथा इंस्ट्रूमेंटेशन पुर्जे	182	5.95
		95.97

इन मदों को फालतू घोषित करने तथा इनके निस्तारण हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया था (फरवरी 1983)।

(v) रहतिये का अधिकतम, न्यूनतम तथा पुनर्आदेश स्तर निश्चित नहीं किया गया था।

(vi) सामग्रियों को क्रांतिक, अक्रांतिक, तीव्र तथा मन्द गति वाली वस्तुओं में वर्गीकृत नहीं किया जाता था।

(vii) मदों का मानकीकरण तथा संकेतीकरण प्रचलित नहीं किया गया था।

(viii) यद्यपि, परिषद् ने 110 मैगावाट की कई इकाइयां स्थापित की हैं, संघटित / संयुक्त आधार पर बीमा पुर्जों का क्रय तथा भंडारण नहीं किया जाता है।

(ix) बड़े भंडार केन्द्रों तथा उनके अन्तर्गत तमाम स्थलीय भंडार (साइट स्टोर्स) केन्द्रों हेतु रहतिये की कोई सीमा निश्चित नहीं की गयी है।

(x) कोई भी क्रय तथा भंडार नियमावली नहीं है।

(xi) 1981–82 तक तीन वर्षों के दौरान भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों का भौतिक सत्यापन नहीं किया/पूरा किया गया था। 1981–82 के दौरान यह आंशिक रूप से किया गया था (लगभग 16000 मदों में से 2272 के संबंध में)।

31 मार्च 1978 को किये गये ईंधन तेल के भौतिक सत्यापन ने पुस्तक अवशेष से 201 किलो लीटर मिट्टी तेल (मूल्य : 2.41 लाख रुपये) का आधिक्य प्रकट किया था। मामले की छानबीन नहीं की गयी थी (मार्च 1983)।

(xii) 1971–72 तक वाणिज्यिक प्रणाली अपनाये जाने के परिषद् के निर्णय (जून 1966) के प्रतिकूल शक्ति स्टेशन पर भंडार लेखाओं का सार्वजनिक निर्माण प्रणाली पर रखा जाना जारी है। परियोजना की विभिन्न इकाइयों द्वारा संकलित प्राप्तियों तथा निर्मगनों के मासिक लेखाओं के अनुसार भंडार तथा अतरिक्त पुर्जों का मूल्य (31 मार्च 1983 को 588.93 लाख रुपये) का समाधान अवशेष था क्योंकि लेखा विभाग द्वारा रहतिये के आवधिक रजिस्टर के अनुसार अंतिम रहतिये का मूल्य लेखा अलग से नहीं रखा गया था।

(xiii) रहतिया रजिस्टर तथा औजार तथा संयंत्र रजिस्टर नवीनतम अवधि तक के बनाये नहीं गये तथा आवधिक मिलान नहीं किया गया था । निम्न सारणी उन अवधियों को प्रदर्शित करती है जब तक कि रहतिया रजिस्टर, औजार एवं संयंत्र रजिस्टर बंद किये गये थे (फरवरी 1983) :

खण्ड का नाम	अवधि जब तक रजिस्टर पूर्ण हैं	
	रहतिया रजिस्टर	औजार तथा संयंत्र रजिस्टर
पनकी थर्मल डिवीजन (पी टी डी)	मार्च 1977	सितम्बर 1977
प्लांट स्टोर्स डिवीजन (पी एस डी)	सितम्बर 1976	सितम्बर 1976
सिविल मेन्टिनेन्स डिवीजन (सी एम डी)	सितम्बर 1981	सितम्बर 1978

7.13. लेखाओं का रख रखाव

(i) प्राप्त तथा देय लेखाओं का परिशोधन शीघ्रता से नहीं किया गया । परियोजना के संकलित लेखाओं के अनुसार, 1981-82 तक तीन वर्षों के प्रत्येक के अंत में प्राप्त लेखाओं तथा देय लेखाओं के अन्तर्गत बकाये अवशेष निम्न थे :

वर्ष	प्राप्त लेखे		देय लेखे	
	वर्ष के दौरान शोधन	अंतिम अवशेष (रुपये लाखों	वर्ष के दौरान शोधन में)	अंतिम अवशेष
1979-80	518.71	457.26	391.06	562.86
1980-81	392.12	899.26	760.29	911.42
1981-82	690.96	1504.58	701.34	1531.03

यह देखा गया कि पार्टीवार रजिस्टरों की प्रविष्टि नहीं हुई थी तथा अनेक मामलों में मासिक अंतिम अवशेषों का निकाला जाना बकाये में था। पुनः उच्चन्त शीर्षकों के अन्तर्गत बकाये धनराशियों का आयुवार ब्योरा नहीं रखा गया था।

(ii) परिषद् के आदेशों के अन्तर्गत रखा जाना आवश्यक, नकद, भंडार तथा समायोजन के द्वारा कार्यवार व्यय को दर्शाते हुए बड़े एवं छोटे निर्माण कार्यों का रजिस्टर नहीं रखा गया था। इसी प्रकार किये गये कार्य का प्रगतिशील मूल्य तथा ठेकेदारों को निर्गत सामग्री के निमित्त वसूली को प्रदर्शित करते हुए ठेकेदारों का खाता भी नहीं रखा गया था।

7.14. अन्य रोचक विषय

7.14.01. नलकूपों के निर्माण पर निष्फल व्यय

नहर बन्दी की अवधियों के दौरान 110 मेगावाट हेतु पूरक जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये 45 लाख रुपयों की लागत पर 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान कुल 20 क्यूसेक डिजाइन के नौ नलकूप निर्मित किये गये। नलकूपों के ट्रायल रन ने पम्पों का असंतोषजनक परिचालन प्रगट किया। प्रबंधकों द्वारा, इसका कारण नलकूपों की खड़ी लम्बाई में त्रुटि बताया गया (जनवरी 1977)। इस त्रुटि को ठीक करने के लिये 3.60 लाख रुपयों की लागत पर दो क्यूसेक प्रत्येक की डिजाइन क्षमता वाले 15 सबमर्सिबुल पम्प (6 अतिरिक्त पम्पों को जोड़कर) खरीदे तथा स्थापित किये गये (मई 1978)। अनुरक्षण के उद्देश्य से नहर को बंद किये जाने हेतु जब सिंचाई विभाग से सूचना प्राप्त हुई (अप्रैल 1979) परियोजना प्रबंधकों ने यह अवलोकन किया

(मई 1979) कि सबमर्सिबुल पम्प डिजाइन क्षमता से निम्न अपर्याप्त डिसचार्ज कर रहे थे तथा डिस्चार्ज किया हुआ जल आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त नहीं था। इसके अतिरिक्त, छः नलकूप खारा पानी दे रहे थे, और एक नलकूप जिसका उपयोग पीने के पानी के लिये किया जा रहा था अधिकाधिक बालू तथा बजरियों के कारण विफल हो गया। भूमिगत पाइप लाइन भी कई स्थानों पर विफल हो गई। इसलिये, नहर को बंद किये जाने की तिथि अनिश्चित काल के लिये स्थगित करनी पड़ी तथा पीने के जल हेतु 3.44 लाख रुपयों की लागत पर एक नया नलकूप लगाया गया (मई से सितम्बर 1979)। इसी बीच, पीने के जल के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला एक अन्य पुराना नलकूप विफल हो गया (सितम्बर-अक्टूबर 1979)। अधीक्षण अभियन्ता (परिचालन तथा अनुरक्षण) ने मंतव्य दिया (अक्टूबर 1979) कि नलकूप का जल जिसमें अधिकाधिक क्लोराइड था पूरक जल के रूप में इस्तेमाल के योग्य नहीं था। इस प्रकार, पीने के जल के लिये काम में आने वाले एक नलकूप को छोड़कर पूरक जल के निमित्त आठ नलकूप बंद हो गये। इन नलकूपों की स्थापना पर लगभग 40 लाख रुपये का व्यय निष्फल साबित हुआ।

एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, परियोजना प्रबन्धकों ने वर्तमान पोषक नहर से जोड़ने के लिये लगभग 20 किलोमीटर की एक लघु नहर निर्मित करने की योजना प्रस्तुत की (मई 1980)। उक्त योजना (अनुमानित लागत 636 लाख रुपये मार्च 1981 में पुनरीक्षित होकर 1083 लाख रुपये) हेतु परिषद् का अनुमोदन अपेक्षित था (फरवरी 1983)।

7.14.02. इस्पात की कमी

इस्पात भंडार का एक प्रभारी सहायक भंडारपाल इस्पात के कथित गबन हेतु प्रबंधकों द्वारा निलम्बित कर दिया गया (नवम्बर 1975)। किये गये भौतिक सत्यापन (फरवरी 1977) ने विभिन्न विवरण के 6.99 लाख रुपये की लागत के 276.77 मीटरी टन इस्पात की कमी प्रकट की। परिषद् के विधि कोष्ठ की इस सलाह के आधार पर कि उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी तथा उचित सबूत के अभाव के कारण उसके विरुद्ध फौजदारी का मामला दायर करने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा सहायक भंडार पाल की सेवायें समाप्त कर दी गयी (सितम्बर 1979)। निहित हानि के अपलेखन के लिये परिषद् द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

7.14.03. जल प्रभार

शक्तिगृह में इस्तेमाल के लिये जल, सितम्बर 1967 से निचली गंगा नहर से लिया जा रहा है। परिषद् तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक (फरवरी 1973) में लिये गये निर्णय के अनुसार रेगुलेटरों के नियमित तथा विशेष अनुरक्षण पर होने वाले व्यय के साथ-साथ जल प्रभार (गैर कृषिक उद्देश्यों हेतु उपभोग किये हुए जल के लागू दरों पर) सिंचाई विभाग को देय हैं। परन्तु खपत हुई जल की मात्रा निकालने का आधार नहीं तय किया गया। सिंचाई विभाग द्वारा आरंभ से मार्च 1980 तक की अवधि के लिये 54.40 लाख रुपये (अनुरक्षण व्यय : 13.67 लाख रुपये जल प्रभार : 16.41 लाख रुपये तथा ब्याज प्रभार : 24.32 लाख रुपये) के प्रस्तुत दावे के विरुद्ध प्रबंधकों ने 32 मेगावाट सेटों में खपत किये जल के लिये दिसम्बर 1979 तथा नवम्बर 1980 में क्रमशः 1.20 लाख रुपये तथा 1.83 लाख रुपये का मुश्त भुगतान किया। उपरोक्त के संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पनकी) ने दिसम्बर 1979 में सदस्य (उत्पादन) को सूचित किया कि पूरे वर्ष के लिये 1.95 क्यूसेक की प्रबंधकों की गणना के विरुद्ध सिंचाई विभाग पानी की खपत 12 सप्ताहों के लिये 5 क्यूसक की दर पर तथा 40 सप्ताहों के लिये 6.5 क्यूसक की दर पर निकाल रहा था। इस मामले पर अंतिम निर्णय की अभी प्रतीक्षा थी (फरवरी 1983)। 110 मेगावाट सेटों में पानी की खपत के संबंध में जल प्रभार तथा अनुरक्षण व्यय के लिये कोई भी देयक अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।

7.14.04. जल उपकर

पहली अप्रैल 1978 से लागू वाटर (प्रिवेंशन एवं कन्ट्रोलआफ पोल्यूसन) सेस ऐक्ट 1977, के प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश वाटर पोल्यूसन, प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल बोर्ड (डब्लू पी पी सी बी) को बिलम्बित भुगतान के लिये ब्याज प्रभारों के साथजल उपकर देना आवश्यक

हैं। परन्तु डब्लू पी पी सी बी से अप्रैल 1978 से मार्च 1980 के लिये प्राप्त 32.91 लाख रुपये के देयकों (2.15 लाख रुपये के ब्याज प्रभार को जोड़कर) के विरुद्ध शक्ति स्टेशन ने इस आधार पर कोई भुगतान नहीं किया कि कन्डेन्सर को ठंडा करने के लिये प्रयुक्त तथा बिना प्रदूषित हुए नहर में वापस गये जल पर जल उपकर देय नहीं था। डब्लू पी पी सी बी इससे सहमत नहीं हुआ तथा देय भुगतान के बकाये पर दंड लगाने के लिये कारण बताओ नोटिस निर्गत किया (नवम्बर 1980)। इसके उपरांत शक्ति स्टेशन ने 5 लाख रुपये का भुगतान किया (दिसम्बर 1980)। इसके बाद कोई भुगतान नहीं किया गया तथा मार्च 1982 तक की अवधि के लिये 66.26 लाख रुपये (7.52 लाख रुपये के ब्याज प्रभार को जोड़कर) क देयक भुगतान हुए बिना पड़े थे (फरवरी 1983)।

7.14.05. भुगतान को धारा से भिन्नता के कारण अतिरिक्त व्यय

शक्ति गृह (2×110 मेगावाट) के ऊपरी ढ़ाचे (सुपर स्ट्रक्चर) शक्ति गृह भवन के उप ढांचे (सबस्ट्रक्टर) अनुषंगी ढांचे तथा संयंत्रों की बुनियाद में कंक्रीट तथा संबंधित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् नई दिल्ली की एक फर्म के साथ अगस्त 1973 में एक अनुबंध (मूल्य : 83.08 लाख रुपये) निष्पादित किया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रचलित सिमेंट कंक्रीट में इस्पात के निर्दिष्ट इस्तेमाल का भुगतान मानक वजन (माप) के आधार पर करना था। सम्परीक्षा में परख जांच (जुलाई, 1980) में यह देखा गया कि ठेकेदार को स्टील के कार्य का भुगतान मानक वजन के बजाय वास्तविक तौर के आधार पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.45 लाख रुपयों का अधिक भुगतान हुआ।

7.14.06. ईंधन सरचार्ज की कम वसूली

समय-समय पर लागू परिषद् की दर सूची में कोयला, मट्टी तेल की लागत तथा उस पर भाड़े में वृद्धि के कारण ईंधन सरचार्ज लगाने का प्राविधान शामिल रहता है यदि यह पांच प्रतिशत या उससे अधिक हो। यह सरचार्ज वृहत् तथा रेलवे को सम्मिलित करते हुए (रेलवे कर्षण के लिये) भारी उपभोक्ताओं से वसूली योग्य है।

पहली अगस्त 1980 से लागू की गयी टैरिफ में ईंधन सरचार्ज लगाने का प्राविधान नहीं था। विद्युत् (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 49 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद् ने टैरिफ को संशोधित कर दिया (जून 1981) तथा पहली जुलाई 1981 से ईंधन सरचार्ज पुनः लागू कर दिया। अन्य बातों के अलावा, उसमें यह प्राविधान किया गया कि "कोयला तथा भट्टी तेल की लागत तथा भाड़े में पहली अगस्त 1980 तक की वृद्धि को पहली अगस्त 1980 से लागू की गई टैरिफ में समामेलित माना जायेगा" तथा पनकी तापीय शक्ति स्टेशन पर उनके सुपुर्दगी लागत में आगे की बढ़ोत्तरी पर ईंधन सरचार्ज लगाया जायेगा। इस सूत्र के अनुसार सरचार्ज वास्तविक रूप से मार्च 1981 से ही लगाने योग्य हो गया था क्योंकि मूल्य में वृद्धि पांच प्रतिशत से अधिक थी। इसका पहली जुलाई 1981 से लागू किया जाना मार्च से जून 1981 तक की अवधि में किये गये 1080.48 लिमियन यूनिटों के बिल पर 529.33 लाख रुपये (4.90 पैसा प्रति यूनिट) की हानि के रूप में परिणत हुआ।

7.15. निष्कर्ष

(i) कानपुर क्षेत्र में विद्युत् की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये पनकी में अक्टूबर 1967 तथा जुलाई, 1968 में 32 मेगावाट की दो इकाइयां स्थापित की गयीं। 110 मेगावाट की दो और इकाइयां नवम्बर 1976 तथा मार्च 1977 में स्थापित की गई।

(ii) 32 मेगावाट सेटों के स्थापन पर 10.51 करोड़ रुपये तक पुनरीक्षित (अक्टूबर 1966) 6.82 करोड़ रुपये के मूल प्राक्कलन लागत (सितम्बर 1962) के विरुद्ध वास्तविक व्यय 11.86 करोड़ रुपये हुआ। दोनों इकाइयां जुलाई तथा अगस्त 1965 की नियत तिथियों के विरुद्ध क्रमशः अक्तूबर 1967 तथा जुलाई 1968 में चालू की गयीं। समापन प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था (फरवरी 1983)।

अवमूल्यन के प्रभाव को जोड़ते हुए मूल्यों में बढ़ोत्तरी के कारण, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के एक भारतीय अभिकर्ता का 2.49 लाख रुपये का अभिकर्ता के कमीशन के प्रति दावा स्वीकार कर लिया गया यद्यपि दावा स्वीकार्य नहीं था।

(iii) 110 मेगावाट की दो इकाइयां भेल द्वारा स्थापित की गई। 70 करोड़ रुपये तक पुनरीक्षित (मार्च 1977) 33.20 करोड़ रुपये की प्राक्कलन लागत (मई 1970) के विरुद्ध दोनों इकाइयों पर किया गया वास्तविक व्यय 73.61 करोड़ रुपये था (मार्च 1982)। बढ़ी हुई लागत के कारणों का विश्लेषण करने का प्रयत्न नहीं किया गया। समापन प्रतिवेदन तैयार नहीं हुआ था (फरवरी 1983)।

इन दो इकाइयों के मामले में किये गये ट्रायल रन अपर्याप्त थे तथा न तो ट्रायल रन के दौरान और न उसके बाद ही कभी पूर्ण भार पर परिचालन की उपलब्धि हो सकी।

(iv) (क) 32 मेगा वाट की इकाई I के मामले में 12 वें चरण निम्न दबाव रोटर की पत्तियां तथा डायफ्राम जुलाई 1972 में विफल हो गयी। 80 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर मरम्मत/प्रतिस्थापन का एक प्रस्ताव अनर्थिक समझा गया तथा इकाई को 29 मेगावाट की घटी क्षमता पर चलाने का निर्णय लिया गया। (जुलाई 1977)। जुलाई 1980 में अन्य पत्तियों तथा डायफ्राम में विस्तृत क्षतियां दृष्टिगोचर हुई। और क्षति को बचाने के लिये मरम्मत या प्रतिस्थापन करने का निर्णय लिया गया तथा दिसम्बर 1980 में युगोस्लाव फर्म को आदेश प्रेषित किया। आपूर्तियां (अनुमानित लागत: 143.30 लाख रुपये) प्रतीक्षित थी (फरवरी 1983)। क्षमता दर में कमी किये जाने की 1975 से 1982 की अवधि के दौरान परिणामी उत्पादन हानि समग्र अवधि के लिये लगभग 2.52 करोड़ रुपये की राजस्व हानि को अंतर्ग्रस्त करते हुए 1.58 करोड़ यूनिट प्रतिवर्ष अनुमानित है।

(ख) 110 मेगावाट सेट चालू होने के तुरन्त बाद से व्यग्र करने वाली समस्यायें खड़ी करने लगे। भेल ने इन समस्यायों का निदान किया तथा 13 परिचित किये मदों से संबंधित नवीनीकरण के निमित्त 19.90 लाख रुपयों का दावा प्रस्तुत किया (जनवरी 1980)। दावा पंचनिर्णय के अन्तर्गत था (फरवरी 1983)। इसके अतिरिक्त परिषद् ने स्वयं ही 1977–78 से 1981–82 के दौरान कुछ बड़े पुर्जों के समयपूर्व प्रतिस्थापन (1.72 करोड़ रुपये) को सम्मिलित कर 6.99 करोड़ रुपये पूंजीगत मरम्मत तथा 6.15 करोड़ रुपये अन्य मरम्मत पर खर्च किया था। अंतनिहित डिजाइन त्रुटियों को ठीक करने के लिए परियोजना प्रबंधकों द्वारा अप्रैल 1982 में प्रस्तुत नवीनीकरण पर 11.82 करोड़ रुपये के व्यय की एक योजना परिषद्/सी इ ए के अनुमोदन की प्रतीक्षा में थी (फरवरी 1983)।

110 मेगावाट इकाइयों की क्षमता दर को 85/90 मेगावाट तक कम करने का, परियोजना प्रबन्धको द्वारा प्रस्तुत, एक प्रस्ताव परिषद्/सी इ ए के अनुमोदन की प्रतीक्षा में था (फरवरी 1983)।

(v) चारो इकाइयों की क्षमता का उपयोग निम्नतर दिशा में था। अधिकाधिक बंदिया तथा कम भार पर परिचालन, कम क्षमता उपयोग के कारण बताये गये।

(vi) विद्युत तकनीकी समिति द्वारा संस्तुत 4 प्रतिशत की मान्य सीमा के विरुद्ध 1981–82 तक तीन वर्षों के दौरान अनियत बंदियां 32 मेगावाट सेटों के मामले में 8.3 तथा 18.6 प्रतिशत के बीच रहीं तथा 110 मेगावाट के मामले में 11.9 तथा 24.5 के बीच।

(vii) विद्युत तकनीकी समिति द्वारा संस्तुत 672 तथा 1344 घंटो के मानक की तुलना में वार्षिक अनुरक्षण तथा वृहत् ओवर हालिंग में लिया गया समय अधिक रहा।

(viii) अनेक अवसरों पर वृहत् ओवरहालिंग/अनुरक्षण के तुरन्त बाद अधिकाधिक बंदियों की तरफ उन्मुख बारम्बार खराबीं होती रही।

(ix) इकाइयों की, 1976 से 19
इत्यादि कारण, भारी मरम्मत लागत तथा रा
हानि के परिणाम वाली, विफलतायें बारबार हो

(x) 1981–82 तक तीन वर्षों के दौरान 110 म
अधिकाधिक थी। अधिक खपत में 136.72 लाख रुपये के राज
वाली लगभग 38.6 एम के डब्लू एच विक्रय योग्य ऊर्जा निहित थी।

(xi) 32 मेगावाट सेटों के लिये 0.50 किलोग्राम प्रति के डब्लू एच तथा
मेगावाट सेटों लिये 0.60 किलो ग्राम कोयला प्रति के डब्लू एच की मानक आवश्यकता की तुलना में वास्तविक खपत अधिक थी। 1981–82 तक पांच वर्षों के दौरान अधिक खपत की लागत 32 मेगावाट सेटों के मामले में 3.40 करोड़ रुपये (1.78 लाख मीटरी टन) तथा 110 मेगावाट सेटों के मामले में 9.48 करोड़ रुपये (4.58 लाख मीटरी टन) थी।

(xii) 32 मेगावाट सेटों हेतु ईंधन तेल की खपत के लिये कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये। 1974–75 से 1981–82 की अवधि के दौरान खपत 9.70 किलो लीटर प्रति एम के डब्लू एच से 27.22 किलो लीटर प्रति एम के डब्लू एच तक भिन्न भिन्न रही। 9.70 किलो लीटर प्रति एम के डब्लू एच के आधार स्तर पर मानक मानने पर 1975–76 से 1981–82 के दौरान अधिक खपत 3.20 करोड़ रुपये मूल्य की 0.22 लाख किलो लीटर रही। 110 मेगावाट सेट के मामले में परियोजना प्रतिवेदन (मार्च 1977) में ईंधन तेल की खपत, कोयले के खपत की लागत की 5 प्रतिशत तक प्राविधानित की गयी। यह 1976–77 के मूल्य स्तर पर 3 किलो लीटर प्रति एम के डब्लू एच होती थी। वास्तविक खपत प्रति एम के डब्लू एच 21.72 किलो लीटर (1977–78) से 9.10 किलो लीटर (1981–82) तक भिन्न भिन्न रही। 3 किलो लीटर को मानक मानते हुए 1981–82 तक 5 वर्षों के दौरान अधिक खपत 0.43 लाख किलो लीटर (6.39 करोड़ रुपये) होती थी।

(xiii) टर्बो सेट को चलाने में टर्बाइन तेल की अधिक खपत (12.37 लाख रुपये) तथा कोयले को चूरा करने हेतु कुट्टित इस्पात की अधिक खपत (30.38 लाख रुपये) 1981–82 तक तीन वर्षों के दौरान हुई। परिषद ने अधिक खपत के कारणों की छानवीन नहीं की है।

(xiv) 32 मेगावाट सेटों के मामले में 1981–82 तक तीन वर्षों के दौरान तापीय कुशलता की उपलब्धि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गारंटी की गई 29 प्रतिशत के विरुद्ध 22 प्रतिशत रही।

(xv) 32 मेगावाट तथा 110 मेगावाट सेटों की पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन में यह प्राविधानित था कि उत्पादन लागत क्रमशः 6.05 पैसे तथा 14.92 पैसे प्रति यूनिट होगी। उत्पादन की लागत निरन्तर बढ़ती रही है तथा 1981–82 में प्रति यूनिट क्रमशः 39.73 पैसे तथा 40.96 पैसे तक पहुंच गयी।

(xvi) परियोजना प्रबन्धक नियमित तथा स्थायी मस्टररोल कर्मचारियों के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों हेतु ठेका श्रमिक भा नियुक्त करते रहे। वर्ष दर वर्ष समयोपरि भी नियमित स्थिति बन गई है। प्रति मेगावाट 4 व्यक्तियों के कार्मिक तत्व के विरुद्ध 1981–82 में कार्मिक तत्व 8 व्यक्ति था।

(xvii) 1981–82 तक तीन वर्षों के दौरान रहतियों तथा अतिरिक्त पुर्जों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया/पूरा हुआ था तथा मानक रहतिया स्तर निश्चित नहीं किया गया था। खरीदारियां आवश्यकता का समुचित निर्धारण किये बिना की गई परिणामस्वरूप भण्डार बढ़ गया। 1981–82 के अन्त में अंतिम रहतिया 24 महीने के खपत के बराबर था।

मदों का न तो मानकीकरण या संकेतीकरण किया गया था और न तो क्रांतिक अक्रांतिक तीव्र तथा मन्द गतिवाली मदों में वर्गीकरण किया गया था।

खपत के मामले में आंकड़े उत्पादित यूनिटों के सन्दर्भ में सैद्धान्तिक आयातनात्मक आधार पर भौतिक सत्यापन करने पर पाई गई कमियों गया। इसलिये छीजन छुटपुट चोरी, मार्गस्थ हानियों इत्यादि का पता नहीं

(xix) घटिया किस्म के कोयले की आपूर्तियों के कारण परिषद द्वारा 2.06 करोड़ रुपये गये दावे को कोल इंडिया लिमिटेड ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि नमूने संयुक्त सैं कोलियरी छोर पर नहीं निकाले गये। 1981–82 के अन्त में रेलवे में विचाराधीन लापता कोयले के वैगनों से सम्बन्धित दावे, 1.93 करोड़ रुपये के थे।

(xx) 1975–76 तथा 1976–77 में 8 नलकूपों के लगाने पर किया गया 40 लाख रुपये का एक व्यय सब मर्सिविल पम्प पर किये गये 3.60 लाख रुपये के व्यय को जोड़कर निष्फल हो गया क्योंकि नलकूप बन्द हो गये क्योंकि नलकूप क जल में अधिक क्लोराइड था और इसलिये पूरक जल के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता था।

(xxi) फ़रवरी, 1977 में किये गये भौतिक सत्यापन ने 6.99 लाख रुपये की लागत का 276.77 मीटरी टन इस्पात की कमी प्रकट किया। हानि के लिये उत्तरदायी सहायक भंडारपाल की सेवायें समाप्त कर दी गयी (सितम्बर 1979)।

(xxii) 32 मेगावाट सेटों में पानी की खपत के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से मार्च 1980 तक की अवधि के लिये प्राप्त 54.40 लाख रुपये के योग के जल प्रभार देयकों के विरुद्ध कवल 3.03 लाख रुपये का भुगतान किया गया। 110 मेगावाट सेटों में पानी की खपत का कोई भी देयक अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था।

(xxiii) विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभार के रूप में 7.52 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुए डब्लू पी पी सी बी से मार्च 1982 तक की अवधि के लिये जल उपकर के निमित्त 66.26 लाख रुपये के देयकों का भुगतान नहीं हुआ था (फ़रवरी 1983)।

मामले को परिषद / सरकार को दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

अनुभाग VIII

आगरा विद्युत आपूर्ति उपक्रम

8.01. विषय प्रवेश

राज्य विद्युत परिषद ने दिसम्बर 1973 में आगरा की एक लाइसेन्सदार कम्पनी के व्यापार, जो नगर सीमा में बिजली की आपूर्ति और वितरण लाइनों का रख-रखाव का काम करती थी, का अधिग्रहण किया और आगरा विद्युत आपूर्ति उपक्रम (एसू) का गठन किया। भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (जैसा कि फ़रवरी 1975 में संशोधित) की धारा 7–ए (6) के अन्तर्गत, सम्पत्तियों व दायित्वों के मूल्य निर्धारण करने के लिए नियुक्त (अगस्त 1975) हुआ। विशेष अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन (जुलाई 1982) में अधिग्रहीत सम्पत्तियों को 350.33 लाख रुपये का मूल्यांकन किया। उक्त अधिनियम की धारा 7–ए (5) के अन्तर्गत 286.91 लाख रुपये की कटौती मान्य करने के पश्चात शुद्ध देय धनराशि 63.42 लाख रुपये होती थी।

8.02. संगठनात्मक व्यवस्था

एसू एक अधीक्षण अभियन्ता के अधीन है जिसकी सहायता के लिये छः अधिशासी अभियन्ता हैं।

8.03. क्रिया-कलाप

एसू के मुख्य कार्य-कलाप आगरा शहर में बिजली के वितरण व आपूर्ति बनाये रखने, आगरा की छावनी तथा महापालिका के भीतर नये उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने, नियमित आपूर्ति के लिये लाइन व उपकेन्द्रों के निर्माण / सुदृढ़ीकरण, मीटरों का लगाना व समय-समय पर परीक्षण करना एवं बिल बनाने व उपभोक्ताओं से वसूली करना है।

8.04. उत्पादन

(क) परिषद ने आगरा किला (ए एफ पी एस) एवं जमना पार (जे वी पी एस) के 28 मेंगावाट की प्रतिस्थापित क्षमता के विद्युत गृहों का अधिग्रहण किया। केन्द्रों की 1981–82 तक के तीन वर्षों के दौरान स्थापित क्षमता एवं उनके उपयोग निम्न थे :—

	1979–80		1980–81		1981–82
	ए एफ पी एस	जे वी पी एस	ए एफ पी एस	जे वी पी एस	ए एफ पी एस
			(मेंगावाट)		
स्थापित क्षमता	18	10	18	10	18
			(एम के डब्लू एच)		
अधिकतम उत्पादन क्षमता	118.260	87.600	118.260	87.600	27.216
वास्तविक उत्पादन	26.198	33.642	20.843	13.646	1.888
			(प्रतिशत)		
क्षमता का उपयोग	22.2	34.8	17.6	15.6	6.9

क्षमता के उपयोग ने वर्षानुवर्ष गिरावट की स्थिति प्रदर्शित की। कम उपयोग का कारण प्रबन्धकों ने ब्वायलरों की क्षमता का बेजोड़ होना बताया (जून 1982)।

परिषद ने इन विद्युत गृहों को बन्द करने का निर्णय लिया (मार्च 1981) क्योंकि ताज महल पर इनका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। जे वी पी एस मार्च 1981 तथा ए एफ़ पी एस जून 1981 में बन्द कर दिया गया। मशीनों के निस्तारण हेतु निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना था (जनवरी 1983)।

(ख) उत्पादन की लागत

उपक्रम में प्रति के डब्लू एच उत्पादन लागत निकालने की कोई प्रणाली नहीं थी। उत्पादन व्यय को लेखे में अलग से नहीं दिखलाया गया यद्यपि परिषद् के द्वारा ऐसा निर्धारित था।

लेखा परीक्षण द्वारा कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी पर अनुपातिक व्यय निकाल दिये जाने के बाद सम्परीक्षा में संकलन के अनुसार प्रति यूनिट उत्पादन की लागत जिसमें विक्रय द्वारा प्रति यूनिट औसत राजस्व 1979–80 में 46 पैसे, 1980–81 में 47 ऐसे व 1981–82 में 53 पैसे के विरुद्ध 1979–80 में 36 पैसे, 1980–81 में 58 पैसे एवं 1981–82 में 79 पैसे थी। उत्पादन की अधिक लागत, उत्पादन कर्मचारियों के वेतन व मजदूरी एवं वितरण रख-रखाव एवं मरम्मत की लागत के अतिरिक्त, 1980–81 व 1981–82 के दौरान 32.78 लाख एवं 4.05 लाख रुपये की हानि में परिणत हुई।

8.05. कोयले की खपत

प्रति के डब्लू एच उत्पादित विद्युत् पर कोयले की खपत का मानदण्ड निर्धारित नहीं था। 1981–82 तक के तीन वर्षों के दौरान प्रति यूनिट कोयले की खपत निम्न प्रकार से थी :

वर्ष	यूनिट उत्पादन		कोयले की खपत		प्रति के डब्लू एच उत्पादित विद्युत पर कोयले की खपत	
	ए एफ पी एस	जे बी पी एस	ए एफ पी एस	जे बी पी एस	ए एफ पी एस	जे बी पी एस
	(एम के डब्लू एच)		(मीटरी टन)		(किलो ग्राम)	
1979–80	26.198	33.642	44163	29781	1.69	0.89
1980–81	20.843	13.646	39434	20101	1.89	1.47
1981–82	1.888	..	4523	..	2.40	..

प्रति के डब्लू एच उत्पादित बिजली पर कोयले की खपत में वर्षानुवर्ष वृद्धि के कारणों की छानबीन नहीं की गई (मार्च 1983)।

इस संबंध में निम्नलिखित बातें जानकारी में आयीं :

(i) तौल यंत्र का क्रय

रेल से प्राप्त कोयले के तौल हेतु जे बी पी एस पर स्थापित करने के लिये एसू ने कानपुर की एक फर्म को निविदाओं के आधार पर एक तौल यंत्र (मूल्य : 1.26 लाख रुपये बिक्री कर एवं उत्पादन कर छोड़कर) की आपूर्ति के लिये सुपुर्दगी अवधि निर्दिष्ट किये बिना ही आदेश दिये (अप्रैल 1979)। तौल यंत्र जनवरी 1980 में प्राप्त हुआ और सितम्बर 1981 तक भण्डार में रखा रहा। तदोपरांत वाराणसी विद्युत् आपूर्ति उपक्रम को स्थानान्तरित कर दिया गया।

(ii) कोयले की कमी

जे बी पी एस पर तौलयंत्र के अभाव में, रेलवे रसीद में कोयले का इंगित भार (जिसके आधार पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाता रहा) व विद्युत् केन्द्र पर वास्तविक प्राप्ति में अन्तर को नहीं आंका गया।

जे वी पी एस में कोयले के भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 1980) ने 5095 मीटरी टन कोयले (मूल्य: 12.74 लाख रुपये) की कमी प्रकट की जिसकी छानबीन अब तक (मार्च 1983) नहीं की गई थी ।

ए एफ पी एस के बन्द होने (जून 1981) के बाद कोयले की पुस्तक अवशेष 7131 मीटरी टन थी। निविदाओं के आधार पर (मई 1982) 1250 मीटरी टन कोयला 550.11 रुपया प्रति मीटरी टन की दर से बेंच दिया गया और 15 फरवरी 1983 तक केवल 613 मीटरी टन ही उठाया गया था। तथापि कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और बाकी बचे 786 टन कोयले के निस्तारण के निमित्त की गई कार्यवाही अभिलेख पर नहीं थी।

8.06. गैर खनिजीकृत जल संयंत्र का क्रय

(i) ए एफ पी एस को कुशलतापूर्वक चलाने एवं वाष्प में लगभग 10 प्रतिशत की हानि बचाने हेतु एसू ने गैर खनिजीकृत (डिमिनरलाइजिंग) जल संयंत्र खरीदने के लिये निविदा आमंत्रित किया (अप्रैल 1977)। आठ प्राप्त (मई 1977) निविदाओं में से गैर खनिजीकृत जल संयंत्र हेतु फर्म "ए" की निविदा न्यूनतम थी (तुलनात्मक लागत : 3.21 लाख रुपये) लेकिन अधीक्षण अभियन्ता, डिजाइन मण्डल लखनऊ की इस संस्तुति पर कि फर्म "बी" द्वारा प्रस्तावित संयन्त्र की प्रति वर्ष परिचालन लागत 0.31 लाख रुपये की प्राथमिक अधिक लागत की तुलना में 0.14 लाख रुपये से सस्ती थी। आदेश फर्म "बी" को दिया गया (तुलनात्मक मूल्य 3.52 लाख रुपये)। संयन्त्र सितम्बर 1978 में प्राप्त हुआ और मार्च 1979 में चालू कर दिया गया।

सम्परीक्षा में एक परख जांच में यह देखा गया (जून 1981) कि फर्म "ए" ने निविदा की दो प्रतियों में गैरखनिजीकृत जल संयन्त्र का मूल्य 1.69 लाख रुपये व जल को मृदुकरण बनाने के संयंत्र का मूल्य 2.83 लाख रुपये अंकित किया था। परन्तु एक प्रति में दरें परस्पर परिवर्तन (इंटरचेंज) तीर द्वारा इंगित कर दी गयी थी, तुलनात्मक विवरण को निविदाकर्ता से कोई स्पष्टी करण लिये बिना ही इसी तीर द्वारा प्रदर्शित प्रति के आधार पर अन्तिम रूप दे दिया गया।

(ii) परिचालन लागत किस प्रकार सस्ती होती थी, इसका ब्योरा अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

(iii) डिमिनरलाइजिंग जल संयंत्र वास्तव में चलाया गया इस संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। गैरखनिजीकृत जल की उत्पादित मात्रा एवं वाष्प में बचत के विवरण भी उपलब्ध नहीं थे। संयंत्र को चलाने के लिये किसी परिचालक या कच्चे जल के रासायनिक अवयवों को गैर खनिजीकृत जल के रूप में विश्लेषित करने के लिये रसायन विज्ञ की नियुक्ति नहीं की गई थी। 1978-79 की तुलना में कोयले की खपत बढ़ गई थी। (1978-79 में 1.47 किलोग्राम प्रति के डब्लू एच से 1980-81 में 1.89 किलोग्राम प्रति के डब्लू एच)।

इस प्रकार गैर खनिजीकृत जल संयंत्र के स्थापन (3.52 लाख रुपये) एवं परिचालन (1.58 लाख रुपये) पर संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1982) कि संयंत्र वर्तमान कर्मचारियों द्वारा चलाया गया और यह कि संयंत्र को हटाकर लखनऊ ले जाना था परन्तु यह लखनऊ नहीं भेजा गया था (फरवरी 1983)।

8.07. राजस्व की वसूली

8.07.01. भार में वृद्धि एवं ऊर्जा का उपभोग

निम्न सारणी 1981-82 तक के तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं में वृद्धि, कनेक्टेड भार

तथा प्रति के डब्लू ए च कनेक्टेड भार पर ऊर्जा के उपभोग को इंगित करती है :

1979–80

उपभोक्ताओं की श्रेणी	उपभोक्ताओं की औसत संख्या	औसत कनेक्टेड भार (के डब्लू)	बेची गई यूनिटें (एम के डब्लू एच)	प्रति के डब्लू कनेक्टेड भार पर उपभोग (यूनिट)
घरेलू	55117	30424	37.68	747
वणिज्यिक	398	3034	4.45	1467
लघु, मध्यम तथा मिश्रित भार	2575	39406	45.17	1146
वृहत तथा भारी	35	8905	19.19	2155
कृषि	145	892	1.32	1480
सार्वजनिक प्रकाशन	19	429	0.84	196
जलकल	9	3080	9.50	3084
	58298	106170	118.15	1113

1980–81				1981–82			
उप-भोक्ताओं की औसत संख्या	औसत कनेक्टेड भार (के डब्लू)	बेची गई यूनिटें (एम के डब्लू एच)	प्रति के डब्लू कनेक्टेड भार पर औसत उपभोग (यूनिट)	उप-भोक्ताओं की औसत संख्या	औसत कनेक्टेड भार (के डब्लू)	बेची गई यूनिटें (एम के डब्लू एच)	प्रति के डब्लू कनेक्टेड भार पर उपभोग (यूनिट)
56808	47101	42.30	898	57999	40250	45.63	1133
421	3261	2.83	868	409	2981	4.24	1422
2582	40757	44.59	1094	2547	42793	42.77	1000
39	9404	14.81	1575	40	9470	14.49	1530
150	921	1.38	1498	152	916	1.38	1506
19	429	0.90	210	19	429	0.91	224
9	3102	13.16	4242	10	3226	12.16	3769
60028	104975	119.97	1142	61176	100065	121.63	1215

घरेलू उपभोक्ताओं की औसत संख्या 1979--80 में 55117 से बढ़कर 1981--82 में 57999 हो गई परन्तु कनेक्टेड भार 1979--80 में 50424 किलोवाटसे घटकर 1981-82 में 40250 हो गया। भार में कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था। प्रति किलोवाट कनेक्टेड भार पर ऊर्जा का उपभोग 1979--80 की तुलना में वाणिज्यिक, लघु, मध्यम एवं मिश्रित भार, वृहत् एवं भारी भारों के मामलों में 1980-81 व 1981--82 में कम हो गया। प्रबन्धकों ने वृहत् एवं भारी उपभोक्ताओं के द्वारा कम उपभोग का कारण अगस्त 1979 व उसके बाद की गई बिजली कटौती बताया (जून 1982)।

तथापि प्रति किलोवाट कनेक्टेड भार पर कम उपभोग के कारणों को सुनिश्चित करने और

---ऊर्जा की चोरी व लीकेज,

---मीटरों द्वारा उपभोग कम अंकित किया जाना, एवं

---त्रुटिपूर्ण/बन्द मीटर एवं प्रांगणों में ताला बंन्द होने की अवस्था में उपभोक्ताओं को कम बिल का बनाने के कारण जिस सीमा तक कमी हुई उसे निर्धारित करने का प्रयास नहीं किया गया।

8.07.02. मीटर का पठन एवं बिलों का निर्गमन

परिषद के आदेशों के अनुसार (जुलाई, 1970) नये उपभोक्ता को दिये गये कनेक्शन की, कनेक्शन दिये जाने के एक मासके भीतर उपभोक्ताओं के लेंजर में प्रविष्टि कर लेना आवश्यक है एवं उसके बाद ज्योंही मीटर पठन हो जाये, प्रथम बिल निर्गत हो जाना चाहिये। जबकि वितरण एवं अनुरक्षण खण्ड, प्रकाश व पंखों के उपभोक्ताओं एवं टेस्टतथा मीटर खण्ड शक्ति उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन देने के लिये जिम्मेदार है, मीटर पठन मिलने पर बिलों को बनाने का काम वाणिज्यिक खण्ड का है। तथापि, ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन सब मामलों में जहां नये कनेक्शन दिये गये थे, बिल बनाये जा रहे थे। एक सहायक अभियन्ता (चार में से) जो प्रकाश व पखों का कनेक्शन देने के लिये उत्तरदायी था, के अभिलेखों की परख जांच (जून 1982) से प्रकट हुआ कि जून 1981 से जनवरी 1982 के दौरान दिये गये 257 नये कनेक्शनों में से किसी भी मामले में अप्रैल 1982 तक बिल नहीं किया जा रहा था।

8 07.03. बंद/जाम मीटरों के मामलों म अनन्तिम बिल

परिषद् के आदेशानुसार (अक्टूबर 1976) यदि एक उपभोक्ता का मीटर बन्द/जाम पाया जाये तो निर्धारण गत तीन महीनों में अभिलेखित अधिकतम मात्रा व उपभोग के आधार पर होना चाहिये।

निम्नलिखित मामलों में उन उपभोक्ताओं को जिनके मीटर बंद/जाम पाये गये ऐसू ने पिछले महीनों के औसत के आधार के बजाय न्यूनतम प्रभार के आधार पर बिल बनाया :

उपभोक्ता की समूह संख्या एवं श्रेणी	अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या जिनके बिल बने	उपभोक्ता की संख्या जिनके अनन्तिम बिल बने	अनन्तिम बिल वाले उपभोक्ताओं का प्रतिशत
150 (पावर)	फरवरी 1982	2606	1818	69.8
151) प्रकाश	मार्च 1982	12016	4139	34.4
152) व पंखा	फरवरी 1982	7530	2508	33.3
153)	मार्च 1982	19485	7968	40.9
154)	फरवरी 1982	20038	7995	39.9

परिषद् के आदेश का अनुसरण न किये जाने के कारण अभिलेख पर नहीं थे इस प्रकार अनन्तिम बिलों के उच्च प्रतिशत के परिणाम स्वरुप राजस्व की उगाही कम हुई।

एक उपभोक्ता के प्रांगण में स्थापित मीटर सुरक्षा ट्रांसफार्मर 12 अक्टूबर 1980 को क्षति ग्रस्त हो गया। यह 28 जनवरी 1981 को मरम्मत/ठीक किया गया। उपभोक्ता को अक्टूबर 1980 में पिछले तीन माह क औसत उपभोग क आधार पर बिल किया गया परन्तु बाद में बिना मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) के अनुमोदन के पिछले तीन सालों के दौरान इन्हीं महीनों में उच्चतम उपभोग क आधार पर बिल को पुनरीक्षित कर दिया गया (दिसम्बर 1980)। यही प्रक्रिया जनवरी 1981 तक लागू की गई। इस प्रकार परिषद के आदेशों (अक्टूबर 1976) का पालन न करने के परिणाम स्वरुप अक्टूबर 1980 से जनवरी 1981 तक 0.49 लाख रुपये का कम निर्धारण (0.01 लाख रुपये के विद्युत कर सहित) हुआ।

8.07.04. राजस्व के बकाये

(क) निम्न सारणी 1981--82 तक के तीन वर्षों के दौरान निर्धारण, वसूली एवं बकाये की स्थिति इंगित करती है :

वर्ष	निर्धारण (विविध राजस्व एवं विद्युत कर सहित)	वर्ष के अन्त में वसूली (लाख रुपयों में)	बकाया	बकाये का वसूली पर प्रतिशत
1979--80	573.67	556.27	78.45	14.1
1980--81	620.98	581.29	118.14	20.3
1981--82	695.36	698.22	115.28	16.5

बकायों के वृहत् रुप में एकत्रित हो जाने के, लेखा परीक्षा में (जून 1982) दृष्टिगोचर हुए, कारण थे :

--उन उपभोक्ताओं की आपूर्ति का शीघ्र विच्छेदन करने में विफलता जो बिलों का समय से भुगतान करने में असफल रहे,

--सरकारी स्थापना एवं आवश्यक सेवाओं जैसे जल संस्थान, सार्वजनिक प्रकाश एवं अन्य महत्वपूर्ण भारी शक्ति उपभोक्ताओं के मामले में भुगतान न करने पर आवश्यक सेवाओं के विच्छेदन में कठिनाई,

--गलत मीटर रीडिंग के कारण एवं संचयी बिलों के निर्गमन से उपभोक्ताओं द्वारा बिलों का न भुगतान किया जाना।

(ख) 1981--82 तक के तीन वर्षों के अन्त में बकाया का श्रेणीवार विवरण निम्न था :

श्रेणी	1979-80	1980--81	1981-82
		(लाख रुपयों में)	
घरेलू एवं वाणिज्यिक	48.13	57.41	55.65
लघु एवं मध्यम उद्योग	12.75	26.56	16.10
वृहत् एवं भारी उद्योग	13.58	19.46	24.55
सार्वजनिक प्रकाश	..	0.59	..
निजी नलकूप	0.96	1.28	1.48
जलकल	..	10.38	14.54
परिषद् के कर्मचारी	2.04	2.46	2.96
मिश्रित भार	0.99	..	..
	78.45	118.14	115.28

घरेलू/वाणिज्यिक, लघु एवं मध्यम शक्ति उद्योग व मिश्रित भार के उपभोक्ताओं को छोड़कर, बकाये 1979-80 से वर्षानुवर्ष एकत्रित हो गये थे। 1981-82 में घरेलू एवं लघु व मध्यम शक्ति के उपभोक्ताओं के संबंधमें बकायों के एकत्रित होने में कमी पिछले निर्धारणों का अधोमुखी पुनरीक्षण के कारण से (बकाया की वसूली के कारण नहीं) थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

महीने	घरेलू–बत्ती एवं पंखे		लघु एवं मध्यम शक्ति के उद्योग	
	यूनिटें (एम के डब्लू एच)	राशि (लाख रुपयों में)	यूनिटें (एम के डब्लू एच)	राशि (लाख रुपयों में)
अप्रैल 1981 से मार्च 1982	12.73	68.17	7.62	38.43

इतनी अल्प अवधि के दौरान बिना कारण बताये इस प्रकार के भारी अधोमुखी पुनरीक्षण के कारण अभिलेख पर नहीं थे। उपक्रम ने अब तक (मार्च 1983) त्रुटि वाले क्षेत्रों का पता लगाने व सुधारात्मक कार्यवाही करने का प्रयास नहीं किया था।

106.60 लाख रुपये की सीमा तक विद्युत प्रभार एवं विद्युत कर के निर्धारण किये हुए मूल्य को प्रमाणित करने वाले 20.35 मिलियन किलोवाट घंटे यूनिटों को कम करने/समायोजित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अभिलेखों पर नहीं थी, पिछले निर्धारणों को कम किये जाने का बिलवार विवरण भी अभिलेख पर नहीं था।

8.07.05. विच्छेदित उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाये (ड्यूज)

उन उपभोक्ताओं के विरुद्ध जहां भुगतान करने में चूक करने के कारण छः महीने से अधिक आपूर्ति विच्छेदित रही बकायों को अलग से अनुसरण करने के लिये उपभोक्ताओं के परिचालन खाते से निकाल कर अपरिचालन खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। ऐसे बकायों की वसूली तभी की जाती है जब बाद में उपभोक्ता आपूर्ति के स्थायी विच्छेदन या विच्छेदित आपूर्ति का पुनः कनेक्शन लेने आता है। ऐसे 758 उपभोक्ताओं (176.25 लाख रुपये) के संबंध में बकाये निकाले तथा अपरिचालन खाते में स्थानान्तरित, बिना किसी वसूली प्रक्रियाओं के पड़े थे। निम्न सारणी 31 मार्च 1982 को अपरिचालन खाते की समूह बार स्थिति इंगित करती है :

समूह	अपरिचालित खातों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
शक्ति	71	172.46
बत्ती व पंखा	687	3.79
	758	176.25

उपक्रम के पास वर्षवार स्थिति उपलब्ध नहीं थी (फरवरी 1983)।

कम्प्यूटर नियंत्रण प्रतिवेदन के अनुसार 321.27 लाख रुपये के कुल बकाये (परिचालित बकाये 145.02 लाख रुपये व अपरिचालित बकाये 176.25 लाख रुपये) के विरुद्ध मासिक

राजस्व खाते में दिखाये गये बकाये निम्न थे :

श्रेणी	31 मार्च 1982 को राजस्व का बकाया (लाख रुपयों में)
घरेलू/वाणिज्यिक	55.65
लघु एवं मध्यम शक्ति	16.10
व्यक्तिगत नलकूप	1.48
	73.23

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी, 1983) कि कम्प्यूटर द्वारा दर्शाये गये बकाये गलत थे। बकायों का कम्प्यूटर के लेखाओं एवं राजस्व लेखाओं में इस अन्तर का समाधान नहीं किया गया (फरवरी, 1983)।

8.07.06. वसूली प्रमाण पत्रों का निर्गमन

निर्गमित मांग नोटिस के विरुद्ध देय का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में भू-राजस्व के बकायों की तरह देयों को वसूल करने के लिये वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी को निर्गत करना होता है। निम्न सारणी 1981–82 तक के तीन वर्षों के अन्त में वसूली प्रमाण पत्रों के निर्गमन, जिलाधिकारी द्वारा वापस किये गये प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा वसूल की गई राशि एवं बकाये की राशि का विवरण इंगित करती है :

	1979–80		1980–81		1981–82	
	संख्या	राशि (लाख रुपयों में)	संख्या	राशि (लाख रुपयों में)	संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
वसूली प्रमाण पत्रों का प्रारंभिक अवशेष	279	2.56	300	7.33	56	1.94
वर्ष में निर्गत वसूली प्रमाण पत्र	42	4.87	123	3.42	2	0.08
योग	321	7.43	423	10.75	58	2.02
वर्ष में की गई वसूली	21	0.10	30	0.16	6	0.56
बिना वसूली वापस किये गये वसूली प्रमाण पत्र	..	..	337	8.65	41	1.24
वर्ष के अन्त में शेष वसूली प्रमाण पत्र	300	7.33	56	1.94	11	0.22

वापस किये गये वसूली प्रमाण पत्रों में 5.35 लाख रुपयों के 338 प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं के अस्तित्व में नहीं होने के आधार पर वापस किये गये थे। अभिलेख में इन मामलों की छानबीन में किये प्रयासों के बारे में कुछ भी नहीं था। 1980–81 व 1981–82 के शेष 40 वसूली प्रमाण पत्र (4.54 लाख रुपया) वसूली प्रमाण पत्रों के गलतनिर्गमन (4.43 लाख रुपये) तथा उपभोक्ताओं से सीधे वसूल किये जाने (0.11 लाख रुपये) के आधार पर वापस ले लिये गये।

राजस्व प्राधिकारी, जहां उनके द्वारा उगाही की जाती है उगाही प्रभार कलेक्शन चार्जेज वसूल करते हैं। उन मामलों में जहां वसूली प्रमाण पत्र वापस ले लिये जाते हैं, परिषद उगाही प्रभार देने को बाध्य हैं उदाहरण के लिये एक मामले में यह देखा गया कि 1981–82 में 3.86 लाख रुपये के वसूली प्रमाण पत्र वापस ले लिये गये थे, जिलाधिकारी आगरा ने 0.40 लाख रुपये के उगाही प्रभार का दावा किया (अक्तूबर 1981 व मई 1982)। इस राशि का भुगतान अभी किया जाना था (फरवरी 1983)।

तथापि, प्रमाण-पत्रों के गलत निर्गमन के मामलों को अभी तक (मार्च 1983) जांचा पड़ताला नहीं गया।

8.07.07. चेकों द्वारा भुगतान

सितम्बर 1977 में परिषद् ने यह आदेश निर्गत किये कि किसी उपभोक्ता द्वारा दिये गये चेक का यदि एक बार भी अनादर हो जाये तो उसके बाद चेक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं करना चाहिये। परन्तु लेखा परीक्षा में (जून 1982) यह देखा गया कि उपक्रम ने अनेक मामलों में उन उपभोक्ताओं का जिनका चेक अनादरित हो गये थे विच्छेदन का सामना किये बिना दायित्व का सोधन करने के लिये अनाधिकृत समय की सुविधा देते हुये भुगतान चेक द्वारा स्वीकार किया। अनादरित चेकों के भुगतान पर कोई नियन्त्रण नहीं था क्योंकि चेकों के अनादर होने के बाद उपभोक्ताओं के लेजर में प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं की जा रही थी।

8.07.08. उपभोक्ताओं के प्रांगणों की जांच

उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा की चोरी/अनाधिकृत प्रयोग रोकने के लिये परिषद् ने सहायक विद्युत निरीक्षक, विजिलेन्स विभाग के निरीक्षक एवं सम्बन्धित इलाके के सहायक/अधिशासी अभियन्ता से युक्त एक टीम द्वारा, अचानक निरीक्षण किया जाना निर्धारित किया है। टीम को प्रत्येक सुबह अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निश्चित किये गये एक स्थान पर उस दिन के दौरान जांच किये जाने वाले क्षेत्र तथा उपभोक्ताओं के प्रांगण को तय करने के लिये एकत्रित होना होता है।

तथापि, अधीक्षण अभियन्ता के आदेशों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता द्वारा समय समय पर छापेमारे गये परन्तु उपभोक्ताओं के निरीक्षित प्रांगण, देखी गयी अनियमितताये तथा उन उपभोक्ताओं जिनके मामले में पुन: निर्धारण होने थे, का ब्योरा दिखाते हुये कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिय कोई नियंत्रण नहीं था कि उन सब मामलों में अचानक निरीक्षण के परिणामस्वरुप जहां कर्यवाही की जानी थी वाणिज्यिक खण्ड को सूचित कर दिये गये या नहीं।

वाणिज्यिक खण्ड द्वारा रखे गये अभिलेखों के अनुसार 1981–82 तक के तीन वर्षों के दौरान प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं किये गये निर्धारणों के ब्योरे निम्न थे :

वर्ष	वाणिज्यिक खण्ड में प्राप्त मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जहां निर्धारण होना था	कुल छापे के मामलों पर उपभोक्ताओं जिनके मामलों में अनिमितताय पायीं गयी, की प्रतिशतता	मामल जिनमें निर्धारण किया गया संख्या	राशि (लाख रुपये में)	मामले जिनमें निर्धारण किया गया या नहीं इसका उल्लेख नहीं था
1979–80	128	128	100	128	1.62	..
1980–81	187	159	85	152	1.32	7
1981–82	452	390	86	253	8.86	137

जितने छापे मारे गये उनमें गैर कानूनी ढंग से बिजली का प्रयोग करते हुये पाये जाने वाले उपभोक्ताओं की प्रतिशतता तीन वर्षों में 85 से 100 प्रतिशत के बीच थी। इस संबंध में यह भी अवलोकन किया गया कि 1980–81 (7 उपभोक्ता) व 1981–82 (137 उपभोक्ता) के दौरान 144 मामलों में निर्धारण की स्थिति अभिलेखित नहीं की गयी थी।

89.07.09. स्वेच्छा से भार घोषित करने की योजना

निजी नलकूपों को सम्मिलित करते हुये 100 अश्वशक्ति (75 किलोवाट) तक के औद्योगिक लघु एवं मध्यम उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्टेड भार में अनाधिकृत वृद्धि रोकने के उद्देश्य से तीन माह के भीतर नियमित करदेने के लिये उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से अतिरिक्त भार घोषित करने का विकल्प देते हुए परिषद् द्वारा अगस्त 1979 में एक योजना प्रारम्भ की गई। इस प्रकार घोषित 25 अश्व शक्ति तक में अतिरिक्त भार को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ताओं को दिया गया। नवम्बर 1980 में परिषद् ने अतिरिक्त भार घोषित करने की सुविधा को 31 जनवरी 1981 तक बढ़ा दिया और इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अतिरिक्त भार की स्वीकृति का विवरण फरवरी 1981 तक मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता को भेजनी थी।

सम्परीक्षा में (जून 1982) परख जांच में यह देखा गया कि उपभोक्ताओं द्वारा घोषित अतिरिक्त भार को स्वीकृत करने के मामलों में विलम्ब हुआ। 1979–80 व 1980–81 में क्रमशः 173 व 233 मामलों में से अधिकतर मामलों का (1879–80 : 131, 1980–81 : 143) निपटारा अप्रैल एवं मई 1982 में अतिरिक्त धनराशियों का बिल (8.30 लाख रुपयों) करके किया गया। बाकी बचे 1979–80 के 42 मामलों एवं 1980–81 के 90 मामलों का निपटारा अभी विचाराधीन था (दिसम्बर 1982)।

8.08. वृहत एवं भारी शक्ति उपभोक्ता

8.08.01 विद्युत कटौती

राज्य में बिजली की कमी के कारण राज्य सरकार ने भारी मध्यम तथा अविरल प्रक्रिया के उद्योगों के संबंध में अगस्त 1978 से जुलाई 1979 के 12 महीनों की अवधि के दौरान किसी महीने में उच्चतम अभिलेखित मांग या अनुबंधित मांग जो भी कम हो पर 33.33 से 66.66 प्रतिशत (21 अगस्त 1979 से प्रभावी) विद्युत कटौती लागू थी। अनुमन्य मांग के ऊपर किसी की आधिक्य पर विच्छेदन के अतिरिक्त प्रथम द्वितीय तथा उसके बाद के चूकों के लिये 100/200/300 रुपये प्रति के वी ए की दर से अर्थदंड लगाया जाना था।

सम्परीक्षा (जून 1982) में परख जांच ने यह प्रकट किया कि बिजली कटौती के प्राविधानों के अन्तर्गत आठ उपभोक्ता 15.50 लाख रुपयों के योग के अर्थदण्ड (अगस्त 1979 से फरवरी 1981 तक) के भागीदार हो गये जिसका निर्धारण इसलिये नहीं किया गया कि वे उपभोक्ता स्थानीय उत्पादन स्टेशनों से जुड़े हुए थे। इस तरह की छूट के लिये परिषद्/सरकार के कोई आदेश अभिलेखों में नहीं थे।

सम्परीक्षा में यह भी देखा गया कि इस अवधि के दौरान जब उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग कम थी उन्हें अनुबन्धित मांग के 75 प्रतिशत पर बिल नहीं बनाया गया बल्कि उस दर पर बिल बनाया गया जो कि बिजली कटौती होने पर लागू होती थी।

8.08.02. शीत गृह इकाइयों से राजस्व का न्यून प्रभार

सरकार द्वारा अगस्त 1979 से लागू बिजली कटौती शीतगृहों पर लागू नहीं थी। इसलिये ऐसे उपभोक्ता अनुबंधित मांग के 75 प्रतिशत या वास्तविक मांग जो भी अधिक हो पर प्रति माह भारित होने थे।

परख जांच (जून 1982) में यह देखा गया कि एसू ने उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन इकाइयों को भी विद्युत कटौती का लाभ उन महीनों में दे दिया जब कि उनकी मांग कम थी। परिणाम स्वरुप उन महीनों में व अनुबंधित मांग के 75 प्रतिशत से कम पर भारित हुये। यह छः मामलों में नवम्बर 1979 से जुलाई 1981 के दौरान 1.02 लाख रुपयों के न्यून प्रभार में परिणत हुआ।

यह भी देखा गया कि उन महीनों में जब विद्युत कटौती के अन्तर्गत उनकी मांग अनुमन्य मांग से अधिक थी और यदि विद्युत कटौती लागू की जाती तो वे दण्ड के भागी होते, ये उपभोक्ता विद्युत कटौती से मुक्त रहे ।

अगस्त 1980 से जनवरी 1981 के दौरान एक वृहत उपभोक्ता को अनुबंधित मांग का 75 प्रतिशत पर मांग प्रभार एवं न्यूनतम गारंटी उपभोग के अनुसार शेष राशि का बिल करने के स्थान पर न्यूनतम गारंटी उपभोग का ही बिल किया गया। यह 1980–81 में न्यूतम गारंटी उपभोग के समायोजन के द्वारा 0.16 लाख रुपये की अधिक वापसी के रुप में परिणत हुआ ।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1982) कि उपभोक्ता को अब बिल निर्गत किया जा रहा था ।

8.08.03. अनियमित लाभ की स्वीकृति

वर्तमान मीटर की परिशुद्धता की परख के लिये वृहत एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं के प्रांगण में उपभोगताओं के अनुरोध पर (30 रुपये के भुगतान पर) या परिषद् के दृष्टांत पर जांच मीटर लगाये जाते हैं । यदि मीटर 3 प्रतिशत से अधिक तेज/मन्द पाया जाता है तो जांच मीटर लगाये जाने के पिछले छः महीने की अवधि तक के लिये उपभोक्ता के बिल में आवश्यक समायोजन किया जाता है ।

आगरा के एक उपभोक्ता के मामले में लगे हुए चेक मीटर अप्रैल–जून 1979 ने दर्शाया कि मूल मीटर ठीक था परन्तु उपभोक्ता के अनुरोध के बिना ही 20 जुलाई 1979 को एक दूसरा चेक मीटर लगा दिया गया । दूसरे चेक मीटर के पठन के आधार पर मूल मीटर 5.2 प्रतिशत तेज पाया गया और उपभोक्ता को जून 1980 में फरवरी से जुलाई 1979 की अवधि के लिये 0.20 लाख रुपये की वापसी (0.01 लाख रुपये की गणना की त्रुटि सहित) स्वीकृत कर दी गई और जुलाई 1979 में लगा दूसरा चेक मीटर बिल बनाने का मीटर मान लिया गया ।

दूसरे मीटर को लगाने का औचित्य अभिलेख में नहीं था ।

8.08.04. विकास छूट की अनियमित स्वीकृति

वृहत् एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची के अनुसार नये औद्योगिक इकाइयों (शीतगृहों को छोड़कर) को तीन साल के लिये बिल की राशि पर 10 प्रतिशत की विकास छूट दी जाती है ।

परन्तु एसू ने एक शीत गृह को अप्रैल 1977 से जनवरी 1980 के बिलों में 0.49 लाख रुपये के राजस्व के कम प्रभार के परिणाम वाले विकास छूट अनुमन्य की ।

8.08.05. न्यूनतम प्रभारों की छूट

उपभोक्ताओं द्वारा बिल की राशि का भुगतान, भुगतान की देय तिथि से सात दिन के अन्दर करना आवश्यक है जिसके विफल होनें पर उपभोक्ता की आपूर्ति विच्छेदित करने योग्य हो जाती है ।

एक भारी शक्ति उपभोक्ता की आपूर्ति 15 जून 1978 को अप्रैल 1978 तक देय राशि 0.40 लाख रुपये की भुगतान न करने के कारण विच्छेदित कर दी गयी । आपूर्ति विच्छेदित होने की तिथि तक कुल देय राशि 0.61 लाख रुपये थी। तथापि, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने यह निर्णय लिया (मार्च 1979) कि यह एक गलत विच्छेदन का मामला था तथा लाइन काटने की तिथि से छः महीने का 1.47 लाख रुपये का न्यूनतम प्रभार माफ कर दिया। गलत विच्छेदन के लिये न तो कोई उत्तरदायित्व ही निश्चित किया गया और न तो गलत विच्छेदन के कारणों को ही अभिलेखित किया गया ।

8.09. पारेषण एवं वितरण में हानियां

निम्न सारणी 1981-82 तक के तीन वर्षों के दौरान बिक्री के लिये उपलब्ध ऊर्जा, बेची गयी बिजली एवं पारेषण व वितरण हानियों को इंगित करती है :

	1979-80	1980-81	1981-82
	(एम के डब्लू एच)		
स्वंय के उत्पादन से बिक्री के लिये उपलब्ध बिजली	52.720	29.779	1.556*
ग्रिड से ली गई बिजली	100.168	131.616	142.239
बिक्री के लिये कुल उपलब्ध बिजली	152.888	161.395	143.795
बेची गयी बिजली	118.155	119.975	121.638
पारेषण व वितरण में हानियां	34.733	41.420	22.157
हानि का बिक्री के लिये उपलब्ध बिजली पर प्रतिशत	22.7	25.7	15.4
परिषद् की कुल हानि का प्रतिशत	18.8	15.8	18 9

उपर्युक्त सारणी से यह पता चलेगा कि पारेषण में हानि 15.4 से 25.7 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न रही। पारेषण हानि के लिये कोई मानक निर्धारित नही किया गया। 1979–80 व 1980–81 में भारी हानि को विश्लेशित करने के लिये कोई प्रणाली नहीं थी।

8.10. भन्डार नियंत्रण

8.10.01. सम्परीक्षा में (जून 1982) परख जांच में भण्डार नियन्त्रण में निम्न कमियां जानकारी में आयीं :

(क) सामग्रियों को क्रांतिक और अक्रांतिक या तीव्र एवं मन्द गति के मदो में संवर्गित नहीं किया गया था।

(ख) स्टाक के मदों का अधिकतम, न्यूनतम एवं पुर्नआदेश का स्तर निश्चित नहीं किया गया था।

(ग) भण्डारों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वर्ष में एक बार करना आवश्यक है। तथापि, यह देखा गया कि जे वी पी एस के संबंध में दिसम्बर 1973 में इसके अधिग्रहण से ही भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। ए एफ़ पी एम में भंडार का भौतिक सत्यापन 1979–80 में पहली बार किया गया तथा 1100 मदों में से केवल 523 मदों तक सीमित रहा।

8.10.02. फ़ालतू एवं अप्रचलित भण्डार

31 मार्च 1982 की स्थिति के अनुसार 65.36 लाख रुपये के भण्डार सामग्री में से 12.92 लाख रुपये मूल्य के भण्डार आवश्यकता से फ़ालतू आंके गये (अप्रैल/मई 1982)। इस राशि में निम्नलिखित मद शामिल थे :

(क) लाइसेन्सधारी से अधिग्रहीत भण्डार में से मार्च 1980 में घोषित 3.30 लाख रुपये का फ़ालतू/अप्रचलित भण्डार,

---

*केवल एक मशीन तीन महीनें के लिये 23 जून 1981 तक चली।

(ख) इलाहाबाद विद्युत आपूर्ति उपक्रम से अगस्त 1979 में प्राप्त 1.27 लाख रुपये की सामग्रियां,

(ग) नवम्बर 1974 में यू के की एक फ़र्म को दिये गये निगत आदशों के अन्तर्गत यू के से जून 1980 व मई 1981 में आगरा में प्राप्त जनरेटिंग स्टड व वाल ट्यूब। प्रबन्धकों ने बताया (फ़रवरी 1983) कि भण्डार तब प्राप्त हुये जब विद्युत गृह को बन्द करने का निर्णय नहीं लिया गया था।

(घ) मार्च 1980 में क्रयादशों के विरुद्ध विभिन्न आकार के 0.19 लाख रुपये मूल्य के मई 1980 में प्राप्त बियरिंग जो भण्डारगृह में पड़े थे।

8.10.03. सामग्री का उपभोग

परिषद् द्वारा अपनायी गयी प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सेक्शन होल्डर को सामग्री की प्राप्ति तथा स्वीकृत प्राक्कलनों के विरुद्ध निर्गमन की प्रविष्टि हेतु स्टाक रजिस्टर रखना आवश्यक है। सेक्शन होल्डरों के मासिक स्टाक लेखाओं के आधार पर निर्माण कार्यों के रजिस्टर में प्रगतिशील खर्च अंकित किये जाते हैं। निर्माण कार्य की समाप्ति पर एक समापन प्रतिवेदन तैयार करना आवश्यक है।

परन्तु, यह देखा गया कि जबकि उपक्रम ने प्राक्कलन की स्वीकृति के बाद प्रत्येक कार्य का एक जाब संख्या आवंटित करना जारी रखा परन्तु जाब पर निर्गत माल अंकित करने की विधि का अनुसरण नहीं किया गया। सेक्सन होल्डरों द्वारा स्टाक लेखा रखने की विधि भी नहीं अपनायी गयी थी (मार्च 1982)।

इसके परिणामस्वरूप निम्न लिखित त्रुटियां हुईं:

(क) एक जाब के विरुद्ध निर्गत माल व किसी कार्य के विरुद्ध माल का, निर्गमित सामग्री के प्रगतिशील विवरण के संदर्भ में अधिक निर्गमन का पता लगाने के लिये प्राक्कलन से इसकी तुलना के लिये कोई प्रभावी नियन्त्रण नहीं रखा गया है,

(ख) दिसम्बर 1982 तक पूरे किये गये कार्यों का समापन प्रतिवेदन नहीं बनाया गया है, एवं

(ग) भण्डार गृह से माल जिला मेंन्स अभियन्ताओं को सहायक अभियंता या अधिशासी अभियंता के प्रतिहस्ताक्षर के वगैर निर्गमित कर दिया गया था। इस प्रकार के मामल भी दृष्टिगोचर हुए, जहां मांगपत्रों के विरुद्ध विशिष्टि जांब संख्या, जिसके लिये सामग्री आवश्यक थी, का सन्दर्भ दिये बिना ही सामग्री निर्गत की गयी,

(घ) 138 सेट सस्पेन्शन टाइप क्रास आर्म बनाने के लिये अधिशासी अभियन्ता (निर्माण) द्वारा आगरा की एक फ़र्म को निर्गत कार्यादेश (मार्च 1978) के विरुद्ध फ़र्म को अप्रैल व जून 1978 के बीच बिना कोई जमानत राशि के 5996 किग्रा इस्पात की आपूर्ति की गयी। फ़र्म ने, जिस इस्पात के निर्गमन की तिथि के 15 दिन के अन्दर आपूर्ति पूरी कर देनी थी, सितम्बर 1979 तक केवल 30 सेटों की पूर्ति की। शेष 4650 किग्रा इस्पात (मूल्य 0.19 लाख रुपये) अब भी फ़र्म के पास था। चूंकि फ़र्म ने सामग्री वापस नहीं की, पुलिस को एक प्रतिवेदन मार्च 1980 में किया गया। पुलिस जांच के परिणाम प्रतीक्षित थे (फ़रवरी 1983)।

दिसम्बर 1979 में दिये गये आदेश के विरुद्ध उसी फ़र्म ने एंगिल आयरन ब्रेकट्स (मूल्य 0.08 लाख रुपये) की आपूर्ति की। फ़र्म पर बकाया इस्पात की मात्रा के विरुद्ध

आपूर्तियों का भुगतान समायोजित करने के बजाय फ़र्म को मार्च 1980 में भुगतान अवमुक्त कर दिया गया।

(ङ) लाइन व उपविद्युत गृहों के अनुरक्षण व मरम्मत के लिये बिना प्राक्कलन बनाये या जाब संख्या दिये भंडार सामग्रियां निर्गत की गयीं। पुरानाव सेवा योग्य रहित सामग्री जिसके विरुद्ध नयी सामग्री निर्गत की गयी थी, स्टाक में लेखाबद्ध नहीं किया गया।

(च) निजी नलकूपों को आपूर्ति प्रदान करने के निमित्त दिसम्बर 1979 में 21 उपभोक्ताओं के साथ हुये अनुबन्धों के विरुद्ध प्राक्कलन के अनुसार लाइन पूरा करने के लिये 36122 मीटर कन्डक्टर। (मूल्य 0.72 लाख रुपये) की आवश्यकता थी। फ़रवरी से दिसम्बर 1980 के बीच इस कार्य पर 41,985 मीटर कन्डक्टर निर्गत किया गया। इसमें से 14,185 मीटर (मूल्य 0.28 लाख रुपये) की मार्च 1980 में चोरी हो गयी क्योंकि सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था। यह दर्शाने के लिये कोई अभिलेख नहीं था कि 36122 मीटर कन्डक्टर की आवश्यता के विरुद्ध 27,800 मीटर कन्डक्टर की मात्रा में मार्च 1981 लाइन कैसे पूरी हो गयी।

(छ) परख जांच (जून 1982) के दौरान यह देखा गया कि 33 के वी बी कमला नगर जलकल लाइन पर 0.20 लाख रुपये को सम्मिलित करते हुये 13 कार्यों पर 0.33 लाख रुपये की सामग्री आवश्यकता से अधिक निर्गत की गयी। प्रबन्धकों ने बताया (जून 1982) के स्थिति स्पष्ट करने के लिये अवर अभियन्ताओं को कहा गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 1983)।

(ज) दयालबाग फ़ाउन्ड्री नगर लाइन के विरुद्ध 9636 मीटर कन्डक्टर तथा 596 कि ग्रा अर्थवायर (मूल्य 0.86 लाख रुपया) बिना खम्भों इत्यादि के यहां तक कि जाब संख्या देने के पहले ही निर्गत हो गये। इस मात्रा में से 1850 मीटर कन्डक्टर व 263 किग्रा अर्थवायर (मूल्य 0.18 लाख रुपये) आवश्यकता से अधिक थे।

सम्परीक्षा (जून 1982) में परख जांच में यह भी देखा गया कि अप्रैल से अगस्त 1980 के बीच एक निजी पार्टी को बिना प्रकीर्ण अग्रिम में डेबिट किये एवं कार्यादेश का संदर्भ दिये 0.80 लाख रुपये मूल्य की सामग्री निर्गत कर दी गयी। प्रबन्धकों द्वारा बताया गया कि सामग्री का उपभोग एक लाइन पर कर लिया गया था। परन्तु, इस संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया (मार्च 1983)।

8.11. निक्षेप कार्य

परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्य आरम्भ किये जाने के पहले ही उपभोक्ता को परिषद् के पास लाइन की पूरी अनुमानित लागत जमा करनी आवश्यक है। लाइन पूरी होने पर एक समापन प्रतिवेदन बनाना आवश्यक है और अनुमानित लागत के ऊपर व्यय के आधिक्य को उपभोक्ता से वसूलना होता है या यदि कोई बचत हो तो उसे उपभोक्ता को वापस करना होता है।

परन्तु, उपक्रम ने अनुमानित लागत, उपभोक्ता द्वारा जमा किया गया अग्रिम तथा नवीनतम व्यय को दर्शाते हुए निक्षेप शीर्षक के अन्तर्गत लिये गये निर्माण कार्यों का कोई अभिलेख नहीं रखा था। समापन प्रतिवेदन भी नहीं बनाये गये। इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रणाली नहीं थी कि परिषद् द्वारा उपभोक्ताओं की ओर से किया गया व्यय पूर्ण रूप से वसूल कर लिया गया था।

सम्परीक्षा (जून 1982) में निक्षेप कार्यों के अभिलेखों की परख जांच ने निम्न प्रकट किया:

(क) आगरा फोर्ट विद्युत गृह से बैरक रोड तक प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान के लिये किलो वोल्ट की ओवर हेड लाइन का निर्माण अगस्त 1975 में प्रारम्भ हुआ तथा जून 1980 में

पूरा हुआ। कार्य का कार्य समाप्ति प्रतिवेदन नहीं बनाया गया था। किये गये व्यय का विश्लेषण कराने पर ज्ञात हुआ कि 7.23 लाख रुपये की अनुमानित लागत (राशि उपभोक्ता द्वारा मार्च 1975 में जमा कर दी गई) के विरुद्ध उपक्रम ने अगस्त 1975 से जून 1980 के बीच 11.20 लाख रुपये के व्यय (स्विचगियर की लागत को छोड़कर जिसका निर्गमन का पता नहीं लगा) किया। एसू ने अधिक व्यय (3.97 लाख रुपये) की छानबीन तथा इसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, कार्य के लिये उपक्रम ने 10 हजार रुपये की रेल नवम्बर 1980 में निर्गत की जबकि कार्य जून 1980 में ही समाप्त हो चुका था जिसके लिये कोई औचित्य अभिलेख पर नहीं था। उपक्रम ने 19.47 कि मी व 40 रेलों की आवश्यकता के विरुद्ध 40.96 किलो मीटर कन्डक्टर व 147 रेलें निर्गत की। सामग्री में अधिक निर्गमन (2.48 लाख रुपये) का औचित्य इंगित नहीं किया गया था।

यद्यपि सम्परीक्षा में (जून 1982) इसे सूचित किया था। परन्तु, प्रबन्धकों द्वारा अन्य मामलों में कोई विश्लेषण नहीं किया गया (मार्च 1983)।

(ख) एक उपभोक्ता को आपूर्ति प्रदान करने के लिये 11 के वी की लाइन के निर्माण हेतु 1.54 लाख रुपये के प्राक्कलन के विरुद्ध उपभोक्ता ने 0.88 लाख रुपये जमा किया था। आगरा के एक ठेकेदार को कार्य के निष्पादन के लिये अक्टूबर 1980 में एक कार्यादेश निर्गत किया गया। ठेकेदार को 0.54 लाख रुपये की सामग्री सितम्बर 1980 में अर्थात् कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व ही निर्गत कर दी गयी। चूंकि उपभोक्ता ने पूरी लागत जमा नहीं किया कार्य को बन्द कर दिया गया (नवम्बर 1980)।

कार्य के लिये निर्गत सामग्री न तो भण्डार में वापस ली गयी और न तो कार्य या उसके उपयोग को सत्यापित किया गया (मार्च 1983)।

8.12. **ट्रांसफार्मर**

(क) उपक्रम ने विभिन्न उप-केन्द्रों पर लगे ट्रान्सफार्मरों का कोई विवरण नहीं रखा था निम्न सारणी 31 मार्च 1981 को उपक्रम के स्वामित्व वाले वितरण ट्रान्सफार्मरों की स्थिति इंगित करती है :

18 दिसम्बर 1973 को उपक्रम के अधिग्रहण के समय विभिन्न उपकेन्द्रों पर विभिन्न क्षमता के लगे हुए ट्रान्सफार्मरों की संख्या	..	150
दिसम्बर 1973 से मार्च 1981 के बीच भण्डार से स्थापना/प्रति-स्थापन के लिये निर्गत ट्रान्सफार्मर		232
	योग	382
दिसम्बर 1973 से मार्च 1981 के दौरान वापस हुए क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर साइट पर उपलब्ध ट्रान्सफार्मरों की कुल संख्या	60 196	256
वे ट्रांसफार्मर जो लेखाओं में नहीं है		126

विभिन्न क्षमता के 82.24 लाख रुपये (लगभग) मूल्य के उपरोक्त ट्रान्सफार्मर लेखे में नहीं थे।

जून 1981 की सम्परीक्षा में इसे बताया गया लेकिन उपक्रम ने ट्रान्सफार्मरों का लेखा पूर्ण कराने की कोई विधि नहीं अपनायी (मार्च 1983)।

(ख) उपक्रम ने प्राप्त क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का लेखा जोखा नहीं रखा। ये पहली बार मार्च 1982 में लेखे में लिये गये। लेखाबद्ध किये गये विभिन्न क्षमता के 90 ट्रान्सफार्मरों का एक अवर अभियन्ता द्वारा मार्च 1982 में भौतिक सत्यापन में निम्न बातें प्रकट की :

(i) 40123 लीटर ट्रान्सफार्मर तेल की मात्रा (मूल्य: लगभग 2.01 लाख रुपये) कम पायी गयी। 90 ट्रान्सफार्मरों में से 87 ट्रान्सफार्मरों में तेल कुछ भी नहीं था।

(ii) 109 एच टी व 104 एल टी लेग क्वायल (मूल्य नहीं आंका गया) कम पाये गये ।

(iii) 90 ट्रांसफार्मरों में से 24 मामलों में केवल टैंक (बिना सहयोगी सामान के पाये गये । यह इंगित करने के लिये कोई अभिलेख नहीं था कि उपक्रम ने हानि निर्धारित करने एवं उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये मामले की छानबीन की ।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1982) कि मामलों पर विचार किया जा रहा था ।

(ग) **ट्रान्सफार्मर का तेल**

परिषद् के वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत इस्तेमाल किया हुआ ट्रान्सफार्मर तेल भण्डार को वापस करना होता है एवं ट्रान्सफार्मर तेल का उचित लेखा ट्रान्सफार्मरों से तेल कम मिलने के कारणों सहित रखना आवश्यक है । परन्तु उपक्रम ने ट्रान्सफार्मरों से ट्रान्सफार्मर तेल की कम प्राप्ति के कारणों का विश्लेषण नहीं किया । निम्न सारणी निर्गमित व वापस हुए ट्रान्सफार्मर तेल की मात्रा इंगित करती है :

वर्ष	ट्रान्सफार्मर तेल की निर्गत मात्रा (लीटरों में)	प्रयुक्त तेल की वापस मात्रा
1976-77	18392	627
1977-78	4738	865
1978-79	1083**	..
1979-80	318**	..
1980-81	8977	75
1981-82	8396	..
	41904	1567

सम्परीक्षा (जून 1982) में निम्न तथ्य प्रकाश में आये :

(i) एक 3 एम वी ए का ट्रान्सफार्मर मथुरा की एक फर्म को मरम्मत हेतु जनवरी 1981 में भेजा गया । अवर अभिन्ता ने, इस ट्रान्सफार्मर से निकाले गये सात ड्रम तेल के मूल्य : लगभग 0.15 लाख रुपये) को भण्डार में वापस नहीं किया ।

(ii) जे वी पी एस में 5 एम वी ए का ट्रान्सफार्मर स्थापित करते समय 1566 लीटर तेल (लागत : 0.18 लाख रुपये) 29 जनवरी 1981 की रातमें ट्रान्सफार्मर की सेन्ट्रीफ्यूजिंग में बह गया । तैनात कर्मचारियों द्वारा इसका पता लगाकर रोका नहीं गया । अब तक (जनवरी 1983) इस हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था ।

(iii) उपक्रम ने एक 5 एम वी ए का ट्रान्सफार्मर ब्रिम तक तेल से भरा हुआ (3850 लीटर) प्राप्त किया (जुलाई 1976) । यद्यपि जुलाई 1978 तक ट्रान्सफार्मर भण्डार में बेकार पड़ा रहा वापस आये । 1463 लीटर तेल के विरुद्ध मार्च 1977 में 4180 लीटर तेल की मात्रा (मूल्य 0.38 लाख रुपया) निर्गत की गयी । जुलाई 1968 में ट्रान्सफार्मर स्थापित करने हेतु ए एफ पी एस में लाया गया जहां पुन: तेल की कमी पायी गयी पर कमी को आंका नहीं गया । ट्रान्सफार्मर चालू नहीं किया जा सका क्योंकि इसकी मरम्मत आवश्यक था जिसके लिये एक 1600 लीटर ट्रान्सफार्मर तेल का क्रेडिट देते हुए 0.50 लाख रुपये का आक्कलन बनाया गया ।

**दिसम्बर 1978 से नवम्बर 1979 तक भण्डार में तेल की अनुपलब्धता के कारण निर्गमित मात्रा कम थी ।

इस प्रकार उस ट्रान्सफार्मर पर जिसका अब तक उपयोग न हो सका 4967 लीटर ट्रांसफार्मर तेल (मूल्य : 0.50 लाख रुपये) का अधिक निर्गम/कमी हुई। ट्रान्सफार्मर को मरम्मत के बाद फरवरी 1982 में स्थापित किया गया।

8.13. मीटरों का लेखाबद्ध न किया जाना

एसू में उपभोक्ताओं की कुल संख्या दिसम्बर 1973 में अधिग्रहण के समय 50513 से बढ़ाकर 31 मार्च 1982 को 62321 हो गयी। 11808 उपभोक्ताओं की वृद्धि के विरुद्ध टेस्ट एवं मीटर अनुभाग ने 32,198 मीटर (भण्डार अनुभाग: 17547, उपभोक्ताओं से 14,651) प्राप्त किये।

टेस्ट एवं मीटर अनुभाग ने प्राप्त, निर्गत एवं खराब मीटर जो भण्डार को वापस नहीं किये गये का उचित लेखा जोखा नहीं रखा। इस प्रकार 20,390 मीटरों (मूल्य लगभग 20.39 लाख रुपये) को लेखे में नहीं लिया गया था।

8.14. कार्यादेश

प्रदत्त अधिकारों के अनुसार सहायक अभियन्ता अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य अल्पकालीन सीमित पूछतांछ आमन्त्रित करने के द्वारा प्रति कार्य 7500 रुपये तक कार्यादेश निर्गमित कर सम्पादित करने को अधिकृत हैं तथा अधिशासी अभियन्ता 10,000 रुपये के कार्य तक। इस उद्देश्य हेतु अनुमोदित ठेकेदारों की एक सूची रखना आवश्यक है। 10,000 रुपये से अधिक के कार्य खुली निविदायें आमन्त्रित करने के द्वारा निष्पादित करने होते हैं।

उपक्रम में सहायक/अधिशासी अभियन्ता अत्यावश्यकता का औचित्य बताये बिना तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना बार बार कार्यादेश निर्गत करते रहे।

सम्परीक्षा में (जून 1982) परख जांच में कार्यादेशों द्वारा कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में निम्न बातें प्रकाश में आयी :

(क) उपक्रम ने 1519 पेड़ ठेकेदारों द्वारा अगस्त से नवम्बर 1980 में बीच तीन कार्यादेशों द्वारा 0.08 लाख रुपये की लागत पर कटवाये। कटाई में प्राप्त लकड़ी का कोई लेखाजोखा नहीं था। परिषद् द्वारा निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार पेड़ काटने का काम केवल लाइन स्टाफ द्वारा किया जाना था।

(ख) अनुरक्षण खण्ड प्रथम के सहायक अभियन्ता ने जून से दिसम्बर 1981 के बीच 0.44 लाख रुपये की लागत पर ग्यारह कार्यादेशों द्वारा लाइनों के पुन: खींचने तथा पुन: डालने का कार्य कराया। लाइनों के पुन: खींचने तथा पुन: डालने की आवश्यकता बताते हुए कोई सर्वे रिपोर्ट अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इस बात का कोई औचित्य नहीं तैयार किया गया कि यह कार्य लाइन स्टाफ द्वारा क्यों नहीं कराया जा सका। यह भी देखा गया कि आगरा नगर के अन्य आधे भाग के प्रभारी अनुरक्षण एवं वितरण खण्ड द्वारा लाइन को पुन: खिचवाना तथा डालना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) ट्रान्सफार्मरों के भण्डार से कार्य स्थल एवं कार्य स्थल से भण्डार एवं एक कार्य-स्थल से दूसरे कार्यस्थल तक ढुलाई के लिये उपक्रम के विभिन्न सहायक अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा बारबार कार्यादेश निर्गत किये गये। जून 1981 से मई 1982 के दौरान विभिन्न अधिकारियों द्वारा इस उद्देश्य के लिये 0.99 लाख रुपये के अनेक कार्यादेश निर्गत गये किये।

(घ) क्षतिग्रस्त ग्यारह ट्रान्सफार्मरों का विभिन्न स्थलों से भंडार को ढुलाई/परिवहन तथा प्रतिस्थापन हेतु भण्डार से ट्रान्सफार्मरों को ले जाने के लिये ग्यारह कार्यादेशों (0.22

लाख रुपये) में भण्डार गृह में क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों या उनके प्रतिस्थापन हेतु निर्गमन का लेखा जोखा नहीं था।

8.15. जनशक्ति

(क) निम्न सारणी 1981-82 तक के तीन वर्षों के अन्त में उपक्रम में स्वीकृत एवं वास्तविक कर्मचारियों की स्थिति इंगित करती है :

कर्मचारियों की श्रेणी	स्वीकृत संख्या			वास्तविक संख्या		
	1979-80	1980-81	1981-82	1979-80	1980-81	1981-82
अधिकारी ..	22	22	22	26	27	24
पर्यवेक्षण कर्मचारी ..	38	27	27	55	55	62
मिनिस्टीरियल कर्मचारी ..	117	124	124	120	120	130
परिचालन कर्मचारी						
--कुशल ..	612	612	618	712	712	670
--अकुशल ..	217	241	247	432	432	415
अन्य (मस्टर रोल) ..	..	..	..	104	104	104
	1006	1026	1038	1449	1450	1405

स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारी होने पर भी, उपक्रम ने उत्पादन कर्मचारियों को 1981-82 तक के तीन वर्षों में क्रमशः 0.47 लाख, 3.05 लाख एवं 0.81 लाख रुपये समयोपरि भत्ते के रूप में दिये। अन्य को भी कार्यविधि के बाद कार्यालय में उपस्थित होने के लिये सवारी व्यय के रूप में 1981-82 तक के तीन वर्षों में क्रमशः 0.72 लाख, 1.96 लाख एवं 1.63 लाख रुपये दिये।

(ख) उत्पादन में लगे कर्मचारियों का स्थानान्तरण न किया जाना : परिहार्य व्यय

मार्च/जून 1981 में दोनों विद्युत गृहों के बन्द हो जाने पर केवल उत्पादन कार्यों में लगे कर्मचारी फालतू हो गये। जे बी पी एस में अप्रैल 1981 को 119 कर्मचारी थे जिनमें से 40 कर्मचारी अप्रैल 1981 से मार्च 1982 के बीच स्थानान्तरित किये गये। 1981-82 के दौरान इन कर्मचारियों के वेतन पर 8.33 लाख रुपये का व्यय हुआ।

ए एफ पी एस के मामले में जो 24 जून 1981 को बन्द हुआ, 184 कर्मचारियों में से केवल 100 कर्मचारी मार्च 1981 तक स्थानान्तरित किये जा सके और रोके हुए कर्मचारियों पर जो उत्पादन, कोयला एवं राख के निमित्त थे, जुलाई 1981 से मार्च 1982 के बीच 12.79 लाख रुपये का व्यय हुआ।

8.16. अन्य रोचक विषय

8.16.01. अनाधिकृत व्यय

कर्मचारियों को 15 दिन की हड़ताल (8 से 22 दिसम्बर 1978) के दौरान उपक्रम ने 3.13 लाख रुपयों का व्यय असामान्य मदों जैसे-भोजन, चाय, बीड़ी, सिगरेट, काजू आदि (1.47 लाख रुपया), मस्टर रोल पर रखे गये आकस्मिक मजदूरों की मजदूरी (0.79 लाख रुपये) निजी टैक्सी का किराया शामिल करते हुए गाड़ियां (0.56 लाख रुपये), होटल एवं तम्बुओं में आवास (0.20 लाख रुपये) एवं अन्य मदों (0.11 लाख रुपये) पर किया।

इस सम्बन्ध में सम्परीक्षा (जून 1982) में निम्न बातें जानकारी में आयीं:

--इस प्रकार के असामान्य मदों पर व्यय करने के लिये सक्षम अधिकारियों का अनुमोदन अभिलेख पर नहीं था,

--यद्यपि विभागीय गाड़ियों को पूल में लेकर आवश्यकतानुसार उपयोग के लिये एक थाने पर रखा गया था, फिर भी बहुत सी टैक्सियां 150रु0 प्रतिदिन के किराये पर ली गयां परन्तु उनके द्वारा की गई यात्रा व चली गयी दूरी अभिलेख पर नहीं थी,

--मस्टर रोल पर रखे गये कर्मचारियों की संख्या एवं उनके द्वारा किये गये कार्य के विवरण अभिलेख पर नहीं थे,

--किराये पर लिये गये कम्बल व तम्बुओं की संख्या अभिलेख पर नहीं थी ।

प्रबन्धकों ने बताया (जून 1982) कि मामला परिषद् के जांच आयोग द्वारा छानबीन के अन्तर्गत था ।

8.01.02. तांबा कन्डक्टरों का प्रतिस्थापन न किया जाना

परिषद् ने तत्कालीन तांबे के कन्डक्टरों को अल्यूमीनियम कन्डक्टरों के द्वारा तुरन्त प्रतिस्थापित करने के आदेश दिये (अक्टूबर 1970) क्योंकि तांबे का कन्डक्टर महंगा होने के कारण इसके चोरी होने की प्रबल सम्भावना थी परन्तु एसू ने इन कन्डक्टरों कों प्रतिस्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की और तांबे के तारों वाली लाइनों के विस्तार का लेखा-जोखा नही रखा । सम्परीक्षा में परख जांच (मई 1981) में देखा गया कि अप्रैल 1976 से मार्च 1981 तक 15397 किलो ग्राम तांबे का कन्डक्टर (मूल्य 3.23 लाख रुपये) लाइनों से चोरी चला गया ।

8 16.03. कैश रजिस्टर मशीन

उपक्रम ने उपभोक्ताओं से रोकड़ संग्रह हेतु नई दिल्ली की एक फर्म को दो आयातित कैश रजिस्टर मशीनें खरीदने के लिये एक आदेश दिया (मार्च 1977)। ये मशीनें उपक्रम ने मार्च 1978 में 1.91 लाख रुपये (0.80 लाख रुपये के सीमा शुल्क सहित) की लागत पर प्राप्त की थीं । मशीनें अक्टूबर 1980 तक जबकि इन्हें फर्म के पास जांच के लिये वापस भेजी गई जिसके कारण अभिलेख पर नहीं थे, बंधी (पैक) हुई स्थिति में निष्प्रयोजन पड़ी रहीं । एक मशीन स्थापित कर दी गई (जनवरी 1983) और दूसरी अभी भी फर्म के पास पड़ी थी (जनवरी 1983) ।

प्रबन्धकों ने बताया (फरवरी 1983) कि मशीनों को वातानुकूलित कक्ष में रखना था और वातानुकूलन संयंत्रों पर उत्पादन कर में छूट अभी प्रतीक्षित थी (जनवरी 1983) ।

परन्तु उपक्रम ने क्रय के न्याय संगत होने की दशा में जिनमें इनकी स्थापना होनी थी, त्रुटियों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उन कारणों का जिससे मशीनें एक निजी पार्टी के पास रखने की अनुमति दी गयी, के अभिलेख नहीं दिखाये ।

8.16.04 विज्ञापन पट्ट प्रदर्शित करने के लिए वसूली न करना

आगर नगर के बिजली के खम्भों पर विज्ञापन पट्टे लगाये जाते हैं । अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण एवं वितरण) के माध्यम से उपक्रम की जानकारी में यह आया कि नगर महापालिका प्रदर्शित उत्पाद के स्वामियों से विज्ञापन पट्ट लगाने का प्रभार वसूलती थी । परन्तु उपक्रम नगर महा-पालिका से कुछ भी प्रभार इस आधार पर नहीं लेता था कि नगर महापालिका व उपक्रम के बीच जुलाई 1979 में यह पारस्परिक समझौता हुआ था कि नगरमहापालिका द्वारा विद्युत गृह में आने वाले कोयले पर चुंगी नहीं ली जायगी तथा बदले में उपक्रम उनको बिजली के खम्भों पर विज्ञापन पट्ट मुफ्त लगाने देगा । इस सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध अभिलख पर नहीं था । उपक्रम न भी नगर महापालिका को

देय चुंगी की धनराशि एवं विज्ञापन पट्टों के प्रदर्शन पर वसूल होने वाली राशि की गणना नहीं की । जून 1981 तक विद्युत गृहों के बन्द होने के बाद भी, जब कोयले की प्राप्ति बन्द हो गई थी उपक्रम ने नगर महापालिका को बदले में कुछ लिये बिना विज्ञापन पट्ट मुफ्त लगाने की अनुमति दे दी थी । इस सम्बन्ध में वास्तविक राजस्व हानि की गणना नहीं की गई थी । प्रबन्धकों ने बताया (जनवरी 1983) की स्थिति की समीक्षा की जायेगी ।

8.17. सारांश

(i) एसू का परिषद् द्वारा अधिग्रहण (परिसम्पत्तियों का मूल्य : 350.33 लाख रुपये) दिसम्बर 1973 में हुआ । भूतपूर्व लाइसेन्सधारी को देय शुद्ध राशि भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 7-ए(5) के अन्तर्गत 286.91 लाख रुपयों की कटौती को अनुमन्य करने के बाद 63.42 लाख रुपये निकली ।

(ii) उपक्रम ने जनवरी 1980 में 1.26 लाख रुपये में एक तौल मशीन खरीदी जो जे वी पी एस में स्थापित नहीं की गई परन्तु बाद में (सितम्बर 1981) वाराणसी विद्युत आपूर्ति उपक्रम को स्थानान्तरित कर दी गई ।

(iii) जे वी पी एस के स्टाक का अक्टूबर 1980 में भौतिक सत्यापन के दौरान 5095 मीटरी टन कोयले की मात्रा (12.74 लाख रुपये) कम पायी गई । कमी की छानबीन नहीं की गई है (मार्च 1983)। ए एफ पी एस विद्युत गृह के बन्द होने के बाद (जून 1981) 1250 मीटरी टन कोयला 550.11 रुपये प्रति मीटरी टन के दर से बेच दिया गया जो उठाया जा रहा था । 786 मीटरी टन कोयले की शेष मात्रा के निस्तारण की कार्यवाही अभिलेख पर नहीं थी ।

(iv) ए एफ पी एस की कार्यक्षमता सुधारने एवं ईंधन की लागत बचाने के लिये 3.52 लाख रुपये की लागत से एक डिमिनरलाइजेशन वाटर संयंत्र स्थापित किया गया (मार्च 1979) लेकिन प्रति के डब्लू एच उत्पादित बिजली में कोयले का उपयोग 1978-79 में 1.47 किलोग्राम से बढ़कर 1980-81 में 1.89 किलोग्राम हो गया । इस प्रकार डिमिनरलाइजेशन वाटर संयंत्र की स्थापना (3.48 लाख रुपये) तथा परिचालन (1.58 लाख रुपये) पर समस्त व्यय निष्फल हो गया ।

(v) नये उपभोक्ताओं को बिल निर्गत करने में असाधारण विलम्ब हुए ।

(vi) बकाया राजस्व 31 मार्च 1980 को 78.45 लाख रुपयों से बढ़कर इस तथ्य के बावजूद कि 1981-82 के दौरान 106.60 लाख रुपये के बकाये घटाये गये जिसके लिये कोई विवरण दिखाया नहीं जा सका, 31 मार्च, 1982 को 115.28 लाख रुपये हो गया । कम्प्यूटर बिलिंग एवं लेखाओं में दिखाये गये अवशेषों का समाधान नहीं किया गया ।

(vii) सम्परीक्षा में किये गये एक विश्लेषण ने प्रकट किया कि उत्पादन में लगे कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों को छोड़कर भी औसत वसूली की तुलना में 1980-81 एवं 1981-82 में हानि 36.83 लाख रुपये थी ।

(viii) 31 मार्च 1982 को 65.36 लाख रुपये के भण्डार रहतिया में 12.92 लाख रुपये का भण्डार 3.30 लाख रुपये के अप्रचलित भंडार को सम्मिलित करते हुए, आवश्यकता से फालतू था ।

(ix) निक्षेप कार्यों के लिये उपक्रम के पास लिये गये कार्यों, प्राप्त की गयी अग्रिम धनराशि एवं किये गये व्यय का कोई विवरण नहीं था ।

(x) लगाये गये ट्रान्सफार्मरों का कोई सही लेखा-जोखा नहीं था । 126 ट्रान्सफार्मरों (मूल्य: लगभग 82.24 लाख रुपये) एसे थे जो 31 मार्च 1981 की स्थिति में लेखाबद्ध नहीं थे । क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को मार्च 1982 में जब लेखे में लिया गया तो भारी कमियां दृष्टिगोचर हुईं

एवं 90 में से 24 के केवल टैंक (बिना सहयोगी उपकरण के) लेखाबद्ध किये गये। हानि का निर्धारण तथा छानबीन नहीं की गयी थी।

(xi) नियुक्त कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत संख्या से अत्यधिक थी। मार्च एवं जून 1981 में विद्युत गृहों के बन्द हो जाने पर भी उत्पादन में लगेसभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1981–82 में 21.12 लाख रुपयों की निरर्थक मजदूरी दी गयी।

(xii) दिसम्बर 1978 की एक हड़ताल के दौरान उपक्रम ने 3.13 लाख रुपयों का व्यय भोजन, चाय, सिगरेट बीड़ी एवं काजू (1.47 लाख रुपये) किराये की टैक्सियों (0.56 लाख रुपये) आदि असामान्य मदों पर बिना विस्तृत विवरण रखे या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिये किया।

(xiii) उपक्रम के पास तांबे के कन्डक्टरों की लाइन का विवरण नहीं था। परिषद् के आदेशों के बावजूद तांबे के कन्डक्टर बदले नहीं गये फलस्वरूप कन्डक्टर की चोरियां हुईं।

मामला परिषद्/सरकार को दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 1983)।

अनुभाग IX

राजस्व की हानि

9.01. सरकिटों का पृथक न किया जाना

वृहत एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर-सूची के अनुसार यदि औद्योगिक एवं प्रक्रिया उद्देश्यों के लिए आपूर्त शक्ति घरेलू उद्देश्य के लिये भी प्रयुक्त की जाती है तो ऐसा उपभोग प्रथक कर दिया जाना और प्रथक मीटर लगाया जाना चाहिये। प्रथक अंकित उपभोग उपयुक्त दर-सूची के अन्तर्गत चार्ज किया जाना चाहिये। यदि प्रथक मीटरिंग का प्रबन्ध नहीं किया जाता है तो समस्त उपभोग मिश्रित भार पर लागू उच्चतर दरों पर चार्ज किया जाना चाहिये।

तथापि विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, रायबरेली की परख जांच (जून 1981) में यह जानकारी में आया कि रायबरेली के एक वृहत् शक्ति उपभोक्ता, जिसकी घरेलू आपूर्ति मई से अक्टूबर 1978 के दौरान प्रथक नहीं की गई थी, को मिश्रित भार के स्थान पर वृहत शक्ति उपभोक्ता पर लागू दर सूची के अन्तर्गत चार्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप 0.34 लाख रुपये कम प्रभारित हुए।

मामला परिषद्/सरकार को अगस्त 1981/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

9.02. कम बिलिंग

सहायक अभियन्ता (मीटर्स) ने सूचित किया (26 नवम्बर 1979, कि आगरा के एक उपभोक्ता का "Y" फेज उलटे क्रम में जुड़ा हुआ पाया गया। विद्युत वितरण खण्ड ने तीन माह का औसत उपभोग ज्ञात करने के लिये, जैसा कि परिषद् के आदेशों के अन्तर्गत वांछनीय था, चेक मीटर लगाने के बजाय यह अनुमान लगाया कि मीटर (दोषयुक्त) वास्तविक उपभोग का दो तिहाई अंकित कर रहा था और उसी के अनुसार उपभोक्ता को प्रभारित किया (जनवरी 1979 से जनवरी 1980 तक की अवधि के लिए)। 24 जनवरी 1980 को दोषयुक्त मीटर बदल दिया गया। फरवरी, मार्च और अप्रैल 1980 के महीनों के दौरान विद्युत का उपभोग, जैसा कि नये मीटर द्वारा अंकित किया गया, क्रमशः 10570 यूनिट, 10648 यूनिट और 7522 यूनिट (औसत उपभोग 9580 यूनिट प्रति माह) था। इस आधार पर उपभोक्ता वास्तव में बिल की गई 55682 यूनिटों के स्थान पर जनवरी 1979 से जनवरी 1980 (13 माह) की अवधि के लिये 124540 यूनिटों के लिये प्रभारित किया जाना था। इसके परिणाम स्वरूप 0.24 लाख रुपये (68858 यूनिट) की कम बिलिंग हुई।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 1980) कि उपभोक्ता को तदनुसार बिल जारी किया जायेगा।

मामला परिषद्/सरकार को फरवरी 1981/नवम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (माच 1983)।

9.03. राजस्व का प्रभारित न किया जाना

पहली जनवरी 1981 को विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, बस्ती में 1032 जनता सर्विस संयोजन थे। सम्परीक्षा (जुलाई 1981) में परख जांच में यह जानकारी में आया कि इन उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में अप्रैल 1979 से कोई प्रभारण नहीं किया गया। पांच रुपये प्रति संयोजन की सपाट दर पर भी (प्रति संयोजन न्यूनतम एक बिन्दु मानकर पांच रुपय प्रति बिन्दु की दर पर) प्रभारित न किये गये

राजस्व की धनराशि 1.33 लाख रुपय निकलती है (अप्रैल 1979 से फरवरी 1982)। खण्डीय अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 1982) कि बिलिंग मार्च 1982 में की जा चुकी थी। वसूली के विवरण, यदि कोई हों, प्रतीक्षित थे। प्रभारित न किये जाने के लिये उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित किया गया (दिसम्बर 1982)।

मामला परिषद् को दिसम्बर 1981 में और सरकार को नवम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

9.04 दण्ड की वसूली न करना

वाणिज्यिक खण्ड, गाजियाबाद में गाजियाबाद के एक बड़े उपभोक्ता की 150 एच पी (132.3 के वी ए के बराबर) की अनुमन्य मांग गलती से 150 के वी ए मान ली गई। इसके परिणाम स्वरूप दिसम्बर 1979 से जुलाई 1980 के दौरान उपभोक्ता द्वारा अनुमन्य मांग से अधिक शक्ति के आहरण के लिये 0.54 लाख रुपये के दण्ड की वसूली नहीं की गई।

मामला परिषद्/सरकार को जनवरी 1983 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

9.05. अदेय छूट प्रदान करना

वृहत शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची में नई औद्योगिक इकाईयों के लिये प्रारम्भिक आपूर्ति की दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि के लिये बिल की राशि पर मई 1979 तक 15 प्रतिशत और जून 1979 से आगे 10 प्रतिशत विकास छूट का प्राविधान था। विकास छूट शक्ति भंडारागारों को अनुमन्य नहीं थी क्योंकि ये प्रक्रियाकरण वाली ईकाइयां थी।

परख जांच (अप्रैल 1981) में जानकारी में आया कि विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, फैजाबाद ने अप्रैल 1971 से जून 1980 के दौरान छः शीत भण्डारागारों को 1.31 लाख रुपये की विकास छूट प्रदान की जो उन्हें अनुमन्य नहीं थी। खण्ड द्वारा बिल जारी किये जाने पर तीन उपभोक्ताओं (बकाया धनराशि 0.89 लाख रुपये) ने कानूनी प्रार्थना-पत्र दाखिल कर दिया जो विचाराधीन था (दिसम्बर 1982)।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (नवम्बर 1982) कि एक उपभोक्ता ने मार्च 1982 में बिल (0.11 लाख रुपये) का भुगतान कर दिया था; एक उपभोक्ता की लाइन असंयोजित की जा चुकी थी और एक अन्य उपभोक्ता ने मामला प्रस्तुत किया था जो परिषद् के विचाराधीन था।

मामला परिषद्/सरकार को अक्टूबर 1981/जनवरी 1983 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

9.06. कम निर्धारण

वृहत शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची एच वी-1 में मांग, जो कि अनुबन्धित मांग की 75 प्रतिशत या एक माह के अन्तर्गत वास्तविक अधिकतम मांग, जो अधिक हो, पर निर्धारित दरों पर मांग चार्ज के बिल जारी करने का प्राविधान है।

सम्परीक्षा (सितम्बर 1981) में एक परख जांच से प्रकट हुआ कि वाराणसी विद्युत आपूर्ति अण्डरटेकिंग ने वास्तविक अधिकतम मांग पर मांग चार्जेज का निर्धारण किया जबकि यह अनुबन्धित मांग के 75 प्रतिशत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप जून 1979 से जुलाई 1981 के दौरान 1.19 लाख रुपये (13 उपभोक्ता) की कम वसूली हुई।

अण्डरटेकिंग के अधीक्षण अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1982) कि जैसा कि सम्परीक्षा द्वारा इंगित किया गया इन उपभोक्ताओं को बिल जारी किय गये थ। 10 उपभोक्ताओं न बिलों (0.84 लाख रुपये) का भुगतान कर दिया था और तीन उपभोक्ताओं ने कानूनी प्रार्थना-पत्र दायर कर दिये

थे और उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे,। निर्णय प्रतीक्षित था (फरवरी 1983) ।

मामला परिषद् को अप्रैल 1982 में और सरकार को जनवरी 1983 में सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

9.07. दर सूची का गलत लगाया जाना

फूलपुर (इलाहाबाद) के एक उपभोक्ता को परियोजना स्थल विकास और निर्माण कार्य के लिए अक्टूबर 1976से980 के वी ए का एक भार (सितम्बर 1977 और जुलाई 1979 से क्रमशः 2000 के वी ए तक और 4000 के वी ए तक बढ़ाया गया) स्वीकृत किया गया । सितम्बर 1980 तक उपभोक्ता ने शक्ति का प्रयोग इस उद्देश्य के लिये किया और केवल अक्टूबर 1980 से शक्ति औद्योगिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग की गई ।

जैसा कि परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया (अप्रैल 1973), निर्माण उद्देश्यों के लिये वृहत और भारी शक्ति उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार मिश्रित भार दर–सूची के अन्तर्गत बिल किया जाना था लेकिन विद्युत वाणिज्यिक खण्ड, इलाहाबाद ने संयोजन दिये जाने की दिनांक से औद्योगिक उद्देश्यों क लिये शक्ति का प्रयोग कर रहे भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर–सूची के अन्तर्गत उपभोक्ता को बिल जारी किया । इसके परिणामस्वरूप 44.60 लाख रुपये का राजस्व कम प्रभारित हुआ ।

मामला परिषद् को सितम्बर 1981 में और सरकार को दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

9.08. न्यून प्रभार

परिषद् के आदेश (फरवरी 1980) के अनुसार सभी बेलन मिलों, आर्क और इन्डक्शन भट्टियों और लघु इस्पात प्लान्टों को भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर के स्थान पर 36.5 पैसा प्रति के डब्लू एच की एमान दर पर बिल जारी किया जाना था । नई दर पहली अगस्त 1979 से प्रभावी थी ।8700 के वी ए के अनुबंधित भार रखने वाले कानपुर के एक उपभोक्ता के पास लोहा और इस्पात भट्ठी के सम्बन्ध में 2950 के वी ए अतिरिक्त था । यद्यपि रोलिंग मिलों, लघु इस्पात प्लान्टों आदि को रखने वाले अन्य उपभोक्ताओं के बिल नई दर के अनुसार समायोजित किये गये थे इस्पात भट्टी मिल के लिए इस उपभोक्ता के बिलों के सम्बन्ध में पहली अगस्त से तीन सितम्बर 1979 की अवधि के लिये कोई समायोजन नहीं किया गया जिस के परिणामस्वरूप 0.36 लाख रुपये कम प्रभारित हुए ।

मामला परिषद्/सरकार को जनवरी 1983 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

9.09. अदेय छूट प्रदान करना

परिषद ने दर-सूची एच वी–2ए और एच बी–2 वी के अन्तर्गत आने वाले सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 12 अक्टूबर 1974 से 31 अगस्त 1975 की अवधि के लिए मांग प्रभारों में 25 प्रतिशत और न्यूनतम प्रभारों में 33 प्रतिशत की एक छूट स्वीकृत की (दिसम्बर 1976) बशर्ते वे सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के समक्ष एक शपथ पत्र, कि किसी भी न्यायालय में दर सूची एच वी–2ए और एच बी–2 बी के अन्तर्गत मांग/न्यूनतम प्रभारों के सम्बन्ध में कोई मामला बकाया नहीं पड़ा है, आल इण्डिया मैन्यूफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन (ए आई एम ओ) के इसी प्रकार के एक प्रमाण-पत्र के साथ, प्रस्तुत करें । छूट नकद नहीं प्रदान की जानी थी वरन् आगामी बिलों के विरुद्ध समायोजित की जानी थी ।

कानपुर के एक उपभोक्ता को जिसे कथित आदेशों के अन्तर्गत लाभ देय नहीं था कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एण्डमिनिस्ट्रेशन द्वारा 0.48 लाख रुपये की एक छूट प्रदान की गई (जनवरी 1980) (मार्च 1980 के बिल में क्रेडिट दिया गया) ।

उपभोक्ता ने ए आई एम ओ का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया और दर सूची के परिवर्तन से सम्बन्धित न कि मांग/न्यूनतम प्रभारों के सन्दर्भ में, कानूनी प्रार्थना-पत्र अपनी ही इच्छानुसार उसने वापिस ले लिया ।

अदेय छूट प्रदान करने के लिये परिषद् के आदेश प्राप्त नहीं किये गये ।

मामला परिषद्/सरकार को जनवरी 1982/जनवरी 1983 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

9.10. राजस्व की हानि

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, गाजियाबाद ने गाजियाबाद शहर में बिजली के खम्भों पर कियोस्क्स प्रदर्शन के लिये गाजियाबाद की एक फर्म के साथ 2000 रुपये प्रति वर्ष पर एक अनुबन्ध प्रतिपादित किया (जून 1969) । अनुबन्ध पांच वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिये वैध था और उसके बाद वर्ष प्रति वर्ष आधार पर नवीनीकृत किया जा सकता था । पांच वर्ष की प्रारम्भिक अवधि समाप्त होने पर अनुबन्ध लिखित में एक वर्ष का नोटिस देने के बाद किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता था । फर्म ने 16 मार्च 1973 के बाद से भुगतान करना बन्द कर दिया लेकिन अनुबन्ध की समाप्ति का नोटिस अक्टूबर 1975 में दिया गया । निविदाएं जून 1974 में आमन्त्रित की गई जब प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव 2500 रुपये प्रति वर्ष के लिये था लेकिन पहली फर्म के साथ कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिये न तो कार्य प्रदान किया गया नहीं अनुबन्ध प्रतिपादित किया गया । निविदाएं जुलाई 1981 में पुनः आमन्त्रित की गई जब 36414 रुपये प्रति वर्ष के लिये एक स्थानीय फम का उच्चतम प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और तीन वर्ष की अवधि के लिये एक अनुबन्ध निष्पादित किया गया (नवम्बर 1981) ।

जून 1974 में प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति पर पहले अनुबन्ध को समाप्त करने के लिये सामयिक कार्यवाही न करने और कार्य प्रदान न करने (जून 1974 और जुलाई 1981 में आमन्त्रित निविदाओं के आधार पर) के कारण परिषद को नवम्बर 1981 तक 0.27 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई जिसके लिये कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया (मार्च 1983) ।

मामला परिषद/सरकार को दिसम्बर 1981/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

9.11. कम वसूली

अलीगढ़ के एक उपभोक्ता को स्वतन्त्र फीडर के माध्यम से शक्ति आपूर्ति देने के लिये 1.51 लाख रुपये का एक प्राक्कलन तैयार किया गया (मार्च 1980) । धनराशि उपभोक्ता द्वारा अप्रैल 1980 में पूरी जमा कर दी गई ।

विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, अलीगढ़ की सम्परीक्षा (सितम्बर 1981) में परख जांच के दौरान यह जानकारी में आया कि प्राक्कलन में दर्शायी गई दरें चालू निर्गत दर नहीं बरन पहले की निर्गत दरें थीं । इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता से 0.63 लाख रुपये (सामग्री : 0.52 लाख रुपये और श्रम 0.11 लाख रुपये) कम प्रभारित हुए । खण्डीय अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 1981) कि प्राक्कलन परिवर्तित किया जारहा था और धनराशि उपभोक्ता से वसूल कर ली जायगी।

मामला परिषद को दिसम्बर 1981 में और सरकार को नवम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

9.12. बन्द/रुके हुए /मीटर्स

परिषद के आदेशों (अक्टूबर 1976) के अनुसार यदि एक उपभोक्ता का मीटर बन्द/रुका हुआ पाया जाता है तो प्रभारण पिछले तीन महीनों में अंकित अधिकतम मांग और उपभोग के आधार पर होना चाहिये ।

यह जानकारी में आया (अगस्त 1980 और मार्च 1982) कि छः उपभोक्ताओं (दो विद्युत वितरण खण्ड प्रथम,गोरखपुर में और चार विद्युत वितरण खण्ड,उन्नाव में)के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं, जिनके मीटर बन्द,रुके हुए पाये गये, के बिल पिछले तीन महीनों के दौरान अंकित अधिकतम मांग और उपभोग के आधार पर न बनाकर न्यूनतम प्रभार/औसत उपभोग के आधार पर बनाये गये । इसके परिणामस्वरूप 0.96 लाख रुपये (0.83 लाख रुपये-गोरखपुर-फरवरी 1978 से मार्च 1980, 0.13 लाख रुपये-उन्नाव-सितम्बर 1980 से फरवरी 1982) कम प्रभारित हुए ।

खण्डीय अधिकारी, गोरखपुर ने बताया (अक्टूबर 1982) कि एक उपभोक्ता से 0.69 लाख रुपये की वसूली दिसम्बर 1981 में की गई और दूसरे उपभोक्ता से 0.14 लाख रुपये की वसूली प्रतीक्षित थी ।

मामला परिषद को मार्च/जून 1982 में और सरकार को दिसम्बर 1982/जनवरी 1983 में सूचित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

9.13. अतिरिक्त प्रभार का न लगाया जाना

लाईसेन्सदारों, भारी और वृहत् शक्ति और मिश्रित भार (100 के डब्लू के ऊपर) उपभोक्ताओं पर लागू दर-सूची के अनुसार यदि मासिक बिलों का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता भुगतान न की गई धनराशि पर बिलम्ब के प्रतिदिन के लिये सात पैसे प्रति 100 रुपये या उसके भाग पर अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है ।

सम्परीक्षा (अगस्त 1980) में परख जांच में यह जानकारी में आया कि लखनऊ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अन्डरटेकिंग ने मार्च 1979 से जुलाई 1980 के दौरान 11 उपभोक्ताओं से बिलम्बित भुगतान के लिये अतिरिक्त प्रभार वसूल नहीं कि परिणामस्वरूप 3.44 लाख रुपये कम प्रभारित हुए ।

इसी प्रकार, विद्युत वाणिज्यिक खण्ड, इलाहाबाद ने बिलों के भुगतान में बिलम्ब (मई 1978 से फरवरी 1979) के लिये एक उपभोक्ता के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रभार नहीं वसूल किये परिणामस्वरूप 1.10 लाख रुपये कम प्रभारित हुए (जुलाई 1981) ।

सम्परीक्षा द्वारा बताये जाने (अगस्त 1980) पर लेसू ने अतिरिक्त प्रभारों के लिए सितम्बर 1980 तक की अवधि के लिए, दो विवादग्रस्त मामलों (0.01 लाख रुपये) को छोड़कर, बिल जारी किये और छः उपभोक्ताओं से 0.12 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी ।

मामला परिषद् को सितम्बर 1981/फरवरी 1982 में और सरकार को दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

9.14. अधिभार का न लगाया जाना

लघु/मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं (12 अक्टूबर 1974 से प्रभावी) और सिचाई उद्देश्य के लिये निजी नलकूपों/पम्प सेटों (पहली नवम्बर 1974 से प्रभावी) पर लागू दर-सूची के अनुसार देय तिथि तक मासिक बिलों का भुगतान न करने की अवस्था में उपभोक्ता बिल की धनराशि पर, बकायों, यदि कोई हों, को छोड़कर, 12 प्रतिशत का अधिभार भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है । यदि भुगतान में छः महीने से अधिक का बिलम्ब होता है (भुगतान की देय तिथि से आगामी मास के प्रथम दिन से गणना करने पर) तो उपभोक्ता ऐसे बिलम्ब की अवधि के लिये प्रतिमास या उसके भाग पर दो प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी है ।

सम्परीक्षा (जुलाई 1980) में परख जांच में यह जानकारी में आया कि विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, धामपुर में 29 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में बिलम्बित भुगतान के लिये दो प्रतिशत प्रति माह का अधिभार नहीं लगाया गया (नवम्बर 1974 से मई 1979) परिणामस्वरूप 0.95 लाख रुपये कम प्रभारित हुये ।

मामला परिषद्/सरकार को सितम्बर/दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

9.15. किश्तों की वसूली न करना

निजी नलकूपों और पम्प सेटों के लिये वरीयता आधार पर संयोजन देने के लिये वाणिज्यिक योजना (जुलाई 1972 से प्रारम्भ की गई) के अन्तर्गत संयोजन देने के लिये परिषद् द्वारा किया गया व्यय यदि 4000 रुपये तक है तो 700 रुपये की धनराशि उपभोक्ता से वसूलनी होती है। 4000 रुपये से अधिक लेकिन 6000 रुपये तक व्यय के लिये 1050 रुपये की धनराशि उपभोक्ता से वसूलनी होती है। वसूलियां दस समान वार्षिक किश्तों में की जानी होती है, पहली किस्त पम्प सेटों के ऊर्जीकृत होने से पूर्व वसूलनी होती है। यदि व्यय 6000 रुपये से अधिक है तो 6000 रुपये से ऊपर की पूरी धनराशि एकमुश्त वसूलनी होती है।

सम्परीक्षा (जुलाई 1981) में परख जांच ने प्रकट किया कि विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, बस्ती में 717 उपभोक्ताओं से 4.96 लाख रुपये की अप्रैल 1973 से मार्च 1979 तक देय किश्तें वसूल नहीं की गईं (सितम्बर 1982)। इसी प्रकार विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, बुलन्दशहर ने 233 उपभोक्ताओं (205 उपभोक्ता 70 रुपये प्रत्येक और 28 उपभोक्ता 105 रुपये प्रत्येक), जिन्हें योजना के अन्तर्गत 1972-73 और 1973-74 में संयोजन दिये गये थे, से 1.39 लाख रुपये की दूसरी व उसके बाद की किश्तों, जो अप्रैल 1973 और अप्रैल 1980 के बीच देय हुई, नहीं वसूल की गई थी (सितम्बर 1982)।

मामला परिषद्/सरकार को दिसम्बर 1980/जनवरी 1983 में और सरकार को अक्टूबर 1982 जनवरी 1983 में सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

9.16. विद्युत कटौती

1979-80 के दौरान (21 अगस्त 1979 से प्रभावी) शक्ति की कमी के कारण राज्य सरकार ने भारी, मध्यम और अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों के सम्बन्ध में अगस्त 1978 से जुलाई 1979 के 12 माह में से किसी भी माह में अंकित अधिकतम मांग या अनुबन्धित मांग, जो भी कम हो, पर 33.33 से 66.66 प्रतिशत की सीमा में विद्युत कटौती लगाई/अनुज्ञेय मांग के ऊपर कोई भी अधिकता प्रथम द्वितीय और उसके बाद की गलतियों के लिये विद्युत संयोजन हटाने के अलावा क्रमशः 100/200/300 रुपये प्रति के वी ए के दण्ड शुल्क के लिये उत्तरदायी है।

विद्युत वितरण खण्ड, हाथरस के अभिलेखों की परख जांच (सितम्बर 1981) से प्रकट हुआ कि दो उपभोक्ताओं ने समय-समय पर उन पर लगाई गई विद्युत कटौती का पालन नहीं किया और अपने आपको 0.28 लाख रुपये के दण्ड शुल्क के लिये उत्तरदायी बना लिया। यह इस आधार पर नहीं लगाया गया कि उपभोक्ताओं के ट्रिवेक्टोमीटरों के अधिकतम मांग सूचक उच्च अधिकारियों से आदेशों के देर से प्राप्त होने के कारण शून्य पर नहीं करे गये।

इसी प्रकार कानपुर इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन की सम्परीक्षा (सितम्बर 1980) में परख जांच में यह जानकारी में आया कि 20 उपभोक्ताओं ने अपने आपको कुल 6.43 लाख रुपये के दण्ड शुल्क के लिये उत्तरदायी बना लिया था जो लगाया नहीं गया। दण्ड शुल्क न लगाने के कारण अभिलेखों पर नहीं थे।

मामला परिषद्/सरकार को नवम्बर/दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

अनुभाग X

अन्य रोचक विषय

10.01. नकद का गबन

विद्युत परीक्षण खंड प्रथम 'मुरादाबाद का एक कर्मचारी' जिसे अगस्त 1979 में खजांची का कार्य सौंपा गया था, 23 मार्च 1981 से ड्युटी से फरार हो गया। जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा नियुक्त तहसीलदार की उपस्थिति में रोकड़ का बक्सा खोलने पर (25 अप्रैल 1981) 8336.44 रुपये कम पाये गये। सम्परीक्षा में यह देखा गया (नवम्बर 1981) कि फरवरी 1980 से फरवरी 1981 (आठ चैक) के दौरान आहरित की गई 0.51 लाख रुपये की धनराशि, जो क्षेत्रीय प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर (आर पी एफ सी), कानपुर के यहां भुगतान करनी थी, आर पी एफ सी को चैक द्वारा धनराशि का भुगतान करने के बजाय कर्मचारी के पक्ष में चैकों को पृष्ठांकित करके कर्मचारी द्वारा आर पी एफ सी के यहां नहीं जमा की गयी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गई (अप्रैल 1981) और कर्मचारी निलम्बित कर दिया गया (मई 1981)।

ना तो हानि के लिये कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया ना ही कोई वसूली की गई (मार्च 1983)।

मामला परिषद्/सरकार को दिसम्बर 1981/नवम्बर 1982 में सूचित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.02. सामग्री की कम प्राप्ति:

विद्युत पारेषण खण्ड, सहारनपुर द्वारा 25.5 मीट्रिक टन इस्पात की आपूर्ति के लिये कलकत्ता की एक फर्म को दिये गये आदेश (जुलाई 1980) में रेलवे रसीद के विरुद्ध 90 प्रतिशत भुगतान का प्राविधान था। फर्म को 25 मीट्रिक टन इस्पात के लिये दिनांक 6 दिसम्बर 1980 की दो रेलवे रसीदें प्रस्तुत करने पर 0.81 लाख रुपये (25 मीट्रिक टन इस्पात का 90 प्रतिशत मूल्य) का अग्रिम भुगतान किया गया (दिसम्बर 1980)।

रेलवे रसीदों के विरुद्ध 25 दिसम्बर 1980 को सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर केवल 1.5 मीट्रिक टन इस्पात प्राप्त हुआ। इस सामान की सुपुर्दगी रेलवे से फरवरी 1983 तक नहीं ली गई क्योंकि वे 23.5 मीट्रिक टन इस्पात (मूल्य : 0.73 लाख रुपये) की कम आपूर्ति के लिये तौल प्रमाण पत्र देने को सहमत नहीं हुए। जब मामला फर्म से उठाया गया तो यह दोहराया गया (दिसम्बर 1981) कि वास्तव में सम्प्रेषित इस्पात रेलवे रसीद के अनुसार 25 मीट्रिक टन था।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (फरवरी 1983) कि रेलवे, बीमा कम्पनी और आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध एक दीवानी मुकदमा दायर किया जा चुका था (मार्च 1982) क्योंकि उन्होंने दावा स्वीकृत नहीं किया था। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 1983)।

मामला परिषद्/सरकार को मार्च 1981/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.03. भण्डार में कमियां

विद्युत् भण्डार खण्ड, फैजाबाद (बहराइच सेक्टर) में सहायक भण्डारी द्वारा कार्यभार सौंपते समय 0.48 लाख रुपये मूल्य क 1835 किलोग्राम रद्दी तांबे की कमी जानकारी में आयी (जून

1979)/पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया गया (जुलाई 1979) और सहायक भण्डारी को निलम्बित किया गया (जुलाई 1979)। भण्डार का पूर्ण सत्यापन होने के बाद (मार्च 1980) सहायक भण्डारी के विरुद्ध भण्डार की कुल कमी 1.11 लाख रुपये निकली। ना तो शेष धनराशि (0.63 लाख रुपये) के लिये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गई, नाही वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई (मार्च 1983)।

मामला परिषद्/सरकार को अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.04. भण्डार का गबन

मुजफ्फरनगर इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग से विद्युत परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर को स्थानान्तरित एक अवर अभियन्ता को उसके द्वारा रखे गए भण्डार का कार्य भार सौंपे बिना 28 मार्च 1978 को मुक्त कर दिया गया। उप खण्डीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा किये गए (अप्रैल 1978) भौतिक सत्यापन से 1.10 लाख रुपये मूल्य के भण्डार की कमी प्रकट हुई। पुलिस में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया गया (जून 1978) और कर्मचारी को निलंबित किया गया (सितम्बर 1978)। पुलिस द्वारा की गई छानबीन के परिणाम प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)। अवर अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय जांच भी प्रारम्भ की गई और एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया (जुलाई 1981) जिसके परिणाम प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

मामला परिषद्/सरकार को अक्टूबर 1981/नवम्बर 1982 में सूचित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.05. सामग्री की कम आपूर्ति

अल्प अवधि निविदा आमन्त्रित करने के बाद टान्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा कलकत्ता की एक फर्म को 140 मीट्रिक टन नर्म इस्पात की आपूर्ति हेतु एक क्रय आदेश दिया गया (जनवरी 1980)। आदेश की शर्तों के अनुसार 95 प्रतिशत भुगतान बीजक और सम्प्रेषण अभिलेखों के विरूद्ध फर्म के प्रतिनिधि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा और पांच प्रतिशत उसके बाद 30 दिन के अन्दर या सामग्रियों की प्राप्ति पर किया जाना था। सामग्री का परिषद् के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्प्रेषण से पूर्व निरीक्षण किया जाना था।

फर्म ने 154 मीट्रिक टन इस्पात के लिए एक बीजक प्रस्तुत किया (फरवरी 1980) और आदेशित मात्रा से आपूर्त की गई मात्रा में 10 प्रतिशत अन्तर स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना की जो परिषद् द्वारा स्वीकार कर ली गई (अप्रैल 1980) जब कि केवल 140 मीट्रिक टन इस्पात परिषद् के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षित किया गया था। (मार्च 1980)। फर्म के प्रतिनिधि ने जो 5 जून 1980 को भुगतान प्राप्त करने के लिए परियोजना पर पहुंचा, माल डिब्बों के परियोजना स्थल पर आगमन की सूचना दी और अभिलेखों के विरुद्ध 17 जून 1980 को 5.01 लाख रुपये (95 प्रतिशत मूल्य) का भुगतान प्राप्त कर लिया। क्योंकि सामान के दृष्टिगत निरीक्षण से कम आपूर्ति मालूम पड़ी, फर्म से संयुक्त निरीक्षण के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रार्थना की गई (जून 1980)। क्योंकि फर्म कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रही परियोजना अधिकारियों ने 23 सितम्बर 1980 को एक लाइसैन्सदार निरीक्षक द्वारा सामग्री का निरीक्षण करवाया जिसके प्रतिवेदन से प्रकट हुआ कि प्राप्त माल का मूल्य फर्म को भुगतान किये गए 5.01 लाख रुपये के विरुद्ध केवल 1.40 लाख रुपये (वजन 40 मीट्रिक टन) था। माल की सुपुर्दगी अक्टूबर 1980 तक रेलवे द्वारा अभिलेखित प्रमाण-पत्र न देने और सम्प्रेषण पर लगाये गए विलम्ब शुल्क (0.21 लाख रुपये) और घाट शुल्क (0.33 लाख रुपये) माफ न करने के आधार पर नहीं ली गई।

परियोजना अधिकारियों द्वारा बताया गया (अक्टूबर 1980) कि विलम्ब शुल्क/घाट शुल्क माफ करने का प्रश्न रेलवे के साथ पत्र-व्यवहार में था और सम्प्रेषण की सुपुर्दगी का रेलवे नियमों के अनुसार प्रबन्ध किया जा रहा था। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 1983)।

मामला परिषद्/सरकार को फरवरी 1981/जनवरी 1983 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.06. अधिक भुगतान

विद्युत सब स्टेशन डिजाइन मण्डल, लखनऊ ने बम्बई की एक फर्म को पांच 100 के वी ए आटो-ट्रांसफार्मर्स (मूल्य: 52.73 लाख रुपये), जिसमें ट्रांसफार्मर तेल की पहली भराई और 10 प्रतिशत अतिरिक्त तेल की लागत सम्मिलित थी, की आपूर्ति के लिए एक आदेश दिया (मई 1976)।

सम्परीक्षा में परख जांच (जुलाई 1981) में यह जानकारी में आया कि फर्म द्वारा विद्युत् पारेषण खण्ड, सहारनपुर को आपूर्त (मार्च 1978) एक ट्रांसफार्मर के मामले में ट्रांसफार्मर तेल केवल पहली भराई के लिएपर्याप्त था और 10प्रतिशत अतिरिक्त तेल (4720 लीटर) नहीं आपूर्त किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप आपूर्त न किये गये अतिरिक्त तेल की लागत, जो मार्च 1978 में भुगतान की गई, के रूप में 0.40 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। लागत की वसूली के लिए की गई कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

मामला परिषद् को सितम्बर 1982 में और सरकार को जनवरी 1983 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.07. अनाधिकृत भुगतान

केन्द्रीय क्रय खंड, ओबरा द्वारा भारतीय मानक: 25/66 की विशिष्टियों के अनुरूप ग्रेड 90 (148 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 250 किलोग्राम और ग्रेड 80 (128 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम) व्हाइट मैटल की आपूर्ति के लिए दिल्ली की एक फर्म को दिये गये (जून 1979) एक क्रय आदेश में प्राविधान था कि बिना पूर्व निरीक्षण के पहली किश्त में फर्म द्वारा प्रत्येक मद की केवल 20 प्रतिशत मात्रा ही सम्प्रेषित की जायेगी और शेष पहली किश्त के अनुमोदन के पश्चात खण्ड से सूचना प्राप्त होने पर ही सम्प्रेषित की जायेगी।

फर्म ने आदेशित मात्रा की 20 प्रतिशत की पहली किश्त जून 1979 में आपूर्त की और सम्प्रेषण अभिलेखों के विरुद्ध 90 प्रतिशत भुगतान (0.11 लाख रुपया) किया गया (जुलाई 1979)। फर्म ने खण्ड से बिना किसी निर्देश के शेष मात्रा भी जुलाई 1979 में सम्प्रेषित कर दी और खण्ड ने प्रथम किश्त की सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना फर्म को 90 प्रतिशत भुगतान (0.36 लाख रुपये) कर दिया (अगस्त 1979)।

सत्यापन करने पर प्रथम किस्त में आपूर्त सामग्री निम्न गुणवत्ता की पायी गई (सितम्बर 1979)। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के खनिज अभियन्त्रण विभाग द्वारा बाद में किये गए विश्लेषण (दिसम्बर 1979) से भी प्रकट हुआ कि सामग्री का गठन वांछित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था। फर्म, जिसे सामग्री के निरस्तीकरण के बारे में सूचित किया गया (सितम्बर 1979), ने सामग्री को वापस लेने या बदलने से इन्कार कर दिया (फरवरी 1980) और वह शक्ति गृह में प्रयोग के लिये उपयुक्त न होने के कारण भण्डार में पड़ी हुई थी। सामग्री की अनियमित स्वीकृति और सामग्री की द्वितीय किश्त के लिए 0.36 लाख रुपये के भुगतान के लिए उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित किया गया था (दिसम्बर 1982)।

मामला परिषद् सरकार को फरवरी 1981, नवम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.08. घाट शुल्क के परिहार्य भुगतान

(क) मई और जून 1980 में लखनऊ की एक फर्म ने 220 के वी सुल्तानपुर-फूलपुर पारेषण लाइन के लिए रेल द्वारा प्रतापगढ़ को खम्भों के हिस्से (मूल्य: 8.43 लाख रुपये) आपूर्त किये। विद्युत् पारेषण खण्ड प्रथम, इलाहाबाद द्वारा रेलवे से पारेषण की सुपुर्दगी निधि की कमी और बैंक से सूचना के देर से मिलने के कारण नहीं ली जा सकी। यह घाट शुल्क के रूप में 0.81 लाख रुपये के भुगतान में परिणत हुआ। इसमें से 0.24 लाख रुपये की एक धनराशि रेलवे रसीद के देर से प्राप्त होने के कारण फर्म से वसूल कर ली गई (मार्च 1981)।

मामला परिषद्/सरकार को अप्रैल 1981/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

(ख) बम्बई की एक फर्म से 220 के वी नहटौर-मुरादाबाद लाइन के लिए खम्भों के हिस्सों का एक पारेषण रेल द्वारा प्राप्त हुआ (मई 1981)। पारेषण की सुपुर्दगी विद्युत् पारेषण खण्ड, बिजनौर द्वारा रेलवे को घाट शुल्क के रूप में 0.40 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद प्राप्त की गई (जुलाई 1981)।

इसी प्रकार 400 के वी सब-स्टेशन खण्ड वीरभद्र, रिषीकेश ने पारेषणों की सुपुर्दगी प्राप्त करने में विलम्ब के कारण अप्रैल 1980 से अगस्त 1981 के दौरान रेलवे को विलम्ब शुल्क व घाट शुल्क के रूप में 0.91 लाख रुपये का भुगतान किया। विलम्ब का कारण निधि की अनुपलब्धता को बताया गया।

मामला परिषद् को नवम्बर 1981 में और सरकार को नवम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.09. फालतू स्टाफ पर व्यय

विद्युत पारेषण खण्ड, सीतापुर (209) और विद्युत् 400 के वी सब-स्टेशन खण्ड, सरोजिनी नगर, लखनऊ (21) में 1980-81 और 1981-82 के दौरान क्रमश: 136 और 12 स्वीकृत स्थानों के विरुद्ध दो सौ तीस कुशल कुली/पेट्रोलमैन नियुक्त किये गए थे। अप्रैल 1980 में परिषद् ने दोनों खण्डों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध कुशल कुलियों/पैट्रोलमैन के 82 स्थान फालतू घोषित किये और खण्डों को उन व्यक्तियों को रायबरेली और सुल्तानपुर में नए खोले गए खण्डों को उन व्यक्तियों को रायबरेली और सुल्तानपुर में नए खोले गए खण्डों में पुन: नियुक्ति के लिए तुरन्त स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये। ये 82 कर्मचारी स्थानान्तरित नहीं किये गए और अपने पैतृक खंडों में जारी बने रहे और 1980-81 और 1981-82 के दौरान उनके वेतन और भत्तों का भार 7.40 लाख रुपये निकला (1982-83 के बारे में सूचना प्रतीक्षित थी)।

मामला परिषद्/सरकार को मई/नवम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.10. कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब

400 के वी सब स्टेशन, सुल्तानपुर में ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के लिए मल्टीफायर प्रणाली के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, स्थापना और प्रारम्भ करने का कार्य निविदाओं के आधार पर नई दिल्ली की एक फर्म को 10.10 लाख रुपये के लिए प्रदान किया गया (जुलाई 1978), इस में कास्ट आयरन डबल फ्लेन्ज्ड (सी आई डी एफ) पाइपों की लागत शामिल नहीं थी जो परिषद् द्वारा फर्म को आपूर्त किये जाने थे। कार्य जून 1979 तक पूर्ण किया जाना था। क्योंकि परिषद् पाइपों की आपूर्ति करने में असफल रहा, ठेकेदार ने काम बन्द कर दिया (मार्च 1981)। अत: मार्च 1979 तक ठेकेदार को चालू भुगतानों के विरुद्ध किया गया 7.05 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा (दिसम्बर 1982)।

सी आई डी एफ पाइपों की अभिप्राप्ति के लिए 400 के वी सब-स्टेशन, डिजाइन मण्डल, लखनऊ ने निविदाओं के आधार पर 1.59 लाख रुपये के लिए गाजियाबाद की एक फर्म को जनवरी 1980 में एक आदेश दिया। पाइप दो माह के अन्दर आपूर्त किये जाने थे। फर्म ने परिषद् के अधिकारियों द्वारा फर्म के कार्यस्थल पर निरीक्षित (जुलाई 1980), उनको सम्मिलित करते हुए जो विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये गये, 0.17 लाख रुपये मूल्य के पाइप आपूर्त किये (मार्च 1981)।

अतः अधीक्षण अभियन्ता ने फर्म को भुगतान किये गए (मार्च 1981) 0.17 लाख रुपये वसूल करने और कानूनी कार्यवाही भी प्रारम्भ करने के खंडीय अधिकारी, सुल्तानपुर को निर्देश दिये (अप्रैल 1981) क्योंकि यह धोखाधड़ी और जालसाजी का एक मामला समझा गया।

पाइपों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक अन्य आदेश 0.57 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत पर कलकत्ता की एक फर्म को दिया गया (सितम्बर 1981) जिसको भी गाजियाबाद की फर्म से फर्म के साथ प्रतिपादित अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार निर्धारित क्षति मूल्य के रूप में वसूल करना था।

मल्टीफायर प्रणाली चालू नहीं की गई थी (फरवरी 1983)। तथापि, निरस्त कर दिये गए पाइपों के लिए किये गए 0.17 लाख रुपये के भुगतान और निर्धारित क्षति मूल्य (0.57 लाख रुपये) की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मामला परिषद्/सरकार को दिसम्बर 1981/नवम्बर 1982 में सूचित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.11. संयुक्त निरीक्षण का प्रबन्ध न किये जाने के कारण दावे का निरस्तीकरण

वाराणसी इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग ने कोल इन्डिया लिमिटेड (सी आई एल) द्वारा आपूर्त 322.6 मीट्रिक टन कोयले का एक पारेषण प्राप्त किया (नवम्बर 1976) जिसमें सहायक अभियन्ता (उत्पादन) के प्रतिवेदन के अनुसार 50 से 60 प्रतिशत तक पत्थर और स्लेटी पत्थर मिला हुआ था। इस कोयले को संयुक्त निरीक्षण के लिए पृथक रखने के बजाय यह उतार लिया गया और शक्ति गृह पर कोयले के भण्डार में मिला लिया गया। अतः सी आई एल का प्रतिनिधि वस्तु-स्थिति को नहीं आंक सका और भाड़े के लिए 0.16 लाख रुपये सम्मिलित करते हुए 0.44 लाख रुपये के लिये दायर (नवम्बर 1976) दावा निरस्त कर दिया गया (जुलाई 1977)।

मामला परिषद्/सरकार को दिसम्बर 1981/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.12. सीमेन्ट की विलम्बित न की गई आपूर्ति के लिए ब्याज की वसूली न किया जाना

सीमेन्ट नियन्त्रक, भारत सरकार द्वारा जारी (मई 1975 और सितम्बर 1978) विज्ञप्तियों के अनुसार सीमेन्ट उत्पादकों/थोक विक्रय अभिकर्ताओं को अग्रिम भुगतानों की प्राप्ति की दिनांक से 15 दिन के अन्दर सीमेन्ट की आपूर्ति करनी थी, जिसमें असफल होने पर उन्हें 15 दिन से ऊपर की अवधि के लिए अग्रिम की धनराशि पर 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना था।

विद्युत् भण्डार, खण्ड, कानपुर के अभिलेखों की सम्परीक्षा में परख जांच (सितम्बर 1981) में यह जानकारी में आया कि खण्ड द्वारा मार्च 1979 से अप्रैल 1981 के दौरान किये गये अग्रिम भुगतान (10.88 लाख रुपये) के विरुद्ध सीमेन्ट उत्पादकों ने ना तो 15 दिन की निर्धारित अवधि के अन्दर सीमेन्ट आपूर्त किया नहीं उपरोक्त वर्णित विज्ञप्तियों के अनुसार देय ब्याज (0.56 लाख रुपये) का भुगतान किया। साथ ही, अप्रैल 1980 से अप्रैल 1981 के दौरान भुगतान किये गये अग्रिमों की शेष धनराशि के रूप में 2.04 लाख रुपये की धनराशि भी उनके पास बिना वापिस की हुई पड़ी थी (मार्च 1983)।

मामला परिषद्/सरकार को नवम्बर 1981/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षत थे (मार्च 1983)।

10.13. निर्माण में विलम्ब

परिषद् के आदेशों (अगस्त 1966) के अनुसार स्वतन्त्र फीडर के माध्यम से आपूर्ति किये जाने के लिए उपभोक्ताओं से लाइन के निर्माण की वास्तविक लागत वसलने योग्य होती है। विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय, गाजियाबाद के छः उपभोक्ताओं ने मार्च 1974 से मार्च 1975 के दौरान लाइनों के निर्माण की अनुमानित लागत के लिए 1.29 लाख रुपये जमा किये। अस्थायी प्राक्कलन (1974-75 में तैयार किये गये) अन्तिम प्राक्कलनों के तैयार होने पर समायोजन के आधीन थे। क्योंकि लाइन के निर्माण में विलम्ब हो गया था, अतः अध्यक्ष ने आदेश दिया (मई 1977) कि सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं, जिन्होंने लाइन की लागत पहले ही जमा कर दी थी, की लाइनों का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र कर दिया जाय। स्वतन्त्र फीडर्स मई 1980 में 3.41 लाख रुपये को लागत से निर्मित की गईं। इस प्रकार, अप्रत्याशित विलम्ब के कारण परिषद् को 2.12 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा जो उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया गया था क्योंकि अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार उनसे चालू दर पर नहीं वरन् पहले तैयार किये गए प्राक्कलनों के आधार पर वसूली होनी थी।

मामला परिषद्/सरकार को दिसम्बर 1981/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.14. लकड़ी के खम्भों की लागत की वसूली न करना

विद्युत् वितरण खण्ड, बरेली ने अप्रैल और दिसम्बर 1971 में कोआपरेटिव इलैक्ट्रिक सप्लाई सोसायटी, लखनऊ को 1200 लकड़ी के खम्भे आपूर्त किये। खम्भों की लागत के 1.61 लाख रुपये के बिल जनवरी 1975 (0.23 लाख रुपये) और अप्रैल 1975 (1.38 लाख रुपये) जारी किये गये। इन बिलों का भुगतान सोसायटी द्वारा नहीं किया गया (दिसम्बर 1982) क्योंकि सोसायटी द्वारा प्राप्त और खण्ड द्वारा प्रेषित खम्भों की संख्या में कुछ अन्तर थे। खण्डीय अधिकारी ने बताया (फरवरी 1983) कि परिषद् द्वारा जारी मांग सही थी और सोसायटी से धन-राशि की वसूली के लिये परिषद् स्तर पर प्रयास किये जा रहे थे।

मामला परिषद्।सरकार को दिसम्बर 1981, नवम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 1982)।

10.15. ट्रांसफार्मरों की मरम्मत

परिषद् द्वारा लखनऊ की एक फर्म के साथ क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की मरम्मत और परीक्षण के लिए निष्पादित (दिसम्बर 1974) एक दर अनुबन्ध के विरुद्ध विद्युत् वितरण खण्ड, पीलीभीत के 91 ट्रांसफार्मर 2.59 लाख रुपये की लागत पर फर्म द्वारा मरम्मत किये गए। इनमें से 29 ट्रांसफार्मर मरम्मत की गारन्टी अवधि के भीतर खराब हो गए (नवम्बर 1977 से दिससबर 1978)। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार फर्म को इन ट्रांसफार्मर की मरम्मत बिना लागत के करनी थी लेकिन फर्म ने ऐसा नहीं किया और ये खण्ड में बेकार अवस्था में पड़े हुए थे (दिसम्बर 1982)। अतः इन 29 ट्रांसफार्मरों के संबंध में 1.17 लाख रुपये की मरम्मत लागत निष्फल हो गयी।

मामला परिषद्/सरकार को अप्रैल 1981/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.16. बिक्री कर का अनाधिकृत भुगतान

[redacted]णसी इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग ने 3800 सीमलैस कन्डैन्सर ब्रास ट्यूब्स की आपूर्ति [redacted]विदाएं आमन्त्रित की (सितम्बर 1979)/प्राप्त (अक्टूबर 1979) दो निविदाओं में से

कोटा की एक फर्म का निम्नतम प्रस्ताव जिसमें बैंक चार्जेज अतिदेय ब्याज के भुगतान सहित पूरा भुगतान बैंक के माध्यम से अभिलेखों के सम्प्रेषण के विरुद्ध करने की शर्त थी, स्वीकार किया गया। अतिदेय ब्याज की दर और दिनांक जिससे यह देय होगा के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किये बिना आदेश दिया गया (जनवरी 1980)।

फर्म ने अप्रैल और सितम्बर 1980 के बीच ट्यूब्स सम्प्रेषित की। निधि की अनुपलब्धता के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा बैंक के माध्यम से भेजे गए सम्प्रेषण अभिलेख छुड़ाने में 5 से 74 दिन तक का विलम्ब हुआ। बैंक ने, फर्म के कहने पर, बैंक सूचना जारी किये जाने की दिनांक से बिलों की धनराशि पर 20 प्रतिशत की दर से अतिदेय ब्याज लगाया जो 0.35 लाख रुपये था।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने बताया (अगस्त 1982) कि परिषद से निधि प्राप्त करने के लिए प्रबल प्रयास किये गये थे लेकिन तथ्य यह था कि परिषद् इसका प्रबन्ध पहले नहीं कर सका।

मामला परिषद्/सरकार को जनवरी 1983 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.17. बिक्री कर का अनाधिकृत भुगतान

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (आई डी ए) साख के विरुद्ध क्रयों की शर्तों के अनुसार निर्मित उत्पादों पर उत्पाद कर नकद सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिपूर्त किया जाना था। यह क्रेता (परिषद्) द्वारा नहीं भुगतान की जानी थी और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सीधे दावा किया जाना था। क्योंकि उत्पाद पर क्रेता द्वारा भुगतान नहीं किया जाना था, यह बिक्री कर के निर्धारण के उद्देश्य के लिए वस्तुओं के विक्रय मूल्य में नहीं शामिल होना था।

आई डी ए साख के विरुद्ध कन्डक्टर, ट्रांसफार्मरों, इन्सुलेटरों, मीटरों आदि की आपूर्ति के लिये अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् भण्डार अभिप्राप्ति मण्डल तृतीय, लखनऊ द्वारा आमन्त्रित (अक्टूबर 1979) निविदाओं के विरुद्ध पटना की तीन फर्मों और लखनऊ की एक फर्म ने उत्पाद कर की धनराशि पर बिक्री-कर (0.70 लाख रुपये) मांगा और भुगतान किया गया (अगस्त 1980 से जनवरी 1981), परिषद् द्वारा फर्मों से उत्पादकर पर चार्ज किये गये बिक्री कर की धनराशि वापिस करने के लिए प्रार्थना की गई (मार्च 1981) लेकिन उसकी वसूली प्रतीक्षित थी (मार्च 1983)।

मामला परिषद्/सरकार को दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.18. निविदाओं के निर्णय में विलम्ब

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् क्रय खण्ड, कासिमपुर (अलीगढ़) ने अल्यूमूनियम ब्रास ट्यूब्स के क्रय के लिये निविदाएं आमन्त्रित की (जुलाई 1978)। अगस्त 1978 में निविदाओं के खोलने पर यह पाया गया कि निविदा सूचना में वर्णित ट्यूब्स की विशिष्टि गलत थी। इस निविदा सूचना के विरुद्ध पांच फर्मों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिसमें से बम्बई की एक फर्म ने ट्यूब्स की सही विशिष्टियों के लिये दर प्रस्तावित की; स्थिर दर 63.85 रुपये प्रति किलोग्राम जमा एक रुपया प्रति किलोग्राम परीक्षण के लिये थी लेकिन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।

सही विशिष्टि के लिए नई निविदाएं आमन्त्रित की गईं (अक्टूबर 1978) और कोटा की एक फर्म द्वारा प्रस्तावित निम्नतम दर कोटा रेलवे स्टेशन तक निष्प्रभार 71.17 रुपये प्रति किलोग्राम जमा एक रुपया प्रति किलोग्राम परीक्षण चार्जेज के लिये थी। ये निविदाएं 24 अक्टूबर 1978 को खोली गईं लेकिन वैधता अवधि, जो 31 मार्च 1979 तक बढ़वा ली गयी थी, के अन्दर निर्णित नहीं की गईं। निविदाएं बढ़ी हुई वैधता अवधि के अन्दर भी निर्णित नहीं की जा सकीं, परिणामस्वरूप, निम्नतम निविदा-

दाता ने दर को बढ़ा कर 86.30 रुपया प्रति किलोग्राम जमा 2.50 रुपया प्रति किलोग्राम परीक्षण चार्जेज के लिये कर दिया। आदेश अन्तिम रूप से बढ़ी हुई दर पर दिया गया (जून 1979)।

इस प्रकार, निविदाओं के निर्णय में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.22 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। यदि सही विशिष्टि के लिये निविदा आमन्त्रित की गई होती तो 0.60 लाख रुपये की और बचत हुई होती।

मामला परिषद्/सरकार को अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.19. घटी हुई अल्युमूनियम तत्व के लिए दरों का न घटाया जाना

(i) विद्युत भण्डार अभिप्राप्ति मण्डल प्रथम, लखनऊ द्वारा खोली गई (मई 1976) निविदाओं में निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित "व्हीजल", "रैबिट" और "डाग" कन्डक्टर की आपूर्ति के लिये दरों में "व्हीजल", "रैबिट" और "डाग" कन्डक्टरों के लिये क्रमशः अल्युमूनियम तत्व की मात्रा प्रति किलोमीटर 86.8 से 87 किलोग्राम, 144.8 से 145 किलोग्राम और 288 से 288.3 किलोग्राम थी। चूंकि अल्युमूनियम कन्डक्टरों के क्रय पर भारत सरकार द्वारा एक अनुदान का भुगतान किया जाना था, प्रति किलोमीटर अल्युमूनियम तत्व निकालने के लिये गणना की विधि जैसीकि भारत सरकार द्वारा बतायी गई और मण्डल द्वारा गणना की गई (अक्तूबर 1976) "व्हीजल," "रैबिट" और "डाग" कन्डक्टरों के लिये क्रमशः 86.54, 144.76 और 287.46 किलोग्राम प्रति किलोमीटर था।

26 फर्मों को आदेश देते समय घटी हुई अल्यूमूनियम तत्व के लिये दरों में अनुरूप घटोतरी किये बिना आपूर्तियों के तकनीकी विवरणों में मण्डल द्वारा निकाला गया घटा हुआ अल्युमूनियम तत्व सम्मिलित किया गया। इसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्त्ताओं को 2.40 लाख रुपय का अतिरिक्त लाभ हुआ।

(ii) इसी प्रकार के लाभ (0.13 लाख रुपये) विद्युत भण्डार अभिप्राप्ति मण्डल द्वितीय द्वारा फरवरी 1977 में खोली गई निविदाओं के विरुद्ध "व्हीजल" और "रैबिट" कन्डक्टरों के लिये दिये गये आदेशों के मामले में प्रदान किये गये।

मामला परिषद्/सरकार को दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

10.20. कैपेसिटर बैंक की त्रुटिपूर्ण आपूर्ति

वोल्टेज में उतार चढ़ाव से बचने के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी एच ई एल) द्वारा आपूर्त (सितम्बर 1974) 1008 के वी ए आर क्षमता का एक कैपेसिटर बैंक (मूल्य : 0.98 लाख रुपया) कासगंज सब-स्टेशन पर मई 1976 में प्रारम्भ किया गया। इसने काम करना बन्द कर दिया (अप्रैल 1977) और परीक्षण करने पर (अप्रैल 1977) यह जानकारी में आया कि इसका वोल्टेज ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त था। मामला मरम्मत के लिये अगस्त 1977 में बी एच ई एल को प्रेषित किया गया लेकिन उसके बाद अनुसरित नहीं किया गया और कैपेसिटर बैंक बिना मरम्मत के पड़ा हुआ है (जनवरी 1983)।

खण्डीय अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, एटा ने बताया (मई 1982) कि 132/33/11 के वी कासगंज सब-स्टेशन के ऊर्जीकृत हो जाने से (जुलाई 1981) वोल्टेज के उतार चढ़ाव की समस्या नहीं रही थी।

मामला परिषद्/सरकार को अप्रैल 1981/नवम्बर 1982 में सूचित किया गया ; उत्त
थे (मार्च 1983)।

10.21. न वसूल किये गये देय

विद्युत चार्जेज उपभोक्ता द्वारा बिल में निर्दिष्ट देय तिथि तक भुगतान किये जाने होते ह । यदि एक उपभोक्ता देय तिथि तक विद्युत देयों का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसकी आपूर्ति सूचना की दिनांक से सात दिन बाद काटी जा सकती है और उसको बिल में निर्दिष्ट भुगतान की देय तिथि से 30 दिन की समाप्ति के बाद एक मांग सूचना भेजी जा सकती है । फिर भी, यदि उपभोक्ता मांग सूचना के जारी किय जान के 30 दिन के अन्दर बिल का भुगतान करने में असफल रहता है तो विद्युत देयों की वसूली भू-राजस्व के बकाओं के रूप में की जानी होती है और उसके लिये वसूली प्रमाणपत्र देयों की वसूली करने के लिये जिलाधिकारी को भेजे जाने होते हैं ।

24 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 1.03 लाख रुपये के लिये वसूली प्रमाण पत्र विद्युत वितरण खण्ड तृतीय,बुलन्दशहर द्वारा भुगतान के लिये देयतिथि से एक से पांच वर्ष बाद जारी किये गय (फरवरी 1978 से फरवरी 1980)। इन मामलों में जिलाधिकारी ने धनराशि की वसूली में अपनी असमर्थता प्रकट की (मार्च-अप्रैल 1980) क्योंकि या तो उपभोक्ताओं को ढूंढा नहीं जा सका या उनके नाम कोई सम्पत्ति नहीं थी ।

इसी प्रकार 78 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 0.30 लाख रुपये के लिये वसूली प्रमाण-पत्र विद्युत वाणिज्यिक खण्ड, बरेली द्वारा भुगतान की देय तिथि के एक से पांच वर्ष बाद जारी किये गये (फरवरी से दिसम्बर 1980) । इन मामलों में जिलाधिकारी ने धनराशि की वसूली में अपनी असमर्थता प्रकट की (जुलाई से सितम्बर 1981) क्योंकि कुछ उपभोक्ताओं का अता-पता उपलब्ध नहीं था, कुछ स्वर्गवासी हो गये थे और कुछ के नाम कोई सम्पत्ति नहीं थी ।

मामला परिषद्/सरकार को दिसम्बर 1981/अक्तूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

अनुभाग XI

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

11.01. विषय प्रवेश

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अधीन पहली जून 1972 को स्थापित किया गया ।

11.02.01. पूंजी

अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पूंजी में दिया गया अंशदान 31 मार्च 1979 को इस प्रकार था :

	31 मार्च को		प्रतिशत वृद्धि
	1978	1979	
	(लाख रुपयों में)		
केन्द्रीय सरकार	495.10	559.50	13.0
राज्य सरकार	1,650.00	2,133.00	29.3
	2,145.10	2,692.50	25.5

11.02.02. प्रत्याभूतियां

निम्नलिखित तालिका निगम द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी तथा उन पर ब्याज की अदायगी के लिये सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के विवरण दर्शाती है :

विवरण	प्रत्याभूति का वर्ष	प्रत्याभूति राशि*	31 मार्च 1982 को बकाया राशि*		
			मूलधन	ब्याज	योग
			(लाख रुपयों में)		
बैंक	1972–73				
	1973–74 व 1975-76	1325	450.00	..	450.00
इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया (बिल डिस्काउंटिंग स्कीम)	1975-76 से 1977-78	1300	1.00	0.63	1.63
		2625	451.00	0.63	451.63

*वित्तीय लेखाओं के अनुसार आंकड़े 1605 और 4.90 लाख रुपये हैं । अन्तर समाधान के अन्तर्गत है ।

11.02.03. **वार्षिक स्थिति**

1978-79 तक तीन वर्षों के लिए मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत निगम की वित्तीय स्थिति संक्षेप में नीचे तालिका में दी जाती है :

	1976-77	1977-78	1978-79 (अनन्तिम)
		(लाख रुपयों में)	
दायित्व			
पूंजी	1725.00	2145.10	2692.50
संचित एवं आधिक्य	58.60	68.95	79.08
उधार	3467.92	2927.90	3122.46
व्यापारिक देय एवं अन्य चालू दायित्व	3074.41	3181.11	3582.45
योग	8325.93	8323.06	9476.49
परिसम्पत्तियां			
सकल ब्लाक	8039.95	8651.07	9861.73
घटायें : ह्रास	3513.94	4180.96	5023.03
शुद्ध अचल सम्पत्तियां	4526.01	4470.11	4838.70
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	7.65	..	..
निवेश	92.08	92.08	92.08
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम	3605.72	3628.70	4169.93
संचयी हानियां	94.47	132.17	375.78
योग	8325.93	8323.06	9476.49
नियोजित पूंजी	5057.32	4917.70	5426.18
निवेशित पूंजी	5192.92	4990.97	5814.96

11.02.04. **कार्य चालन परिणाम**

निगम के 1978-79 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणामों का ब्योरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

	1976-77	1977-78	1978-79 (अनन्तिम)
		(लाख रुपयों में)	
परिचालन			
राजस्व	5653.98	6018.27	6754.44
व्यय	5429.83	5920.47	6923.27
आधिक्य (+)/ कमी (-)	224.15	97.80	(-)168.83

टिप्पणी--- नियोजित पूंजी निबल स्थाई परिसम्पत्तियां और कार्यचालन पूंजी की द्योतक है । निवेशित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक ऋणों और मुक्त आरक्षित निधियों की द्योतक है ।

	1976–77	1977–78	1978–79 (अनन्तिम)
			(लाख रुपयों में)
गैर-परिचालन			
राजस्व	204.89	221.14	267.91
व्यय	308.09	354.95	346.47
घाटा	103.20	133.81	78.56
योग			
राजस्व	5858.87	6239.41	7022.35
व्यय	5737.92	6275.42	7269.74
शुद्ध लाभ (+) / शुद्ध हानि (–)	(+)120.93	(–)37.01	(–)247.39
पूंजी और दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज	353.45	383.64	380.01
लघु कालीन ऋणों पर ब्याज	18.21	34.88	30.03
नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	492.61	382.51	162.65
निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिफल	492.61	347.63	132.62
प्रतिफल की दर		(प्रतिशत)	
नियोजित पूंजी	9.6	7.8	3.0
निवेशित पूंजी	9.5	7.0	2.3

11.03. परिचालन निष्पादन

1981–82 तक तीन वर्षों के लिये निगम का परिचालन निष्पादन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

	1979–80	1980–81 (अनन्तिम)	1981–82
मार्ग किलोमीटर	263178	287748	284862
परिचालन डिपो की संख्या	75	75	93
रक्खी गई गाड़ियों की औसत संख्या	5713	5769	5996
सड़क पर गाड़ियों की औसत संख्या	4484	4526	4650
उपभोग की प्रतिशतता	78	78	78
तय किये गये किलोमीटर (लाखों में)			
—सकल	4063.21	4327.11	4045.00
—प्रभावी	3972.00	4227.85	3942.00
—निष्फल (विभागीय मिलाकर)	91.21	99.26	103.00

में बसें, टैक्सियां और ट्रक सम्मिलित हैं।

	1979–80	1980–81 (अनन्तिम)	1981–82
निष्फल किलोमीटर की सकल किलोमीटर से प्रतिशतता	2.7	3.0	2.6
प्रति बस प्रतिदिन औसत किलोमीटर	217	219	210
अनुसूचित यात्री किलोमीटर (लाखों में)	4209.45	4559.35	उपबन्ध नहीं
परिचालित यात्री किलोमीटर (लाखों में)	3653.59	3731.14	3929.79
अधिभोग अनुपात	86.8	81.8	उपबन्ध नहीं
प्रति लाख किलोमीटर पर खराब होने की औसत संख्या	0.10	0.11	0.11
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.28	0.18	0.18
प्रति प्रभावी किलोमीटर औसत राजस्व (पैसे)	209	216	282
प्रति प्रभावी किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	206	241	289
लाभ (+)/हानि (–) प्रति किलोमीटर (पैसे)	(+) 3	(–) 23	(–) 7

11.04. लखनऊ क्षेत्र

11.04.01. विषय प्रवेश

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 31 मार्च 1982 को 93 डिपो के साथ 18 क्षेत्र थे।

निगम के लखनऊ क्षेत्र में सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, लखीमपुर, चारबाग, कैसरबाग, अमौसी और लखनऊ में नगर बस आठ डिपो और लखनऊ में एक क्षेत्रीय कार्यशाला है।

11.04.02. संगठनात्मक व्यवस्था

क्षेत्रीय प्रबन्धक क्षेत्र का व्यापक प्रभारी है। डिपो का कार्य पांच सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों और क्षेत्रीय कार्यशाला का कार्य सेवा प्रबन्धक द्वारा देखा जाता है।

11.04.03. कार्य चालन फल

(क) क्षेत्र के 1981–82 तक के तीन वर्षों के अनन्तिम वार्षिक लेखाओं पर आधारित कार्य चालन फल नीचे दर्शाये गये हैं:

	1979–80		1980–81		1981–82	
	निगम की गाड़ियां	निजी गाड़ियां	निगम की गाड़ियां	निजी गाड़ियां	निगम की गाड़ियां	निजी गाड़ियां
	(रुपये लाखों में)					
परिचालन						
राजस्व	510.79	150.32	531.46	181.47	752.46	90.31
व्यय	569.62	100.80	690.27	136.62	868.50	49.72
आधिक्य (+)/कमी (–)	(–)58.83	(+)49.52	(–)158.81	(+)44.85	(–)116.04	(+)40.59
गैर परिचालन						
राजस्व	21.74	..	11.39	..	27.80	..
व्यय	33.01	..	38.90	..	45.25	..
कमी (–)	(–)11.27	..	(–)27.51	..	(–)26.45	..
कुल लाभ (+)/हानि (–)	(–)70.10	(+)49.52	(–)186.32	(+)44.85	(–)142.49	(+)40.59
कुल राजस्व किलोमीटर (लाखों में)	257.28	74.57	256.78	93.89	279.41	31.74
परिचालन राजस्व प्रति किलोमीटर	1.99	2.02	2.07	1.93	2.69	2.85
परिचालन व्यय प्रति किलोमीटर	2.21	1.35	2.61	1.46	3.11	1.57
परिचालन हानि (–)/लाभ (+) प्रति किलोमीटर	(–)0.22	(+)0.67	(–)0.54	(+)0.47	(–)0.40	(+)1.28

क्षेत्र 1972–73 से हानि उठाता रहा है। 31 मार्च 1982 को संचित हानि 576.09 लाख रुपये थी।

(ख) क्षेत्र के 1981-82 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणाम निम्नलिखित थे:

डिपो का नाम	1979-80 व्यय	1979-80 आय	1979-80 शुद्ध लाभ (+)/ हानि (--)	1980-81 व्यय	1980-81 आय	1980-81 शुद्ध लाभ (+)/ हानि (--)	1981-82 व्यय	1981-82 आय	1981-82 शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)
					(लाख रुपयों में)				
चारबाग	157.23	168.37	(+)11.14	178.20	156.22	(-)21.98	204.93	197.03	(--) 7.90
कैसरबाग	177.20	189.03	(+)11.83	219.18	195.08	(--)24.10	220.24	216.55	(-) 3.69
रायबरेली	108.07	114.53	(+) 6.46	130.32	125.95	(-) 4.37	163.17	160.94	(-) 2.23
सीतापुर	116.77	125.63	(+) 8.86	139.17	135.08	(-) 4.09	131.43	128.79	(-) 2.64
नगर बस	113.20	64.12	(-) 49.08	123.04	61.67	(-)61.37	139.55	83.38	(-)56.17
अमौसी	30.96	21.17	(-) 9.79	75.88	50.32	(-)25.56	84.00	50.93	(-)33.07
बाराबंकी*	..	..	..	..	..	..	14.88	15.21	(+) 0.33
लखीमपुर*	..	..	..	..	..	..	14.27	17.74	(+) 3.47
योग	703.43	682.85	(-) 20.58	865.79	7243.2	(-) 141.47	972.47	870.57	(-) 101.90

*इन डिपो (बाराबंकी व लखीमपुर) का परिचालन क्रमशः जून 1980 और फरवरी 1981 से प्रारम्भ हुआ।

क्षेत्र ने जनवरी और फरवरी 1982 में अर्धकुम्भ मेला 1982 के लिये बसें चलाई और प्रबन्धकों के हिसाब से 5.71 लाख रुपयों के कुल व्यय के विपरीत 3.93 लाख रुपये अर्जित किये। मेला में कुल चलाई गई बसों की संख्या और कुल चले निष्फल किलोमीटरों का विवरण अभिलेख में नहीं था। हानि के कारणों की भी खोजबीन नहीं की गई (मार्च 1983)।

प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1982) कि निगम बनाये जाने के बाद प्रयोग में लाई जाने वाली बड़ी वस्तुओं के मूल्य 300 प्रतिशत तक बढ़ चुके थे जबकि किराया केवल 101 प्रतिशत तक ही बढ़ा।

11.04.04. बेड़े की स्थिति

(क) 31 मार्च 1982 को क्षेत्र के पास बेड़े में 504 बसें (टाटा 400, लेलैन्ड 104) थीं। 504 बसों में से 94 बसें 8 वर्षों से अधिक पुरानी थीं, 170 बसें 5 वर्षों से अधिक किन्तु 8 वर्षों से कम पुरानी थीं और 240 बस 5 वर्षों से कम पुरानी थीं।

निगम द्वारा 1970 में निर्धारित मानक के अनुसार 4.8 लाख किलोमीटर चल चुकने पर (3 लाख किलोमीटर नवीकरण के पूर्व और 1.8 लाख किलोमीटर उसके बाद) एक बस को बदल देना चाहिये। 31 मार्च 1982 को परिचालित किलोमीटरों से सम्बन्धित बसों की सामूहिक स्थिति इस प्रकार थी :

डिपो	परिचालित किलोमीटर		
	4.8 लाख किलो-मीटर से अधिक	3 लाख किलो-मीटर से अधिक किन्तु 4.8 लाख किलोमीटर से कम	3 लाख किलो-मीटर से कम
	(बसों की संख्या)		
नगर बस	9	42	40
चारबाग	28	26	33
कैसरबाग	28	21	37
रायबरेली	23	25	43
सीतापुर	15	21	15
अमौसी	1	6	35
बाराबंकी	23	7	2
लखीमपुर	1	2	21
योग	128	150	226

31 मार्च 1982 को क्षेत्र में 128 बसें (25 प्रतिशत) थीं जो कि निर्धारित जीवनकाल पूर्ण कर चुकी थी और बदले जाने की प्रतीक्षा में थीं।

मानक के अनुसार, तीन लाख किलोमीटर चल चुकने के पश्चात् एक बस के पुनरोद्धार करने की आवश्यकता होती है। क्षेत्र में 133 बसें, 31 मार्च 1982 को, ऐसी थीं जो तीन लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी थीं किन्तु अभी उनका पुनरोद्धार नहीं किया गया था।

(ख) बेड़े की शक्ति

मार्ग में खराब होने, अनुरक्षण व मरम्मत के कारण कमी को पूरा करने के लिये अनुसूचित परिचालन के लिये चाही गई बसों के 25 प्रतिशत की दर से (15 प्रतिशत डिपो में, 5 प्रतिशत क्षेत्रीय कार्यशाला में और 5 प्रतिशत केन्द्रीय कार्यशाला में) आरक्षण करने का क्षेत्र में प्राविधान है।

31 मार्च 1981–82 तक तीन वर्षों में डिपों में रक्खी गई बसों की संख्या (मार्ग से बाहर बसों के सहित) और चाही गई बसों की संख्या (अनुसूची की संख्या के 15 प्रतिशत आरक्षण सहित), निम्नलिखित दर्शायी गई थी :

डिपो का नाम	अनुसूचित बसों की संख्या	15 प्रतिशत की दर से आरक्षण	कुल आवश्यक संख्या	मार्ग पर बसों की संख्या (आरक्षण सहित)	मार्ग से बाहर बसों की संख्या	डिपो में रक्खी गई बसों की कुल संख्या	आधिक्य (+)/ कमी (−)
31 मार्च 1980 को							
चारबाग	66	10	76	69	14	83	(+) 7
कैसरबाग	77	12	89	78	13	91	(+) 2
नगर बस	79	12	91	85	14	99	(+) 8
अमौसी	29	4	33	26	3	29	(−) 4
सीतापुर	47	7	54	49	12	61	(+) 7
रायबरेली	56	8	64	57	13	70	(+) 6
योग	354	53	407	364	69	433	(+) 26
31 मार्च 1981 को							
चारबाग	69	10	79	72	15	87	(+) 8
कैसरबाग	71	11	82	73	15	88	(+) 6
नगर बस	71	11	82	73	14	87	(+) 5
अमौसी	38	6	44	41	10	51	(+) 7
सीतापुर	49	7	56	49	12	61	(+) 5
राय बरेली	62	9	71	63	12	75	(+) 4
बाराबंकी	17	3	20	14	..	14	(−) 6
लखीमपुर	8	1	9	8	..	8	(−) 1
योग	385	58	443	393	78	471	(+) 28
31 मार्च 1982 को							
चारबाग	66	10	76	67	20	87	(+) 11
कैसरबाग	66	10	76	66	20	86	(+) 10
नगर बस	76	11	87	84	7	91	(+) 4
अमौसी	34	5	39	35	7	42	(+) 3
सीतापुर	41	6	47	41	10	51	(+) 4
राय बरेली	78	12	90	77	14	91	(+) 1
बाराबंकी	22	3	25	22	10	32	(+) 7
लखीमपुर	19	3	22	19	5	24	(+) 2
योग	402	60	462	411	93	504	(+) 42

प्रबन्धकों द्वारा आरक्षण से अधिक बसें रोकी रखने के मुख्य कारण फालतू पुर्जों और रिकन्डीशन्ड असेम्बलियों की कमी बताई गई (अक्तूबर 1982)।

11.04.05 परिचालन निष्पादन

11.04.05.01. 1981–82 तक तीन वर्षों के लिये क्षेत्र का परिचालन निष्पादन

(किराय की और अपनी दोनों बसें) निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

	1979–80	1980–81	1981–82
शिड्यूल्स की औसत संख्या	उपलब्ध नही	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		(लाखों में)	
अनुसूचित किलोमीटर	388.71	461.31	435.04
तय किये गये सकल किलोमीटर	338.46	358.31	318.21
तय किये गये प्रभावी किलोमीटर	331.85	350.67	311.15
निष्फल किलोमीटर	6.61	7.64	7.06
		(प्रतिशत)	
परिचालन क्षमता	85.4	76.0	71.5
निष्फल किलोमीटर की सकल किलोमीटर से प्रतिशतता	1.9	2.1	2.2
		(लाख रुपयों में)	
परिचालन राजस्व	661.11	712.93	842.77
परिचालन व्यय	670.42	826.89	918.22
		(पैसे)	
प्रति प्रभावी किलोमीटर राजस्व	199.22	203.30	270.86
प्रति प्रभावी किलोमीटर व्यय ..	202.03	235.80	295.11
प्रति प्रभावी किलोमीटर निष्पादन हानि	2.81	32.50	24.25

यह देखा जायेगा कि निष्पादन क्षमता 1979–80 में 85.4 प्रतिशत की तुलना में 1981–82 में 71.5 प्रतिशत गिर गई। निष्पादन क्षमता में गिरावट के कारण प्रबन्धकों ने (i) फालतू कल पुर्जों, टायर व असेम्बलियों की कमी और (ii) बसों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होना, बताया था (नवम्बर, 1982)।

11.04.05.02. बेड़े का उपयोग

1981–82 तक के तीन वर्षों में बेड़े के उपयोग की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

	1979–80	1980-81	1981–82
वर्ष में पथ पर बसों की औसत संख्या	429	463	504
मार्ग पर प्रतिदिन बसों की औसत संख्या	361	386	410
रक्खी गई बसों से पथ से अलग बसों की प्रतिशतता	15.8	16.6	18.6
सकल किलोमीटरों का योग (लाखों में)	263.89	264.42	286.47
तय की गई औसत दूरी मार्ग पर प्रति बस (सकल किलोमीटर)			
वर्ष की	73100	68503	69871
प्रतिदिन	200	188	191
कुल प्रस्तावित सीट किलोमीटर (करोड़ों में)	167.23	166.90	190.00
कुल उपयुक्त यात्री किलोमीटर (करोड़ों में)	118.73	111.83	138.70
अधिभोग अनुपात (प्रतिशत)	71.0	67.0	73.0

1979–80 की तुलना में तय किये गये सकल किलोमीटरों में 1981–82 में केवल 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इस अवधि में बेड़े में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जिससे बेड़े को कम उपयोग में लाये जाने का पता चलता है। यद्यपि बसों की संख्या में 429 (1979–80) से 463 (1980–81) की वृद्धि हुई तथापि निजी बसों के मांग से अधिक ले लिये जाने के कारण अधिभोग अनुपात में 71 से (1979–80) 67 (1980-81) गिरावट आई।

प्रबन्धकों ने प्रति बस द्वारा तय की गई औसत दूरी में गिरावट के ये कारण बताये (फरवरी 1983) (i) नगर बस परिचालन के अन्तर्गत बसों की संख्या में वृद्धि, और (ii) कल पुर्जों, टायर व असेम्बलियों का उपलब्ध न होना ।

11.04.05.03. निष्फल किलोमीटर

1981–82 तक तीन वर्षों में निगम की बसों के निष्फल किलोमीटरों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

	1979–80	1980–81	1981–82
		(लाखों में)	
सकल किलोमीटर	263.89	264.42	286.47
तय किये गये किलोमीटर (प्रभावी)	257.28	256.78	279.41
निष्फल किलोमीटर	6.61	7.64	7.06
		(प्रतिशत)	
निष्फल किलोमीटरों की सकल किलोमीटरों से प्रतिशतता	2.5	2.9	2.5

1981-82 तक तीन वर्षों में निष्फल किलोमीटरों का निष्पादन मूल्य लगभग 52.13 लाख रुपये बनता है ।

निष्फल किलोमीटरों की सकल किलोमीटरों से प्रतिशतता कैसरबाग डिपो में 1979–80 में 5.5 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1980–81 में 5.8 प्रतिशत और 1981-82 में 7.4 प्रतिशत हो गई । प्रबन्धकों द्वारा निष्फल किलोमीटरों के परिहार्य व अपरिहार्य घटकों के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था ।

11.04.05.04. नियमितता

निम्न तालिका में 1981–82 तक तीन वर्षों में औसत अनुसूचित ट्रिपों और वास्तव में निष्पादित ट्रिपों की डिपोवार स्थिति दर्शाई गई है:

	डिपो के नाम							
	चारबाग	कैसरबाग	रायबरेली	सीतापुर	लखीमपुर	अमौसी नगर बस	बाराबंकी	
1979-80								
निष्पादन हेतु औसत ट्रिपें	4274	7762	5505	7063	उपलब्ध नहीं	14681	43743	उपलब्ध नहीं
वास्तव में निष्पादित ट्रिपें	3703	6790	4997	5236	उपलब्ध नहीं	7636	24836	उपलब्ध नहीं
नियमितता का प्रतिशत	87	87	91	74	उपलब्ध नहीं	50	56	उपलब्ध नहीं
1980–81								
निष्पादन हेतु औसत ट्रिपें	4875	9502	5309	6648	उपलब्ध नहीं	14467	39218	उपलब्ध नहीं
वास्तव में निष्पादित ट्रिपें	3699	7214	4518	4425	उपलब्ध नहीं	7502	21037	उपलब्ध नहीं

	डिपो के नाम							
	चारबाग	कैसरबाग	रायबरेली	सीतापुर	लखीमपुर	अमौसी नगर बस	बाराबंकी	
नियमितता का प्रतिशत	76	76	85	67	उपलब्ध नहीं	52	54	उपलब्ध नहीं
1981--82								
निष्पादन हेतु औसत ट्रिपें	5116	6552	7019	4268	914	10978	39718	2875
वास्तव में निष्पादित ट्रिपें	3800	5024	5298	2395	732	5976	18310	2353
नियमितता का प्रतिशत	74	77	75	56	80	54	46	82

प्रबन्धकों द्वारा बताये गये (अक्तूबर 1982) सेवा में नियमितता में गिरावट के कारण (i) मार्ग से बाहर बसों में वृद्धि तथा पुराना बेड़ा, और (ii) कार्यशाला से बसों का उपलब्ध न होना थे और यह भी बताया गया कि कल पुर्जो की आपूर्ति एवं पुराने बेड़े के रख-रखाव में तीव्र गति लाने हेतु कार्यवाही की जा रही थी ।

11.04.05.05. तेल व चिकनई

(क) निम्न तालिका में 1981-82 तक के तीन वर्षों में हाई स्पीड डीजल तेल और लुब्रीकैण्ट पर व्यय दर्शाया गया है :

वर्ष	किया गया व्यय		कुल निष्पादन व्यय	ईधन व लुब्रीकैण्ट्स की निष्पादन व्यय से प्रतिशतता
	हाई स्पीड डीजल तेल पर	लुब्रीकैण्ट, तेलों और ग्रीस पर		
	(लाख रुपयों में)			
1979-80	88.54	15.36	670.42	15.5
1980-81	132.21	15.17	826.89	17.8
1981--82	200.81	18.98	918.22	23.9

तेल और लुब्रीकैन्टों पर यद्यपि काफी अधिक धनराशियां व्यय की जाती हैं तथापि मूल्य वृद्धि के कारण और निष्पादन अकुशलता के कारण से वृद्धि होने का विश्लेषण करने हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया गया ।

(ख) हाई स्पीड डीजल तेल

निगम ने मैदान में चलने वाली बसों के लिये 5.5 किलोमीटर प्रतिलीटर हाई स्पीड डीजल तेल (एच एस डी) का मानक निर्धारित किया था (जून 1970) ।

1981-82 तक के तीन वर्षों में क्षेत्र के विभिन्न डिपों में एच एस डी तेल के प्रति लीटर में चले किलोमीटरों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

डिपो का नाम	1979-80	1980-81	1981-82
	एच एस डी तेल के प्रति लीटर पर औसत (किलोमीटर)		
चारबाग	4.6	4.3	4.1
कैसरबाग	4.5	4.3	4.3
नगर बस	3.8	3.8	3.9
अमौसी	3.4	3.2	2.7
सीतापुर	4.5	4.6	3.5
लखीमपुर	..	..	4.6
रायबरेली	4.2	4.3	4.2
बाराबंकी		3.5	4.1

5.5 किलोमीटर प्रति लीटर एच एस डी के मानक पर आधारित 1981-82 तक के तीन वर्षों में एच एस डी के उपभोग का आधिक्य 4998 किलोलीटर (मूल्य 130.71 लाख रुपये) बनता है।

जैसा कि प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1982), मानक की तुलना में एच एस डी तेल व लुब्रीकैन्टों के अधिक उपभोग के कारण थे: (i) पुराना बेड़ा (ii) चालकों द्वारा मानक गति से कम गति पर गाड़ी चलाना, और (iii) सड़कों की खराब दशा। अमौसी डिपो से सम्बन्धित अभिलेख सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये क्योंकि वे राज्य सतर्कता विभाग के पास बताये गये थे।

(ग) इंजिन तेल

इंजिन तेल की आवश्यकता इंजिनों में तेल स्तर को ऊपर उठाने (टापिंग अप) हेतु पड़ती है। क्षेत्र द्वारा 400 किलोमीटर प्रति लीटर इंजिन तेल के उपभोग का मानक निर्धारित किया गया था। 1981-82 तक के तीन वर्षों में डिपोवार इंजिन तेल का उपभोग निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

डिपो का नाम	1979-80	1980-81	1981-82
	(औसत किलोमीटर प्रति लीटर तेल)		
चारबाग	397	474	485
कैसरबाग	341	416	610
नगर बस	199	195	248
अमौसी	157	145	200
सीतापुर	247	282	343
लखीमपुर	..	..	556
राय बरेली	247	370	377
बाराबंकी	..	419	250

400 किलोमीटर प्रति लीटर इंजिन तेल पर आधारित 1981-82 तक तीन वर्षों में अधिक उपभोग 56 किलोलीटर (मूल्य 5.15 लाख रुपये) बनता था।

प्रबन्धकों द्वारा इंजिन तेल के अधिक उपभोग के कारण (i) कल पुर्जों का उपलब्ध न होना और पुश स्टार्ट गाड़ियों का होना, (ii) चालकों द्वारा निर्धारित 50 किलोमीटर की अधिकतम गति पर न चलना, और (iii) केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर से प्राप्त रिकन्डीशन्ड असेम्बलियों का समय से न बदला जाना बताया गया।

11.04.05.06 टायर

1981-82 तक तीन वर्षों में टायर, ट्यूब और फलैप्स पर किया गया व्यय नीचे दिया जाता है :

वर्ष	कुल निष्पादन व्यय	टायरों पर व्यय	टायरों पर हुए व्यय का कुल निष्पादन व्यय से प्रतिशतता
	(लाख रुपयों में)		
1979-80	670.42	32.95	4.9
1980-81	826.89	51.91	6.3
1981-82	918.22	54.17	5.9

निम्न तालिका में 1981-82 तक के तीन वर्षों में विभिन्न डिपो में उतारे गये टायरों का औसत परिचालन 1,10,000 किलोमीटर (80,000 किलोमीटर रिट्रीडिंग के पूर्व और 30,000 किलोमीटर रिट्रीडिंग के बाद) के मानक के विरुद्ध दर्शाया गया है :

वर्ष	उतारे गये टायरों की संख्या नये	रिट्रीडेड	औसत जीवन काल नये (किलोमीटर में)	रिट्रीडेड
नगर बस				
1979-80	324	335	66083	22101
1980-81	268	543	67895	19538
1981-82	170	327	60564	17779
कैसर बाग				
1979-80	542	424	70443	19275
1980-81	380	469	77443	18717
1981-82	365	209	74242	22983
चारबाग				
1979-80	502	285	69908	14267
1980-81	479	326	70791	18116
1981-82	564	178	58797	15000
अमौसी				
1979-80	..	..	..	..
1980-81	32	36	70776	29051
1981-82	182	68	59344	28701
बाराबंकी	उपलब्ध नहीं			
रायबरेली				
1979-80	339	151	66288	22927
1980-81	371	134	65819	19821
1981-82	467	153	66535	28300

वर्ष	उतारे गये टायरों की संख्या		औसत जीवन काल में	
	नये	रिट्रीडेड	नये	रिट्रीडेड
सीतापुर			(किलोमीटर में)	
1979-80	302	..	71893	..
1980-81	327	..	70489	..
1981-82	307	90	68139	22206
लखीमपुर				
1979-80	..	..	..	..
1980-81	..	..	..	..
1981-82	132	7	39797	24343

यह देखा गया कि :

(i) टायरों के अपरिपक्व असफलता के संबंध में उनकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु तुरन्त व पूर्ण छानबीन नहीं की गई और उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया ।

(ii) टायरों को असम घिसाई से बचाने हेतु टायर रोटेशन नहीं किया गया था ।

1981-82 तक के तीन वर्षों (जनवरी से मार्च 1982 को छोड़कर) में उतारे गये और रद्द (स्क्रैप) कर दिये टायरों के टायर कार्ड सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये क्योंकि उन्हें दीमक द्वारा खाया गया बताया गया था । जनवरी से मार्च 1982 के दौरान रद्द किये गये टायरों के टायर कार्डों के सम्परीक्षा के परख जांच (जून 1982) में देखने में ऐसे मामले आये जहां वांछित मानक जीवन काल पूरा करने के बाद रिट्रीडिंग के लिये उतारने में देरी होने के कारण नये टायरों को रद्द (बिना रिट्रीडिंग के) करना पड़ा, उदाहरणत : क्षेत्रीय कार्यशाला में, जनवरी से मार्च 1982 के बीच, 85 नये टायर रद्द कर दिये गये क्योंकि उन्हें समय से रिट्रीडिंग के लिये उतारा नहीं गया और वे 80125 से 99799 किलोमीटर चल चुके थे ।

निम्न तालिका में 1981-82 तक के तीन वर्षों में तीन डिपो, अर्थात नगर बस, कैसर बाग और चारबाग में टायरों के प्रयोग पर हुआ अतिरिक्त व्यय दर्शाया गया है क्योंकि टायर निर्धारित जीवनकाल देने में असफल रहे :

वर्ष	उतारे गये टायरों की संख्या	उतारे गये टायरों द्वारा चल चुके कुल किलोमीटर (लाखों में)	1,10,000 किलोमीटर प्रति टायर के मानक के अनुसार अपेक्षित टायरों की संख्या	अधिक प्रयोग किये गये टायरों की संख्या	अधिक प्रयुक्त टायरों पर हुआ अनुमानत: व्यय (लाख रुपयों में)
नगर बस डिपो					
1980-80	659	288.15	262	397	10.74
1980-81	811	288.05	262	549	14.85
1981-82	497	161.10	147	350	9.47
कैसरबाग डिपो					
1979-80	966	463.53	421	545	14.74
1980-81	849	382.07	347	502	13.58
1981-82	574	319.02	290	284	7.68
चारबाग डिपो					
1979-80	787	401.60	365	422	11.42
1980-81	805	398.15	362	443	11.98
1981-82	742	358.21	326	416	11.25

प्रबन्धकों द्वारा टायरों के अत्यधिक प्रयोग में लाने के कारणों की छानबीन नहीं की गई (फरवरी 1983) ।

11.04.05.07. इन्जिन

एक इंजिन के लिये औसत जीवन काल कम से कम 3.80 लाख किलोमीटर (2.80 लाख रिकन्डीशनिंग से पूर्व और एक लाख किलोमीटर रिकन्डीशनिंग के बाद) निर्धारित किया गया था (जून 1970)। निम्न तालिका में 1981-82 तक के तीन वर्षों में उतारे गये इंन्जिनों का परिचालन दर्शाया गया है :

डिपो का नाम	वर्ष	चल चुकने के बाद उतारे गये इन्जिन की संख्या									
		1 लाख किलोमीटर से कम		1 लाख व उससे अधिक पर 2 लाख किलोमीटर से कम		2 लाख व उससे अधिक पर 3 लाख किलोमीटर से कम		3 लाख व उससे अधिक पर 3.8 लाख किलोमीटर से कम		3.8 लाख किलोमीटर और उससे अधिक	
		नये	रिकन्डीशन्ड	नये	रिकन्डीशन्ड	नये	रिकन्डीशन्ड	नये	रिकन्डीशन्ड	नये	रिकन्डीशन्ड
चारबाग ..	1979-80	1	23	2	18	4	..	2	..	..	..
	1980-81	..	24	2	15	4	..	1	..	1	..
	1981-82	..	30	2	5	3	..	1	..	..	..
रायबरेली ..	1979-80	..	28	..	1	2	..	..	..	..	..
	1980-81	..	17	3	7	1	..	..	..	..	..
	1981-82	23	..	1	3	..	..	..	..	..	..
सीतापुर ..	1979-80	..	15	1	5	1	..	..	..	..	..
	1980-81	..	26	1	4	6	..	2	..	..	..
	1981-82	..	21	..	2	..	..	..	..	..	..
लखीमपुर ..	1979-80	मार्च 1982 तक सीतापुर में सम्मिलित									
	1980-81										
	1981-82										
अमौसी ..	1979-80	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1980-81	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	1981-82	2	3	2	..	1	..	..	..	..	..
बाराबंकी		उपलब्ध नहीं									
कैसरबाग		उपलब्ध नहीं									
नगर बस सेवा		उपलब्ध नहीं									

प्रबन्धकों द्वारा इंजिनों की अपरिपक्व असफलता के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था (फरवरी 1983)।

11.04.05.08. बैट्रियां

प्रबन्धकों एवं विभिन्न किस्म की बैट्रियों के निर्माताओं ने एक बैट्री का जीवनकाल कम से कम 12 महीने का निर्धारित किया है। किलोमीटरों से संबंधित बैट्री का मानक/जीवन काल निर्धारित नहीं किया गया था। 1981-82 तक के तीन वर्षों में उतारी गयी बैट्रियों का परिचालन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

डिपो का नाम	वर्ष	सेवोपरान्त उतारी गई बैट्रियों की संख्या					
		3 मास से कम	3 मास व अधिक किन्तु 6 मास से कम	6 मास व अधिक किन्तु 9 मास से कम	9 मास व अधिक किन्तु 12 मास से कम	12 मास व अधिक किन्तु 15 मास से कम	15 मास और अधिक
		(संख्या में)					
चारबाग	1979-80	..	2	5	26	81	16
	1980-81	..	6	2	5	65	27
	1981-82	..	9	6	..	27	17
रायबरेली	1979-80	..	..	8	31	61	..
	1980-81	2	2	3	3	88	..
	1981-82	..	..	1	15	70	..
अमौसी	1979-80	..	..	..	2	6	2
	1980-81	..	..	2	3	8	15
	1981-82	3	3	2	..	3	7
सीतापुर	1979-80	..	1	24	31	32	24
	1980-81	..	2	2	20	29	29
	1981-82	..	2	14	20	23	24
लखीमपुर	1979-80	..	..	..	..	..	..
	1980-81	..	..	..	..	..	..
	1981-82	3	3	2	..	3	7
बाराबंकी		उपलब्ध नहीं					
कैसरबाग		उपलब्ध नहीं					
नगर बस सेवा		उपलब्ध नहीं					

प्रबन्धकों के द्वारा बैट्रियों की अपरिपक्व असफलता के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया है (फरवरी 1983) ।

11.04.05.09 पथकर की वापसी

उत्तर प्रदेश मोटर वेहीकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, 1935 के अनुसार यदि कोई गाड़ी, पथ कर के भुगतान किये जाने की तिथि अथवा जब पिछली बार उसकी किश्त का भुगतान किया गया, से कम से कम 30 दिन की अवधि के लिये मार्ग से बाहर रहती है तो उस गाड़ी से संबंधित देय वार्षिक पथ कर के 1/12 के बराबर पथ कर की वापसी देय है । रजिस्ट्रेशन पत्रादि समर्पित करने पर, हर पूरे महीने के लिये जिसमें गाड़ी मार्ग से बाहर रही । ऐक्ट में यह भी प्राविधान है कि पथ-कर

की वापसी के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि वह देय तिथि से 3 महीने के अन्दर प्रस्तुत न किया जाये। यह देखने में आया कि मार्च 1977 से जनवरी 1978 तक के 42 गाड़ियों से संबंधित 0.50 लाख रुपये के पथ कर की वापसी के दावे क्षेत्र ने निर्धारित सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं किये थे इसलिये धनराशि की वापसी प्राप्त नहीं की जा सकी (फरवरी 1983)।

अभिलेखों की सम्परीक्षा के परख जांच (जुलाई 1982) में यह देखने में आया कि चारबाग डिपो (अप्रैल 1979 से जुलाई 1981 तक की अवधि की 0.67 लाख रुपये की) और नगर बस डिपो (जनवरी 1980 से दिसम्बर, 1981 की अवधि के 0.13 लाख रुपये) से संबंधित 0.80 लाख रुपये की पथ कर की वापसी नहीं प्राप्त की जा सकी क्योंकि रजिस्ट्रेशन पत्रादि समय से समर्पित नहीं किये गये थे।

11.04.06 टैक्सी परिचालन

टैक्सियों का अभिप्राय मुख्यत: किराये पर चलाना है किन्तु टैक्सियों द्वारा तय की गई दूरी मुख्य रूप से विभागीय ट्रिप थे, उदाहरणार्थ निरीक्षण हेतु, आदि, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

	1979–80	1980–81	1981–82
टैक्सियों की संख्या	8	9	10
	(किलोमीटर लाखों में)		
निष्फल किलोमीटर	0.06	0.06	0.08
विभागी किलोमीटर ..	1.86	1.29	2.11
राजस्व किलोमीटर ..	1.38	1.28	2.20
कुल किलोमीटर ..	3.30	2.63	4.39
	(प्रतिशत)		
निष्फल व विभागीय किलोमीटर की कुल किलोमीटर से प्रतिशतता	58.2	51.3	50.0

टैक्सियों का परिचालन व्यय नहीं निकाला गया था (फरवरी 1983)।

11.04.07. बसों की मरम्मत व अनुरक्षण

11.04.07.01. बसों की मरम्मत व ओवरहालिंग करने के लिये द्वि-स्तर प्रणाली है। दिन प्रति दिन की मरम्मत व रख-रखाव के लिये प्रत्येक डिपो के साथ एक कार्यशाला सम्बद्ध है (बाराबंकी व लखीमपुर डिपो को छोड़कर) और बसों की बड़ी ओवरहालिंग और यूनिट असेम्बलियों की रिकन्डीशनिंग के लिये लखनऊ में एक क्षेत्रीय कार्यशाला है। बाराबंकी और लखीमपुर डिपो से सम्बद्ध बसों का रख-रखाव क्रमश: कैसरबाग और सीतापुर डिपो द्वारा किया जाता है।

11.04.07.02 डिपो वर्कशाप

क्षेत्र की डिपो–कार्यशालायें गाड़ियों के 2000, 4000, 8000, 16000 व 32000 किलो मीटर चल चुकने के बाद ही निवारक रख-रखाव करती हैं।

प्रत्येक डिपों में शत प्रतिशत गाड़ियों को मार्ग पर रखने के लिये जून 1980 में निगम ने रख-रखाव अनुसूची का पुनरीक्षण किया। साधारण मरम्मत व रख-रखाव के लिये डिपो कार्यशाला में आने वाली गाड़ी को परिचालन के लिये उसी दिन अथवा दूसरे दिन शेड के बाहर होना चाहिये था और डिपो कार्यशाला में रोके रखने की अवधि 8 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिये। कैसरबाग और नगर बस डिपो के अभिलेखों की परख जांच (जून 1982) से देखने में आया कि 4000 किलोमीटर

8000 किलोमीटर और 16000 किलोमीटर सर्विसिंग की जाने के बाद गाड़ियां उसी दिन शेड के बाहर निकाल दी गई किन्तु 32000 किलोमीटर सर्विसिंग की गाड़ियों को रोकने की अवधि 1981-82 में कैसरबाग डिपो में एक से 37 दिन तक और नगर बस डिपो में 3 से 58 दिन तक रही । अन्य डिपों की स्थिति निम्न प्रकार थी :

डिपो का नाम	गाड़ी रोके रखने की अवधि 1981-82 में न्यूनतम दिन	अधिकतम दिन
सीतापुर	1	8
लखीमपुर	उपलब्ध नहीं	
रायबरली	2	109
चारबाग	2	231
बाराबंकी	उपलब्ध नहीं	
अमौसी	1	18

चारबाग, कैसरबाग और नगर बस डिपो की कार्यशालाओं के अभिलेखों की परख जांच (जुलाई 1982) ने निम्न प्रकट किया :

(क) यद्यपि बसों के रख-रखाव के लिये तय की गई दूरी पर आधारित सर्विसिंग की अनुसूची निर्धारत की गई किन्तु कोई ऐसी प्रणाली नही थी जिससे यह आश्वस्त हुआ जा सके कि बसों की सर्विसिंग नियमित रूप से की जा रही थी ।

(ख) डिपो कार्यशालाओं में रखे गये जाब कार्डों पर बसों की मरम्मत पर लगी श्रम की मात्रा और मूल्य दर्शाये नहीं जाते थे ।

(ग) डिपो कार्यशालाओं में इंजिनों, टायरों और अन्य फालतू कल-पुर्जों के कारण लम्बी अवधि तक (नगर बस डिपो में 87 दिन तक) बसें मार्ग के बाहर रखी गई थीं ।

(घ) यन्त्रों, औजारों तथा अन्य अचल संम्पतियों का सावधिक निरीक्षण नहीं किया गया था यद्यपि उसे वर्ष में एक बार कराना था ।

(ङ) प्रत्येक डिपो में एक भण्डार अनुभाग है जो क्षेत्रीय भण्डार से अपनी मासिक मांग के फालतू पुर्जे मंगा लेता है । अधिकतम, न्यूनतम व पुनः आदेशन स्तर निर्धारित नहीं किये गये थे । भण्डार ने अनुपलब्ध माल जब कभी आवश्यकता पड़ने पर, स्थानीय रूप से खरीद लिया जाता था ।

(च) डिपो कार्यशाला में मरम्मत किये जाने का कार्यक्रम और एक काम को पूरा करने के लिये लगने वाला समय निर्धारित नहीं किया गया था । मैकेनिक की डायरियां जिसमें कर्मचारियों द्वारा किया प्रतिदिन का कार्य दर्शाया गया हो, नहीं रखी गई थीं ।

11.04.07.03 क्षेत्रीय कार्यशाला

(क) लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यशाला एक लाख किलोमीटर पूरा कर चुकने वाली गाड़ियों के निवारक रख-रखाव का काम करती हैं और गाड़ियों की भारी मरम्मत और बड़े कल पुर्जो का उद्धार करती है । उसकी तीन उत्पादनशालायें हैं :

--मैकेनिकल रिकन्डीशनिंग शाप (फ्रन्ट एक्सिल, रेयर ऐक्सिल, वाटर पम्प, स्टीयरिंग बूस्टर और प्रेशर प्लेट आदि की रिकन्डीशनिंग करती है)

--इलेक्ट्रीकल रिकन्डीशनिंग शाप (सेल्फ स्टार्टर और डायनमो का रीकन्डीशनिंग करती है)

--बाडी रिपेयर शाप (अपहोस्टर, ब्लैक स्मिथ, टिन स्मिथ, कारपेन्ट्री, पेन्टिंग इलेक्ट्रीकल और बैट्री सक्शन सम्मिलित हैं) ।

क्षेत्रीय कार्यशाला की विभिन्न शालाओं (शाप्स) की उत्पादन क्षमता निर्धारित/निश्चित नहीं की गई थी (फरवरी 1983)।

(ख) निम्न तालिका में 1981-82 तक के तीन वर्षों में क्षेत्रीय कार्यशाला में वास्तविक भार और किया गया कार्य दर्शाया गया है :

	1979-80	1980-81	1981-82
तय किये गये सकल किलोमीटर (लाखों में)	263.89	264.42	286.47
वास्तविक कार्यभार (गाड़ियों की संख्या)	264	264	286
वास्तव में किया गया कार्य (गाड़ियों की संख्या)	91	97	55
कमी (गाड़ियों की संख्या)	173	167	231

उत्पादन/गाड़ियों के रख-रखाव में कमी के कारण प्रबन्धकों द्वारा केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर से रिकन्डीशन्ड असेम्बलियों एवं भण्डार की बहुत कम प्राप्ति बतायें गये (नवम्बर 1982)।

एक लाख किलोमीटर चल चुकने के बाद बसों की मरम्मत व रख-रखाव के लिये पहले निर्धारित 30 दिन के मानक (निगम ने मई 1980 में घटा कर 15 दिन कर दिये) के विरुद्ध क्षेत्रीय कार्यशाला में एक लाख किलोमीटर की गाड़ियों के रख-रखाव के लिये लिया गया औसत समय निम्न प्रकार था :

वर्ष	कार्यशाला में रोकी गई गाड़ियों की संख्या			
	15 दिन तक	16 से 30 दिन	31 से 45 दिन	45 दिन से अधिक
	(संख्या)			
1979-80	5	9	17	60
1980-81	7	17	14	59
1981-82	2	6	7	40

चूंकि क्षेत्र में निर्धारित मानक के अनुसार काम नहीं किया गया इसलिये गाड़ी दिवसों की हानि से 5.79 लाख रुपये, 10.02 लाख रुपये और 8.91 लाख रुपये के राजस्व की हानि क्रमशः 1979-80 1980-81 और 1981-82 में हुई।

11.04.08. जन शक्ति

11.04.08.01. निम्न तालिका में 1981–82 तक के तीन वर्षों के अन्त में क्षेत्र के कर्मचारियों की वर्षवार स्थिति दर्शाई गई है :

	1979–80	1980–81	1981–82
प्रशासनिक	213	185	221
यातायात	476	483	461
चालक एवं परिचालक	1859	1835	1981
रख-रखाव	831	821	839
अन्य	477	458	485
योग ..	3856	3782	3987

सम्परीक्षा में (नवम्बर 1982) यह देखने आया कि 1979–80 की तुलना में बसों की संख्या में 1980–81 में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु उन पर रखे गये चालकों व परिचालकों की संख्या 1.3 प्रतिशत घटी। दूसरी ओर 1981–82 में चालकों एवं परिचालकों की संख्या में 8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में बसों की संख्या में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार की विःअनुपातिक वृद्धि। घटत के लिये उपचारी कार्यवाही हेतु विश्लेषण नहीं किया गया (मार्च 1983)।

11.04.08.02. गाड़ी कर्मचारी अनुपात

जुलाई 1978 में निगम ने कर्मचारी अनुपात प्रति अनुसूचित गाड़ी 7.5 व्यक्ति (कुल) निर्धारित किया था। 1981–82 तक के तीन वर्षों में प्रति अनुसूचित गाड़ी वास्तविक अनुपात निम्न प्रकार था :

	1979–80	1980–81	1981–82
परिचालनान्तर्गत अनुसूचियों की कुल संख्या	351	386	413
कुल लगाये गये कर्मचारी (निजी बसों पर लगाये परिचालकों को छोड़कर)	3856	3782	3987
बस कर्मचारी अनुपात	11.0	9.8	9.6

प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1992) कि (i) जुलाई 1978 में क्षेत्र का पनर्गठन, (ii) चलने वाली बसों की संख्या में कमी और (iii) बाहरी दबाव के कारण अतिरिक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण न किया जाना, मुख्य रूप से मानक से अधिक बस-कर्मचारी अनुपात के लिये उत्तरदायी थे।

11.04.08.03. समयोपरि भत्ता

यद्यपि निर्धारित मानक की तुलना में वास्तविक बस-कर्मचारी–अनुपात अधिक था, फिर भी क्षेत्र ने 1981–82 तक के तीन वर्षों में समयोपरि भत्ता दिया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

डिपो का नाम	दिया गया समयोपरि भत्ता					
	1979–80		1980–81		1981–82	
	कार्यशाला	यातायात	कार्यशाला	यातायात	कार्यशाला	यातायात
	(रुपये लाखों में)					
चारबाग	1.31	0.50	1.59	0.71	2.11	1.64
कैसरबाग	1.28	0.33	1.60	0.76	2.05	1.23
नगर बस	1.44	0.41	2.06	0.63	2.96	0.81
अमौसी	0.11	0.49	0.33	1.18	0.91	1.64
सीतापुर	0.18	0.26	0.26	0.40	0.59	0.77
लखीमपुर	..	..	..	..	0.03	0.10
रायबरेली	0.16	0.47	0.26	0.71	0.50	0.79
बाराबंकी	..	..	..	0.12	..	0.44
योग	4.48	2.46	6.10	4.51	9.15	7.42

11.04.09. भण्डार का मूल्य

11.04.09.01. निम्न तालिका में 1979–80 तक के तीन वर्षों के अन्त में भण्डारों के आदि शेष, उपभोग एवं अंतशेष दर्शाये गये हैं :

	1977–78	1978–79	1979–80
	(रुपये लाखों में)		
आदि शेष ..	46.36	33.78	29.86
प्राप्तियां स्थानीय क्रय सहित ..	98.62	113.80	97.03
उपभोग किया गया भण्डार ..	101.66	103.22	86.93
अंत शेष ..	33.78	29.86	32.75
महीने के उपभोग के रूप में अंतशेष ..	4.0	3.5	4.5

भण्डार का स्तर (महीने के उपभोग के रूप में) 1978–79 व 1977–78 की तुलना में 1979–80 में बढ़ गया था। प्रबन्धकों ने बताया (नवम्बर 1982) कि कभी कभी अति आवश्यक वस्तुयें और असेम्बलियां, भविष्य में बाजार म उपलब्ध न होने की संभावना को देखते हुये तथा बेड़े के रख-रखाव के लिये, भण्डार में रख ली गई थीं। यह भी बताया गया (मार्च 1983) कि अति आवश्यक वस्तुयें, जिन्हें भविष्य में उपलब्ध न होने के ख्याल से भण्डार में रखने के लिये आवश्यक समझा गया था, उनकी पहचान नहीं की गई ।

11.04.09.02. सम्परीक्षा के दौरान परख जांच (नवम्बर 1982) में निम्न बातें सामने आई :

(क) 1981–82 तक के तीन वर्षों में क्रमशः 1835, 1224 और 711 बस राजस्व दिनों की हानि नगर बस डिपों में कल पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण हुई ।

(ख) 22.20 लाख रुपये के मूल्य के भण्डार की कमियां जो कि प्रबन्धकों की जानकारी में 1974–75 से 1977–78 तक के बीच (1977–78 के पश्चात भौतिक सत्यापन नहीं हुआ) आईं, की अभी भी (मार्च 1983) छानबीन की जानी है। इन सब मामलों की रिपोर्ट पुलिस में लिखा दी गई थी।

11.04.10. विविध देनदार

(क) 1981–82 तक के तीन वर्षों के दौरान विविध देनदार निम्न प्रकार थे :

31 मार्च, को स्थिति	देय देनदारियां		कुल किताबी देनदारियां
	राजकीय विभाग उपक्रम से	प्राइवेट पार्टियों में से	
	(रुपये लाखों में)		
1980	134.41	12.49	146.90
1981	145.74	12.97	158.71
1982	163.46	13.86	177.32

31 मार्च 1982 को देनदारों (177.32 लाख रुपये) में 5.60 लाख रुपये की एक धनराशि सम्मिलित है जो कि क्षेत्र ने लखनऊ खजाने में 1975 से पूर्व जमा की थी किन्तु खजाने के अभिलेखों में उसका पता नहीं चलता है।

(ख) यद्यपि निगम की उधार की नीति के अनुसार किसी प्राईवेट पार्टी को कोई उधार की सुविधा नहीं देनी थी फिर भी बसों/टैक्सियों के किराये के 13.86 लाख रुपये प्राईवेट पार्टियों के नाम बाकी थे। बकायों की वसूली के लिये की गई प्रभावी कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 1983)।

(ग) विभिन्न पार्टियों से बकाया धनराशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई थी।

(घ) विभिन्न देनदारियों का पार्टी/वर्षवार विवरण नहीं बनाया गया था।

11.03.11. लागत निकालने की प्रणाली व आन्तरिक सम्परीक्षा

आन्तरिक सम्परीक्षा प्रणाली क्षेत्र में अगस्त 1978 में लागू की गई थी किन्तु कार्यक्षेत्र, जांच की अवधि एवं मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया था (फरवरी 1983)।

11.04.12. अन्य रोचक विषय

11.04.12.01./लुब्रीकेम 30–50 ऐडिटिव तेल का क्रय

नवम्बर 1980 में महाप्रबन्धक ने अनुभव किया कि लुब्रीकेम ऐडिटिव तेल को इंजिन तेल के साथ मिलाकर प्रयोग करने से बस के इंजिन के तेल बदलने की अवधि दुगुनी हो जाती है। जुलाई 1978 से नवम्बर 1981 तक क्षेत्र ने हावड़ा की एक फर्म से 8712 लीटर लुब्रीकेम तेल 28.90 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा। इसमें से क्षेत्र ने 5192 लीटर उपभोग किया (मई 1982)। क्षेत्र में ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं थे जिनसे यह पता चल सके कि इंजिन के तेल बदलने की अवधि दुगुनी हुई जैसा कि पूर्व आशा थी। चूंकि लुब्रीकेम तेल के प्रयोग से इंजिन की 2.09 लाख रुपये मूल्य की 19 क्रैन्क शैफ्ट्स टूट गई थीं इसलिये लुब्रीकेम तेल का प्रयोग बन्द कर दिया गया (जनवरी 1980) और 3520 लीटर लुब्रीकेम तेल (मूल्य : 1.02 लाख रुपये) भण्डार में पड़ा था (फरवरी 1983)।

11.04.12.02. बेकार पड़ी मशीन

क्षेत्र में प्राप्त (जुलाई 1979) एक द्रवचालित टायर चढ़ाने और उतारने की मशीन (मूल्य : 0.24 लाख रुपये) चारबाग डिपो को आवंटित की गई (अप्रैल 1982) जिसकी स्थापना/उपयोग नहीं हुआ और जो क्षेत्रीय भण्डार में पड़ी थी (फरवरी 1983)।

11.04.12.03. गाड़ियों को चलाने के लिए भेजने में देरी

परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित (नवम्बर 1970) मानक के अनुसार क्षेत्रीय कार्यशाला में केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर से प्राप्त गाड़ियों को उसी दिन परिचालन हेतु देना होता है। 1979–80 से 1981–82 तक में डिपो को चलाने हेतु गाड़ियां सुपुर्द करने में एक से 51 दिन तक (61 गाड़ियां 537 दिनों की देरी) का विलम्ब हुआ। परिणामतः 1.61 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

11.04.12.04. स्वस्थता प्रमाण-पत्र (फिटनैस सर्टीफिकेट)

गाड़ी के वर्तमान स्वस्थता प्रमाण-पत्र की समाप्ति की अवधि से दो दिन पूर्व नया प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिये। अगले वर्ष के लिये नया स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में देरी होने से सेवा में कटौती के साथ राजस्व की हानि होती है।

चारबाग, सीतापुर और अमौसी डिपो के अभिलेखों की परख जांच (जून 1982) से देखने में आया कि 1981–82 तक के तीन वर्षों में नये स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में 3 से 192 दिनों तक विलम्ब (चारबाग में 86 गाड़ियां, 4224 दिनों तक, सीतापुर में 26 गाड़ियां 238 दिन तक और अमौसी में 67 गाड़ियां 430 दिनों तक) हुआ, परिणामतः 14.66 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई। अन्य डिपो से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी।

11.04.12.05. बन्दूकें

क्षेत्र में छः बन्दूकें (मूल्य: लगभग 0.18 लाख रुपये) 1966 में उन्हें खरीदने से अब तक पड़ी हुई थीं क्योंकि बन्दूकधारियों (गनमैन) के पद स्वीकृत नहीं किये गये थे (फरवरी 1983)

11.04.13. सारांश

(i) कुल बसों (504 बसें) के 25 प्रतिशत बसें अपना जीवन काल पूरा करने के पश्चात् परिचालन में थीं।

(ii) 31 मार्च 1982 को 133 बसें ऐसी थीं जिनका नवीकरण करना था किन्तु नहीं किया गया था।

(iii) क्षेत्र में 1972–73 से लगातार हानि हो रही है तथा 31 मार्च 1982 तक कुल संचित हानि 576.09 लाख रुपये हो चुकी थी।

(iv) हाई स्पीड डीजिल तेल और इंजिन तेल का उपभोग निर्धारित मानक की तुलना में अधिक था। 1981–82 तक के तीन वर्षों में 135.86 लाख रुपये का अधिक उपभोग हुआ।

(v) टायरों और इंजनों का परिचालन निर्धारित मानक से बहुत कम था। टायरों के अपरिपक्व असफलता के मामलों की उचित छानबीन व उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।

(vi) 0.50 लाख रुपये के पथ कर की वापसी के दावे प्रस्तुत नहीं किये गये। 0.80 लाख रुपये पथ कर की वापसी, रजिस्ट्रेशन पत्रादि समय से समर्पित न करने के कारण, नहीं प्राप्त की जा सकी।

(vii) डिपो और क्षेत्रीय कार्यशालाओं में बसों की निवारक रख-रखाव करने में असाधारण विलम्ब हुआ।

(viii) कर्मचारी बस अनुपात प्रति अनुसूचित गाड़ी, निर्धारित मानक की तुलना में अधिक से था।

(ix) नये स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विलम्ब के मामले देखने में आये जिन से 14.66 लाख रुपय राजस्व की हानि हुई।

मामला प्रबन्धकों/शासन को नवम्बर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 1993)।

11.06. अन्य रोचक विषय

11.05.01. सामग्री का दुर्विनियोग

टायर रिट्रीडिंग कार्यशाला, कानपुर का एक भण्डारी 31 अगस्त से 5 सितम्बर 1980 तक ड्यूटी से अनुपस्थित था। 6 सितम्बर, 1980 को वापसी पर उसे भण्डार की 42 वस्तुओं में कुछ कमी का सन्देह हुआ। 7 सितम्बर 1980 को किये गये भौतिक सत्यापन में 0.47 लाख रुपये मूल्य के सामान की कमी पाई गई। विभागीय जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप (नवम्बर 1980), भण्डारी और एक अन्य कर्मचारी कमी के लिये उत्तरदायी पाये गये। जून और अगस्त 1981 में उन दोनों को आरोप तालिकायें दी गयीं। आरोपतालिकाओं के उत्तर प्राप्त होने पर टायर शाप के सेवा प्रबन्धक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया (नवम्बर 1981)। उसका प्रतिवेदन पुनरावृत्ति अनुस्मारकों के भेजे जाने पर भी प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 1983)। मामले में अग्रिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (मार्च 1983)।

मामला प्रबन्धकों/शासन को अक्तूबर 1981/नवम्बर 1982 में सूचित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

11.05.02. अधिक भुगतान

निगम ने बिहार की एक फर्म को 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सोल्डरिंग टिन की आपूर्ति हेतु एक आदेश दिया (नवम्बर 1973) । सामग्री की आपूर्ति के समय धातु की दर में वृद्धि के अनुपात से पूर्ति दर में कोई वृद्धि फर्म द्वारा केवल लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही भुगतान योग्य थी । केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर ने दर में वृद्धि संबंधी कोई लिखित प्रमाण प्राप्त किये बिना 600 किलोग्राम सोल्डरिंगटिन का भुगतान 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कर दिया (जून 1974) । फर्म ने बाद में दर को 66 रुपये प्रति किलाग्राम संशोधित कर दी और समवर्ती वापसी भी फर्म ने कर दी (मार्च 1975)। इस वापसी के बाद भी फर्म को किया गया अधिक भुगतान 0.25 लाख रुपये (कर सहित) बनता है । मामला फर्म के साथ मई 1978 में उठाया गया, उसके बाद उसका अनुसरण नहीं किया गया । वसूली/समायोजन प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

मामला प्रबन्धकों/शासन को अक्तूबर 1981 नवम्बर/ 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

11.05.03. सामग्री का परिहार्य अधिक उपभोग

टायर रिट्रीडिंग कार्यशाला, कानपुर के सेवा प्रबन्धक ने देखा (दिसम्बर 1977) कि कुछ निर्माताओं द्वारा निर्मित रिट्रीडिंग हेतु क्षेत्रों से प्राप्त टायरों की बाहरी व्यास (40 इंच) मानक परिमाप (40 3/4 इंच) से कुछ कम थी । इन छोटे माप वाले टायरों के रिट्रीडिंग के लिये मानक माप की विद्यमान मैट्रिक्सेज उपयुक्त नहीं थीं और रिट्रीडिंग विधि में मानक व्यास की मैट्रिक्स में फिट करने के लिये बाहरी व्यास को रिसट्रीडिंग सामग्री की अतिरिक्त पर्त 3 किलोग्राम प्रति टायर (अनुमानित मूल्य :55 रुपये प्रति टायर) की आवश्यकता पड़ी । 1979–80 और 1980-81 में उन छोटे माप के टायरों के रिट्रीडिंग में 11250 किलोग्राम टायर रिट्रीडिंग सामग्री का अधिक उपभोग किया गया क्योंकि वांछित माप की मैट्रिक्स उपलब्ध नहीं थी, यद्यपि यह बात उप महा-प्रबन्धक, रोडवेज केन्द्रीय कार्यशाला के ध्यान में सेवा प्रबन्धक द्वारा दिसम्बर 1977 में और पुन: दिसम्बर 1978 में लाई गई थी ।

मामला प्रबन्धकों को अक्तूबर 1981 में और शासन को दिसम्बर 1982 में सूचित किया गया उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

11.05.04. मार्ग बिल, टिकटों आदि की छपाई

आगरा क्षेत्र के लिये मार्ग बिलों और टिकटों की छपाई का काम, निविदाओं के आधार पर एक स्थानीय प्रेस को तीन महीने की अवधि के लिये निगम द्वारा सौपा गया (पहली जून 1978) । दूसरे प्रपत्रों की छपाई का काम भी इस प्रेस को 1978–79 के लिये, अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद द्वारा उनके द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची से छ: प्रतिशत कम दर पर आवंटित किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित बातें सम्परीक्षा में देखने में आईं :

(क) छपाई मूल्य का अधिक भुगतान

यद्यपि प्रेस के साथ किये गये प्रबन्ध एक सीमित अवधि के लिये थे, यथा टिकटों/मार्ग बिलों की छपाई सितम्बर 1978 तक और अन्य प्रपत्र मार्च 1979 तक भी क्षेत्र बिना प्रतियोगी दरें प्राप्त किये प्रेस से काम करवाता रहा । दूसरे प्रपत्रों की छपाई हेतु जहां प्रेस को एस पी एस की अनुसूचित दरों से छ: प्रतिशत कम दर पर चुना गया था, वहां प्रेस के छपाई चार्जेज के बिलों में से छ: प्रतिशत घटाया नहीं गया । जिसके कारण 1979–80 और 1980–81 में 0.81 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

(ख) कागज का अधिक निर्गमन

एस पी एस की दरों की अनुसूची क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी और एस पी एस से पूछने के बाद प्रेस को भुगतान किये जाते थे ।

कागज के लेखा की परख जांच देखने में आया कि जून 1978 से मार्च 1981 तक 1.57 लाख रुपये मूल्य का कागज अधिक निर्गत किया गया था । अन्य विषय जो देखने में आये वे निम्न प्रकार थ ।

(i) कागज के लेखा की ठीक प्रकार से जांच नहीं की गई और 1.37 लाख रुपये में से केवल एक गणित की त्रुटि का परिणाम 0.06 लाख रुपये मूल्य का कागज अधिक निर्गत निकला ।

(ii) छपाई के दौरान खराब हो जाने वाले कागज एस पी एस द्वारा निर्धारित मानक के तुलना में अधिक स्वीकार किये गये ।

(iii) उपरोक्त धनराशि में मानक माप के टिकट के लिये निर्गत कागज के विरुद्ध छोटे माप के टिकटों को स्वीकार करने के कारण 0.48 लाख रुपये सम्मिलित हैं ।

(iv) प्रपत्रों/पन्नों की मानक संख्या के लिये कागज का समायोजन करते समय प्रपत्रों/पन्नों की कम संख्या स्वीकार करली गयी, परिणामस्वरूप 0.15 लाख रुपये मूल्य का कागज अधिक निर्गत हुआ ।

(v) यद्यपि क्षेत्र को यह आश्वस्त होना था कि प्रेस को दिया गया कागज बदला तो नहीं गया है किन्तु ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया गया । निगम द्वारा दिये गये अच्छे किस्म के बदले खराब किस्म के और खाकी कागज पर छपाई सम्बन्धी बहुत सी शिकायतें डिपो द्वारा की गई थीं ।

(ग) आय-कर का न काटना

आय-कर नियमों के प्राविधान के अन्तर्गत, एक प्राईवेट पार्टी को किये गये भुगतान में से यदि भुगतान योग्य राशि 5,000 रुपये से अधिक हो, दो प्रतिशत की दर से आय-कर काटना होता है । ऐसा करने में चूक करना गिरफ्तारी, बन्दी बनाना और अर्थ दण्ड के साथ डण्डनीय है । क्षेत्र ने, फिर भी, 1978-79 से 1980-81 में प्रेस के बिलोंमें से आय-करो जो 0.55 लाख रुपये बनती है की कोई कटौती इस आधार पर नहीं की कि निगम के मुख्यालय ने इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिये थे ।

मामले की सूचना प्रबन्धकों/शासन को नवम्बर 1981/दिसम्बर 1982 में दी गई ; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983) ।

11.05.05. राज सहायता के न लेनें से हानि

अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण औद्योगिक इकाइयों के सामने कठिनाइयों को दूर करने के लिए, औद्योगिक इकाइयों द्वारा खरीदे गये डीजल जनरेटिंग सेटों के मूल्य की 25 प्रतिशत राज सहायता देने का शासन ने निर्णय लिया (मई 1980) । इस योजना को, शासन के एजेन्ट के रूप में, उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा लागू किया जाना था । निगम द्वारा लखनऊ की एक फर्म को दिये गये पूर्ति आदेश (सितम्बर 1980) पर 63 के वी ए का एक डीजल जेनरेटिंग सेट (मूल्य: 1.05 लाख रुपये) की वाराणसी क्षेत्र को आपूर्ति की गई थी (फरवरी 1981) । वाराणसी क्षेत्र ने आदेशों से अनभिज्ञ होने के कारण राज सहायता नहीं प्राप्त की । 0.26 लाख रुपये की राज सहायता के प्राप्त न करने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया है (मार्च, 1983) ।

मामला प्रबन्धकों/शासन को नवम्बर 1980/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च, 1983) ।

11.05.06. अधिक भुगतान

निगमने कानपुर की एक फर्म 'अ', को 100 मीटरी टन चैनल और 375 मीटरी टन एंगिल आइरन क्रमश: 4750 रुपये व 4075 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से आपूर्ति हेतु दो पूर्ति आदेश दिये। दोनों पूर्ति आदेलों की सुपुर्दगी की बढ़ाई गई तिथि 31 जनवरी 1981 थी। फर्म "अ" ने निगम को बारम्बार सूचित किया कि देयों का भुगतान न होने के कारण, वह सुपुर्दगी तिथि तक उक्त आदेश के अन्तर्गत आपूर्ति करने में असमर्थ थी और 499 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से वृद्धि की मांग की (8 फरवरी 1981 से) जो कि फर्म को इस आधार पर स्वीकार कर दी गयी कि जनवरी 1981 में निगम के पास धनाभाव के कारण फर्म को भुगतान नहीं किया जा सका था। इसके कारण मार्च 1981 के बाद की 130 मीटरी टन माल की बढ़ी दर से आपूर्ति करने के कारण 0.65 लाख रुपये (बिक्री कर छोड़कर) का अधिक भुगतान हुआ।

मामला प्रबन्धकों/शासन को नवम्बर 1981/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थ (मार्च 1983)।

11.05.07. अधिक भुगतान

निगम ने गाजियाबाद की एक फर्म को टफेन्ड सेफ्टी ग्लासेज (4166 वर्ग मीटर केन्द्रीय कार्यशाला को और 1790 वर्गमीटर ऐलेन फारेस्ट कार्यशाला को) स्टैन्डिग कमेटी (ट्रान्सपोर्ट ऐसोसियेशन) नई दिल्ली के रेट कान्ट्रैक्ट (1 नवम्बर 1979 से 31 अगस्त 1980 तक की अवधि के लिये वैध) पर एक पूर्ति आदेश दिया। प्राप्तकर्ता द्वारा दिये जाने वाले सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार माल तुरन्त दिया जाना था (जून 1980 के बाद नहीं)। जून 1980 तक दोनों प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा डिलीवरी शिड्यूल्स नहीं बनाये गये थे। स्टैन्डिग कमेटी द्वारा 1 जुलाई 1980 से रेट कन्ट्रैक्ट की दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई। डिलीवरी शिड्यूल्स समय से न दिये जाने के कारण 3.79 लाख रुपये मूल्य के टफेन्ड सेफ्टी ग्लासेज की आपूर्ति फर्म द्वारा बढ़े हुए दर पर की गई परिणामत: 0.49 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

मामला प्रबन्धकों/शासन को नवम्बर 1981/अक्टूबर 1982 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 1983)।

अनुभाग XII

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

12.01. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेन्ट) एण्ड वेयर हाउसिंग ऐक्ट, 1956, जो वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, की धारा 28(1) के अन्तर्गत मार्च 1958 में स्थापित किया गया था।

12.02. प्रदत्त पूंजी

31 मार्च 1981 को 336.50 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी (राज्य सरकार 170.25 लाख रुपये, केन्द्रीय भण्डारागार निगम : 166.25 लाख रुपये) के विरुद्ध 31 मार्च 1982 को राज्य भण्डारागार निगम की प्रदत्त पूंजी 405.50 लाख रुपये (राज्य सरकार : 205.25* लाख रुपये, केन्द्रीय भण्डारागार निगम : 200.25 लाख रुपये) थी ।

12.03. प्रत्याभूतियां

निगम द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान और उन पर ब्याज के भुगतान के लिये सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के ब्योरे नीचे तालिका में दिखाये गये हैं :

विवरण	गारन्टी का वर्ष	गारन्टीकृत धनराशि	31 मार्च 1982 को बकाया धनराशि मूलधन	ब्याज	योग
			(लाख रुपयों में)		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	1977-78 (1123.00) 1981-82 (45.00)	1168.00	1009.50	79.16	1088.66

12.04. वित्तीय स्थिति

1981-82 तक के तीन वर्षों के लिए मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत निगम की वित्तीय स्थिति संक्षेप में नीचे तालिका में दी जाती है :

	1979-80	1980-81	1981-82 (अनन्तिम)
		(लाख रुपयों में)	
देयतायें			
प्रदत्तपूंजी	282.50	336.50	405.50
आरक्षित निधि और अधिशेष	724.50	804.90	909.80
उधार	1025.00	1125.30	1064.30
व्यापारिक देयतायें और अन्य चालू देयतायें	261.81	270.00	216.79
योग ..	2293.81	2336.70	2596.39

*वित्तीय लेखा के अनुसार धनराशि 150 लाख रुपये है, अन्तर समाधान के अन्तर्गत है।

	1979-80	1980-81	1981-82 (अनन्तिम)
		(लाख रुपये में)	
परिसम्पत्तियां,			
सकल ब्लाक	1554.54	1839.44	2073.42
घटायें : मूल्य ह्रास	124.37	179.49	241.59
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	1430.17	1659.95	1831.83
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य	..	60.41	54.59
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	857.37	809.78	703.41
विविध व्यय	6.27	6.56	6.56
योग	2293.81	2536.70	2596.39
नियोजित पूंजी*	2025.73	2199.73	2318.45
निवेशित पूंजी**	2023.90	2258.61	2379.60

12.05. कार्यचालन परिणाम

निम्न तालिका में 1981-82 के तीन वर्षों के निगम के कार्यचालन परिणामों के ब्योरे दिये जाते हैं :

विवरण	1979-80	1980-81	1981-82 (अनन्तिम)
		(लाख रुपयों में)	
आय			
भण्डारागार प्रभार	489.61	488.54	515.75
अन्य आय	12.50	11.56	14.50
योग	502.11	500.10	530.25
व्यय			
स्थापना प्रभार	133.23	157.75	175.82
ब्याज	79.74	81.68	82.66
अन्य व्यय	176.01	157.10	151.32
योग	388.98	396.53	409.80
कर पूर्व लाभ	113.13	103.57	120.45
कर का प्राविधान	..	..	..
अन्य विनियोग	90.31	81.10	93.75
लाभांश के लिये उपलब्ध धनराशि£	22.84	23.09	26.70
प्रदत्त लाभांश	22.60	23.08	..

*नियोजित पूंजी शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों और कार्य चालन पूंजी की द्योतक है।

**निवेशित पूंजी प्रदत्त पूंजी और दीर्घकालिक ऋणों एवं आरक्षित निधियों की द्योतक है।

£पिछल वर्ष का आधिक्य सम्मिलित है।

	1979-80	1980-81	1981-82 (अनन्तिम)
	(लाख रुपयों में)		
निम्नलिखित पर कुल प्रतिफल :			
—नियोजित पूंजी	192.87	185.17	203.11
—निवेशित पूंजी	192.87	185.17	203.11
प्रतिफल की दर:	(प्रतिशत)		
—नियोजित पूंजी पर	9.5	8.4	8.8
—निवेशित पूंजी पर	9.5	8.2	8.1

12.06. परिचालन निष्पादन

1981-82 तक के तीन वर्षों के लिये निगम के निष्पादन के सम्बन्ध में बनाई गई भण्डारण पर क्षमता, प्रयुक्त क्षमता और अन्य सूचनाओं के ब्योरे निम्न तालिका में दिये जाते है :

विवरण	1979-80	1980-81	1981-82 (अनन्तिम)
सम्मिलित स्टेशनों की संख्या	139	142	144
वर्ष के अन्त तक बनाई गई भण्डारण क्षमता (लाख मीटरी टनों में) :			
स्वामित्व वाली	7.74	8.39	9.03
किराये वाली	6.63	3.71	3.67
योग	14.37	12.10	12.70
वर्ष में प्रयुक्त औसत क्षमता (लाख मीटरी टनों में)	14.43	11.71	12.68
उपयोग की प्रतिशतता	100.4	96.8	101.2
प्रतिवर्ष प्रति मीटरी टन औसत राजस्व (रुपये)	34.80	42.70	41.75
प्रति वर्ष प्रतिमीटरी टन औसत व्यय (रुपये)	26.96	33.86	32.26
ल प्रभित मीटरी टन	7.84	8.84	9.49

12.07. भण्डार एवं रोकड़ की कमी

मिर्जापुर में तैनात भण्डारागार प्रबन्धक के कार्यभार के स्थानान्तरण पर भण्डार और रोकड़ का भौतिक सत्यापन करते समय (सितम्बर 1981) 500 रुपये नकद कम होने के अतिरिक्त 83 मीटरी टन ब्राउन यूरिया (मूल्य : 1.91 लाख रुपये) कम पाया गया। प्रारम्भिक विभागीयजांच में यह बताया गया (अक्टूबर 1981) कि भण्डार व रोकड़ का दुर्विनियोजन भण्डारागार पर तैनात दो लिपिकों की साजिश से किया गया था। कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया था (नवम्बर 1981) और पुलिस में एफ आई आर लिखाई गई थी (दिसम्बर 1981), अन्तिम प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (मार्च 1983)।

प्रबन्धकों/शासन ने बताया (फरवरी 1983) कि रोकड़ (500 रुपये) बाद में एक अन्य लिफाफे में रोकड़ के बक्से में पाया गया था। कर्मचारियों में से एक उच्च न्यायालय में निलम्बन का स्थगनादेश लेने गया और उसके समाप्त करने के लिये प्रार्थना उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन थी थीं (फरवरी 1983)।

प्रबन्धकों ने यह भी बताया कि कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से एक लाख रुपये का और सामूहिक रूप से दस लाख रुपये के निष्ठा गारन्टी बीमाकृत थे। बीमा कम्पनी से किया गया दावा (दिसम्बर 1981) अनिर्णीत था (फरवरी 1983)।

12.08. मरम्मत पर किया गया परिहार्य व्यय

निगम ने 4000 मीटरी टन क्षमता वाले एक शीतालय (कुल लागत : 14.11 लाख रुपये) को बनाने और चालू करने के लिये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यू पी आर एन एन) लिमिटेड के साथ एक अनुबन्ध किया (दिसम्बर 1978)।

शीतालय अगस्त 1980 में निगम को हस्तान्तरित किया गया और चालू कर दिया गया। जुलाई से दिसम्बर 1981 के बीच खराब कारीगरी के कारण कुछ दोष/कमियां निगम द्वारा देखने में आईं और यू पी आर एन एन के जोखिम एवं मूल्य पर मरम्मत कराई जाने के लिय निर्णय लिया गया (मार्च 1982)। 0.64 लाख रुपये के मूल्य पर दोष ठीक किये गये (निचली छत में इन्सुलेशन: 0.38 लाख रुपये; बिजली के इन्स्टालेशनों की मरम्मत: 0.17 लाख रुपये और भवन में दरारों की मरम्मत: 0.09 लाख रुपये)। यू पी आर एन एन से धनराशि की वसूली प्रतीक्षित थी (फरवरी 1983)।

प्रबन्धकों/शासन ने बताया (जनवरी 1983) कि मामला यू पी आर एन एन के साथ उठाया गया था किन्तु उन्होंने अनुस्मारकों के बावजूद भी कोई उत्तर नहीं दिया। मामले में उनके साथ निकट से अनुसरण किया जा रहा था।

(के० कृष्णन)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-II
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद : LUCKNOW.
The 20th March 1984

प्रति हस्ताक्षरित

ज्ञान प्रकाश

(ज्ञान प्रकाश)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली : 23rd March 1984

परिशिष्ट

परि–
संदर्भ : पैरा
सरकारी कम्पनियों के कार्यकलापों क

क्रमांक	कम्पनी का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निवेशित पूंजी	लाभ (+)/ हानि (–)
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1981–82	134.25	(–) 6.93
2	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग	28 दिसम्बर 1972	1981–82	1424.04	(–) 177.90
3	हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25 जून 1976	1981–82	82.81	(+) 5.35
4	प्रयाग चित्रकूट कृषि एवं गोधन विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	7 दिसम्बर 1974	1981–82	50.00	(–) 0.38
5	उत्तर प्रदेश इलेक-ट्रानिक्स कारपो-रेशनलिमिटेड	उद्योग	30 मार्च 1974	1981–82	668.92	(+) 23.96
6*	अपट्रान कैपा सीटर्स लिमिटेड	उद्योग	13 मार्च 1978	1981–82	149.43	(+) 2.09
7*	अपट्रान इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	उद्योग	15 नवम्बर 1979	1981–82	51.12	(+) 7.12
8*	अपट्रान पावरट्रा निक्स लिमिटेड	उद्योग	30 अप्रैल 1977	1981	50.43	(+) 8.04
9*	अपट्रान सिम्पैक लिमिटेड	उद्योग	23 मई 1977	1978–79	2.55	..
10*	उत्तर प्रदेश एक्स-पोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	20 जनवरी 1966	1981–82	257.95	(+) 2.33
11*	भदोही ऊलेन्स लिमिटेड	उद्योग	14 जून 1976	1981–82	167.70	(–) 14.38

शिष्ट "क"

1.02 पृष्ठ 1

संक्षिप्त वित्तीय परिणामों का विवरण

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

लाभ और हानि लेखे में कुल प्रभारित ब्याज	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रति लाभ (7+9)	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रति लाभ (7+8)	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
4.24	0.82	(-)6.11	..	118.05	(-)2.69	..
36.15	20.88	(-)157.02	..	1222.83	(-)141.75	..
..	..	5.35	6.5	82.67	5.35	6.5
..	..	(-)0.38	..	44.85	(-)0.38	..
17.84	17.84	41.80	6.2	399.61	41.80	10.5
41.95	15.39	17.48	11.7	227.66	44.04	19.3
3.69	3.69	10.81	21.1	63.65	10.81	17.0
9.33	2.45	10.49	20.8	102.97	17.37	16.9
..	..	..	..	2.55	..	..
10.81	8.02	10.35	4.0	248.09	13.14	5.3
19.54	15.68	(+)1.30	0.8	55.61	5.16	9.3

1	2	3	4	5	6	7
12	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1981-82	15.71	(+)0.96
13	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1981-82	24.64	(+)8.44
14	उत्तर प्रदेश (रुहेल खण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता	27 अगस्त 1975	1981-82	31.06	(+)5.99
15	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1981-82	105.05	(+)3.71
16	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशुपालन	27 अक्टूबर 1979	1981-82	59.41	(-)1.00
17	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	शक्ति	25 अगस्त 1980	1981-82	1395.00	..
18	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1972	1981-82	11164.16	(-)65.72
19	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	29 मार्च 1961	1981-82	2191.48	(+)161.98
20	*उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड	उद्योग	8 मार्च 1978	1981-82	21.90	(+)0.38
21	*उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड	उद्योग	14 जनवरी 1976	1980-81	185.27	..
22	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	चीनी उद्योग	26 मार्च 1971	1981-82	6723.25	(-)1050.23

शिष्ट "क" जारी

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

8	9	10	11	12	13	14
27.94	..	0.96	6.1	173.80	28.90	16.6
..	..	(-)8.44	..	327.36	(-)8.44	..
23.66	..	5.99	19.3	159.86	29.65	18.5
2.36	0.86	4.57	4.4	344.04	6.07	1.8
..	..	(-)1.00	..	50.91	(-)1.00	..
..	..	..	..	160.67	..	..
15.61	11.56	(-)54.16	..	2177.51	(-)50.11	..
27.83	27.58	189.56	8.6	2184.93	189.81	8.7
1.12	1.12	1.50	6.8	19.24	1.50	7.8
..	..	..	..	10.94	..	..
588.84	128.49	(-)921.74	..	2460.05	(-)461.39	..

परि

1	2	3	4	5	6	7
23	*चांदपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी उद्योग	18 अप्रैल 1975	1981-82	600.91	(+)112.62
24	*छाता शुगर कंपनी लिमिटेड	चीनी उद्योग	18 अप्रैल 1975	1981-82	606.10	(+)7.57
25	*नन्दगंज शिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी उद्योग	18 अप्रैल 1975	1981-82	1457.48	(-)310.32
26	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार-पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	22 दिसम्बर 1969	1981-82	5346.89	(-)1.44
27	*उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० I) लिमिटेड	उद्योग	20 अगस्त 1974	1981-82	2665.81	(-)143.65
28	*उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० II) लिमिटेड	उद्योग	20 अगस्त 1974	1981-82	240.01	(-)0.06
29	वाराणसी मंडल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1981-82	79.14	(+)3.63
30	*उत्तर प्रदेश कार-बाइड एण्ड केमि-कल्स लिमिटेड	उद्योग	23 अप्रैल 1979	1981-82	324.17	..
31	कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 मार्च 1971	1980-81	257.69	(+)5.09
32	*कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30 जून 1975	1979-80	26.54	(+)1.03
33	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	कृषि	30 मार्च 1978	1980-81	115.73	(-)2.69
34	उत्तर प्रदेश डेवलप-मेंन्ट सिस्टम कार-पोरेशन लिमिटेड	योजना	15 मार्च 1977	1980-81	65.36	(+)6.14

शिष्ट "क" (जारी)

(कालल 6 से 10, 12, और 13 के आंकड़े लाख रूपयों में है)

8	9	10	11	12	13	14
58.85	33.16	145.78	24.3	672.25	171.47	25.5
68.26	41.93	49.50	8.2	543.25	75.83	14.0
187.77	138.27	(-)172.05	..	780.71	(-)122.65	..
76.39	67.53	66.09	1.2	2887.27	74.95	2.6
94.85	69.30	(-)74.35	..	1422.28	(-)48.80	..
..	..	(-)0.06	..	49.77	(-)0.06	..
2.97	2.70	6.33	8.0	71.50	6.60	9.2
..	..	..	..	66.53	..	..
2.10	1.80	6.89	2.7	233.12	7.19	3.2
..	..	(+)1.03	3.9	26.52	1.03	3.9
..	..	(-)2.69	..	111.03	(-)2.69	..
..	..	6.14	9.4	162.71	6.14	3.8

परि

कालम 6

1	2	3	4	5	6	7
35	उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	सिंचाई	25 मई 1976	1980-81	992.54	(+)2.65
36	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24 अप्रैल 1973	1980-81	110.02	(+)4.31
37	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रास वेयर कारपोरेशन लिमिटेड	उद्योग	12 फरवरी 1974	1980-81	184.50	(-)9.87
38	इलाहाबाद मंडल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31 मार्च 1976	1979-80	48.58	(-)0.23
39	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	31 मार्च 1976	1978-79	165.00	(-)6.99
40	*हैन्डलूम इंटेन्सिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड	उद्योग	13 सितम्बर 1976	1978-79	192.66	(-)0.23
41	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30 मार्च 1977	1978-79	20.81	(+)0.75
42	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	लोक निर्माण	18 अक्तूबर 1872	1978-79	345.71	(+)56.85
43	उपाय लिमिटेड	पर्वतीय विकास	28 अप्रैल 1977	1977-78	17.00	(-)0.83

टिप्पणी : (i) निवेशित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक कर्जों और मुक्त आरक्षित निधियों की

(ii) नियोजित पूंजी (क्रमांक 19 और 36 की कम्पनियों को छोड़कर) निबल स्थायी द्योतक है।

(iii) क्रमांक 19 और 36 की कम्पनियों के सम्बन्ध में नियोजित पूंजी (i) प्रदत्तपूंजी, लित करते हुए उधार और (v) जमाओं के प्रारम्भ और अन्त के शेषों के कुल जोड़

(iv) क्रमक 9, 21, 28, 16 17, और 30 की कम्पनियों में उत्पादन प्रारम्भ

*सहायक कम्पनियां इंगित करता है।

शिस्ट "क" (समाप्त)

(कालम 6 से 10 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में है)

8	9	10	11	12	13	14
..	..	2.65	0.3	620.31	2.65	0.4
0.68	0.68	4.99	4.5	105.74	4.99	4.7
10.41	0.98	(−)8.89	..	173.34	0.54	0.3
1.68	..	(−)0.23	..	47.51	1.45	3.1
..	..	(−)6.99	..	279.07	(−)6.99	..
9.22	9.20	(+)8.97	4.7	189.26	(+)8.99	4.8
..	..	(+)0.75	3.6	20.64	0.75	3.6
13.41	9.70	66.55	19.3	327.39	70.26	21.5
..	..	(−)0.83	..	14.87	(−)0.83	..

द्योतक है।

परिसम्पत्तियों (पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों को छोड़कर) और कार्य चालन पूंजी की

(ii) बांड और डिबेन्चर, (iii) आरक्षित निधियों, (iv) पुनः वित्त को सम्मि-

के मध्यमान की द्योतक है।

नहीं हुआ है।

संदर्भ

परि

सांविधिक निगमों के कार्य-कलापों के

क्रमांक	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखा अवधि	कुल निवेशित पूंजी	लाभ (+) हानि (−)/
1	2	3	4	5	6	7
						(क) उत्तर प्रदेश
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्	शक्ति	1 अप्रैल 1959	1981–82	295275.65	(+) 3443.0
						(ख) अन्य सांविधिक
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1 नवम्बर 1954	1981–82	11747.32	(+) 66.41
3	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम*	सहकारिता	19 मार्च 1958	1981–82	2379.60	(+) 120.45
4	उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम	परिवहन	1 जून 1972	1978–79	5814.96	(+) 247.39

टिप्पणी : (1) निवेशित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक कर्जों और मुक्त आरक्षित निधियों की द्योतक
(2) नियोजित पूंजी (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को छोड़कर) निबल स्थाई परिसम्पत्तियों
(3) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में नियोजित पूंजी, (i) प्रदत्त पूंजी, (ii) करते हुए उधार, (v) जमा, और (vi) राज्य सरकार द्वारा पेशगी के रूप में दी गई मान की द्योतक है ।

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

शिष्ट "ख"

पैराग्राफ 5.01 पृष्ठ34)

वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(कालम 6 से 10, 12 और 13 के आंकड़े लाख रुपयों में हैं)

लाभ और हानि लेखे में प्रभारित ब्याज	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
राज्य विद्युत परिषद्						
15242.50	15242.50	18685.50	6.3	211628.88	18685.50	8.8
निगम						
394.86	394.86	461.27	3.9	10397.84	461.27	4.4
82.66	82.66	203.11	8.1	2318.45	203.11	8.8
410.04	380.01	132.62	2.3	5426.18	162.65	3.0

है ।

और कार्यचालन पूंजी की द्योतक है ।

बाण्ड और डिबेन्चर, (iii) आरक्षित निधियों, (iv) पुनः वित्त को सम्मिलित विशेष योजनाओं के लिये निधि के प्रारम्भ और अन्त के शेषों के कुल जोड़ के मध्य-

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 4 महालेखाकार--16-9-83--(2200)-1984-1750(मेग0)